लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

8 दिसम्बर, 1969 । 17 अग्रहायण , 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
94	प्रश्न संख्या 3102 ; पंक्ति 2 , 'Shri Bansh Narain Singh' के स्थान पर 'Shri Beni Shanker Sharma' पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, सोमवार, 8 दिसम्बर, 1969/17 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 13, Monday, December , 8 1969/Agrahayana 17, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
451	विभिन्न संगठनों के साथ खाद्य तथा कृषि मंत्री के सम्बन्ध	Food and Agriculture Minister's Connection with various Organisations	1–10
452	भारत में तेल की खोज के लिए रूस की दीर्घकालीन योजना	Long-term plan for Oil Exploration in India by the Soviet Union ...	10–15
453	गैर सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private Collieries	15–17
455	स्कूटर, टैक्सी, तांगा तथा रिक्शा चालकों के लिये दिल्ली प्रशासन को धन का नियतन	Amount allocated to Delhi Administration for Scooter, Taxi, Tonga and Rickshaw Drivers	17-20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
454	भारत को रूस से परियोजना सम्बन्धी सहायता	USSR Project Aid to India	21–22
456	शेष अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Natonalisation of remaining Scheduled Banks	22
457	मध्य पूर्व के देशों से तेल का सीधा आयात	Import of Oil direct from Middle East Countries	22

---

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the questioa was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
458	वर्तमान तेल नीति के कारण 1975 तक भारत में इंधन का संकट	Fuel Crisis in India by 1975 due to Present Oil Policy	22-23
459	भारत में अमरीकी सहयोग	US Collaboration in India	23
460	करमुक्त मनोरंजन व्यय	Tax free Entertainment Allowance	24
461	विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Banks	24
462	दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ बिजली घर का कार्य	Working of the Indraprashtha Power Station, Delhi	25
463	इग्लैंड में सेवा कर रहे भारतीय डाक्टरों को वापस बुलाना	Calling Back of Indian Doctors serving in U. K.	26
464	थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rise in Wholesale Price Index ... —	26-27
465	चौदह वर्ष से अधिक की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government accommodation to Government employees with over 14 years of Service	28-29
466	आसाम में "आपरेशन हार्ड रॉक" सर्वेक्षण	"Operation Hard Rock" Survey in Assam ...	29
467	पोंग बांध क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of oustees from Pong Dam Area	29-30
468	डा० भगवान दास स्मारक न्यास, नई दिल्ली द्वारा की गई अनियमिततायें	Irregularities committed by Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, New Delhi	30
469	रोस्तम के अशोधित तेल का स्टाक और मूल्य	Stock and price of Rostam Crude	30
470	दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को आवंटित किये गये विकसित भूखंडों का स्वामित्वाधिकार	Ownership rights of developed plot allotted to Jhuggi dwellers in Delhi	31

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
471	खेतड़ी तांबा परियोजना में उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति	Attainment of Production target at Khetri Copper Project	31
472	तमिल नाडू में 'कावेरी बेसिन में तेल का पाया जाना	Oil find in Cavuery Basin in Tamil Nadu ...	31
473	मलयेशिया में भारतीय बैंकों का कारोबार बन्द होना	Winding up of Indian Banks in Malaysia ...	32
474	उत्तर प्रदेश में रामगंगा तथा गंडक नहर परियोजना के लिये और अधिक धन	More Funds for Ramganga and Gandak Canal Project in U. P.	33
475	परिवार नियोजन सप्ताह	Family Planning Week	33-34
476	भारत के रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा नियत धन-राशि से अधिक राशि निकालना	States' Overdrafts on the Reserve Bank of India	34-35
477	शेख अब्दुला तथा मिर्जा अफजल बेग की सम्पत्ति	Wealth of Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Bag	35-36
478	ताम्बे की मांग, उत्पादन तथा आयात	Demand. Production and Import of Copper	36-37
479	पूर्वी नदियों में बाढ़ के संयुक्त नियंत्रण के बारे में भारत पाक वार्ता	Indo-Pak Talks on Joint Flood control in respect of Eastesn Rivers	37
480	प्रवासी भारतीयों के लिये आवास योजना	Housing scheme for Indians Abroad ...	38
अता.प्र. सं./U.S.Q.Nos.			
3001	सरकारी उपक्रमों के हिसाब किताब की लेखा-परीक्षा	Audit of accounts of Public Undertakings...	38-39
3002	औषध निर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ औषधियों के मूल्यों में कमी करने के बारे में वार्ता	Talks with Representatives of Pharmaceutical Industries for reduction prices of Drugs	39

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos /विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3003	मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats in Medical Colleges ...	39–40
3004	ट्राम्बे उर्वरक कारखानों में दोष	Difects in Trombay Fertilizer Plant ...	40
3005	प्रमुख आयकर दाताओं की ओर आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears of top Assessees... ...	41
3006	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh for Medical Education and Training	41–42
3007	गुजरात में बिजली की कमी	Shortage of Electricity in Gujarat	42
3008	गुजरात के पिछड़े तथा आदिवासी जिलों में सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation Facilities to Tribal and Back ward Districts of Gujarat	43–45
3009	गुजरात में चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान जन स्वास्थ्य सुविधायें	Public Health Facilities during Fourth Plan to Gujarat	43-45
3010	मंत्रालय द्वारा विदेशों से आमंत्रित शिष्टमंडल	Delegations invited from abroad by Ministry	45
3011	गुजरात में सिंचाई कार्य के लिये बिजली की दरें	Electricity Rates for Irrigation Purposes in Gujarat	45–46
3012	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पोलिस्टर फाइबर कारखाने की स्थापना	Location of Polyester fibre unit in North Eastern region	46
3013	परिवार नियोजन कार्य-क्रम	Family Planning Programmes	46–47
3015	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये मोटर-गाड़ियां	Vehicles for National Malaria Eradication Programme	47-48
3016	देश में नेत्र बैंकों का कार्यकरण	Functiong of Eye Banks in the country ...	48–49

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3017	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग का गठन	Constitution of Central Engineering Service Cadre	49
3019	विभिन्न राज्यों में सरकारी उपक्रमों में विनियोजन	Investment in Public Undertakings in various States	49–50
3020	लाजपत नगर 4, नई दिल्ली में पुराने दुमंजिले क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्ति	Unauthorised Occupants, in old Double Storey quarters, Lajpat Nagar IV, New Delhi ...	50
3021	श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली के सरकारी मकानों में अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्ति	Unauthorised occupants of Government accommodation, Srinivaspuri, New Delhi	51
3022	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पदावधि	Tenure of Superintending Engineer in C. P. W. D.	51–52
3023	रोजगार दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन के लिये केन्द्रीय निर्माण विभाग के सैक्शन अफसरों को अनापत्ति प्रमाणपत्र	No objection certificate to Sectional Officers in C. P. W. D. for Registration with Employment Exchange	52
3024	कार्यालय के कमरों/निवास स्थानों को लोक निर्माण विभाग के सैक्शन अफसरों द्वारा देखने जाना	Visit by C. P. W. D. Sectional Officers to the Office rooms/residences ...	52–53
3025	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के लिये भर्ती नियम	Recruitment Rules for Engineers in C. P. W. D.	53
3026	भारतीय तेल निगम द्वारा खरीददारी	Purchases by Indian Oil Corporation ...	54
3027	भारतीय तेल निगम में समाहार के विभिन्न स्तरों का लेखा परीक्षा	Auditing of various stags of Precurement in IOC	54–55

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3028	गुजरात ऐरोमैटिक परियोजना के लिये सामान के बारे में विलम्ब से आये टेंडरों को स्वीकार करना	Acceptance of late tenders in respect of materials for Gujarat Aromatic Project	55-56
3029	मद्रास तेल शोधन शाला के लिये उपकरणों का क्रय	Purchase of Instruments or Madhras Refinery	56-57
3030	सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम और पैट्रो-रसायन परियोजनाएं	Petroleum and Petfo-chemical projects in Public Sector ...	57
3031	खाद्य तथा कृषि मंत्री के पुत्रों तथा पुत्रियों का विभिन्न फर्मों के साथ सम्बन्ध	Connections of Food and Agriculture Minister's Sons and Daughters with varlous Firms	57–58
3032	उत्तर प्रदेश में बाढ़	Floods in Uttar Pradesh	58–59
3033	बाढ़ के कारण जान और माल की क्षति	Loss of Life and Property due to Floods ...	59
3034	जनहित निधि को कर से छूट	Exemption from Tax to Jan-Hit Nidhi ...	59–60
3035	मोकामेह (बिहार) के निकट गंगा में बाढ़	Floods in Ganga-near Mokameh (Bihar) ...	60
3036	बाढ़ के कारण विनाश	Devastation caused by floods	61
3037	जुलाई/अगस्त, 1969 में देश में बाढ़ों के कारण क्षति	Loss as a result of floods in Country in July August, 1969 ...	61
3038	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन	Revision of pay scales of Central Government Employees	61
3039	चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था	Accommodation for Chandigarh Employees...	61–62

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3040	चण्डीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिले फ्लैट्स	Multi-storeyed Flats in Chandigarh for Government Employees	62
3041	आयकर तथा सीमा शुल्क कार्यालय, कलकत्ता में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees working in Income Tax and Customs House, Calcutta	62-64
3042	दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के विकास की योजना	Plan for development of South-East Region	64-65
3044	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क, भिवांडी (महाराष्ट्र) के अधीक्षक द्वारा कथित रिश्वत का लिया जाना	Alleged Illegal Gratification received by a Superintendent of Central Excise and Customs, Bhiwandi (Maharashtra) ...	65
3045	ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Glaxo Laboratories (I) Ltd. ...	65-66
3046	राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिये बाढ़ सहायता	Flood Relief for Rajasthan, West Bengal and Bihar	66
3047	पंजाब नेशनल बैंक के निदेशकों द्वारा शक्तियों का कथित दुरुपयोग	Alleged abuse of power by Directors of Punjab National Bank	66-67
3048	सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का प्रबन्ध	Management of Public Utilities	67-68
3049	अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान के लिये भारत-डेनमार्क करार	Indo-Denmark Agreement for All India Institute of Speech and Hearing.. ...	68

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3050	मद्रास हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी	Staff of Airport customs, Madras	68–69
3051	चम्पारन जिला के असैनिक अस्पताल, मोतीहारी में महिला डाक्टर की नियुक्ति	Provision of Lady doctor in Champaran Civil Hospital, Motihari	69
3052	खेतरी तांबा परियोजना में गंधक के तेजाब की गैस का उत्पादन	Production of Sulphuric Acid Gas at Khetri Copper Project	69–70
3053	सरकारी उद्योगों में रोजगार नीति	Employment Policy in Public Enterprises ...	70
3054	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली	Hindustan Housing Factory, New Delhi ..	70–71
3056	थाथी जयपाल सिंह गांव के निकट तस्करी के सामान का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods near Thathi Jaimalsingh Village	71–72
3057	बहराइच में चोरी छिपे लाई गई जापानी फिल्म की रीलों का जब्त किया जाना	Confiscation of smuggled Japanese Film Reels at Bahraich ... —	72
3058	पटना में अंग्रेजों के नामों पर रखे गये सड़कों के नामों का जारी रहना	Names of Roads in Patna continuing after British Names	72
3059	नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष तथा अधिकारियों द्वारा कथित कदाचार	Alleged Corrupt Practices by NDMC President and Officers — ...	72–73
3060	फारस की खाड़ी में दुबाई से भारत में सोने की तस्करी	Smuggling of gold into India from Dubai in Persian Gulf	73
3061	एक भूतपूर्व संसद सदस्य की ओर मकान का बकाया किराया	House rent Arrears of an Ex-M.P.	73–74

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3062	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा किरायेदारों को पानी के नये कनेक्शन	New water connections to Tenants by NDMC	74
3063	देहाती क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई के लिये भारतीय बिजली अधिनियम का संशोधन	Amendment of Indian Electricity Act for Supply of Electricity to Rural Areas ...	75
3065	बाढ़ नियंत्रण के उपाय	Measure to Control Floods ...	75
3066	अमरीका से आर्थिक सहायता	Economic Aid from United States of America	75
3067	चौथी योजना में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना	Opening of Ayurvedic Hospitals during Fourth Plan	76
3068	राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रशिक्षण की सुविधायें	Training facilities in Nationalised Banks ...	76
3069	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कार्य की शर्तें	Working conditions of Class IV Staff of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	76–77
3070	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में अनियमिततायें	Irregularities in Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited	77
3071	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना	Grant of Recognition to Central Office Employees Union of IDPL	77
3072	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	Grant of House Rent Allowance to staff of IDPL	78

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3073	देश में पेय जल की सुवि-धायें	Drinking water facilities in the country ...	78
3074	नई दिल्ली स्थित डी.डी.टी. फैक्टरी में भर्ती	Recruitment in DDT Factory New Delhi ...	79
3075	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में विदेशी मुद्रा का पकड़ां जाना	Seizure of Foreign Exchange by CBI in New Delhi	79–80
3076	राज्यों में गृह निर्माण कार्यक्रम के लिये जीवन बीमा निगम की धन राशि	LIC Funds Housing Programme in the States	80-81
3077	आवास तथा नगरीय विकास के हेतु राज्यों को वर्ष 1970-71 की योज-नाओं के लिये धन का नियतन	Allocation for States Annual Plans for 1970–71 for Housing and Urban Development ...	81-83
3078	कष्टसाध्य क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों को मासिक भत्ता	Monthly allowance to Doctors for working in difficult areas	83
3079	लौह अयस्क की खानों सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करना	Collection of Data on Iron Ore Mines ...	83–84
3080	पूर्व जर्मनी से कांच के बने स्त्री तथा पुरुष	Glass Men and Women from East Germany...	84
3081	जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा कार्य में वृद्धि	Increase in LIC Business	84
3082	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सुपर फास्फेट के उत्पादन को स्थगित करना	Suspension of Production of Superphosphate by Hindustan Zinc Ltd.	84–85
3083	पपीते के बीज से गर्भ निरोधक औषधि	Oral Contraceptive from Pappita Seeds	85--86

3084	सिन्डीकेट बैंक द्वारा किसानों को ऋण	Syndicate Bank's loan to Farmers ... —	86
3085	प्रगतिशील फार्म कर नीति	Progressive Farm Tax Policy —	86-87
3086	सार्वजनिक भविष्य नीधि योजना के ब्याज की दर में वृद्धि	Increase in rate of interest of Public Provident Fund Scheme	87
3087	फारस की खाड़ी से अरब के एक जहाज द्वारा लाये गये सोने का पकड़ा जाना	Seizure of gold brought by Arab Dhow from Persian Gulf	87-88
3088	उत्तरी बम्बई में एम्बैसडर कार तस्करी के से सोने का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled gold from Ambassador Car in North Bombay	88
3089	सिंचाई तथा विद्युत मंत्री के विदेशों के दौरे	Minister's Tour Abroad	88-89
3090	सरकारी कर्मचारियों को पारी के बाहर आवास का आबंटन	Out-of-turn allotment of Government aecommention	89-90
3091	मंत्रियों के रिश्तेदार जो विदेश यात्राओं में उनके साथ गये	Ministers' relations accompanying them abroad	90
3092	आसाम तेल शोधन एवं पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में पोलिस्टर फाइबर का उत्पादन	Production of Polyester-Fibre in Assam Refinery-Cum-Petro-Chemical Complex —	90-91
3093	स्टेट बैंक मे काम के लिये प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग	Use of Regional Languages for transacting work in State Bank	91
3094	बम्बई की कुछ फर्मों पर आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears due from Certain Firms of Bombay	91-92

3095	बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Big Industrial Houses ...	92
3097	भारतीय रुपये के अवमूल्यन से लाभ	Advantages from Devaluation of Indian Rupee	92-93
3099	बेलापुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (बम्बई) की ओर आय कर की बकाया राशि	Income Tax due from Belapur Sugar Company Ltd. (Bombay)	93
3100	गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता पर आयकर की बकाया धन राशि	Income Tax due from Good Year India, Ltd. Calcutta	94
3101	नेशनल इन्डिया ट्रेडर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई की ओर आयकर की बकाया धनराशि	Income Tax due from National India Traders Pvt. Ltd. Bombay	94
3102	इंडिया कार्बाईड लिमिटेड, बम्बई की ओर आयकर की बकाया राशि	Income Tax due from India Carbide Ltd. Bombay	94
3103	कोहिनूर मिल्स लिमिटेड बम्बई की ओर आयकर की बकाया राशि	Income Tax arrears of Kohinoor Mills Ltd. Bombay	94-95
3104	दिल्ली के लिये पानी की सप्लाई	Water Supply for Delhi	95
3105	राजस्थान में बाढ़ सम्बन्धी केन्द्रीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Central Study Team Report on floods in Rajasthan ...	95-95
3106	राजस्थान को पेय जल योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	Financial assistance to Rajasthan for Drinking Water Schemes	95

3107	एम. बी.बी. एस. परीक्षा पास करने के बाद देहाती क्षेत्रों में सेवा करने को तैयार छात्रों के लिये मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats in Medical Colleges for students who serve in rural areas after passing M. B. B. S. examination ..	96–97
3108	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Government accommodation to C. G. H. S. Scheme Employees	97
3109	दिल्ली में क्षय रोग के अस्पताल का खोला जाना	Opening of a T. B. Hospital in Delhi	97–98
3110	सिंचाई सुविधाओं के लिए धन राशि	Funds for irrigation facilities	98
3111	राजस्थान में पाये जाने वाले राक फास्फेट का प्रयोग	Utilisation of Rock phosphate available in Rajasthan	98
3112	चौथी योजना में गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of fertilizer factories in Private Sector during 4th Plan	99
3113	लिफ्ट नहरों के द्वारा गंगा के पानी को उपलब्ध कराने के लिये दीर्घकालीन परियोजनाओं का सर्वेक्षण	Servey of long term Projects for making available Ganga water through lift canals	99
3114	खेतरी में प्रोडक्शन शेफ्ट लगाने के काम को रोकना	Stoppage of sinking work of production shaft at Khetri	99–100
3115	प्रिन्टर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध आरोप	Allegations against Printers House (P) Ltd....	100–101
3116	संसद् सदस्यों के भूखंडों का आवंटन	Allotment of plots of land to Members of Parliament ...	101
3117	रिगों के लिये 'बिटों' के न मिलने के कारण खोज कार्य में रुकावट	Exploration work Handicapped due to Non-availability of Bits for Rigs ...	101

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3118	विदेशी तेल कम्पनियों के एजेंटों द्वारा पदार्थो में कथित मिलावट	Alleged adulteration in products by agents cf Foreign Oil Campanies	102
3119	औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम द्वारा ऋणों पर लाभ	Return on Loans by IFC and ICICI...	102-103
3120	राजस्थान नहर परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Rajasthan Canal Project	103
3121	इटली के सहयोग से कोयला आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Coal based Fertilizer Plants with Italian Collaboration ...	103-104
3122	फिल्म कलाकारों पर आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears outstanding against Film Actors	104
3123	शासपत्रित लेखाशास्त्र लागत लेखा शास्त्र और उच्च लेखा शास्त्र का प्रशिक्षण	Training in Chartered Accountant Cost Accountancy and Advanced Accountancy	105
3124	डाक्टरों तथा वैद्यों के वेतनमानों मे समानता	Uniform pay scales of Doctors and Vaids ...	105
3125	राक फास्फेट में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Rock Phosphate	105-105
3126	नवदम्पतियों को परिवार नियोजन सामग्री का उपहार	Gift of Family Planning Material to Newly weds	106
3127	तमिल नाडु तेल शोधक कारखाने की क्षमता	Capacity of Tamil Nadu Oil Refinery ...	106-107
3128	नगरीय सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के बाद गृह निर्माण के लिये भूमि की उपलब्धता	Availability of land for the construction of Houses after ceiling on Urban Property...	107

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3129	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Price of essential Commodities	107 108
3130	उत्तर क्षेत्र ग्रिड का निर्माण	Completion of Northern Zone Grid	108
3131	औद्योगिक उपक्रमों को सप्लाई किया गया घटिया किस्म का कोयला	Poor Quality of coal supplied to Industrial Undertakings	108
3133	अन्धों को त्वचा से दृष्टि लाभ	Blinds to see with skin	109
3134	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आयुर्वेदिक वैद्य तथा यूनानी हकीम	Ayurvedic and Unani Units in Primary Health Centres	109–110
3135	पश्चिम बंगाल में गंगा द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए उपाय	Measures to prevent erosion by Ganga in West Bengal	110
3136	राष्ट्रीय राज पथ संख्या 31 को गंगा नदी के तटों के कटाव से खतरा	Endanger by erosion of Bank of Ganga to National Highway No. 31	110–111
3137	पाकिस्तान में भारतीयों द्वारा छोड़े गये बचत की राशि वापसी	Repatriation of savings of Indians in Pakistan ..	111
3138	नैनमल पंजाजी शाह द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Violation of foreign exchange rules by Nainmal Panjaji Shah	111-112
3139	सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न फर्मों को दिये गये ऋण	Loans given to various firms by State Financial Institutions	112–113
3140	समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर कर लगाना	Levy Tax on Advertisements News Papers ...	113
3141	मैसूर में कराधान के अनिर्णित मामले	Pending cases of taxation in Mysore...	113

3142	गैर सरकारी व्यक्तियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त किया गया धन	Money received by Private Individuals and non-official institutions from Foreign Countries ...	114
3143	उत्तर प्रदेश की ग्राम्य जल सम्भरण योजना	Rural Water Supply scheme of U. P. ...	114
3144	मैसूर और आन्ध्र प्रदेशों में दिये गये खनन पट्टे	Mining leases granted in Mysore and Andhra Pradesh ...	114–115
3145	पश्चिम बंगाल में बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता	Aid for Jobless in West Bengal ...	115
3146	अखिल भारतीय तेल व्यापारी संघ द्वारा भारतीय तेल निगम से ऋण सुविधाएं देने की मांग	All India Association of Oil Dealers demand for cerdit facilities from IOC ...	115
3147	चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आयुर्वेदिक औषधालय	Ayrvedic Dispensaries during Fourth Plan Period	115
3149	श्री कान्तिलाल देसाई द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Shri Kantilal Desai	116
3150	किसानों के लिये मकान	House for Farmers ...	116-117
3151	झुग्गी तथा झोंपड़ी योजना के व्यय का लेखा परीक्षण	Audit of Expenditure on Jhuggi and Jhonpri Scheme	117
3152	अशोक सीमेंट लिमिटेड के आयकर का निर्धारण	Assessment of Income Tax in respect of Ashoka Cement Ltd.	118
3153	एलबियन प्लाईवुड लिमिटेड के निदेशकों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income Tax outstanding against Directors of Albion Plywood Limited ...	118
3154	भारत निधि लिमिटेड के निदेशकों द्वारा देय आयकर	Income Tax due from Directors of Bharat Nidhi Limited	118–119

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3155	काठमंडू में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण एशिया सम्बन्धी क्षेत्रीय समिति की बैठक	Meeting of W. H. O's Regional committee for South Asia at Kathmandu	119–120
3156	जनसंख्या सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम के बारे में सम्मेलन	Conference on Population Policy and Programme	120
3157	गंगा नदी के किनारे से लगे हुए निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रहन सहन की दशा का अध्ययन	Study of living conditions of people in law lying areas along Ganga's Bank ...	121
3158	जीवन बीमा निगम द्वारा मैसूर में औद्योगिक और गैर औद्योगिक परियोजनाओं को दी गई सहायता	Assistance given by LIC in Industrial and non-industrial Projects in Mysore ...	121
3159	बेरोजगार सुनारों द्वारा कथित आत्म हत्या	Alleged Suicide by Jobless Goldsmith ...	121–122
3160	कर में छूट की सीमा को बढ़ाना	Raising of Tax Exemption Limit	122–123
3151	आवास के लिये राज्यों को दी गई केन्द्रीय राशि का अन्य परियोजनाओं में प्रयोग	Diversion of Central Fund given to States for Housing to other Projects	123
3162	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा नई अयस्क खानों का खोला जाना	Opening of new ore Mines by National Mineral Development Corporation	124
3163	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली में कुप्रबन्ध	Mismanagement in Hindustan Insecticides Ltd., Delhi	124–125
3164	बैंकिंग विभाग का बनाया जाना	Creation of Department of Banking	125

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3165	विदेशी ऋण का उपयोग	Utilisation of India's Foreign Debt	125-128
3166	भारतीय तेल निगम के उत्पादों के मूल्यों में कमी	Reduction in prices of Indian Oil Corporation Products ...	128
3167	भारतीय तेल निगम के टैंकों की स्टोरेज क्षमता	Storage Capacity of Indian Oil Corporation Tanks	128-129
3168	पत्रकारों को आवास का आवंटन	Allotment of Accommodation to Journalists ...	129
3169	जाली डालरों तथा भारतीय मुद्रा का परिचालन	Circulation of Fake Dollars and Indian Currency	129-130
3170	विदेशी ऋणों का लौटाया जाना	Repayment of Foreign Loans	130-131
3171	वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कर की चोरी	Tax Evasion by Finance Ministry Officials ...	131
3172	श्रमजीवी वर्ग का अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक	All India Consumers' Price Index of Working Class	131-132
3173	गर्भपात को वैद्य बनाना	Legalisation of Abortion ...	132-133
3174	परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रगति	Progress of Family Planning Programme ...	133
3175	दिल्ली के अस्पतालों में गंदगी	Unhygienic Conditions in Delhi Hospitals ..	133-134
3176	नेशनल एण्ड ग्रिंडले बैंक की कलकत्ता शाखा में डकैती	Robbery in National and Grindlays Bank, Calcutta Branch	134-135
3177	पश्चिमी कमला नहर, बिहार	Western Kamala Canal, Bihar	135
3178	ऋषिकेश स्थित प्रतिजीवाणु पदार्थ कारखाने में क्लोरोटेट्रासाइक्लिन का उत्पादन	Manufacture of Chloro Tetracycline at Antibiotics Plant, Rishikesh	135-136

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3179	साऊथ एवेन्यू में संसत्सदस्यों को नये फर्नीचर की सप्लाई	Supply of New Furniture to Members of Parliament in South Avenue	136
3180	जी. आर. फार्मों में घोषणा सम्बन्धी उपबंध का संशोधन	Amendment of Provision relating to Declaration in G. R. Forms	136–137
3181	भारतीय रुपये के मूल्य में कमी	Decline in value of Indian Rupee ..	137
3182	भारतीय तेल निगम के अधिकारी के विरुद्ध आरोप	Allegation against Indian Oil Corporation Official	137-138
3183	भारतीय तेल निगम द्वारा सरकारी, अर्द्ध सरकारी संगठनों को सप्लाई किये गये पैट्रोलियम के बिलों की बकाया राशि	Bills outstanding against Government, Semi Government Origanisations for Supply of Petroleum by Indian Oil Corporation	138
3185	डी.डी.टी. का मानवीय स्वास्थ्य पर कुप्रभाव	Adverse effect of DDT on human health ...	138–139
3186	दुबुदा बेसिन जल निकास योजना (पश्चिम बंगाल)	Dubda Basin Drainage Scheme (West Bengal)	139–140
3187	आयकर निरीक्षकों की पदोन्नति	Promotion of Income Tax Inspectors	140–141
3188	आयकर विभाग का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन तथा विवरण	Annual Administrative Report and Returns of Income Tax Department	141
3189	आयकर के नये करदाता	New Assessees of Income Tax ..	141–142
3190	आयकर नियम पुस्तिका	Income Tax Manual	142
3191	जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा गृह-निर्माण परियोजनाओं के लिये ऋण	Money for Housing Project from LIC and Nationalised Banks	142

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3192 गैर सरकारी आवासों के निर्माता हिन्दुस्तान हाउसिंग फेक्टरी	Hindustan Housing Factory as builders of private owned Houses	142-143
3194 महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रगति	Progress in rural electrification in Maharashtra	143
3195 बिहार में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बाढ़ सम्बन्धी ऋण	Flood loans to Central Government Employees in Bihar	143-144
3196 उड़ीसा के कटक जिले में निकल अयस्क के निक्षेप	Location of Nickel Ore deposits in Cuttack District, Orissa	144
3197 ग्रामीण कम आय वाले लोगों के लिये गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कम लागत वाले मकान	Low cost model house for rural and low Income group housing scheme	144-145
3198 सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees of the Ministry of Irragation and Power	145
3199 वित्त मंत्रालय में स्टाफ कार का उपयोग	Use of Staff Cars in Ministry of Finance ...	145-146
3200 भारतीय तेल निगम द्वारा उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में गैस सिलण्डर वितरण एजेंन्सियों का खोलना	Setting up of Gas Cylinders distribution agencies in U. P. and Punjab by IOC. ...	146-147
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	147-156
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ से महत्वपूर्ण सैनिक डिजाइनों के गुम हो जाने का समाचार	Reported sappcarance of important Military designs from the Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh ..	147

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री श्रद्धाकार सूपकार	Shri Sradhakar Supkar	147
डॉ. वी. के. ग्रार. वी. राव	Dr. V. K. R. V. Rao ...	147
कुछ मंत्रियों द्वारा बिहार विधान मंडल के सदस्यों पर दबाव डाले जाने के आरोप के बारे में	Re. Allegation of Pressurisation on Members of Bihar Legislative by Certain Ministers	156
वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की श्री टी.टी. कृष्णामाचारी से भेंट के बारे में	Re. Meeting of certain officers of Finance Ministry with Shri T. T. Krishnamachari	157
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	157-158
अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य) 1969-70	Demand for Supplementary Grants(General), 1969-70	158
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मनीपुर) 1969-70	Demands for Supplementary Grants (Manipur) 1969-70	159
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented ...	
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill-Introduced ...	160
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के बारे में विवरण	Statement Re. Foreign Exchange Regulation (Amendment) Ordinance, 1969	
बिहार भूमि सुधार विधियां (खानों और खनिजों को विनियमित करना) मान्यीकरण विधेयक-पुरस्थापित	Bihar Land Reforms Laws (Regulating Mines and Minerals) Validation Bill-Introduced	160-161
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	Advocates (Second Amendment) Bill...	161
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to refer to Select Committee as Passed by Rajya Sabha	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में	Re. Proposed Strike by LIC Employees	162
देश में साम्प्रदायिक स्थिति संबंधी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Statement on Communal Situation in the Country	162
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedi ...	163
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	165
श्री बदरुद्दुजा	Shri Badrudduja	167
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata	168
श्री श्रीपति मिश्र	Shri Shripati Misra	170
श्री अ. सि. सहगल	Shri A. S. Saigal ...	171
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha ...	172
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavhan	172
संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-third Amendment) Bill	178
विचार करने का प्रस्ताव,	Mtion to Consider	
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon ...	179
डा. राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ...	182
श्री रा. दो. भंडारे	Shri R. D. Bhandare	183
श्री मी. रू. मसानी	Shri M. R. Masani	184
श्री सिद्दयया	Shri Siddayya ...	184
श्री पी. शिवशंकरन	Shri P. Sivasankaran	186
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	187
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ..	188
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	188
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshi Das Jadhav ..	189
श्री वि. प्र. मंडल	Shri B. P. Mandal ...	190

लोक–सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 8 दिसम्बर, 1969/17 अग्रहायण, 1891 (शक)
Monday, December 8, 1969/Agrahayana 17, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विभिन्न संगठनों के साथ खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सम्बन्ध

***451. श्री पीलु मोडी : श्री रा० की० अमीन : श्री गु० च० नायक : श्री महेन्द्र माझी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विभिन्न कम्पनियों, संगठनों, न्यासों और संयुक्त परिवारों के साथ केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम का प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सम्बन्ध है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में इन सभी संगठनों की आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि में इन संगठनों ने अपनी आय पर जो आयकर अदा किया है, उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . एक विवरणपत्र सदन की मेज पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2275/69**]

श्री पीलु मोडी : मैंने उस विवरण को देखा है जिसे सभा-पटल पर रखने में मन्त्री महोदय ने इतना समय लिया है और मैं यह कहने में विवश हूं कि इसमें श्री जगजीवन राम के जीवन सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी के सिवाय कोई अन्य सूचना नहीं दी गई। यदि आप पिछले समय की कार्यवाही को देखें, जबकि यह प्रश्न उठाया गया था तो आप पायेंगे कि यह जानने के लिए अनुरोध किया गया था कि इसमें से प्रत्येक संस्था ने कितनी आय अर्जित की और कितने कर का भुगतान किया। परन्तु इस विवरण में केवल संस्थाओं की सूची दी हुई है जिसमें कहा गया है कि श्री जगजीवन राम अध्यक्ष, सलाहकार, संरक्षक, मुख्य संरक्षक तथा भगवान जाने क्या क्या नाम दिये हुए हैं। मैं नहीं समझता कि हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं क्योंकि अपेक्षित सूचना के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। मैं गत सप्ताह की कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें मैंने कहा था कि यदि सूचना नहीं दी जायेगी तो हमें आक्षेप लगाने को विवश होना पड़ेगा। और जब हम आक्षेप लगाते हैं तो प्रधान मंत्री बहुत परेशान हो जाती हैं, अतः मै ऐसा नहीं करना चाहता। परन्तु सूचना के बिना हम इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते।

श्री शशि भूषण : यह वाद-विवाद है अथवा प्रश्न ?

Shri Ishaq Sambhali : If speeches are delivered in this manner, only two or three questions will be covered in the question hour.

Shri Rabi Ray : You give him chance. He is formulating his question.

श्री पीलु मोडी : जो मैंने कहा है उसका उद्देश्य स्पष्ट है। मेरा कहना है कि भाग (ख) और (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। अतः मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता। यदि आप कार्यवाही को देखें तो स्वयं पायेंगे कि आप ही ने मन्त्री महोदय से भाग (ख) और (ग) के बारे में सूचना एकत्रित करने का अनुरोध किया था। अब यदि मन्त्री महोदय ने आपके अनुदेशों का पालन नहीं किया है तो मेरा सुझाव है कि आप उन्हें पूछिये और जैसा आप ठीक समझते हैं उस तरह से उनके साथ पेश आइये। परन्तु निश्चय ही मैं नहीं चाहता कि मुझे सूचना के अभाव में अनुपूरक प्रश्न पूछने को कहा जायें।

अध्यक्ष महोदय : पहले इस बात पर सहमति हुई थी कि भाग (ग) के विषय पर वाद-विवाद किया जाये और वे उस दिन सभा के समक्ष सूचना रख रहे थे। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इस बारे में कुछ सूचना सभा पटल पर रखी गयी है। इस प्रश्न का पूरा उत्तर, जैसे कि पहले सहमति हुई थी, शुक्रवार को सभा पटल पर रख दिया जायेगा और तब वाद-विवाद होगा।

श्री पीलु मोडी : किस शुक्रवार को ?

अध्यक्ष महोदय : आने वाले शुक्रवार 12 तारीख को। **(व्यवधान)** आपको समूचे प्रश्न की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ मालूम न था। **(व्यवधान)**

श्री पीलु मोडी : शुक्रवार मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। मुझे अपने प्रश्न से मतलब है।

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न उन विभिन्न संस्थाओं की आय तथा व्यय और आयकर निर्धारण से सम्बन्धित है जिनके साथ मन्त्री महोदय का सम्बन्ध है। मैंने प्रश्नों के दौरान उस दिन कहा था कि ये संस्थाएं दूर-दूर स्थापित हैं और सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा। मैं सभा की सूचनार्थ यह कहना चाहूँगा कि उस दिन हमने आय-कर के आयुक्तों, संबंधित संस्थाओं और न्यासों और समितियों के रजिस्ट्रारों को लिखा था और हमने उन विषयों पर सूचना मांगी थी। दुर्भाग्यवश, हमें कुछ के बारे में सूचना मिली है जिसका उल्लेख मैंने सभा पटल पर रखे गये विवरण में किया है।

श्री पीलु मोडी : यह विवरण में नहीं है।

श्री प्र० चं० सेठी : उस दिन श्री रंगा ने कहा था कि जब तक उनका सम्बन्ध संरक्षक अथवा मुख्य संरक्षक जैसा है तो उस ब्योरे की जांच करना आवश्यक नहीं है। अतएव मैंने वक्तव्य में कहा था कि श्री जगजीवन राम का सम्बन्ध लगभग 18 संस्थाओं के साथ संरक्षक और मुख्य संरक्षक के रूप में है। मैंने यह भी कहा था कि उनमें से दो संस्थाएं अर्थात 14 और 34 बन्द हो गई है। मैंने यह भी कहा था कि उनमें से चार अर्थात गांधी स्मारक निधि, जवाहर लाल स्मारक निधि, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय स्मारक न्यास और विश्व अहिंसा संघ को धारा 11 के अन्तर्गत आय कर से छूट मिली हुई है। इसके अलावा उनमें से कुछ निर्माणावस्था में हैं। हम भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी इन संस्थाओं की आय तथा विवरणों का ब्योरा प्राप्त नहीं कर सके हैं। जहां तक शुक्रवार के वाद-विवाद का सम्बन्ध है................

श्री पीलु मोडी : कृपया वे दो प्रश्नों को न मिलावें। मुझे वाद-विवाद से कुछ नहीं करना है। यह प्रश्न काल है और उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यदि वे इस पर वाद-विवाद चाहते हैं तो वे ऐसा प्रश्न काल की समाप्ति के बाद कर सकते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : शुक्रवार के वाद-विवाद का उल्लेख करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने इसका उल्लेख किया है। जहां तक इस वाद-विवाद का सम्बन्ध है, श्री जगजीवन राम द्वारा मुख्यतः आय-कर विवरण देने के बारे में है। अतएव शुक्रवार के वाद-विवाद का संस्थाओं से सम्बन्ध नहीं है।

श्री पीलु मोडी : इस प्रश्न का सम्बन्ध उनके व्यक्तिगत आय-कर से नहीं है। इसका सम्बन्ध सार्वजनिक धन से है।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यही मन्त्री महोदय ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं।

श्री पीलु मोडी : मैं अपने प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के बारे में सूचना चाहता हूँ। मन्त्री महोदय ने अभी उत्तर दिया है कि उन्हें कुछ उत्तर मिला है। उन्होंने अपने क्रमांक में उन उत्तरों को शामिल नहीं किया है। अतएव मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को तब तक के

लिए फिर स्थगित कर दिया जाये जब तक कि वे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में अपेक्षित सूचना लेकर नहीं आते। उनके उत्तर में शब्दाडम्बर से अधिक कुछ नहीं है और उन्होंने कोई सूचना देने से इन्कार कर दिया है। पहले वे अपना काम करें और सभा में तैयार होकर आयें।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : 15 दिन पूर्व जब यह प्रश्न स्थगित किया गया था तो मन्त्री महोदय ने यह विशिष्ट आश्वासन दिया था कि वह सूचना देने में 15 दिन से अधिक नहीं लेंगे। इस अवधि में भी वह सूचना एकत्रित नहीं कर सके हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मन्त्री महोदय से सूचना प्राप्त न करने के बारे में सही-सही जवाब तलबी की जाये। सूचना एकत्रित करना उनका काम था। हम कब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। इसमें एक महीने से अधिक हो गया है। इसके लिए पूर्व सूचना 5 सप्ताह पहले दी गई थी। वह 5 सप्ताह के समय में भी सूचना एकत्रित नहीं कर सके हैं।

श्री सेझियान : जो भी सूचना, उन्हें प्राप्त हुई है उसे सभा-पटल पर रखें।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने बता दिया है कि कुल संस्थाएं 37 हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह लिखित विवरण में दिया गया है।

श्री पीलु मोडी : मैं भाग (ख) और (ग) का उत्तर चाहता हूँ।

श्री प्र० चं० सेठी : जो भी सूचना हमें अभी तक मिली है, उसे हमनें सभा-पटल पर विवरण के रूप में रख दिया है।

श्री पीलु मोडी : वे सभा के समक्ष आकर कहते हैं कि उन्हें उन लोगों से उत्तर नहीं मिला है। क्या आय-कर अधिकारी उन्हें यह लिखेंगे कि श्री जगजीवन राम मुख्य संरक्षक हैं।

श्री शिव नारायण : यह एक साधारण प्रश्न है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि उन्होंने सूचना मांगी है और वे इसे दे नहीं सके हैं तो क्या उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की है?

श्री पीलु मोडी : विवरण के पृष्ठ 3092 में श्री सेठी ने कहा है :

"प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में हमें विभिन्न संस्थाओं को पत्र लिखना पड़ेगा,"

क्या उन्होंने ऐसा किया है ?

"यह हमारे हाथ की बात नहीं है कि उन्हें एक या दो सप्ताह में उत्तर भेजने को विवश करें, क्योंकि यह उन पर निर्भर है"

मैंने इसके बारे में कहा:—

"निश्चय ही, यदि श्री जगजीवनराम संरक्षक हैं, तो वे संरक्षक को उत्तर देने का कष्ट [illegible]"

[illegible]

तब श्री सेठी ने कहा :—"जहां तक भाग (ग) का सम्बन्ध है, हम ग्रायकर ग्रायुक्तों को पत्र लिखेंगे और स्थिति का पता लगायेंगे,"

इसका सम्बन्ध भाग (ख) और (ग) से है। उन्होंने अपने विवरण में केवल भाग (क) के बारे में दिया है............(**व्यवधान**) यह आपकी बुद्धिमता को बढ़ायेगा, मेरा नहीं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं माननीय सदस्य का बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ठीक ठीक बात कही है। मैंने जो कुछ उस दिन कहा, उन्होंने उसे उद्धृत किया है। उस दिन के बाद जब मैंने कहा कि हम विभिन्न संस्थाओं को पत्र लिखेंगे तो हमें आयकर आयुक्तों को तार तथा समितियों के रजिस्ट्रारों को तार तथा पत्र भेजे। हमने यह सब किया। मैंने यह भी कहा था कि हम इन संगठनों को विवश नहीं कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री पीलु मोडी : उत्तर के बारे में क्या हुआ ?

श्री प्र० चं० सेठी : अभी तक मुझे उनसे जो भी सूचना मिली है वह मैंने विवरण में दे दी है।

श्री पीलु मोडी : नहीं, विवरण कहां है ? आप मुझे अपनी प्रति दीजिए।

श्री प्र० चं० सेठी : यह विवरण में है जो कि मैंने आज दिया है।

श्री पीलु मोडी : भाग (ख) और (ग) के बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री प्र० चं० सेठी : परन्तु मुझे उत्तर नहीं मिले हैं........(**व्यवधान**)

श्री पीलु मोडी : मेरे विचार में सभा को गुमराह करने का जानबूझ कर प्रयत्न किया जा रहा है। हमने जो उत्तर मांगा है वह भाग (ख) और (ग) के अन्तर्गत आता है और विवरण का उत्तर भाग (क) के बारे में है। उनका यह कहना कि उन्होंने अपने विवरण में उनका उत्तर दिया है, स्पष्ट झूठ है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री पीलु मोडी : मुझे इससे भी अधिक उत्तेजना होगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विवरण में जो कुछ कहा गया है, मैं उसको पढ़कर सुनाऊंगी। भाग (ख), जिसके बारे में इतना शोर मचाया जा रहा है, में कहा गया है कि

"गत तीन वर्षों की अवधि में इन सभी संगठनों की आय का ब्यौरा क्या है;"

(घ) उक्त अवधि में इन संगठनों ने अपनी आय पर जो आय-कर अदा किया है, उसका ब्यौरा क्या है ?"

चूंकि माननीय सदस्य श्री रंगा ने कहा है कि हमें उन संस्थाओं की चिन्ता नहीं करनी चाहिए जिनके कि वह संरक्षक, प्रधान संरक्षक, संस्थापक संरक्षक अथवा मुख्य संरक्षक हैं, तो हमने उनको छोड़ दिया है। शेष में से दो, अर्थात् सूची में संख्या 14 और 34 बन्द हो गये हैं, जिसमें से पहला चार या पांच वर्ष पूर्व और दूसरा अगस्त, 1967 में बन्द हो गया था।

श्री पीलु मोडो : यह जानना दिलचस्प होगा कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पहले के बारे में हमने मामले को हाथ में लेने का प्रयत्न किया परन्तु हम न संस्था और न इसके संस्थापक के बारे में पता लगा सके। दूसरी संस्था भी बन्द हो गई। यदि संस्था बन्द हो गई है तो सम्बन्धित व्यक्तियों का पता लगाना बहुत कठिन है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम निश्चय ही जांच कार्य करते रहेंगे।

तीन संस्थाएं अर्थात सूची में संख्या 26, 28 और 31 अभी भी निर्माणावस्था में है। वे अभी उस चरण में नहीं आई हैं जहां वे धन अर्जन करना आरंभ कर देंगी अथवा उन पर आय कर लग सके। जहां तक मैं उत्तरों से हवाला दे सकती हूं, संख्या 31, 25 नवम्बर 1969 को ही अस्तित्व में आई है। स्पष्टतः ही इसने इस अवधि में न धन का अर्जन किया है और न कोई आय कर ही दिया है। कुछ निर्माणावस्था में हैं। अन्य ने उत्तर नहीं दिया है। अतः मेरे विचार में माननीय सदस्य के लिए यह कहना बहुत अनुचित है कि हम सभा को गुमराह कर रहे हैं........(**व्यवधान**) जो भी जानकारी जुटाई जा सकती थी हमने उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जैसा कि मन्त्रीं महोदय ने बताया है पत्र भेज दिये गये हैं, टैलीग्राम कर दिये गये हैं और टेलीफोन से जांच पड़ताल कर ली गई है।

श्री रंगा : जानकारी मिलने पर क्या आप उसे सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : जानकारी मिलते ही उसे निश्चित रूप से सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुछ उत्तर प्राप्त भी हो गये हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जो कुछ उत्तर प्राप्त हुये है हमने उनको प्रस्तुत कर दिया है....(**व्यवधान**)।

श्री सु. कु. तापड़िया : क्या समितियों के रजिस्ट्रार से पता लगाने का प्रयत्न किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपके समक्ष है आप उसी के आधार पर अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं। शेष जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री पीलु मोडी : प्रधान मन्त्री ही के लहजे में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह पर्याप्त तहीं है। रंगाजी ने यह कहा होगा कि यदि वह केवल संरक्षक हैं तो हमारी इन आंकड़ों में कोई रुचि नहीं है। प्रश्न बड़ा स्पष्ट है और मैं समझता हूँ कि हमें कम्पनियों की आय और उन्होंने उस पर जो आय कर दिया है एक सारिणी मिल जानी चाहिये थी। माननीय मन्त्री से मेरा निवेदन है कि इस बारे में कोई जल्दी नहीं है....

श्री शशि भूषण : महोदय ! मेरा व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

श्री पीलु मोडी : मुझे श्री शशि भूषण से कोई जिरह कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी सहायता के बिना ही उन से निबटने में समर्थ हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शशि भूषण ! आपकी क्या आपत्ति है ? आपके मन्त्री महोदय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री पीलु मोडी : इस जानकारी के सम्बन्ध में कोई जल्दी नहीं है। मन्त्री महोदय को जब भी जानकारी प्राप्त हो, और आशा है यह उन्हें इसी सत्र की अवधि में प्राप्त हो जायेगी, वह कृपया उसे सभा-पटल पर रख दे तथा इस प्रश्न को पुनः सभा में रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब और अनुपूरक प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अब अगले प्रश्न को लेता हूँ।

श्री पीलु मोडी : इस आश्वासन के साथ कि जानकारी प्रस्तुत की जायेगी।

Shri Rabi Ray : Sir, may I know whether you have again postponed this question ? I could not understand what you have announced.

अध्यक्ष महोदय : जानकारी मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री पीलु मोडी : तथा उसके पश्चात यही प्रश्न फिर लिया जायेगा **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह प्रश्न लिया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। श्री पीलु मोडी ध्यान पूर्वकसुनें। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जो उत्तर प्राप्त हुये हैं वे वही हैं जो इस विवरण के पैरा 2 और 3 में उल्लेखित हैं। हमें केवल यही उत्तर प्राप्त हुये हैं।

श्री पीलु मोडी : आप उन्हें फिर लिखिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहती हूं कि ये संगठन नितांत गैर-सरकारी तथा निजी संगठन हैं। इन पर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है।

श्री पीलु मोडी : मैं इतना जानना चाहता हूँ कि उनकी आय क्या है तथा उन्होंने कितना आयकर अदा किया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह तो तभी पता चलेगा जब उनसे हमें उत्तर प्राप्त होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब तो इस सम्बन्ध में काफी विचार विमर्श हो चुका है। जानकारी प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री पीलु मोडी : तथा यह प्रश्न फिर पूछा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला पश्न ।

श्री रा० को० अमीन : इस प्रश्न पर मैंने भी हस्ताक्षर किये हैं। मेरा नाम भी सूची में है ।

अध्यक्ष महोदय : इतना सब कुछ होने के पश्चात भी आप प्रश्न पूछना चाहते हो ?

श्री रा० को० अमीन : मैं माननीय मन्त्री का ध्यान संख्या 36 के आगे दिये गये भारत कृषक समाज की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके श्री जगजीवन राम अध्यक्ष हैं । क्या सरकार ने भारत कृषक समाज की कार्यकारिणी के किसी व्यक्ति को काली सूची में रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में एक विशिष्ट प्रश्न करें ।

श्री रंगा : यह बहुत ही संगत प्रश्न है । श्री जगजीवन राम भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कोई नोटिस तो अवश्य मिलना चाहिये **(व्यवधान)** ।

श्री रंगा : यह प्रश्न तो बहुत ही संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न इस प्रकार है :

"(क) उन विभिन्न कम्पनियों, संगठनों, न्यासों और हिन्दू संयुक्त परिवारों का व्यौरा क्या है जिनके साथ केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री जगजीवनराम का प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सम्बन्ध है;

(ख) इन सभी संगठनों का गत तीन वर्षों में आय का व्यौरा क्या हैं;"

किन्तु अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जिसे काली सूची में रखा गया है । इसका मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध हैं ? आप किसी विशिष्ट प्रश्न की सूचना दें तो मैं उसे गृहीत कर लूंगा ।

श्री रा० को० अमीन : वह व्यक्ति भारत कृषक समाज से सम्बद्ध है तथा कार्यकारिणी में है । उसी को काली सूचि में रखा गया है । उस ने कर नहीं दिया तथा सम्भवतः वह संगठन का कर भी नहीं अदा करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें काली सूची में नहीं रखा गया ।

श्री रा० को० अमीन : श्री वाही भारत कृषक समाज के सदस्य हैं । **(व्यवधान)**

Shri Shashi Bhushan : Sir, the word 'black listed' should be expunged.

श्री शिव नारायण : महोदय ! एक ही साथ चार माननीय सदस्य क्यों खड़े हैं ?

श्री रा० की० अमीन : श्री वाही जिनका कृषक समाज से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : इससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्र० के० देव : महोदय ! क्या आप इस विषय पर एक अल्प-सूचना प्रश्न की अनुमति देंगे।

श्री रा० की० अमीन : श्री जगजीवन राम यहां विद्यमान हैं और वह इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : किसी एक व्यक्ति के बारे में कैसे प्रश्न किया जा सकता है ?

श्री महेन्द्र माझी : विश्व कृषि मेला स्मरक न्यास को इतनी बड़ी धनराशि किसके अधिकार से दी गई थी ?

श्री प्र० चं० सेठी : भारत कृषक समाज ने 1964 में एक न्यास की स्थापना की तथा इसे विश्व कृषि मेला स्मारक कृषक कल्याण न्यास समिति के नाम से पंजीकृत कराया गया। इस न्यास से 1964 में 9.83 लाख रुपयों की राशि हस्तांतरित की गई। मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूँ कि जहां तक भारत कृषक समाज के अध्यक्ष का सम्बन्ध है श्री जगजीवन राम इस संस्था के अध्यक्ष वर्ष 1968 में ही बने थे।

श्री पीलु मोडी : इससे पहले अध्यक्ष कौन थे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक भारत कृषक समाज के लेखे रखने का सम्बन्ध है वे इस संस्था के सभापति द्वारा रखे जाते हैं और अध्यक्ष का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रंगा : श्री जगजीवन राम तब खाद्य तथा कृषि मंत्री थे। **(व्यवधान)**

श्री क० लकप्पा : वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा गया यह प्रश्न बहुत ही संगत है। यह प्रश्न इन सभी संगठनों की आय से सम्बन्ध रखता है। क्या पिछले तीन वर्षों में कोई आयकर लिया गया है ? जब भूतपूर्व उपप्रधान मंत्री वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपने आधीन अधिकारियों को आयकर इकट्ठा करने का आदेश दिया था। यदि नहीं, तो उन्होंने इन बातों को क्यों छुपाया है ? अतः यह प्रश्न केवल श्री जगजीवन राम से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री से भी सम्बन्धित है। इस बारे में कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। मंत्री महोदय का इस बारे में क्या उत्तर है ?

श्री शिव नारायण : महोदय ! आप इन बातों की अनुमति कैसे दे रहे हैं। **(व्यवधान)** श्री टी० टी० कृष्णमाचारी उत्तर देंगे।

श्री क० लकप्पा : श्रीमन् यह मेरा अधिकार है। प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें।

श्री प्र० चं० सेठी : इस विशेष प्रश्न पर भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री के बारे में मेरे पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है किन्तु आयकर के विशिष्ट मामलों में कोई मंत्री या बोर्ड ऐसे आदेश नहीं दे सकता। मंत्री या मंत्रालय केवल सामान्य आदेश दे सकते हैं । वे कोई ऐसे आदेश नहीं जारी कर सकते जिनके अन्तर्गत किसी विशेष मामले में किसी विशिष्ठ रीति से निर्णय किया जाय।

एक माननीय सदस्य : हम इस मामले पर आधे घन्टे की चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। **(व्यवधान)** खेद है, अब मैं और कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री पीलु मोडी : जब इस बारे में विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा तब हम फिर इस प्रश्न को लेंगे। मंत्री महोदय जब विवरण रख देंगे इस प्रश्न को तभी लिया जायेगा।

Shri Rabi Ray : Sir, I want your rulling in this matter. You announced that it would be taken up again. After that Prime Minister intervened. Now, what is the final decision ?

अध्यक्ष महोदय : अभी आपकी तसल्लीं नहीं हुई है ? उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री पीलु मोडी : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमें विवरण के सम्बन्ध में भी अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री पीलु मोडी : लाखों रुपये गायब हो जाते हैं और प्रधान मंत्री केवल अपना सर हिला रही हैं **(व्यवधान)**

श्री प्र० चं० सेठी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि श्री पीलु मोडी का कितने क्लबों से सम्बंध है तथा क्या वह जानते हैं कि उनमें से कितनों ने आयकर चुकाया है **(व्यवधान)**

श्री शिवनारायण : आप वित्त मंत्री हैं आपको इन सभी बातों का पता होना चाहिये ।

श्री पीलु मोडी : यह केवल आँख में धूल झोंकना है और कुछ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

भारत में तेल की खोज के लिये रूस की दीर्घ कालीन योजना

***452. श्री ए० श्री धरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में तेल की खोज के लिये रूस से एक दीर्घ-कालीन योजना तैयार करने के लिये कहा है;

(ख) क्या किसी अन्य देश ने इस प्रकार की कोई योजना भारत को दी थी; और

(ग) यदि हां, तो रूस से इस योजना को तैयार करने के लिये कहने के क्या कारण हैं जब कि भारत में तेल की खोज के लिये सरकार के पास पहले से ही एक योजना थी ?

पैट्रौलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को निम्न कार्यों में सहायता देने के लिए रूस से विशेषज्ञ सहायता मांगी है :—

(1) विभिन्न अवसादीय क्षेत्रों; तटीय एवं अतटीय क्षेत्रों के भूगर्भीय और भूभौतिकि दिशा के आधार पर तथा पुनः न्यास–निर्वाचन से तेल और प्राकृतिक गैस सम्भावनाओं का शीघ्र आंकन करना;

(2) प्राथमिकताओं का निर्धारण, इन क्षेत्रों में अन्वेषण तथा उत्पादन की ओर किये जाने वाले प्रयत्नों में अनुपात, इनको पाने के आवश्यक साधन; और

(3) इसे पूरा करने के लिए अपेक्षित संसाधनों (वित्तीय, जन–शक्ति और उपकरणों के परिमाण का आंकन करना)

हाल ही में मास्को में रूसी प्राधिकारियों के साथ इस विषय पर बातचीत की गई थी। अ ययन की गुंजायश पर उनके विचार अब प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० श्रीधरन : सरकार की यह आदत हो गई है कि वह छोटे छोटे मामलों पर भी रूस की ओर भागती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी अन्य देश ने कोई ऐसी योजना भारत को दी थी। विशेषज्ञों के लिये तथा अन्य सहायता के लिये रूस के पास जाने से पहले क्या सरकार ने किसी अन्य देश के साथ भी सम्पर्क स्थापित किया था या नहीं, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण था ?

श्री दा० रा० चव्हाण : किसी अन्य देश से कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया था।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं किया गया था ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें। मेरा उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ।

श्री पीलु मोडी - हमें वास्तव में धैर्य नहीं वरन् सहनशीलता की आवश्यकता है।

श्री दा० रा० चव्हाण : इस मामले में अन्य किसी देश के साथ सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक दस-वर्षीय प्रयोगात्मक योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत दस वर्षों की अवधि के लिये तेल की खोज करने तथा उसका उत्पादन करने

के लिये एक कार्यक्रम बनाया था। इस योजना में इस प्रयत्न के लिये आवश्यक धन राशि का भी उल्लेख किया गया था। इस प्रकार, वास्तव में, यह कार्य हमारे द्वारा ही किया गया था।

प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि हम विभिन्न अवसादीय क्षेत्रों, तटीय एवं अतटीय क्षेत्रों के भूगर्भीय और भूभौतिकी के आधार पर तथा पुन: न्यास-निर्वाचन से तेल और प्राकृतिक गैस की सम्भावनाओं का शीघ्र आंकन करने के मामले में रूसी तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं। रूस के तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग वर्ष 1954 से ही लिया जा रहा है जबकि यह खोज सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया गया था। रूस ने हमें उपकरणों तथा मानव शक्ति से पूर्णत: सुसज्जित भूकम्पीय सर्वेक्षण का जहाज दिया है और इसी के परिणाम-स्वरूप हमने लगभग 87 नये विभिन्न स्थान खोजे हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : रूस से तकनीकी सहायता तो आरम्भ से ही मिल रही है और इसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री ए० श्रीधरन : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न तो यह था कि अन्य देशों से क्यों नहीं सम्पर्क स्थापित किया गया था। यह तो बहुत साधारण सा प्रश्न था। रूस के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं इसे मैं भली प्रकार समझता हूँ और सरकार के उच्चतम स्तर पर जो हो रहा है उसे भी जानता हूँ; परन्तु यहां अब मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं। मैं तो अपने प्रश्न का सीधा उत्तर चाहता हूँ। अन्य देशों से सम्पर्क क्यों नहीं किया गया? उदाहरणतया जापान से क्यों नहीं किया गया?

श्री दा० रा० चव्हाण : सरकार ने इसे आवश्यक नहीं समझा।

श्री ए० श्रीधरन : अन्य देशों से सम्पर्क करना क्यों नहीं आवश्यक समझा गया? उत्तर देने का यह बहुत असभ्य तरीका है। उन्हें मेरे इस प्रश्न का सीधा उत्तर देना चाहिए कि इसे क्यों नही आवश्यक समझा गया?

श्री पीलु मोडी : इसके क्या कारण थे?

श्री ए० श्रीधरन : सरकार ने किन कारणों के वशीभूत होकर ऐसा किया। क्या राज-नीतिक या आर्थिक या तकनीकी या किसी अन्य कारण से रूस का चयन किया गया?

श्री दा० रा० चव्हाण : आर्थिक तथा तकनीकी दोनों ही कारण थे।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चिन्तामणि पाणिग्रही बोलेंगे।

श्री ए० श्रीधरन : मुझे अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न करने का पूर्ण अधिकार है जो मैंने अभी तक किया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब तक जो आपने प्रश्न किए क्या वे अनुपूरक प्रश्न नहीं थे।

श्री ए० श्रीधरन : उन्होंने मेरे मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, इसलिए मैं उनसे उत्तर के लिए अनुरोध कर रहा था। मुझे अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री रवि राय : यह तो केवल स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए ही था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने माननीय सदस्य की इच्छानुसार उत्तर भले ही नहीं दिया हो, परन्तु उन्होंने उत्तर तो दे ही दिया है।

श्री ए० श्री धरन : उन्होंने केवल प्रथम प्रश्न का ही उत्तर दिया हैं। यह बहुत ही अनुचित बात है। मैं तो केवल स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कागजात देख लें। मुख्य प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है। अतः वह स्पष्टीकरण चाहते थे। उन्होंने अपना द्वितीय अनुपूरक प्रश्न नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, दूसरा प्रश्न किया जा चुका है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जी नहीं, दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं किया गया है। उन्होंने यही पूछा था कि क्या किसी अन्य देश से सम्पर्क किया था और यह मुख्य प्रश्न में ही है। अपने प्रथम अनुपूरक प्रश्न में उन्होंने यह पूछा था कि किसी अन्य देश से सम्पर्क क्यों नहीं किया गया था। इसी प्रश्न का दो बार उत्तर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने रूस तथा अन्य देशों के बारे में प्रश्न किया था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह तो मुख्य प्रश्न में ही है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया था और यह भी बताया था कि उनका 1954 से रूस से सम्पर्क है। दूसरा प्रश्न था कि क्या ऐसा आर्थिक तथा तकनीकी कारणवश किया गया, जिसे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है।

श्री पीलु मोडी : यह प्रश्न इसलिए किया गया था क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा आपसे एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सीधा प्रश्न करना चाहिये। मैं अन्य अवसर नहीं दूंगा।

श्री ए० श्रीधरन : 30 सितम्बर, 1969 को डा० त्रिगुण सेन ने कहा था कि अनेक वर्षों में उन्होंने अपार जानकारी एकत्र कर ली थी परन्तु पहले से ही उपलब्ध आंकड़ों की व्याख्या करने का उन्हें ज्ञान नहीं। गत लगभग दस या बीस सालों से देश तेल की खोज करने में संलग्न है, और मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने अपने विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी क्या कार्यवाही की है जिससे यह विशेषज्ञ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की व्याख्या कर सकें।

श्री दा० रा० चव्हाण : कुछ समय पूर्व अर्थात 1954 से, जब वैधानिक रूप से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी हमने देश में तेल की खोज, उत्पादन तथा विकास कार्य आरम्भ कर दिया था । अतः यह कहना सही नहीं है कि बीस सालों से अधिक समय से ही हमें तेल टैक्नोलाजी में अनुभव प्राप्त हैं ।

श्री ए० श्रीधरन : मैंने "लगभग दस या बीस साल" कहा है । अतः उन्हें इस शब्द को लेकर प्रश्न की अवहेलना नहीं करनी चाहिये ।

श्री दा० रा० चव्हाण : भूभौतिक तथा भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में हमने यथेष्ठ आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं । रूसी सहायता से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हमने लगभग 86 स्थानों का पता लगाया हैं । इनमें से 67 स्थानों पर खुदाई की गई है तथा लगभग 789 कूप खोदे गये हैं और 19 स्थानों में सूराख करने का कार्य चल रहा है । हम यथेष्ट मात्रा में आंकड़े एकत्र कर चुके हैं परन्तु रूसी तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा इन आंकड़ों की पुनः व्याख्या की हमें आवश्यकता है । इसलिए उनकी तकनीकी सहायता ली गई है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि बंगाल क्षेत्र में तेल की खोज करने के लिए 'इण्डो-स्टेटेक्स' को अनुमति दी गई थी और 22 कुओं की खुदाई करने के पश्चात् उन्होंने बताया था कि उन्हें उस क्षेत्र में तेल नहीं मिला, और क्या इस पर 20 लाख रुपया नष्ट किया गया था; और क्या इस तथ्य का पता हमें रूसी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने के उपरान्त पता लगा कि इतने व्यापक क्षेत्र में तेल हमें मिल सकता है और हम पश्चिमी तेलहितों से प्रतियोगिता कर सकते हैं ?

दूसरे, क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड जो भारत सरकार के 50 प्रतिशत अंशों से आसाम में कार्य कर रही है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा आसाम में संचालित समस्त तेल–क्षेत्रों को अब अपने अधिकार में लेने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इसका दावा है कि तेल की पाईप लाईन पर उनका स्वामित्व है नाकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का । और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मांग को स्वीकार करने का है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न के दूसरे भाग में की गई प्रकल्पना सही नहीं है । जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, यह सच है कि हमने स्टैन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी से सहयोग किया था और इसके परिणामस्वरूप हमने पश्चिम बंगाल में कुछ समय पूर्व कुछ कुए खोदे और 20 लाख नहीं बल्कि लगभग 6.2 करोड़ रुपये खर्च किये और हमारा हिस्सा लगाई गई कुल पूंजी का 25 प्रतिशत था । अतः तेल–प्राप्ति का प्रयास किया गया था परन्तु उसमें सफलता नही मिली थी ।

1954 में ही रूसी तकनीकी सहायता से हमें कुछ स्थान मिले जहां हमने खुदाई की है और यह कार्य किया जा रहा है ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मंत्री महोदय के कथनानुसार गत 15 वर्षों से इन अनुसन्धान कार्यो में रूस से सहयोग लिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बीच तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने क्या कोई विशेष जानकारी प्राप्त की है, और खुदाई तथा अन्य बातों में दूसरे देशों से स्पर्धात्मक जानकारी और मशीनरी केवल इसी कारण क्यों प्राप्त नहीं की गई कि 15 वर्षों से अधिक समय से ये विशेषज्ञ रूसी विशेषज्ञों से ही संसर्ग स्थापित किए हुए हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा कि गत 15 वर्षों से खोज तथा उत्पादन का कार्य हो रहा है; परन्तु हम केवल रूसी विशेषज्ञों से ही परामर्श नहीं ले रहे हैं। जहां तक बम्बई–हाई के खोज कार्य का सम्बन्ध है हम जापानी और फ्रांसीसी तथा अन्य कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं।

गैर-सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

***453. श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने गैर–सरकारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं। रेलवे विभाग को कोयले की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के विचार से रेलवे मन्त्रालय ने चयित राष्ट्रीयकरण सहित उपाय सुझाये है।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

Shri Sita Ram Kesri : I want to know whether the Government will nationalize those collieries in respect of which Railway Ministry has given a suggestion to that effect, so that uninterrupted supply of coal to the Railways and other public sectors could be ensured ? The production of these collieries is adversly affected due to shortage in the supply of coal. Therefore, I want to know whether the Government would nationalize those collieries in the near future ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं अपने मूल उत्तर में यह बता चुका हूं कि रेलवे मंत्रालय ने उन कोयला खानों का, जो रेलवे को कोयला सप्लाई कर रही हैं, राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया है। ऐसा सुझाव रेलवे को निरन्तर और निश्चित कोयले की सप्लाई करने के उद्देश्य से दिया गया है। लेकिन रेलवे मंत्रालय ने केवल 60 कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया है जबकि ऐसी और भी बहुत सी कोयला खानें हैं जो रेलवे को कोयला सप्लाई कर रही हैं। अतः उचित वर्गीकरण के आधार पर हम उन कोयला खानों का चयन नहीं कर सकते। ऐसी कोयला खानों की संख्या 740 है जिनमें छोटी और बड़ी सभी कोयला खानें शामिल हैं। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि रेलवे को कोयले की निरन्तर सप्लाई कैसे जारी रखी जाये।

Shri Sita Ram Kesri : I want to know whether the Government is aware that as a result of supply of poor quality of coal by the plant working under H. S. L., the consumption of coal is continuously increasing. but the production in those plants has not increased. As a result of it Shri Chandi, an officer has constituted a sample committee. The representatives of the Government and the suppliers participated in it. But that committee did not prove to be succesful. I want to know whether Government has a scheme under which better guality of coal could be supdlied to these establishments ? I also want to know the action going to be taken in this matter ?

श्री जगन्नाथ राव : एच० एस० एल० को कोककर कोयले की आवश्यकता है अकोककर कोयले की नहीं। रेलवे को केवल अकोककर कोयले की आवश्यकता है। कोककर कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने की ओर सरकार ध्यान दे रही है। इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

Shri Maharaj Singh Bharati : There is a 20 percent ash contents in the Cooking Coal supplied by the private collieries inspite of a decision to supply coal containing only 14 percent ash contents. As a result of it capacity of our blast furnaces is decreasing and we have suffered a loss of more than 100 crores rupees. Therefore, I want to know whether Government will consider to nationalize those excellent collieries situated in private sector ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, हां। कोककर कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने की ओर सरकार का ध्यान हैं। जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया, इस विषय में शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकृत क्षेत्र अर्थात्, राष्ट्रीयकोयला विकास निगम कोयले की मांग न होने के कारण कठिनाई में है, बिहार, मध्य प्रदेश तथा अन्य स्थानों के सरकारी उद्यम अभी भी राष्ट्रीय कोयला खानों से कोयला न खरीदकर गैर–कोयला खानों से कोयला क्यों खरीद रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम—इस समय रेलवे की लगभग 35 प्रतिशत कोयले की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। रेलवे को प्रतिवर्ष लगभग 160 लाख टन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रश्न यह उठता है कि इस घटिया कोयले का क्या किया जाये जबकि अकोककर कोयला उपलब्ध है ?

हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे है और इस बात का प्रयत्न कर'रहे हैं कि क्या उसी कोयले को सरकारी उपक्रमों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बिजली बोर्डों को सप्लाई किया जा सकता है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है और अब यह कोयले की मांग किसी हद तक पूरी करने में समर्थ हैं।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : रेलबे मन्त्रालय ने गैर–सरकारी खानों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव किस आधार पर दिया हैं और यदि उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो रेलवे मन्त्रालय को इससे क्या लाभ होगा ? *

श्री जगन्नाथ राव : रेलवे बोर्ड अकोककर, कोयले की निरन्तर सप्लाई प्राप्त करने में रुचि रखता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है। श्रम मंत्रालय ने यह सुझाव दिया

है कि कुछ ऐसी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये जिन्होंने कोयला मजूरी बोर्ड पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया है। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि केवल राष्ट्रीयकरण से ही समस्या का समाधान हो सकता है या इस विषय का और कोई वैकल्पिक हल है जिससे रेलवे को निरन्तर कोयले की सप्लाई की जा सके।

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know whether it is a fact that good quality of coal is not being supplied to Railways and whether it is also a fact that Government have imposed restrictions on collieries not to supply coal beyond a certain limit ? I want to know whether it is also a fact that Railway Ministry has also imposed a restriction that it would not accept the supply of coal direct from such collieries whose coal production will be less than three thousand tonnes ? Railway accepts supply of coal only from big collieries, as a result of it, it could not get the required supply of coal. I want to know whether the Government will try to remove those restrictions ?

श्री जगन्नाथ राव : मेरे विचार से माननीय सदस्य का इस विषय पर मत ठीक नहीं है। रेलवे इसके लिये टेंडर आमंत्रित करती है। कोयला खानों से प्राप्त टेन्डरों पर विचार किया जाता है और पारस्परिक सहमति से मूल्य निर्धारित किया जाता है।

Amount allocated to Delhi Administration for Scooter, Taxi, Tonga and Rickshaw Drivers

* **455. Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Central Government had decided to allocate some amount to Delhi Administration to enable them to remove certain difficulties of taxi, scooter, tonga and rickshaw drivers in Delhi;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid allocation has now been postponed; and

(c) if so, the complete details in this regard ?

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क): (ख) और (ग). हाल ही में दिल्ली प्रशासन की ओर से योजना आयोग को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें वार्षिक योजना में की गयी व्यवस्था में फेर-बदल करके टैक्सी, स्कूटर रिक्शा, टेम्पो साइकिल रिक्शा और ठेला चलाने वालों को ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में सुझाव था। सरकार का इस मामले में खयाल है कि इस प्रकार की ऋण देने की व्यवस्था के लिए सामान्य प्रशासनिक नियम विनियम सुविधाजनक नहीं होंगे और इसलिये, दिल्ली प्रशासन के लिए सही तरीका यह होगा कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के संरक्षकों और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के साथ इस मामले को उठावे जो ऐसी योजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri : He has already assured that loans shall be advanced to the Cycle-Riksha, Scooter and Tempo drivers. I want to know the scheme in view to advance loans to these people and also the places all over the country where this scheme has been implemented ?

श्री र० के० खाडिलकर : जहां तक बैंकों से ऋण मिलने का सम्बन्ध है, कुछ स्थानों पर ट्रक वालों, रिक्शावालों तथा स्कूटर वालों को पहले ही ऋण दिया गया है। बम्बई तथा बंगलौर में तो इन व्यक्तियों को ऋण मिल ही चुका है और दिल्ली में भी कुछ सीमा तक मिला है।

श्री कंवरलाल गुप्त : जी, नहीं। मैं इसे चुनौती देता हूँ। दिल्ली में किसी को ऋण नहीं दिया गया है।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): क्या मैं आपका ध्यान इस प्रश्न की ओर दिला सकती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन के लिये कुछ धनराशि का आवंटन करेगी ? इस प्रश्न का राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Shiv Kumar Shastri : He has said that loans were advanced all over the country. I want to know whether these loans were advanced before the nationalization of banks or after that and how the advances will be realised ?

श्री र० के० खाडिलकर : जैसाकि प्रधान मन्त्री ने बताया है बैंकों के ऋण से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। यहां यह प्रश्न किया गया था कि क्या साईकिल रिक्शा तथा स्कूटर वालों को ऋण देने के लिए दिल्ली प्रशासन को अनुमति दी जानी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, जहां तक मैं समझता हूँ इस उद्देश्य के लिए ऋण दिए जा रहे हैं क्योंकि मैं एक ऐसे समारोह में भाग ले चुका हूं। दिल्ली में भी यह कार्य प्रारम्भ हो चुका है।........ **(व्यवधान)**

श्री शिव नारायण : दिल्ली में हमें उनके नाम बताये जाये।

श्री र० के० खाडिलकर : दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक तथा सिण्डीकेट बैंक ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री बलराज मधोक : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बार बार यह कहा गया है कि रिक्शावालों तथा छोटे लोगों को ऋण दिया जायेगा, परन्तु यह सच है कि दिल्ली में किसी एक भी रिक्शा वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऋण नहीं मिला है। इन रिक्शा वालों तथा अन्य व्यक्तियों को सहकारी समितियों के माध्यम से सहायता देने हेतु दिल्ली प्रशासन ने अपनी ही योजना बनाई थी, जिससे अत्यधिक किराया लेने वाले ऋण दाताओं के शिकंजे से उन्हें छुटकारा दिलाया जा सके इस उद्देश्य से उन्होंने एक योजना तैयार की जिसके लिए धन के आवंटन की अपेक्षा है, जो बेकार नहीं जायेगा अपितु ऋण के रूप में दिया जायेगा जिसे बाद में वसूल कर लिया जायेगा। दिल्ली प्रशासन ने कोई हवाई किले नही बनाए है अपितु एक ठोस योजना तैयार की है जिसे यदि सुचारु रूप से कार्यान्वित किया जाये तो अनेक व्यक्तियों को सहायता मिल सकती है। मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इसमें बाधा क्यों डाल रही है और राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह सहायता देने से क्यों रोक रही है ? यह तो केवल राजनीतिक चाल है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि यह राजनीतिक चाल तो विपक्ष की ओर से चली जा रही है....**(व्यवधान)**। जब ये लोग मुझे मिलने आते थे तो इन विपक्षी सदस्यों,

विशेषकर जनसंघ के सदस्यों ने ही इनका मजाक उड़ाया था और कहा गया था कि इन व्यक्तियों को बैंकों के कार्य की कोई जानकारी नहीं है और पता नहीं ये इसका स्वागत समर्थन क्यों करते हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अब इन्होंने इस प्रश्न के बारे में ठीक से विचार किया है।

श्री बलराज मधोक : आपसे बहुत पहले से ही हमने इस पर विचार किया है········ **(व्यवधान)** ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : दिल्ली प्रशासन इस निधि को दिल्ली आवश्यक सेवाओं से दूसरी ओर लगाना चाहता था जिन सेवाओं के लिए बैंक सीधे रूप में वित्तीय सहायता नहीं दे सकते। माननीय सदस्य ने जिन श्रेणियों का उल्लेख किया उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता मिल सकती है। परन्तु अच्छे पानी के प्रदाय, गन्दगी की सफाई, बिजली देने आदि की व्यवस्था के लिए बैंक सीधे वित्तीय सहायता नहीं दे सकते। इसलिए हमने कहा है कि इन सामान्य योजनाओं सम्बन्धी कार्य योजना को धन से चलाना चाहिए और अन्य कार्यों के लिए बैंक धन दे सकते हैं और देंगे।

Shri Rabi Ray : A controversy has arisen now. The hon. Minister said that advances were given to the Rickshaw and Tonga drivers by the Syndicate Bank whereas opposition has contradicted this fact. I want to know from the hon. Minister the total number of applications for loans received from the rickshaw and Tong drivers by the Nationalised Banks and how many of them have been sanctioned loans ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मूल प्रश्न बैंकों के बारे में नहीं है। इस योजना पर कुछ समय से छोटे पैमाने पर कार्य हो रहा है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमने यह विचार किया कि इस कार्य को अब उन बैंकों को भी करना चाहिए जो बैंक इससे पूर्व नहीं कर रहे थे। इस कार्य को जो बैंक पहले से कर रहा है। इस के विषय में परीक्षक ने आकर स्वयं मुझे बताया था कि यह कार्य सफलता पूर्वक हो रहा है और इसका विस्तार करने में कोई हानि नहीं है। इसलिए मैंने स्वयं इस मामले को अन्य परीक्षकों के पास भेजा और कुछ बैंकों ने योजनाएं तैयार की हैं। परन्तु यह तो मैं नहीं जानती कि वास्तव में कितने व्यक्तियों ने इस सहायता की मांग की है और कितनों को यह सहायता दी गई है। मैं यह जानकारी दे सकती हूं कि योजनाएं तैयार की जा चुकी है और कुछ परीक्षक तो इसकी सफलता के लिए बहुत इच्छुक हैं।

श्री रंगा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सारे देश में निर्धन कृषकों को ऋण देने सम्बन्धी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई ब्यौरेवार योजना बनाई है; यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से कितनी तथा अन्य बैंकों से कितनी होगी और इस योजना को कार्यरूप में देने में कितना समय लगेगा ?

श्री र० क० खाडिलकर : हालांकि यह बात मूल प्रश्न से संगत नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी देता हूं कि स्टेट बैंक ने पटियाला के निकट लगभग 100 से अधिक गांवों में ऋण दिया है और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे निकले हैं। दक्षिण

कनारा में सडीकेट बैंक ने बहुत अधिक ऋण दिया है और परिणाम भी बहुत उज्जवल है। इस अनुभव के आधार पर कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए इसका आगे विस्तार किया जा रहा है।

श्री रंगा : मैं नहीं समझता कि आपको या मंत्री महोदय को मैंने अपनी बात समझा दी है अथवा नहीं। मेरा तो यही प्रश्न था कि क्या सम्पूर्ण भारत के लिए उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों के माध्यम से कोई योजना तैयार की है। मेरे माननीय मित्र ने बताया कि दक्षिण कनारा में यह कार्य किया गया है। इसका कारण यह है कि बैंकों में जो परीक्षक था वह बहुत ही भला था और वह इससे पूर्व प्रबन्ध निदेशक भी था। परन्तु क्या उन्होंने सम्पूर्ण भारत के लिए भी कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री र० के० खाडिलकर : इस समय तो मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास गया हुआ है और हम बैंकों को सीधे कोई अनुदेश नहीं दे सकते।

श्री रंगा : क्या कोई योजना तैयार की गई है ?

श्री र० के० खाडिलकर : इस समय बैंकों को सीधे किसी प्रकार के अनुदेश नहीं दिये जा सकते। फिर भी जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है, पटियाला, दक्षिण कनारा तथा अन्य एक या दो जगहों में अपने अनुभव के आधार पर वे योजना तैयार कर रहे हैं। मैं इस समय इस योजना का ब्यौरा नहीं बता सकता।

Shri P. L. Barupal : When a farmer applies for loan, he gives declaration effect that he has no loan liability against him or his land. But it has been experienced that inspite of all these declarations and even after mortgaging his fertile land the farmer is asked to give surety. I want to know whether Government propose to take steps to see that such difficulties are removed from the way of the farmer in getting loans ?

श्री र० के० खाडिलकर : जहां तक प्रत्यय की योग्यता और जमानत लेने का सम्बन्ध, इस योजना को अन्तिम रूप भले ही न दिया गया हो परन्तु इसे सरल बना दिया गया है। पटियाला के निकट मैंने स्वयं देखा है कि जो भूमिविहीन श्रमिक वहां बस गए हैं और जिन्हें भूमि का स्वामित्व दे दिया गया है, उनके लिए भी जमानत की योजना को सरल कर दिया है। इस योजना का अध्ययन करने के लिए मैंने वहां कुछ समय व्यतीत किया और मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि किसी कृषक को कोई शिकायत नहीं है। परन्तु मैं यह नहीं कहता कि इस योजना को इस समय हर जगह लागू कर दिया है। इन कठिनाइयों पर विचार हो रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत को रूस से परियोजना सम्बन्धी सहायता

***454. श्री क० प्र० सिह् देव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को रूस सरकार से अब तक कितनी परियोजना सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) तीसरी योजना की अवधि की समाप्ति पर कितनी सहायता का उपयोग नहीं किया जा सका ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अप्रयुक्त धनराशि का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (घ) . तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक, सोवियत सरकार ने प्रायोजनागत सहायता के रूप में कुल 9353.6 लाख रूबल की रकम उपलब्ध की थी, जिसमें बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अग्रिम ऋण की 2000 लाख रूबल की रकम भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, चौथी आयोजना की प्रायोजनाओं के लिए 3000 लाख रूबल का और ऋण भी दिया गया है।

9353.6 लाख रूबल के ऋणों में से तीसरी आयोजना के अन्त तक कुल 59731 लाख रूबल के मूल्य के आर्डर दिये गये थे और बाकी 3280.5 लाख रूबल के मूल्य के आर्डर दिये जाने थे। उसके बाद 2305 8 लाख रूबल के मूल्य के आर्डर दिये गये। तीसरी आयोजना के अन्त तक 5330.9 लाख रूबल की रकम निकाली गयी। 31 अक्टूबर, 1969 तक यह रकम 7266.7 लाख रूबल हो गयी।

सोवियत ऋणों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली अधिकतर प्रायोजनाओं का सम्बन्ध औद्योगिक, खनन और आधारभूत क्षेत्रों से है और इनकी प्रारम्भिक कठिनाइयों की अवधि लम्बी होती हैं। ऋणों के उपयोग का सम्बन्ध प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन से होता है, जिस पर ऐसी प्रायोजनाओं के मामले में,, काफी समय लगता है। इसके अलवा तीसरी आयोजना के अन्त तक ऋणों की रकमों के कुछ भाग के इस्तेमाल न किये जाने का कारण यह भी है कि देश में अधिक मात्रा में उपकरणों के उपलब्ध होने के फलस्वरूप अपेक्षाकृत विदेशी उपकरणों का आयात किये जाने की आवश्यकता उतनी नहीं रह गयी जितनी कल्पना की गई थी।

इस समय सोवियत ऋणों की अप्रतिबद्ध कुल रकम लगभग 3760 लाख रूबल बैठती है। इसमें से 2790 लाख रूबल की रकम चौथी प्रायोजनाओं के लिए है। चौथी आयोजना की प्रायोजनाओं के लिए सोवियत ऋणों से वित्त-पोषित की जाने वाली प्रायोजनाओं की सूची पहले ही ऋण-करारों से संलग्न की जा चुकी है। चौथी आयोजना को अन्तिम रूप दिये जाने के संदर्भ में सोवियत अधिकारियों के परामर्श से, इस सूचना पर फिर से विचार किया जा रहा

है। सोवियत ऋणों के अन्तर्गत, कुछ और योजनाओं की वित्त व्यवस्था किये जाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

Nationalisation of remaining Scheduled Banks

*456. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme for the nationalization of remaining scheduled Banks ; and

(b) if so, the time by which the said scheme would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) There is no such scheme under consideration at present.

(b) Does not arise.

मध्य पूर्व के देशों से तेल का सीधा आयात

*457. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब तथा मध्य पूर्व के अन्य तेल उत्पादक देशों से सीधे तेल प्राप्त करने तथा उनको सूती कपड़े, इंजीनियरी के सामान, मशीनों तथा अन्य ऐसे सामान का निर्यात करने के लिये जिनका वे आयात करते हैं और भारत जिनका निर्यात कर सकता है, क्या कोई विशेष प्रयास किये गये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान तेल नीति के कारण 1975 तक भारत में इंधन का संकट

*458. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नि० र० लास्कर :
डा० सुशीला नैयर :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रा० बरुआ :
श्री जनार्दनन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "टाइम्स आफ इण्डिया" के 24 अक्टूबर, 1969 के अंक में प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है कि भारत को 1975 तक इंधन के संकट का सामना करना पड़ सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह भारत की ते । नीति के कारण हैं जिससे धीरे-धीरे आशावादी प्रवृति समाप्त होती जा रही है तथा इस बात की भी सम्भावना है कि 1975 तक हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़े ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . 1974-75 तक कच्चे तेल की वार्षिक लगभग 32 मिलियन मीटरी टन की परियोजना कृत समस्त आवश्यकताओं के मुकाबले में, उस वर्ष तक विद्यमान तेल क्षेत्रों से आयोजित घरेलु (ईंधन) उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 10 मिलियन मीटरी टन होगा।

नये क्षेत्रों अर्थात दोनों तटीय क्षेत्रों एवं अतटीय क्षेत्रों में नये अन्वेषी प्रयास किये जा रहे हैं। यदि इन नये क्षेत्रों में तेल का पता लगा, तो कच्चे तेल का देशीय उत्पादन तदनुसार 10 मिलियन मीटरी टन से बढ़ जायेगा।

भारत में अमरीकी सहयोग

***459. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 सितम्बर, 1969 के 'इक्नामिक टाइम्स' में "अमरीकी सहयोगकर्त्ता पूंजी निवेश से संतुष्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जो न्यूयार्क विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यापकों द्वारा किये गये "भारत में अमरीकी सहयोग" नामक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कम्पनियों को सहयोग देने वाली अनेक अमरीकी कम्पनियों ने भारत में अपने पूंजी निवेश के बारे में सामान्य रूप से संतोष व्यक्त करते हुए कठोर शब्दो में यह शिकायत की है कि भारत में सरकारी अभिकरण से उन्हें उचित व्यवहार नहीं मिला; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समय उस क्षेत्र में विद्यमान कठिन और जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त करने का है ?

प्रधान मंत्री वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने यह समाचार पढ़ा है और उसे कम्पनियों द्वारा प्रकट किये गए विचारों की जानकारी है।

(ग) पिछले वर्ष, विदेशी निवेश मण्डल स्थापित किये जाने से और तीन प्रकार के उद्योगों अर्थात् (i) विदेशी पूंजी और तकनीकी सहयोग से लगाये जाने वाले उद्योग (ii) केवल तकनीकी सहयोग द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग और (iii) विदेशी पूंजी और तकनीकी सहयोग के बिना चलाये जाने वाले उद्योग–विस्तृत सूचियां जनता के लिए प्रकाशित कर दिये जाने के बाद शिकायतों के पुराने कारण बहुत हद तक दूर हो जाने चाहिए।.

कर–मुक्त मनोरंजन व्यय

***460. श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री शे० महुम्मद इमाम :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी फर्म अथवा व्यक्ति को अधिक से अधिक कितना कर मुक्त मनोरंजन व्यय करने की छूट है;

(ख) किन-किन फर्मों को मनोरंजन व्यय पर अधिकतम राशि की छूट दी गई है;

(ग) क्या इस मनोरंजन–व्यय भत्ते का फर्मों की प्रदत्त पूंजी के साथ कोई अनुपात होता है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (2ए) के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा 30 सितम्बर, 1967 के बाद समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष में किये गये सत्कार व्यय के तौर पर जिस अधिकतम रकम की कटौती दी जा सकेगी, वह 30,000 रु० है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं। इसका फर्मों की चुकता–पूंजी के साथ कोई अनुपात नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण

***461. श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में विनियोजित धन को यहां से निकाल कर विदेशी बैंकों में जाने से रोकने में सफल रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रकमें वहां से निकाल कर विदेशी बैंकों में जमा नहीं करायी जा रही हैं।

दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ बिजली घर का कार्य

***462. श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री वि० नरसिन्हा राव :
श्री मयावन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ बिजली घर की टरबाइनों में बार बार खराबी आने तथा शीतकाल में विद्युत की कमी हो जाने की आशंका रहने से, इस बिजली घर की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कराने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन–कौन हैं;

(ग) समिति के निर्देशपद क्या है; और

(घ) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) . 1968 के शुरू में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में 62.5–62.5 मैगावाट के जो तीन यूनिट चालू किए गए थे, उन में से केवल एक यूनिट के टर्बाइन में खराबी आई है। 24 जुलाई, 1969 को इस यूनिट के बंद हो जाने पर, भारत सरकार ने यह आवश्यक समझा कि एक समिति का गठन किया जाए जो इस खराबी के कारणों की जांच करे और ऐसे तरीके निकाले जिस से भविष्य में इस प्रकार की खराबियां न आएं। इस समिति का गठन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता से किया गया है और दामोदर घाटी निगम का मुख्य अभियंता और सिंचाई व बिजली मंत्रालय का इन्जीनियर सलाहकार इस समिति के दो अन्य सदस्य हैं।

(ग) इस समिति के विचारार्थ विषय ये हैं :–

(1) 24-7-69 को यूनिट के बंद हो जाने के कारणों की जांच करना जिसके फलस्वरूप काफी हानि और क्षति हुई और यह रिपोर्ट देना कि क्या निवारक उपाय अपना कर अथवा टर्बाइन को पहले बंद कर देने से इस हानि से बचा जा सकता था।

(2) उन कारणों की जांच करना जिन से टर्बाइन को खोलने में कठिनाइयां आईं।

(3) यह निर्धारित करना कि निर्माण, प्रतिष्ठापन, चालन अथवा अनुरक्षण में किसी खराबी को इस क्षति का कारण ठहराया जा सकता है।

(4) प्रतिकारात्मक उपाय सुझाना ताकि भविष्य में इस प्रकार की खराबी दोबारा न हो और यह सुझाना कि क्या नियमित परीक्षण और अनुरक्षण का कोई कार्यक्रम निर्धारित करना सम्भव है।

(घ) इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

इग्लैंड में सेवा कर रहे भारतीय डाक्टरों को वापस बुलाना

***463. श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की चिकित्सा सम्बन्धी 35 प्रतिशत आवश्यकता वे भारतीय डाक्टर पूरी करते हैं जो रोजगार पाने के लिये वहां गये हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इन भारतीय डाक्टरों को ब्रिटिश डाक्टरों के बराबर नहीं माना जाता है और एक ही व्यवसाय में उन्हें ब्रिटिश डाक्टरों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक दिया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये डाक्टर वहां इसलिये हैं कि उनके लिये अपने देश में रोजगार के कोई अवसर नहीं है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें वापस बुलाने तथा उनकी अर्हता तथा अनुभव के अनुसार उन्हें उपयुक्त काम देने का है; और

(ङ) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो क्या सरकार का विचार भारतीय डाक्टरों की सेवा-शर्तों में सुधार करने के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार के साथ बात-चीत करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) इग्लैंड और वेल्स के बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन से पता चलता है कि अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों में 15 प्रतिशत से भी कम तथा जनरल प्रैक्टिशनरों में लगभग 4 प्रतिशत भारतीय डाक्टर हैं ।

(ख) यह देखा गया है कि ब्रिटेन में उच्चतर व्यावसायिक पदों पर अपेक्षाकृत थोड़े ही भारतीय डाक्टर काम कर रहे हैं किन्तु जिन पदों पर वे काम कर रहे हैं उनमें उन्हें भी उसी दर से वेतन दिया जाता है जिस दर से इन पदों पर काम करने वाले अन्य व्यक्तियों को ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) वे अपनी योग्यता के अनुसार भारत में नियुक्त होने के पात्र हैं । इसके अलावा नियमित पदों पर नियुक्ति किये जाने तक उनकी नियुक्ति "वैज्ञानिक पूल" में की जाती है ।

(ङ) जैसा कि ऊपर कहा गया है, वेतन के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता । ब्रिटेन जाने वाले भारतीय डाक्टरों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है ।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

***464. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में थोक मूल्य सूचकांक निरन्तर बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में हर महीने थोक मूल्य सूचकांक कितना बढ़ा है और गत दो वर्षों के इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में यह वृद्धि कितनी हुई है;

(ग) क्या इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 1969-70 की वार्षिक योजना का एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् 1968-69 के मूल्य स्तर को स्थिर रखना, असफल हो जायगा; और

(घ) मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिस में अप्रैल से सितम्बर, 1969 तक की अवधि के और पिछले दो वर्षों के इन्हीं महीनों के थोक मूल्यों के सामान्य सूचक अंकों (1952–53=100) का मासिक औसत किया गया है।

अप्रैल से सितम्बर, 1969 तक की अवधि वर्ष के कम काम काज का बड़ा हिस्सा है कि इसमें मूल्यों में वृद्धि होना एक सामान्य सामयिक घटना है। मई और अगस्त, 1969 के बीच मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव के बढ़ने का कारण यह था कि कृषि सम्बन्धी कुछ वस्तुओं, जैसे मूंगफली, चना, कच्चा जूट और कपास, के उत्पादन में कमी हो गयी। तब से मूल्य घट रहे हैं और सितम्बर और अक्टूबर, 1969 के दौरान थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक उसी स्तर पर था जिस पर वह एक वर्ष पहले था।

(घ) सरकार मूल्यों की स्थिति पर लगातार नजर रखती है और मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यक उपाय करती रहती है। इन में राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी उपाय, मूल्य नियंत्रण और अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकारी वितरण की व्यवस्था को बनाये रखना भी शामिल है। आयोजना में शामिल विभिन्न कार्यक्रम भी इस प्रकार से तैयार किये गये हैं कि उन से कृषि और औद्योगिक उत्पादन में तेजी लायी जा सके। इस के अलावा, संकट–निरोधक भण्डार बनाने के लिए अनाज के आयात द्वारा और सोयाबीन के तेल आदि के आयात के द्वारा देश में आन्तरिक पूर्ति में वृद्धि की जाती है। इस के अतिरिक्त, सरकारी वितरण व्यवस्था के द्वारा, सरकार, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों और वितरण पर लगातार नजर रखती है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों को आवश्यक अधिकार दे दिये गये हैं।

विवरण

थोक मूल्यों का सामान्य सूचक–अंक (मासिक औसत)
(आधार : 1952–53=100)

	1967–68	**1968–69**	**1969–70**
अप्रैल	204.4	205.0	211.6
मई	208.4	206.1	213.9
जून	214.2	205.0	223.1
जुलाई	220.5	205.7	226.5
अगस्त	219.6	215.8	226.0
सितम्बर	220.3	221.4	224.9

चौदह वर्ष से अधिक की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

***465. श्री तुलसीदास जाधव :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों की अलग अलग संख्या 15 नवम्बर, 1969 को कितनी है जो 14, 15, 16 और 17 वर्ष से सेवा कर रहे थे तथा जिनको अब तक सरकारी आवास का आवंटन नहीं किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) कम से कम उन कर्मचारियों को, जिन्होंने 14 वर्ष का सेवा-काल पूरा कर लिया है, आवास का कब तक आवंटन किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को पारी के बाहर सरकारी आवास का आवंटन करने का है, जो उपर्युक्त भाग (क) में आते हैं तथा जिनको उनके भू-स्वामियों ने मकान खाली करने के नोटिस दिये हैं जिन पर मकान खाली कराने के बारे में न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं अथवा न्यायालय ने मकान खाली कर देने के आदेश दिये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि वास्तव में न्यायालय द्वारा उन्हें वहां से निकाले जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) . वर्ष विशेष के दौरान वास के आवंटन के लिये सीमित आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उन कर्मचारियों के मामले में जो टाइप V या इससे ऊपर के पात्र हैं, उनकी पात्रता 800 रुपये या इससे अधिक की निरंतर परिलब्धियां लेने की तारीख से शुमार की जाती है तथा आवेदन पत्र में ऐसा कोई कालम नहीं है जिससे यह पता लग सके कि अधिकारी ने सेवा कब से आरंभ की थी। अतएव टाइप V के सरकारी वास के लिये पात्र कर्मचारियों जिन्होंने 14 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है तथा उन्हें वास आवंटित नहीं किया गया है, की सूचना उपलब्ध नहीं है। टाइप IV और उससे नीचे के पात्र कर्मचारियों के मामले में उनकी समस्त सेवा प्राथमिकता की तारीख निर्धारित करने के लिये शुमार की जाती है। 14 वर्ष की सेवा वाले तथा जिन्हें इन टाइपों में वास का आवंटन नहीं हुआ है की संख्या 5,729 है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को वास का आवंटन अभी तक इसलिये संभव नहीं हो सका क्योंकि दिल्ली। नई दिल्ली में सामान्य पूल वास की कमी है। सरकार उपलब्ध साधनों के अनुसार सामान्य पूल में यथा संभव और यथा शीघ्र अतिरिक्त रिहायशी वास की व्यवस्था के प्रयत्न कर रही है।

यह कहना संभव नहीं है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को कब तक आवंटन हो जायेंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह विचार करते हुए कि सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या इस समय बिना सरकारी वास के है और उन्हें अपना स्वयं का प्रबन्ध करना होता है, इसलिये उल्लि-

खित मामलों में बगैर बारी के आवंटन देना समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित तथा तर्क-संगत नहीं होगा।

आसाम में "आपरेशन हार्ड रॉक" सर्वेक्षण

***466. श्री लीलाधर कटकी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि "आपरेशन हार्ड रॉक" सर्वेक्षण उनके राज्य में भी किया जाये जिससे कि उस क्षेत्र में संभावित खनिजों का पता लगाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) . असम के गवर्नर के सलाहकार ने फरवरी 1967 में केन्द्रीय सरकार को इस बात की जांच करने का अनुरोध किया कि क्या नेफा में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण किया जा सकता है। यह सोचा गया कि "आपरेशन हार्ड रॉक" योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये स्थायी–पंख प्रकार के हवाई जहाज से क्षेत्रीय कठिनाइयों के कारण प्रभावी भूभौतिक उड़ाने प्रारंभ करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त "आपरेशन हार्ड रॉक" का मुख्य उद्देश्य अलौह धातु निक्षेपों का पता लगाना है, अतः सर्वेक्षण देश के अत्यधिक आशाजनक क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था।

Rehabilitation of Oustees from Pong Dam area

***467. Shri Om Prakash Tyagi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Ranjeet Singh : Shri Vikram Chand Mahajan :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of persons likely to be displaced following the construction of the proposed 'Pong Dam' over the Beas river in Himachal Pradesh ;

(b) the names of the places where and the manner in which Government propose to rehabilitate these persons ; and

(c) whether Government would assure these persons before displacing them that they would be rehabilitated at places where adequate arrangements for agriculture and water exist ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) . About 20,500 families.

(b) The oustees to be displaced following the construction of the Pong Dam are proposed to be rehabilitated in the areas served by the Rajasthan Canal Project lying in the districts of Ganganagar and Bikaner.

Besides rehabilitation grants, oustees will be given transportation charges in respect of themselves, their families and their live-stock. Shelter accommodation and drinking water diggies are being constructed for them in their new place of settlement. Temporary transit camps and certain other facilities regarding schooling,

medical, grant of loans, improved seeds and fertilizers have also been agreed to be provided to the oustees who settle in Rajasthan Canal area.

(c) All steps are being taken to ensure that the Pong Dam oustees are re-settled in Rajasthan Canal area before they are-rooted from their present homes.

Irregularities Committed By Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, New Delhi

*468. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether he has received the enquiry report of the Delhi Police to whom complaints regarding serious irregularities committed by Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi were entrusted ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which it is likely to be received ?

The Minrster of Health and Family Planning and Works, Housing And Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) . No enquiry report from the Delhi Police. They, hovever, suggested that the matter required a probe which should be done through the Ministry of Health. Accordingly, at the instance of the Health Ministry Delhi Administration is getting the accounts audited through its Director of Accounts. It is not known what time it will take for the Delhi Administration to get the report and forward it to the Ministry.

रोस्तम के अशोधित तेल का स्टाक और मूल्य

*469. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रोस्तम के अशौधित तेल का कितना स्टांक है और इसको कितने मूल्य पर खरीदे जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यह प्रस्तावित मूल्य देश में अन्य विदेशी तेल शोधन कम्पनियों को हमारे द्वारा दिये गये मूल्यों के प्रस्तावों की तुलना में कैसे हैं ; और

(ग) रोस्तम, कालाओली और आसाम में हमारे अशोधित तेल की तुलनात्मक उत्पादन लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . रोस्तम के अशोधित तेल के स्टाक के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही हैं। हाइड्रोकार्बनस इण्डिया प्राइवेट लि० के व्यापारिक हितों में मूल्य-पेशकश को नहीं बताया जा सकता।

(ग) कोई तुलना सम्भव नही है क्यों कि इस तथ्य को, कि व्यधन-विकास कार्य अभी प्रगति पर है, ध्यान में रखते हुए रोस्तम के अशोधित तेल के उत्पादन लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को आवंटित किये गये विकसित भू-खंडों का स्वामित्वाधिकार

***470. श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को दिये गये विकसित भू-खंडों को स्वामित्वाधिकार किराया-खरीद आधार पर हस्तान्तरित करने का सिद्धान्तत : निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय को कब तक कार्यान्वित करने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेतड़ी तांबा परियोजना में उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति

***471. डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगा है कि 31,000 मीट्रिक टन वार्षिक का अनुमानित उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिये खेतड़ी तांबा खानों में न तो अयस्क हैं और न ही तांबे की आवश्यक प्रतिशतता ;

(ख) क्या इसलिये उत्पादन लक्ष्य को कम करना आवश्यक होगा और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या सम्पूर्ण खेतड़ी परियोजना इस पूर्व धारणा पर आधारित की गई थी कि 31,000 मीट्रिक टन का उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिये पर्याप्त अयस्क उपलब्ध होगा ; और

(घ) यदि हां, तो खेतड़ी खानों में अयस्क के भण्डार के ऐसे गलत प्राक्कलन देने के लिये कौन उत्तरदायी था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। खेतड़ी तांबा प्रायोजना से 31,000 मैट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति खेतड़ी के तांबा अयस्क निक्षेपों तथा निकट के कोलीहान निक्षेप से की जानी प्रस्तावित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां,।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिल नाडू में "कावेरी बेसिन" में तेल का पाया जाना

*472. श्री कं० हाल्दर : श्री भगवान दास :
श्री बि० कु० मोडक : श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल नाडु में कावेरी बेसिन में बड़ी मात्रा में तेल के पाये जाने की आशायें कुछ कम होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तेल की खोज सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1969 के इकोनोमिक टाइम्स में "कावेरी बेसिन में कोई तेल नहीं है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) कावेरी बेसिन में व्यधित किये गये किसी कुए में व्यापारिक महत्व के किसी हाईड्रोकार्बन के पाये जाने के अभी तक चिन्ह नहीं मिले हैं।

(ख) पांडिचेरी क्षेत्र में व्यधित किये गये तीन कुओं को शामिल करते हुए 9 अन्वेषी गहरे कुएं और 10 संरचनात्मक कुएं खोदे गये हैं। व्यधन कार्यों के दौरान केवल करैकल कुआं संख्या 1 में तेल पाये जाने के चिन्ह पाये गये किन्तु परीक्षण के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) व्यधन कार्यों के साथ और भूकम्पीय कार्य जारी रखे जायेंगे।

Winding Up of Indian Banks in Malaysia

*473. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that following the nationalisation of Banks the Government of Malaysia have ordered the three Indian banks functioning there to wind up their transactions;

(b) if so, the reaction of the Government of India in this regard;

(c) whether Government have discussed this issue with the Government of Malaysia in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). A reference is invited to the statements made by me on the subject on 4th December, 1969.

उत्तर प्रदेश में रामगंगा तथा गंडक नहर परियोजना के लिए और अधिक धन

***474. श्री सरजू पाण्डेय** . क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रामगंगा तथा गंडक नहर परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करने के लिये केन्द्र से 31.90 करोड़ रुपये और देने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां; तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) तथा (ख). सिंचाई तथा बिजली स्कीमें राज्य योजनाओं का ही भाग है और इनके परिव्ययों को राज्य योजना के लिए निर्धारित राशि के अन्तर्गत ही रखा जाता है।

वृहत संतत सिंचाई व बिजली कार्यों को कुछ महत्व प्रदान करने हेतु, योजना आयोग ने चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता की कुल धनराशि का 10% उन कार्यों की आवश्यकता के आधार पर वितरित कर दिया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उन संतत स्कीमों को अधिक से अधिक धनराशि आवंटित करने में प्राथमिकता दें जिनको जारी रखना आवश्यक हो और जिन पर पहले से ही काफी प्रगति हो चुकी है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के परिव्ययों को कुछ राज्य सरकार के संसाधनों से तथा कुछ त्वरित केन्द्रीय सहायता से बढ़ाने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

परिवार नियोजन सप्ताह

***475. श्री हेम बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व परिवार नियोजन सप्ताह मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान का स्वरूप क्या है और उपरोक्त अभियान पर कितना खर्च आया था; और

(ग) इस अभियान को कैसी सफलता व असफलता प्राप्त हुई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। देश में 16 से 30 सितम्बर, 1969 तक एक परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया गया था।

(ख) इस अभियान की योजना में 9 से 15 सितम्बर, 1969 तक तैयारी के लिए प्रेरणात्मक सप्ताह का मनाया जाना शामिल था। अभियान के दौरान "अगला बच्चा अभी नहीं, तीन के बाद कभी नहीं" के विषय पर जन शिक्षा के सघन कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया गया। जन प्रचार साधनों के अलावा, छोटे परिवार के प्रतिमान को अपनाने के सम्बन्ध में लोगों को प्रभावित करने के लिए घर

घर जाकर लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिल मिल कर समझाया गया और आवश्यक जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान कार्यक्रम में तेजी लाने की दिशा में विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संगठनों के कर्मचारियों और अन्य साधनों को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाया गया। सभी तरह के कार्यकलापों को सुदृढ़ करते हुए औद्योगिक तथा श्रमिक वर्गों, सरकारी संगठनों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संगठित क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों को भी शामिल करने के लिए विशेष जोर दिया गया। इस अभियान की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी थी कि इसमें गैर-सरकारी चिकित्सकों का सहयोग प्राप्त किया गया।

अभियान का उद्देश्य सभी उपलब्ध साधनों की सहायता से कार्यक्रम को और तेज करना था।

अभियान से सम्बद्ध विशेष बैठकों, गोष्ठियों और कार्यों को आयोजित करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 100 रुपये तक और प्रत्येक जिला मुख्य कार्यालय के लिए 400 रुपये तक का व्यय निर्धारित किया गया था। आकस्मिक व्यय के लिए स्वीकृत निधि से यह व्यय पूरा किया गया। इस व्यय का अलग से हिसाब नहीं रखा जाता है।

(ग) यह अभियान सफल रहा। इस पखवाड़े के दौरान कुल मिलाकर 1,87,991 नसबन्दी आपरेशन किए गये और 50,220 लूप पहनाए गये। 90,730 व्यक्तियों ने प्रचलित गर्भ निरोधकों को अपनाया। इन तीन तरीकों की सफलता को मिला कर यह पता चलता है कि पिछले वर्ष के पखवाड़े में किए गए कार्यों की तुलना में इस पखवाड़े में 45,520 अधिक लोगों ने परिवार नियोजन के तरीकों को स्वीकारा। इस पखवाड़े में हुए कार्य की 1969–70 के औसत पखवाड़े के साथ तुलना करने पर यह पता चलता है कि 238805 (264.9 प्रतिशत) अधिक लोगों ने परिवार नियोजन के तरीकों को स्वीकार किया।

भारत के रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा नियत धन राशि से अधिक राशि निकालना

***476. श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है कि भारत के रिजर्व बैंक से नियत धन राशि से अधिक राशि निकालने वाली राज्य सरकारों को हाल में भारत सरकार द्वारा जो यह कहा बताया जाता है कि वे नियत धन राशि से निकाली गई अधिक धन राशि को चुकता करें;

(ख) नियत धन राशि से अधिक निकाली गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा वे किस वर्ष से भारत के रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक राशि निकालते रहे हैं;

(ग) नियत धन राशि से अधिक निकाली गई धन राशि को इन राज्यों द्वारा चुकता न किये जा सकने के क्या कारण हैं; और

(घ) नियत धन राशि से अधिक निकाली गई राशि को चुकता करने में उनकी सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) . इस समय पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अधिक रकमें निकाली हैं और इन रकमों का जोड़ लगभग 88 करोड़ रुपया है । इन रकमों का राज्यवार विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

जमा से अधिक रकमें या तो व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों में अस्थायी कमी होने के कारण या साधनों और परिव्यय में असन्तुलन होने के कारण निकाली गयी हैं । जो राज्य सरकारें कुछ समय से लगातार जमा से अधिक रकमें निकालती जा रही हैं उनसे इस विषय में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

विभिन्न राज्यों के साधनों के पुनर्निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, जो योजना आयोग द्वारा इस समय किया जा रहा है, उनकी समस्याओं की जांच-पड़ताल करने का विचार है ।

विवरण

राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अधिक निकाली गयी रकमें

राज्य	वह तारीख जबसे जमा से अधिक निकाली गयी रकम बनी हुई हैं	जमा से अधिक निकाली गयी रकम 1-12-69 को (लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	12–9–1969	15,86
बिहार	18-11-1969	1,07
केरल	11-11-1969	2,15
राजस्थान	8–7–1969	49,47
तमिलनाडु	15-10-1969	19,39
		87,94

Wealth of Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg.

477. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jai Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refere to the reply given to Unstarred Question No. 7080 on the 21st April, 1969 and Unstarred Question No. 92 on the 21st July, 1969 and state :

(a) whether the enquiry in respect of the Wealth of Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg, their wives and childern and sons-in-law and their sources of income has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the in-ordinate delay in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Investigations which are still in progress, are being made in the course of Income-tax assessment proceedings for the assessment year 1969-70. The assessment has to be completed before 31st March, 1972. As the case involves investigation of facts and determination of some legal issues, it would take some time before the assessment can be completed.

तांबे की मांग, उत्पादन तथा आयात

*** 478. श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खपत के लिये अनुमानतः कितने तांबे की आवश्यकता है;

(ख) कितना तांबा देश से प्राप्त हो जाता है और कितना तांबा आयात किया जाता है तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है;

(ग) ताम्बा निकालने तथा उसे धातु के रूप में बदलने का काम किन-किन परियोजनाओं में किया जाता है;

(घ) इन परियोजनाओं को व्यापारिक आधार पर कब चलाया जायेगा; और

(ङ) इस कीमती धातु के अयस्क का अन्य स्थानों पर पता लगाने के लिये और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) 1969-70 के दौरान तांबे की मांग का अनुमान 84,900 मैट्रिक टन है। 1973-74 के दौरान इसके 1,24,000 मैट्रिक टन तक बढ़ने की संभावना है।

(ख) 1966, 1967 और 1968 वर्षों के दौरान तांबे का स्वदेशी उत्पादन क्रमशः 9333, 8718 और 9183 मैट्रिक टन था। तांबा—सम्मिश्रणों सहित सभी रूपों में तांबे के आयात तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	मैट्रिक टनों में मात्रा	लाख रुपयों में मूल्य
1967-68	38,936	3,554
1968-69	43,023	3,917
1969-70	11,629	1,145

(ग) इस समय देश में तांबा उत्पादन करने वाला केवल एक ही एकक है, अर्थात् गैर-सरकारी क्षेत्र में बिहार में घाटशिलय स्थान पर स्थित इंडियन कॉपर कारपोरेशन लिमिटेड। उनके प्रद्रावक की क्षमता प्रति वर्ष 9600 मैट्रिक टन अग्नि-शोधित तांबा है। इस क्षमता को प्रति वर्ष 16,560 मैट्रिक टन तक बढ़ाया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रति वर्ष 31,000 मैट्रिक टन इलैक्ट्रो-लाइटिक तांबे के उत्पादन के लिये राजस्थान में खेतड़ी तांबा प्रायोजना का विकास कर रहा

है। प्रति वर्ष 3500 मैट्रिक टन तांबा धातु के उत्पादन के लिये बिहार में राखा तांबा प्रायोजना (प्रावस्था) का भी विकास किया जा रहा है।

(च) इंडियन कॉपर कारपोरेशन लिमिटेड की विस्तार योजना के 1971 के अंत तक पूरा किये जाने की संभावना है।

मई 1968 में तैयार की गई समयावली के अनुसार, खेतड़ी प्रायोजना 1972 तक पूरी की जानी थी। तथापि, कम्पनी पहले नियत समयावली का पुनरावलोकन करने वाली है, जिसके पूरा होने पर इस बात का इंगित मिलेगा कि संयंत्र अब कब तक पूरा किया जायेगा।

इस समय नियत समयावली के अनुसार राखा योजना (प्रावस्था–1) के 1974 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

(ङ) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण सस्था द्वारा अलौह–धातुओं के समन्वेषण की एक योजना प्रगति पर है।

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के चयित भागों में अलौह-धातुओं की खोज करने के लिये हवाई सर्वेक्षण की एक योजना भी प्रारम्भ की गई है और इससे प्राप्त परिणामों का भूमि पर सर्वेक्षण द्वारा अनुवर्तन किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में अग्निगुण्डला के तांबा–सीसा निक्षेपों के विकास तथा राखा तांबा सम्भावना—क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। नल्लाकोन्डा (आंध्र प्रदेश), अकवाली डौर चांदमारी (राजस्थान) आदि जैसे अन्य निक्षेपों के सम्बन्ध में भी सम्भाव्यता योजनाएं प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित हैं।

पूर्वी नदियों में बाढ़ के संयुक्त नियंत्रण के बारे में भारत पाक वार्ता

* 479. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी नदियों में बाढ़ नियंत्रण के कार्य के लिये पूर्वी पाकिस्तान के साथ संयुक्त योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के प्रति पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). 1956 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुई संधि के अन्तर्गत, तब से भारत में गंगा और ब्रहमपुत्र बेसिनों में स्वीकृत केन्द्रों से पूर्वी पाकिस्तान को बाढ़ तथा वर्षापात की चेतावनियां भेजने के प्रबन्ध किए गए हैं। इससे पूर्वी पाकिस्तान को बहुत सहायता मिली है। हाल में हमने अपने बाढ़ सूचना प्रबन्धों में तेजी ला दी हैं। पाकिस्तान ने वर्तमान भारत–पाक प्रबन्धों में और सुधार लाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

प्रवासी भारतीयों के लिए आवास योजना

* **480. श्री एन० शिवप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय तथा उनके मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों के लिये कोई आवास योजना तैयार की है;

(ख) क्या इसका कोई अनुमान लगा लिया गया है कि इस योजना से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस योजना का अभिप्राय प्रवासी भारतीयों को वापस बुलाने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) प्रवासी भारतीयों के लिये दिल्ली में भूमि आवंटन की योजना पर निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) योजना के ब्यौरे को यद्यपि अन्तिम रूप देना है, तथापि निम्नलिखित विचारार्थ विषय प्रस्तावित हैं :—

(i) विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को भारत में रहने के लिये मकान बनाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना है।

(ii) बाजार दर कीमत पर विकसित प्लाटों को किराया-पट्टा के आधार पर आवंटित किया जायेगा।

(iii) भूमि की कीमत, वार्षिक भूमि किराया, मकान बनाने की लागत आदि भारतीय रुपयों में अदा की जायेगी जो प्राधिकृत सौदागरों द्वारा मुद्रा बदलने की बिक्री से होगी।

(iv) प्लाटों पर उचित समय में यानी 3 वर्ष के भीतर मकानों का निर्माण हो जाना चाहिये।

सरकारी उपक्रमों के हिसाब किताब का लेखापरीक्षा

3001. श्री दे० अमात : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसरण में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी लेखापरीक्षा बोर्ड ने लक्ष्यों की प्राप्ति तथा वित्तीय परिणामों के बारे में व्यापक पुर्नविलोकन करने के लिये आठ उपक्रमों को चुना है; और

(ख) यदि हां, तो लेखापरीक्षा बोर्ड ने इस वर्ष जिन निम्नलिखित उपक्रमों को चुना है उनके बारे में पुर्नविलोकन से क्या निष्कर्ष निकले है;

(1) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम;

(2) भारतीय नौवहन निगम;

(3) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम;

(4) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड;

(5) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग;

(6) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन;

(7) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड; और

(8) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). लेखा परीक्षा बोर्ड 8 उपक्रमों की जांच कर रहा है। अनुमान है कि इस जांच के परिणाम 1970 की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में शामिल कर लिये जायेंगे। यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक, संसद में पेश किये जाने के लिए, राष्ट्रपति को पेश करेंगे।

औषध निर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ औषधियों के मूल्यों में कमी करने के बारे में वार्ता

3002. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने औषध निर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ औषधों और दवाइयों के मूल्यों को कम करने के बारे में बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) वार्ता अभी चल रही है

मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण

3003. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन छात्रों के लिये जो देहाती क्षेत्रों में सेवा करने को तैयार हैं, मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम पास करने के बाद उन पर लगाई गई इस शर्त को कैसे कार्यरूप दिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि कुछ राज्यों में पहले ही इस प्रतिक्रिया को प्रयोग के रूप में अपनाया जा चुका है तथा वे इस प्रयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतया असफल रहे हैं; और

(घ) इस मामले को पुन: उठाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को एक सुझाव दिया गया है।

(ख) अभ्यार्थियों को, प्रशिक्षण पूरा होने पर, राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा में कार्य करने के बारे में अनुबन्ध भरने होंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य सरकारों को डाक्टरों की कमी को दूर करने में समर्थ बनाना है।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में दोष

3004. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में अनेक दोष हैं, जैसे अमोनिया संयंत्र में डिजाइन के दोष, वायु संयंत्र के डिजाइन में त्रुटि, मथनौल संयंत्र में डिजाइन में त्रुटि और पम्पों, पाइपों, शीतल कुडंली और संपीड़कों आदि के निर्माण में सामान्य त्रुटियां;

(ख) यदि हां, तो क्या इन त्रुटियों के कारण होने वाली हानियों का अनुमान लगाया गया है और अब तक रुपयों में उत्पादन तथा गुण-प्रकार में कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या समुचित जांच पड़ताल के बाद इन त्रुटियों का दायित्व सम्बन्धित व्यक्तियों और फर्मों पर डाला गया है; और

(घ) इन त्रुटियों के कारण हुई हानि को इन व्यक्तियों और फर्मों से वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) इन त्रुटियों के कारण कम उत्पादन होने से अर्जन (उपलब्धि) में लगभग हानि तकरीबन वार्षिक 3 करोड़ रुपये होगी।

(ग) और (घ). भारतीय उर्वरक निगम ने इन त्रुटियों के कारण मुआवजे की अदायगी के लिए सम्बद्ध फर्मों के पास दावे दायर किये हैं तथा इन फर्मों के साथ मध्यस्थता कार्यवाही जारी है।

प्रमुख आयकर दाताओं की ओर आयकर की बकाया राशि

3005. श्री बाबू राव पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वाधिक आयकर देने वाले प्रथम पचास व्यक्तियों के नाम क्या हैं, और उनमें से प्रत्येक पर 31 मार्च, 1969 को आयकर की बकाया राशि कितनी थी;

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिऐ सरकार ने क्या कार्यवाही की है और कब तक यह राशि वसूल कर ली जायेगी; और

(ग) आयकर अधिनियन की धारा 277 के अन्तर्गत सर्वाधिक आयकर देने वाले जिन 50 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है, उन के नाम क्या हैं, उन पर कितनी-कितनी राशि बकाया थी और प्रत्येक मामले में क्या परिणाम रहा है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क)तथा(ख). उन प्रथम 50 व्यक्तियों के बारे में सूचना उपलब्ध है, जो 1965-66 में निर्धारित आय, 1965–1966में अदा किये गये कर, 31 मार्च, 1968 को आयकर की शेष बकाया रकम के आधार पर अधिकतम आय कर अदा करते है । यह सूचना अनुबन्ध में दी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2276/69**]

31-3-69 को बकाया रकम और वसूली के लिये किये गये उपायों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगो ।

(ग) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जागयी ।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये मध्य प्रदेश को सहायता

3006. श्री बाबू राव पटेल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षरण की केन्द्र–प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को वर्ष 1967-68 में एक भी पैसा न दिये जाने के विशिष्ट काररण क्या हैं, जबकि दस अन्य राज्यों को लगभग 35 लाख रुपये दिये गये थे;

(ख) अन्य राज्यों को राज्यवार 1967-68 में इस कार्य के लिये कितनी–कितनी राशि दी गई; और

(ग) 1967-68 से पूर्व के तीन वर्षों में मध्य प्रदेश को कितनी राशि दी गई, और 1969-70 के लिये मध्य प्रदेश के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सामान्यत: पहले नौ महीनों (अप्रैल से दिसम्बर तक) में हुए वास्ताविक व्यय के तथा शेष 3 महीनों के (जनवरी से मार्च तक) अनुमानित व्यय के आधार पर प्रति वर्ष मार्च के

महीने में अस्थायी आधार पर दिया जाता है। चूंकि राज्य सरकार ने मार्च, 1968 से पहले आंकड़े नहीं भेजे, इसलिये राज्य सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया जा सका। किन्तु आंकड़े 27-5-68 को प्राप्त हुए थे और उसके तुरन्त बाद ही उसे अनुदान दे दिया गया था।

(ख) से (ग). जैसाकि क्रमश: विवरण— i तथा ii में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2277/69]**

गुजरात में बिजली की कमी

3007. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में बिजली की कमी है, जिसके कारण कृषि और उद्योग के कार्यों में रुकावट पड़ रही है और परिणामस्वरूप विद्यमान उद्योग तथा स्थापित होने वाले उद्योग अपने निर्धारित उत्पादन कार्य-क्रमों को पूरा सम्पन्न नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), (ख) और (ग). तारापुर परमाणु बिजली घर से गुजरात को बिजली की सप्लाई के आरम्भ हो जाने से राज्य में इस समय बिजली की कोई खास कमी नहीं है। राज्य में प्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त बिजली उत्पादन स्कीमें हाथ मे ली गई हैं।

गुजरात में पिछड़े तथा आदिवासी जिलों में सिंचाई की सुविधायें

3008. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य के पंच महल; साबरकंठा तथा बनसकंठा आदि अत्यधिक उपेक्षित आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना प्रस्तुत की है:

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का व्यौरा क्या है और उस पर कुल कितना धन खर्च आयेगा;

(ग) क्या उक्त योजना को इस बीच सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, यदि हां, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन किया गया है और यदि उसे स्वीकृति मिली है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गुजरात में सिंचाई कार्यक्रम के लिए जितनी राशि निर्धारित की गई है, उसमें से कितने प्रतिशत राशि आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में सिंचाई की सुविधा पर खर्च करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). गुजरात सरकार ने अपनी चौथी योजना के प्रारूप में दिये गये प्रस्तावों में पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिऐ निम्नलिखित नई बृहत स्कीमों के शुरू करने का प्रस्ताव रखा है ।

(क) **दमनगंगा परियोजना**

8.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और पूर्ण होने पर एक लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई । इस परियोजना से पारड़ी और उमरगांव तालुकों को लाभ होगा ।

(ख) **पनाम परियोजना**

7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और पंचमहल जिले में लगभग 40 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई ।

(ग) **सिपु परियोजना**

बंसाकन्धा जिले में लगभग 57 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई करने के लिए लगभग $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये लागत ।

(घ) **वात्रक परियोजना**

सात्ररकन्धा जिले में लगभग 54 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये लागत ।

(ग) और (घ) . चौथी योजना में नई स्कीमों के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जन स्वास्थ्य सुविधायें

3009. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वर्ष 1969-70 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों समेत अस्पतालों, तथा औषधालयों सम्बन्धी जन स्वास्थ्य की सुविधाओं के विकास तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में इनकी क्रियान्विति के लिये कोई कार्यक्रम सरकार को पेश किया गया है और यदि हां, तो इसका कुल पूंजी परिव्यय कितना है और कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है;

(ख) गुजरात के अस्पतालों में आरोग्य स्थलों (सेनीटोरियां) तथा मैडिकल संस्थानों में इस समय प्रति एक हजार जन-संख्या के पिछे कितने पलंग उपलब्ध हैं तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के तत्सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना में यह कैसे है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 तथा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात में कितने और अस्पतालों तथा औषधालय इत्यादि के खोले जाने और उनमें कितने पलंगों की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है;

(घ) वर्तमान अस्पतालों का विस्तार करके कितने और पलंगों की व्यवस्था की जायेगी; और

(ङ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूर कर लिया है और यदि हां, तो किन परिवर्तनों के साथ ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ङ) 1969-70 की वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकार ने 158.25 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था। कार्यकारी दल ने 163.30 लाख रुपये की सिफारिश की थी। जबकि योजना आयोग ने 125 लाख रुपये निर्धारित किये। 1969-70 के लिए राज्य सरकार की स्वास्थ्य विषयक वार्षिक योजना सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों का वर्ग-वार विवरण तथा अन्तिम रूप से किये गये बजट प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(रु० लाखों में)

उप-शीर्षक	कार्यकारी दल की सिफारिशें	वार्षिक योजना 1969-70 की वार्षिक योजना अनुमोदित परिव्यय	बजट प्रावधान
1. चिकित्सा शिक्षा	48.10		49.29
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.48		4.72
3. अस्पताल और औषधालय	66.47		38.54
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	10.00		4.56
5. स्वदेशी चिकित्सा पद्धति	14.00		9,57
6. अन्य कार्यक्रम	20.25		16.77
योग—	163.30		125.00 123.45

(ख) गुजरात में प्रति हजार की आबादी के पीछे पलंगों का अनुपात 0.46 है। इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

1.	आंध्र प्रदेश	0.64	11.	उत्तर प्रदेश	0.39
2.	असम	0.42	12.	पश्चिम बंगाल	0.85
3.	जम्मू एवं काश्मीर	0.01	13.	हरियाणा	0.55
4.	केरल	0.86	14.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	5.54
5.	मध्य प्रदेश	0.38	15.	हिमाचल प्रदेश	2.90
6.	महाराष्ट्र	0.79	16.	मणिपुर	0.81
7.	मैसूर	0.84	17.	पाण्डिचेरी	2.68
8.	उड़ीसा	0.48	18.	लक्ष दीप समूह	4.61
9.	पंजाब	0.38	19.	गोआ	3.46
10.	राजस्थान	0.65	20.	नेफा	3.04

(ग) और (घ) . उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

		1968-69 के अन्त तक अनुमानित	चौथी योजना के लक्ष्य(अतिरिक्त)
1.	**अस्पताल**		
	(क) शहर	84	15
	(ख) ग्राम	25	–
	योग—	109	15
2.	**औषधालय**		
	(क) शहर	205	–
	(ख) ग्राम	218	30
	योग—	525	30
3.	**पलंग**		
	(क) शहर अस्पताल और औषधालय	8183	2000
	(ख) ग्राम अस्पताल और औषधालय	2876	—
	योग—	11059	2000

Delegations Invited from Abroad by Ministry

3010. Shri Ram Charan :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the number of foreign delegations invited by his Ministry during the last two years and the expenditure incurred on them ?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

गुजरात में सिंचाई कार्य के लिए बिजली की दरें

3011. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ताकि वह राज्य में सिंचाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली बिजली की दरों को कम कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जिन क्षेत्रों में बिजली के दरें 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक थीं उन क्षेत्रों में कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की दरों में उपदान देने हेतु 1–4–1966 से 31–3–1969 तक की अवधि के दौरान जो उपदान स्कीम चल रही थी उसके अन्तर्गत भारत सरकार ने 1967–68 में गुजरात सरकार को देने के लिए 4 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की थी। सिंचाई उद्योगों के लिए बिजली दरों में कमी करने हेतु वित्तीय सहायता के निमित्त गुजरात सरकार से और कोई प्रार्थना नही आई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पोलिस्टर–फाईबर कारखाने की स्थापना

3012. श्री लीलाधर कटकी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक पोलिस्टर फाइब्र कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता क्या है तथा कारखाने में किस प्रकार का फाइबर बनाया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने चौथी योजना के दौरान आसाम में शोधन क्षमता में एक मिलियन मीटरी टन से कुछ अधिक का विस्तार करने तथा बढ़ी हुई शोधन क्षमता से उपलब्ध होने वाले कच्चे माल पर आधारित एक समेकित डी एम टी पोलिस्टर फाइबर कैमिकल समूह स्थापित करने का निर्णय किया है। लागत का अनुमान लगाया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

3013. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रगति हुई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने उक्त अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कुल कितना धन व्यय किया;

(ग) सरकार ने परिवार नियोजन के लिए किन विभिन्न तरीकों का प्रचार किया और उनसे राज्यवार, कितनी सफलता मिली; और

(घ) क्या सरकार ने परिवार नियोजन के लिए एक ही तरीके का प्रचार करने का अन्तिम निर्णय किया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) सूचना संलग्न विवरण 1,2 और 3 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2278/69]**

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा एवं राज्य सरकारों के जरिये परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय की गई रकम इस प्रकार है ----

वर्ष	रुपये लाख में
1966–67	1342.61
1967–68	2553.47 (अनुमानित)
1968–69	3051.45 (अनुमानित)

(ग) भारत सरकार ने एक मनपसन्द पद्धति अपनाई है जिसके अन्तर्गत प्रजननशील दम्पतियों को विभिन्न उपयुक्त तरीके बतलाये जाते हैं और तरीके को अपनाने का निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है। जिन तरीकों का प्रचार किया जाता है, वे इस प्रकार हैं :—

1. प्रचलित गर्भनिरोधक जिनमें निरोध, झागदार टिकियां, जैली और डायाफ्राम शामिल हैं।

2. लूप

3. नसबन्दी

मार्गदर्शी परियोजना के आधार पर खानेवाली गोलियों और इंजेक्शनों का प्रयोग भी हाल ही में शुरू किया गया है।

2. राज्यवार प्राप्त की गई सफलता संलग्न विवरण 4 से 6 में दी गई है।

(घ) जी नहीं। परिवार नियोजन के सभी जाने माने और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीकों का प्रचार किया जाता है। तरीके को अपनाने का निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है [**देखिए संख्या एल० टी० 2278/69**]

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मोटर गाड़ियां

3015. श्री न० रा० देवघरे : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास, एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये दी गई मोटर गाड़ियों में से 50 प्रतिशत मोटर गाड़ियां खराब है और काम में नहीं ली जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मोटर गाड़ियों को प्रयोग में लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों और संघ क्षेत्रों की 2728 गाड़ियों में से 1331 गाड़ियां (48.80 प्रतिशत) खराब पड़ी है, 774 की काफी मरम्मत करने की आवश्यकता है तथा 557 गाड़ियां काम के अयोग्य हैं।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत काम में लाई जा रही 97 प्रतिशत गांड़ियां 8 से 16 वर्ष पुरानी हैं और वे अपने सामान्य कार्य काल से अधिक समय चल चुकी हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाड़ियों का अधिकतम उपयोग हो सके, निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) गाड़ियों के रख–रखाव तथा मरम्मत कार्य में सुधार करने के लिए अधिकांश राज्यों ने राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठनों की स्थापना कर ली है और अधिक से अधिक गाड़ियों को अच्छी हालत में रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

(2) गाड़ियों के रख–रखाव के लिए स्थानीय रूप से जिन फालतू पुर्जों को प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें राज्यों को केन्द्र द्वारा दिया जा रहा है। राज्यो को जुड़े हुए प्रमुख सहायक पुर्जे भी दिये जा रहे हैं ताकि सचल एककें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उन्हें बदल सकें; तथा बेकार पुर्जों को राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मशालाओं में मरम्मत के लिए भेजा जा सके। 1966-67 और 1967-68 में राज्यों को 8.50 लाख रुपये के तथा 1968–69 में 6 लाख रुपये के फालतू पुर्जे दिये गये। 1969–70 के लिए 8.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(3) गाड़ियों की मरम्मत करने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना चलाई गई है।

(4) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन, नई दिल्ली, विभिन्न राज्यों के राज्य स्वास्थ्य परिवहन अधिकारियों, ड्राइवरों और मैकेनिकों को गाड़ियों के समुचित रख रखाव और मरम्मत कार्य में उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण दे रहा है।

(5) नई गाड़ियां, देकर समय समय पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जाती है।

देश में नेत्र बैंकों का कार्यकरण

3016. श्री न० रा० देवघरे :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने नेत्र बैंक हैं, तथा क्या ये संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं;

(ख) कितने लोगों ने अपने नेत्र दान देने की सहमति व्यक्त की है; और

(ग) गत दो वर्षों में नये बैंकों से कुल कितने लोगों को लाभ पहुँचा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय नेत्र बैंक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काम कर रहा है और देश में 14 प्रादेशिक नेत्र बैंक हैं। नेत्रदान करने वालों से जो थोड़े से नेत्र प्राप्त होते हैं उन्हीं से ये बैंक काम चला रहे हैं जो संतोषजनक है।

(ख) और (ग) . राष्ट्रीय नेत्र बैंक में 2500 स्वैच्छिक नेत्र दानदाताओं के नाम पंजीकृत कर लिये गये हैं और गत दो वर्षों में 103 व्यक्तियों को लाभ हुआ है। प्रादेशिक बैंकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग का गठन

3017. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 25 अगस्त, तथा 17 नवम्बर; 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4884 और 19 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मत्रालय केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग बनाने के प्रस्ताव तैयार कर रहा है;

(ख) श्रेणी दो के लिए सीधी भर्ती करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्ट आवश्यकतायें क्या हैं और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के भर्ती के भिन्न नियम रखने के क्या कारण हैं जब कि वही विभाग केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा का एक मुख्य निकाय होगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रेणी दो के लिए सीधी भर्ती इंजीनियरी सेवा परीक्षा के द्वारा नहीं की जाती है, जैसा कि कहा गया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि बड़े पैमाने पर सीधी भर्ती से, जो कि हाल में और भी व्यापक तथा प्रभावी हो गई है, वहां पर पहले से काम करने वाले नवयुवकों में असंतोष है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) गृह मंत्रालय इंडियन सर्विस आफ इंजीनियर्ज बनाने का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें (i) बिल्डिंग्स और रोड़ तथा (ii) सिंचाई तथा (iii), बिजली के लिए प्रथक काडर होंगे।

(ख) मध्यवर्ती अवस्था में नया रक्त लाने के लिए भर्ती नियमों में श्रेणी II में सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की आवश्यकतायें सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमिशन से भिन्न है, अतएव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन में सहायक इंजीनियरों के लिए एक से भर्ती नियम आवश्यक नहीं हैं।

(ग) श्रेणी II में सारी सीधी भर्ती समान्यतः केवल इन्जीनियरिंग सर्विस परीक्षा द्वारा ही की जाती है। भूतकाल में कुछ एक अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से तदर्थ भर्ती की गई थी।

(घ) अभी निकट-भूत में बड़े पैमाने पर तथाकथित सीधी भर्ती नहीं हुई है। वास्तव में श्रेणी II में सीधी भर्ती के वर्ग में कमी है।

Investments in Public Undertakings in various States

3019. Shri J. B. S. Bist : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number and names of undertakings in Public Sector, Statewise, and the amount invested in them separately upto the 30th June, 1969;

(b) the amount of profit earned or loss incurred in each of the said undertakings upto the last financial year; and

(c) the number of Class I, Class II, Clasa III and Class IV, skilled and unskilled employees in each of the said undertakings upto the 30th June, 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The last year for which complete audited accounts for all Public Enterprises are available is for the year ending 31st March, 1968. A statement showing the investment in each Public Enterprise located in the various States as on 31/3/1968 is indicated in Annexure 'A'. In Annexure 'B' the profit earned or loss incurred by each of these undertakings during the financial year 1967--68 is given. **[Placed in the Library See. No. LT. 2279/69]**

(c) Generally Public Enterprises do not adopt a uniform categorisation of their staff as Class I, II, III and IV. The employees in Industrial Enterprises can be divided into supervisory personnel, clerical personnel, skilled workers and un-skilled workers. The effort involved in collecting information on that basis asked for from all the Public Enterprises which will have to be worked out afresh will not, therefore, be commesnurate with the expected results.

However, the nnmber of skilled and unskilled workers in 30 running 'manufacturing' concerns out of a total of 37 such concerns as on 31. 3- 1968, was as follows :

Skilled	—	1,00,589
Unskilled	—	45,072

लाजपत नगर चार, नई दिल्ली में पुराने दुमंजिले क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्ति

3020. श्री रा० बरुआ : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लाजपत नगर चार, नई दिल्ली के बहुत से पुराने दुमंजिले क्वार्टरों पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है, जो कि न तो उन क्वार्टरों के आवंटी हैं और न ही मालिक;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है और अनधिकृत निवासियों द्वारा उन पर कब्जा किये जाने के कारण सरकार को अब तक कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(ग) अनधिकृत व्यक्तियों से उन मकानों को खाली कराने तथा उनकी कीमत वसूल करने के लिए उन क्वर्टरों की सार्वजनिक नीलामी कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) - (क), (ख) और (ग) . सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री निवासपुरी, नई दिल्ली के सरकारी मकानों में अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्ति

3021. श्री रा० बरुआ : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री निवासपुरी, नई दिल्ली के बहुत से सरकारी क्वाटरों में ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने उन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और जिनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और इन क्वार्टरों को शीघ्रता से खाली क्यों नहीं कराया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन क्वाटरों में अनधिकृत रूप से कब्जा करके रहने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध दिये गये बेदखली आदेशों को उन बेदखली आदेशों में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने के बाद भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो समय पर बेदखली आदेशों को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख), (ग) और (घ). श्रीनिवासपुरी के क्वार्टरों के आवंटियों में ऐसे केवल 11 मामले हैं जिनमें आवंटन रद्द कर दिया गया है तथा आवंटियों के द्वारा वास अभी तक खाली नहीं किया गया है, खाली कराने की कार्यवाई आरम्भ कर दी गयी है। छः मामलों में पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन आफ अन आथराइज्ड आक्यूपेंट्स) एक्ट, 1958 के अन्तर्गत खाली कराने की कार्यवाई अभी तक चल रही है। पांच मामलों में खाली करने के आदेश हो चुके हैं नमें से चार मामलों में पुलिस की सहायता की व्यवस्था के बाद शारीरिक तौर पर खाली कराने की व्यवस्था कर ली गयी है। एक मामले में वास के नियमतीकरण के लिए अभ्यावेदन विचाराधीन है तथा अभ्यावेदन पर अन्तिम निर्णय के बाद आगे की कार्यवाई की जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की पदावधि

3022. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर की पदावधि निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं, जब कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों तथा सैक्शनल अधिकारियों की पदावधि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि परम्परागत पदावधि का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता है और यदि हां, तो क्यों, तथा यदि नहीं, तो उन सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियरों के नाम क्या हैं जिन्हें एक ही स्थान पर काम करते चार वर्ष से अधिक समय हो गया है और जिनका तबादला 1967-69 के दौरान किया गया है; और

(ग) उन सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियरों के नाम क्या हैं जिनका गत तीन वर्षों के दौरान एक स्थान पर चार वर्ष कार्य करने से पहले ही तबादला कर दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक इंजीनियर का पद प्रशासनिक है, अतएव कोई पदावधि निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) कोई भी परम्परागत अवधि स्पष्टतः केवल एक मार्ग दर्शक है । अतः, ऐसे उदाहरण हैं जहां जन हित में, इस स्तर के अधिकारियों को किसी एक स्थान से 3/4 वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

(ग) 1967–69 के दौरान पदोन्नति, यूनिटों के बन्द हो जाने अथवा प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारणों के अतिरिक्त जिन्हें 4 वर्ष एक स्थान पर रहने से पहले स्थानान्तरित कर दिया गया, ऐसे अधीक्षक इंजीनियरों के नाम संलग्न विवरण में दे दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2280/69]**

रोजगार दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्सन अफसरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र

3023. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से ओवरसियर हैं, जिन्होंने वर्ष 1965–67 में रोजगार नियोजन कार्यालयों में अपने नाम पंजीकरण कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन दिये थे;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि सरकार ने अधीक्षक इंजीनियर को इस आशय की अनुमति दी कि वह रोजगार नियोजन कार्यालयों में नाम पंजीकृत कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र देना बन्द करें; और

(ग) जनवरी, 1969 से अक्टूबर, 1969 तक की अवधि में अर्ध–स्थायी ओवरसियरों (बिजली) से अनापत्ति प्रमाणपत्रों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) . सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कार्यालय के कमरों/निवास स्थानों को लोक–निर्माण विभाग के सेक्सन अफसरों द्वारा देखने जाना

3024. श्री एस. डी. सोमसुन्दरम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शन अफसरों को आम तौर पर लगभग 500 कमरों या निवास स्थानों की देखभाल करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वयं शिकायतों को सुनने के लिए सेक्शन अफसरों को कार्यालयों के कमरों और निवास स्थानों में प्रायः जाना पड़ता है और सहायक इंजीनियर को भी महीने में कम से कम एक बार जाना पड़ता है; और

(ग) कमरा अथवा निवास स्थान का निरीक्षण करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। तथापि, संख्या की भिन्नता निवास स्थानों तथा बस्तियों के आकार पर निर्भर कर सकती है।

(ख) जी हां।

(ग) एक निवास स्थान कमरे के निरीक्षण करने का समय प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं के कारण भिन्न होता है; अतएव कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों के लिए भर्ती नियम

3025. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों के लिए भर्ती नियम वर्ष 1954 में सक्षम इंजीनियरों की तत्कालीन आवश्यकता को पूरी करने के लिए बनाये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल वही व्यक्ति सीधे प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के इंजीनियर बन सकते थे जो विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम आते थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों तथा इंजीनियरों का स्तर जब से उनकी आवश्यकता तथा नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, गिर गया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्तमान परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को देखते हुए सीधी भर्ती कोटा पद्धति में परिवर्तन करने के कुछ प्रस्ताव हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) श्रेणी I तथा श्रेणी II के भर्ती नियमों को गत 1954 में अधिसूचित किया गया था।

(ख) यह निश्चित रूप से कहना उचित नहीं होगा कि केवल उन्हीं इंजीनियरों को जो विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम आये हैं, वे ही श्रेणी I तथा श्रेणी II के इंजीनियरों के रूप में आ पाये थे।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) जी हां।

भारतीय तेल निगम द्वारा खरीददारी

3026. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम बोर्ड ने उन करारों का, जिनकी सिफारिश उसके विदेशी तथा भारतीय तकनीकी सलाहकारों ने की थी, वार्ता आधार पर अनुमोदन कर दिया है; और जनता में उनका विज्ञाप्न प्रकाशित करने के बाद उस मूल्य पर उन्हें तय कर लिया है जो पिछले खरीद मूल्य से 30–40 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में उन पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जिनकी पिछले तीन वर्षों में इसी प्रकार खरीद की गई है और जिस कारण सरकार को कई करोड़ रुपयों की हानि हुई है; और

(ग) विज्ञापन निकालने तथा मूल्यों को जो कि पिछले खरीद मूल्यों से काफी अधिक है, अन्तिम रुप देने के बाद बातचीत करने के क्या कारण थे ?

पट्रोलियल तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

भारतीय तेल निगम में समाहार के विभिन्न स्तरों की लेखा परीक्षा

3027. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के तेलशोधक डिविजन में, जिसमें विदेशों और भारतीय परामर्शदाता नियुक्त हैं, समाहार व्यवस्था इस प्रकार रखी गई है कि विभिन्न स्तरों की, जो निम्नलिखित हैं, कोई भी लेखापरीक्षा नहीं की जाती है :

(1) विश्वसनीय सप्लायरों की सूची रखना;

(2) टेन्डर आमन्त्रित करने की प्रक्रिया;

(3) स्वीकृति से पूर्व स्थिति में टेन्डरों का मूल्यांकन;

(4) वित्तीय स्तर और खरीद की जांच पड़ताल; और

(5) टेन्डर की स्वीकृति के बाद का स्तर;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय तेल निगम के तेलशोधन डिवीजन ने गत तीन वर्षों में अब तक कितनी परियोजनाएें आरम्भ की हैं और कुल कितनी राशि का समाहार किया गया;

(घ) नियुक्त किये गये भारतीय और विदेशी परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में किन किन सप्लायरों को फैब्रीकेटेड और नान फैब्रीकेटेड उपकरणों के ठेके दिये गये और इन गतिविधियों में सरकारी क्षेत्र के किन कारखानों ने भाग लिया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). गत तीन वर्षों में भारतीय तेल निगम लिमिटेड (तेल शोधन और पाइप लाइन डिविजन) द्वारा आरम्भ की गई कुछ प्रमुख परियोजनाओं और नियुक्त किये गये भारतीय और विदेशी परामर्शदाताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

तेल शोधन कारखाना	परियोजना	परामर्शदाता
गोहाटी	एल. पी. गैस सुविधायें जे. पी.-4 निर्माण सुविधायें	भारतीय तेल निगम तेल शोधन तथा पाइप लाइन डिवीजन
बरौनी	एल. पी. जी. सुविधाओं का आधुनिकीकरण।	मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, (टर्न का कार्य)
	कोक कैल्सीनेशन संयंत्र और	तदैव
	क्वार्टरों का निर्माण परि-	तदैव
	चालन मिश्रण सुविधाओं की व्यवस्था नये पम्प लगाना।	तदैव
गुजरात	एल. पी. जी. सुविधाओं का विस्तार	तदैव
हल्दिया	तेलशोधन कारखाने का निर्माण	'टैकनीय'/'एनसा' फ्रांस तेलशोधन कारखाने के ईंधन वाले अंश के लिए 1 ल्यूब आयल के उत्पादन के लिए इंडस्ट्रीयल एक्सपोर्ट, तकनीकी सहायता, विस्तृत इन्जीनियरी डिजाइन, स्वदेशी। आयातित माल के समाहार तथा निर्माण निरीक्षण के लिये इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2281/69**]

गुजरात ऐरोमैटिक परियोजना के लिए सामान के बारे में विलम्ब से आये टेंडरों को स्वीकार करना

3028. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात ऐरोमैटिक परियोजना के बारे में कम्बी नाली ब्राईव्रेटिंग शूट), संविरचना (फैबरीकेशन) वस्तुओं, हीट एक्सचेंजरों तथा उपकरणों को प्राप्त करने के लिये विज्ञापन दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेंडरों को खोलने के बाद कम्पी नाली, औजारों आदि के बारे में विलम्ब से आये टेंडरों को भी स्वीकार किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई फर्मों के साथ जिनको 1951 के औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस नहीं दिया गया है; सामान प्राप्त करने सम्बन्धी बातों का अन्तिम रूप दे दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो अन्तिम रूप दिये गये क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है, पार्टियों के नाम क्या हैं, किन वस्तुओ को खरीदा जायेगा, वितरण अवधि क्या है, खरीद का मूल्य क्या है और पिछली खरीद दर की तुलना में खरीद दर क्या है; और

(ङ) लाइसेंस प्राप्त पार्टियों से प्राप्त कम राशि से टेंडरों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) यह कहना ठीक नहीं है कि न्यूनतम राशि के प्रस्तावों की उपेक्षा की गई थी । कम्पनी ने :सूचित किया है कि न्यूनतम राशि के प्रस्तावों को जब भी अस्वीकार किया गया, उचित रूप में विचार करने के बाद ही गुण–दोष के आधार पर ऐसा किया गया ।

मद्रास तेल शोधन शाला के लिए उपकरणों का क्रय

3029. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तेल शोधन शाला के नापने के यन्त्र, जिसका क्रय मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये था, खरीदने के लिए एक टेंडर का विज्ञापन दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेंडर खोलने के बाद एक फर्म के साथ इस आधार पर बातचीत की गई कि वह फर्म निर्धारित आवश्यकता के अनुसार माल सप्लाई करेगी और 1 करोड़ रुपये के मूल्य का पूरा क्रयादेश उसको दे दिया गया, जिसके पास औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1961 के अन्तर्गत लाइसेंस नहीं था;

(ग) क्या यह सच है कि जबकि इस फर्म को उपकरणों की सप्लाई के लिये पूरा क्रयादेश दिया गया था अन्य टेंडर देने वालों के दावों की उपेक्षा की गई यद्यपि उनके द्वारा बताये गये मूल्य भी प्रतियोगी थे; और

(घ) यदि हां, तो उस फर्म का चयन करने और उससे बातचीत करने के क्या कारण हैं, जो नई फर्म है और लाइसेंस रहित है जबकि टेंडर देने वाली अन्य फर्मों के दावों की उपेक्षा की गई है, यद्यपि उनके मूल्य प्रतियोगी थे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन परियोजनाऐं

3030. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र में आरम्भ की गई पेट्रो-केमिकल तथा पेट्रोलियम परियोजनाओं के लिये चुने हुए सप्लायरों द्वारा भी अधिकांश उपकरणों की सप्लाई की गई है;

(ख) भारतीय तकनीकी जानकारी से और आंशिक रूप से विदेशी सहायता से बनाई गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनका कुल पूंजी परिव्यय कितना है;

(ग) इनके लिये अपेक्षित जोड़कर तैयार किये गये और निर्मित उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वदेशी और आयातित माल की सप्लाई डिवीजनवार सूची क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र का अंशदान कितना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ङ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री के पुत्रों तथा पुत्रियों का विभिन्न फर्मों के साथ सम्बन्ध

3031. श्री पीलु मोडी : **श्री रा० का० अमीन** :
श्री गु० च० नायक : **श्री महेन्द्र माझी** :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि मंत्री के पुत्रों तथा पुत्रियों का जो सम्बन्ध विभिन्न फर्मों और कम्पनियों के साथ है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत 3 वर्षों में इन संस्थानों को हुई आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों ने उस आय पर कितना आयकर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री की पुत्री का किसी भी फर्म अथवा कम्पनी से सम्बन्ध नहीं है । केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री के पुत्र का सम्बन्ध निम्नलिखित फर्मों तथा कम्पनियों से है :—

(1) रश्मि मोटर्स; गया।

(2) रश्मि मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पटना।

(3) मार्डन प्लानर्स, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ख) तथा (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Floods in Uttar Pradesh

3032. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of the Districts in Uttar Pradesh affected by floods this year;

(b) the acrage of land submerged in water; and

(c) the extent of loss to life and property ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Uttar Pradesh have reported that the following Districts were affected in the State during the floods of 1969 :-

Dehra Dun, Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Aligarh, Mathura, Agra, Mainpuri, Etah, Bareilly, Bijnor, Budaun, Moradabad, Sahajahanpur, Pilibhit, Rampur. Farrukhabad, Etawah, Kanpur, Fatehpur, Allahabad, Banda, Hamirpur, Jhansi, Jalaun, Varanasi, Mirzapur, Jaunpur, Ghazipur, Ballia, Gorakhpur, Basti, Azamgarh, Deoria, Nainital, Almora, Garhwal, Chamoli, Uttar Kashi, Unnao, Raebarely, Sitapur, Hardoi, Kheri, Faizabad, Gonda, Bahraich, Pratapgarh, and Barabanki.

(b) A total area of about 24 lakh hectares was affected by floods this year.

(c) The extent of loss to life and property due to floods in the State is as follows :--

Cropped area affected	13.12 lakh ha.
Value of crops affected	Rs. 34.60 crores.
No. of houses damaged	149204
Value of houses damaged	Rs. 2 77 crores.
Human lives lost	113
Cattle lost	3187
Damage to public utilities	Rs. 1.09 crores.

बाढ़ के कारण जान और माल की क्षति

3033. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष 1969 में देश में बाढ़ के कारण हुई जन जीवन और धन राशि की कुल क्षति का कोई अनुमान लगा लिया है; और

(ख) इस वर्ष सरकार ने बाढ़ के कारण होने वाली हानि को कम करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ नियंत्रण उपाय राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं। प्रश्नों का निर्माण, वर्तमान प्रश्नों को ऊंचा और सुदृढ़ करना, नगरों का संरक्षण, नहरों का सुधार, बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना देना आदि विभिन्न उपाय पहले ही आरम्भ किये जा चुके हैं और भविष्य में भी जारी रखे जायेंगे। जो भी तकनीकी सहायता आवश्यक होती है, केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को वह तकनीकी सहायता देती हैं।

Exemption from Tax to "Jan Hit Nidhi"

3034. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the grounds on which the trust named 'Jan Hit Nidhi' Louknow Delhi (Public Welfare Fund), under whose aegis "National Hearald" is published from Delhi and Lucknow, has been exempted from Income-tax;

(b) whether Government are aware that this Trust publishes some other papers also and is a commercial concern; and

(c) the amounts received by the aforesaid Trust during the last three years' yearwise and their sources separately and whether all these amounts were exempted from tax; if so, the extent of exemption given in each case ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Exemption has been allowed to 'Jan Hit Nidhi' under section 11 of the Income-tax Act 1961 by the Income-tax authorities as the trust has been created for public charitable purpose.

'National Herald' is not published by the 'Jan Hit Nidhi'.

(b) Records do not show that the Trust is owning or publishing any newspaper or that it is a commercial concern.

(c) A statement giving the information is enclosed. **[Placed in the library See LT. No. 2282/69]**

Floods in Ganga Near Mokameh (Bihar)

3035. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several villages under Muner and Mokameh Police-stations in Ratna District Bihar, have been inundated by floods in Ganga this year;

(b) if so, the names of those villages;

(c) whether Government have made any arrangement to rehabilitate the persons affected by these floods; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The following villages were affected by floods this year:-

Ram Nagar.	Shubrna.
Sherbhuka.	Rampur.
Jamunipur.	Parsadi Rai Tola.
Baryatola.	Gangatola.
Nakutola.	Badaltola.
Naikatola (E).	Baohutola.
Naikatola (W).	Hratola.
Nagatola.	Bhumidhartola.
Hathi tola Ke Bathan.	Navdiari.
Nilkanthtola.	Lalbengwan.
Shankerpur.	Bagani.
Purani.	Nonltola and Shankerpur of Maner Police Station and Gangapur.
Bindtola.	Fatuatola and Bijoygarh of Mokamah Police Station.

(c) and (d). Arrengements have been made by the State Government to rehablilitate the affected persons. Out of 3400 affected families, 1200 families have already been rehabilitated. Suitable sites are being acquired for the rehabilitation of the remaining people. A special cell has been created by the State Government under Revenue Department, to supervise the implementation of rehabilitation schemes. Pending the receipt of the report of the Programme Adviser, Planning Commission, on the recent floods in Bihar, a sum of Rs. 1 crore has been provided by the Centre to the State Government to keep them in funds for undertaking relief measures.

बाढ़ के कारण विनाश

3036. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, आसाम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में इस वर्ष बाढ़ के कारण हुए विनाश का निम्नलिखित ब्यौरे सहित नवीनतम अनुमान क्या है :—

(1) कितनी जानें गईं;

(2) कितनी काश्त-योग्य भूमि खराब हुई;

(3) खड़ी फसलों तथा अनाज को कितनी हानि हुई;

(4) मकानों तथा भवनों को कितनी हानि पहुंची;

(5) केन्द्रीय सरकारी सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची;

(6) विविध; और

(ख) गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक राज्य में बाढ़ से हुई हानि के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-1)

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है (परिशिष्ट-2) [**ग्रन्थालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 2283/69**]

Loss as a result of Floods in Country in July/August, 1969.

3037. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the value of the loss caused to the Central Government, State Government and to indvidual properties by the floods in various parts of the country in July and August, 1969;

(b) the number of persons killed on account of floods, according to the Information collected by the Government; and

(c) the amount of financial grant and assistance provided by Government to the flood affected States ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). No separate figures are available for Central, State and individual losses to property by floods in July and August, 1969. A statement showing State-wise details of human lives lost and damages to property on account of floods during 1969 is attached. **[Placed in Library. See LT. No. 2284/69]**

(c) The following Central assistance has been released up to (28th November, 1969) to States towards floods/cyclone relief expenditure during 1969-70 :

			Rs. in crores.
1.	Andhra Pradesh		8.70
2.	Bihar		1.00
3.	Kerala		0.50
4.	West Bengal		1.00
		Total	11.20

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

3038. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इन वेतनमानों के कब संशोधित होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) . केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन ढांचों तथा सेवा की अन्य शर्तों की समीक्षा के लिये एक नया वेतन आयोग नियुक्त करने के बारे में सरकार अपने निर्णय की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इसलिए, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में कोई व्यापक संशोधन करने के मामले में नये आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था

3039. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 10,000 से अधिक कर्मचारियों के नाम सरकारी आवास के लिये प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) उनकी मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या, जिनके लिये सरकारी आवास की आवश्यकता है, लगभग 2,067 है ।

(ख) टाइप 2 के 100, टाइप 3 के 24 और टाइप 4 के 8 क्वार्टर बनकर पूरे होने वाले हैं । अग्रेतर निर्माण उपलब्ध धनराशि के आधार पर चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा ।

चण्ड़ीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिले फ्लेट्स

3040. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन बहुमंजिले फ्लैटों का निर्माण करने का विचार कर रहा है, जिन्हें सरकारी कर्मचारियों को किराया खरीद के आधार पर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कितने ऐसे फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) ऐसे फ्लैटों के कब तक बनने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). बहुमंजिले फ्लैटों का निर्माण करने की एक योजना जो किराया खरीद के आधार पर अन्त में सरकारी कर्मचारियों को बेच दिये जायेंगे, चण्डीगढ़ प्रशासन के विचाराधीन है । योजना के ब्योरे, जैसे बनाये जाने वाले फ्लैटों की संख्या और उनके बनकर पूरा होने में लगने वाले संभावित समय आदि के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

आयकर तथा सीमा शुल्क कार्यालय, कलकत्ता में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

3041. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **वित्त** मन्त्री कलकत्ता में आयकर तथा सीमा शुल्क कार्यालय में निलम्बित तथा बर्खास्त किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के बारे में 7 अप्रेल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विभागवार विवरण संलग्न है अतारांकित प्रश्न संख्या 5455 के प्रश्न में पूछी गई जानकारी 7 अप्रेल, 1969 को दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 17 अक्तूबर, 1969 को संसद कार्य विभाग को दे दी गई थी।

विवरण

कस्टम्स हाऊस, कलकत्ता

(क) (एक) निलम्बित

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान ग्रेड में नियुक्ति की तिथि	निलम्बन की तिथि	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति
* 1.	श्री एच० वाई० तहसीलदार	'प्रैव' अधिकारी ग्रेड 1	8.11.1957	3.1.1966	अनु. आदिम जाति
* 2.	श्री एच० सी० दास	एकजामिनिंग अधिकारी	20.1.1961	18.6.1966	अनु. जाति
* 3.	श्री के० के० बेरल	'प्रैव' अधिकारी ग्रेड 1	11.7.1957	6.3.1967	अनु. जाति
* 4.	श्री एस० के० दास (1)	'प्रैव' अधिकारी ग्रेड़ 1	23.12.1957	6.3.1967	तदैव
** 5.	श्री नी० सिकदर	तदैव	22.6.1961	26.10.1962	तदैव
6.	श्री जी० की० साद	तदैव-ग्रेड 2	25.5.1964	13.2.1969	तदैव

* इस बीच बहाल कर दिया गया है।

** इस बीच सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

(क) (दो) बर्खास्त कर दिये गये

1.	श्री बी० सिकदर	'प्रैव' अधिकारी ग्रेड 1	22.6.1961		अनु. जाति

(क) (तीन) त्यागपत्र देने के लिये बाध्य किये गये

कोई भी नहीं।

(ख) इसी अवधि में (1.1.1966 से अब तक) पदोन्नति के मामले में अतिलंघन किये गये अधिकारियों की संख्या	1	अनु. जाति

आयकर कार्यालय, कलकत्ता

(क)	(एक) निलम्बित (दो) बर्खास्त (तीन) त्याग पत्र देने के लिये बाध्य किये गये	कोई भी नहीं ।	
(ख)	1.1.1966 से अब तक पदोन्नति के मामले में अतिलंघन किये गये अधिकारियों की संख्या ।	11	अनु. जाति

दक्षिण पूर्व क्षेत्र के विकास की योजना

3042. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व क्षेत्र, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के भाग शामिल हैं, के विकास के लिये एक उपयुक्त संगठन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन राज्यों के किन-किन स्थानों को इस योजना के अन्तर्गत लाने की सम्भावना है और इस योजना के अन्तर्गत अनुमानतः कितना धन खर्च होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) से (ग) . भारत सरकार द्वार साउथ ईस्ट रिसोर्स रिजिन के लिए एक आयोजना संगठन के स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है । इसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(1) दक्षिण-पूर्व साधन प्रदेश में (बिहार में पालामऊ, हजारी बाग, धनबाद, रांची तथा सिंहभूमि के जिले; मध्य प्रदेश में सिन्धरी, शहडोल, सरगूजा, रायगढ़, बिलासपुर बालघाट, दुर्ग, रायपुर तथा बस्तर के जिले ; उड़ीसा में सुन्दरगढ़, केओनझर, मयूरभंज, सम्बलपुर, बोलनगिर, धानकनाल, कालाहांड़ी, कोरापत तथा खोन्डमाल्स के जिले तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा एवं बर्दवान जिले के उप-मंडल आसनसोल के जिले इसमें शामिल हैं) इस क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित केन्द्रीय तथा राज्य की एजेन्सियों के सहयोग से क्षेत्रीय (स्थानिक) विकास आयोजना बनाना तथा ऐसे सर्वेक्षणों, अध्ययनों, जांच पड़तालों आदि को आवश्यक समझी जाये, करना ।

(2) ऐसे विकासों से अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से दक्षिण पूर्व साधन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकासों में समन्वय करना ।

(3) प्रदेश के विभिन्न सैक्टरों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेशीय आयोजना को क्रियान्वित करने में विभिन्न एजेंसियों को संदर्शन देना ।

(4) प्रदेश के योजनाबद्ध विकास से उदभूत प्रगतिशील लाभों का मूल्यांकन करना तथा

(5) बदलती हुई आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार जहां आवश्यकता है वहां संशोधन करने की दृष्टि से प्रदेशीय विकास आयोजना को समय-समय पर पुनरीक्षित करना।

विकास योजनाएं अभी बनानी हैं। विकास योजना के क्रियान्वयन पर सम्भावित व्यय को बताना अभी समय से बहुत पूर्व हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क, भिवान्डी (महाराष्ट्र) के अधीक्षक द्वारा कथित रिश्वत का लिया जाना

3044. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिवाण्डी के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क के अधीक्षक द्वारा कथित अवैध रिश्वत प्राप्त किये जाने के बारे में सरकार से शिकायत की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी के जो कि फ्लांइग स्क्वार्ड का प्रभारी था, 23 जून, 1969 को टाटा मर्सीडीज बैंज रजिस्ट्रेशन संख्या एम० एच० टी 1347 वाले ट्रक को जिसमें विश्वास किया जाता है कि स्वर्ण ले जाया जा रहा था, के क्लीनर और चालक को बच कर निकल जाने दिया ;

(ग) क्या इस शिकायत के बारे में जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। ट्रक को ज्यों ही रोका गया, त्यों ही ट्रक में बैठे दो व्यक्तियों में से एक निकल भागा। दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया गया था और भिवाण्डी के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय की इमारत में रोक रखा गया था, जहां से वह रोशनदान में से निकल भागा। इस दूसरे व्यक्ति को बाद में फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, परन्तु पहला व्यक्ति अभी भी फरार है। भाग (क) में उल्लिखित अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भिवान्डी केन्द्रिय उत्पादन शुल्क कार्यालय में पहुंचने से पहले ही ट्रक में सवार दोनों व्यक्ति भाग चुके थे।

(ग) और (घ). जी, हां। विशेष पुलिस विभाग ने मौके पर सावधानी से जांच करने के बाद, यह सिफारिश की है कि आरोपों के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए स्थानीय लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया और इसलिए, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के किसी अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच कराना अधिक उपयुक्त होगा। इस सुभाव पर अमल करते हुए, समाहर्ता ने एक जांच अधिकारी के द्वारा जांच करवायी, जो इस नतीजे पर पहुंचा है कि अधीक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोप बिल्कुल निराधार हैं। ऐसे मामलों में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, समाहर्ता ने उस रिपोर्ट को, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को राय के लिए भेज दिया है, और उनकी राय की प्रतीक्षा है।

ग्लैक्सो लैबोरेटरीज इण्डिया लिमिटेड का विस्तार

3045. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड की सहयोग योजनाओं का अनुमोदन किया है तथा विस्तार आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण योजनाओं को आरम्भ करने के लिए उसको विदेशी मुद्रा दे दी है ;

(ख) क्या कम्पनी को लाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाइयों तथा अन्य परियोजनाओं के लिए कोई नये लाइसेंस मंजूर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मैसर्स ग्लोक्सो लेबोरेटरी (इंडिण्या) लि० तथा यू० के० के गलैक्सो ग्रुप के बीच तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित प्रस्तावों को सरकार ने 1968 में अनुमोदित कर दिया था। बदल तथा आधुनिकी-करण के लिये यू० के क्रैडिर के अन्तर्गत, थोड़े से मूल्य के सामान के आयात की अनुमति दे दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए बाढ़ सहायता

3046. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों ने अपने राज्यों में बाढ़ सहायता के लिए विशेष सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मांग और उन राज्यों को केन्द्रीय सरकार से दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य में बाढ़ों के कारण तथा कुपोषण तथा अल्पपोषण तथा फैले रोगों के कारण अलग-अलग कितने कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2886/69**]।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में, बाढ़ के कारण राजस्थान में 27, पश्चिम बंगाल में 30, और बिहार में 31 व्यक्तियों की जानें गयीं। राज्य सरकारों ने बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणाम स्वरूप कुपोषण, अल्पपोषण और बीमारियों आदि से मृत्यु होने के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

पंजाब नेशनल बैंक के निदेशकों द्वारा शक्तियों का कथित दुरुपयोग

3047. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन वित्त मंत्री ने 5 अगस्त 1968 के अपने पत्र में किसी संसद सदस्य को सूचित किया था कि तीन सदस्यी (निदेशक) समिति ने निदेशकों द्वारा करोड़ों

रुपयों के सम्बन्ध में शक्तियों के दुरुपयोग और ऋण पत्रों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान बाण्ड और केन्द्रीय सरकार के और राज्यों के ऋण पत्र) के सरकारी क्रय-विक्रय में गबन के बारे में जांच करने और पंजाब नेशनल बैंक के भूतपूर्व अधिकारी दीवान राम प्रताप चोपड़ा से सहायता लेने के सम्बन्ध में 24 बैठकें की थीं ;

(ख) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने इस मामले की कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार 24 बैंठकों में दीवान राम प्रताप चोपड़ा द्वारा दिये गये वक्तव्य सहित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेगी ;

(घ) क्या छानबीन के बाद वित्त मंत्रालय ने सारा मामला अग्रेतर जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार को कोई अन्तिम अथवा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तत्कालीन वित्त मन्त्री ने निश्चय ही लोक सभा के सदस्य श्री अब्दुल गनी दार को 5 अगस्त, 1968 को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक, तीन व्यक्तियों की समिति द्वारा जांच के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, इन आरोपों पर विचार करेगा और इस बारे में उपयुक्त कार्रवाई करेगा। पर, इस पत्र में समिति की बैठकों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसी पत्र में मंत्री महोदय ने लिखा था कि सरकार के लिए यह सम्भव न होगा कि वह श्री दार या श्री राम प्रताप चोपड़ा को केन्द्रीय जांच कार्यालय की रिपोर्ट को पढ़ने दे क्योंकि ये रिपोर्ट गोपनीय थी और केवल सरकार के सूचनार्थ थी।

(ख) और (ग). तीन व्यक्तियों की समिति की रिपोर्ट रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। चूंकि इस रिपोर्ट का सम्बन्ध अलग-अलग आसामियों के ऋण सम्बन्धी लेन देनों से है इसलिए इसके विषय वस्तु के बारे में नहीं बताया जा सकता।

(घ) और (ङ). रिजर्व बैंक द्वारा जांच पड़ताल पूरी कर लेने के बाद ही कोई निश्चय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच कार्यालय कोई जांच-पड़ताल नहीं कर रहा।

सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का प्रबन्ध

3048. श्री मधु लिमये : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में बिजली सम्भरण, परिवहन गैस, वाटर वर्क्स आदि जैसी सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं के स्वामित्व तथा प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार का विचार अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने का है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि सार्वजनिक उपयोग की इन वस्तुओं का स्वामित्व तथा प्रशासन नगर निगमों तथा अन्य नगर प्राधिकारों के पास होना चाहिए ; और

(ग) क्या सरकार इन वस्तुओं को केन्द्र से नगर प्राधिकारों को सौंपने की कार्यवाही करेगी और शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने तथा स्थानीय स्वायत्त सरकार को वास्तविक बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से उसका अनुकरण करने की सलाह देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). केन्द्रीय विधान के अन्तर्गत प्रशासकीय हस्तान्तरण अथवा संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार रिक्त पूर्ति, परिवहन, गैस, वाटर वर्क्स आदि जैसे सार्वजनिक कार्य राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आते है । कतिपय राज्य सरकारों ने इनमें से कुछ सेवाओं को अपनी ओर से नगर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया है । इन प्रबन्धों अथवा इनसे सम्बन्धित नीतियों की पुनरीक्षा करने के लिये कोई प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है ।

अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान के लिए भारत-डेनमार्क करार

3049. **श्री वे० कृ० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान के लिए डेन्मार्क से सहायता के बारे में सितम्बर 1969 में डेन्मार्क तथा भारत सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) करार की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2287/69]**

मद्रास हवाई अड्डे पर सीमा–शुल्क विभाग के कर्मचारी

3050. **श्री एस० के० सम्बन्धन्** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारियों के काम के घण्टे और सप्ताह के दिन निर्धारित करते समय किस प्रक्रिया को अपनाया गया है;

(ख) क्या वहां पर पारी की व्यवस्था की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अतिरिक्त घण्टों और अतिरिक्त दिनों में काम करने के लिये समयोपरि भत्ता दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो समयोपरि भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). आने वाली और जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की समय सूची का ध्यान रखते हुए, हवाई सीमाशुल्क

के कर्मचारी, मीनाम्बीकम हवाई अड्डा, मद्रास पर की सभी उड़ानों की जांच करते हुए सभी दिनों केवल एक ही पारी में कार्य करते हैं। पारी का समय हवाई जहाजों के आने और रवाना होने के समय के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। दिन-प्रतिदिन इसमें हेरफेर होता रहता है। प्रत्येक अधिकारी को एक साप्ताहिक छुट्टी मिलती है। स्टेशन ड्यूटी अफसरों के रूप में काम करने के लिए तीन अधिकारियों को तैनात किया जाता है, जो मिलकर पूरे 24 घण्टे की ड्यूटी करते हैं।

(ग) तथा (घ). हवाई पूल सीमाशुल्क के कर्मचारी यदि काम के निश्चित समय से अधिक समय काम करते हैं, तो उन्हें कोई समयोपरि भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें समयोपरि भत्ते की एवज में मासिक प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है। अधिकारियों को समयोपरि काम के लिए मिलने वाला प्रतिपूर्ति भत्ता उस रकम से कहीं अधिक ही है जो उन्हें समयोपरि भत्ते के रूप में मिलती।

Provision of Lady Doctor in Champaran Civil Hospital, Motihari

3051. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Lady Doctor at present in the Champaran District Civil Hospital at Motihari and the present person working in lieu of Lady Doctor is not much capable;

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this respect and the time by which these steps would be taken to give relief to the people of Champaran; and

(c) if no steps are proposed to be taken, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

खेतरी तांबा परियोजना में गंधक के तेजाब की गैस का उत्पादन

3052. श्री बेणीशंकर शर्मा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि खेतरी तांबा परियोजना के पूरी क्षमता से चालू हो जाने पर वहां पर उप-उत्पाद के रूप में गन्धक के तेजाब की गैस का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होगा;

(ख) क्या उनको यह पता भी है कि सस्ते उर्वरक, जिसकी देश में बहुत मांग है, के लिये उसका प्रयोग किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो उस स्थान पर उर्वरक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसके कब तक बन कर तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) . जी, हां। खेतड़ी अयस्क में से सल्फ्यूरिक गुणों की प्राप्ति सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने के लिये की जायेगी, जिसे उपयुक्त उर्वरक का उत्पादन करने के लिये उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। पूरे उत्पादन की अवस्था में प्रतिवर्ष लगभग 182,000 मैट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन की संभावना है।

(घ) खेतड़ी में स्थापित किये जाने वाले एसिड तथा उर्वरक संयंत्र के लिये विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है। प्रायोजना रिपोर्ट के अनुसार उर्वरक संयंत्र की स्थापना में लगभग 182 सप्ताह लगने की सम्भावना है।

सरकारी उद्यमों में रोजगार नीति

3053. श्री बेदव्रत बरूआ : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्योगों की रोजगार नीति पर इसका प्रभाव पड़ता है कि नियुक्ति अधिकारियों की जाति क्या है तथा वह किस क्षेत्र के हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इन आरोपों की जांच करने के लिये कोई निष्पक्ष जांच के आदेश दिये गये हैं;

(घ) क्या सरकार से इस सम्बन्ध में कोई नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कोई नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त विचाराधीन हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार ने हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट एकक द्वारा, 500 रुपया प्रतिमास से कम बुनियादी वेतन वाले पदों के लिये भर्ती के सम्बन्ध में भारत सरकार की हिदायतों का पालन न किये जाने की शिकायत की थी। इस बारे में सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालय से पूछताछ की गयी थी और इस सम्बन्ध में जारी की गयी हिदायतों का पालन किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाई की जा चुकी है।

(घ) और (ङ). सरकार ने सरकारी उद्यमों को ये हिदायतें दी है कि जिन पदों का मासिक वेतन 500 रुपये से अधिक न हो, उन पर नियुक्तियां, स्थानीय नियोजन केन्द्रों की मार्फत और स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर की जाये। हालांकि इससे स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती होने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन सरकारी उद्यमों की नियोजन-नीति में जाति के आधार पर तरजीह नहीं दी जाती। दरमियाने और उच्च पदों के लिये भर्ती, अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापनों के माध्यम से की जाती है और नियुक्ति की मुख्य कसौटियां हैं गुण और योग्यता।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली

3054. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के प्रश्न पर लम्बे समय से चल रहे विवाद के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी नहीं । मामला अभी तक न्यायालय के अधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

थाथी जयमल सिंह गांव के निकट तस्करी के सामान का पकड़ा जाना

3056. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाथी जयमल सिंह गांव के निकट 3 सितम्बर, 1969 को तस्कर व्यापारियों से अफीम, आग्नेयास्त्र और गोलाबारूद पकड़ा गया था;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा दल द्वारा गोली चलाई गई थी और कुछ तस्कर व्यापारी मारे गये थे;

(ग) कितने तस्कर व्यापारी मारे गये और कितने घायल हुए; और

(घ) सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्कर व्यापार समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). 3 सितम्बर, 1969 को थाथी जयमल सिंह ग्राम के निकट एक स्थान पर तस्कर आयात-निर्यात कर्त्ताओं तथा सीमा सुरक्षा दल के बीच, लगभग एक घण्टे तक गोली चलने के बाद 8 तस्कर आयात-निर्यात कर्त्ता मारे गये थे । कोई घायल नहीं हुआ था । निम्नलिखित वस्तुए पकड़ी गई:—

1. अफीम 10 किलोग्राम
2. देशी पिस्तोल—3
3. भाले—2
4. गंडासा—1
5. देशी बन्दूक—1
6. भरे-कारतूस—10
7. 303 नम्बर के कारतूसों के 9 खाली कारतूस ।
8. 12-बोर कारतूसों के 11 खाली कारतूस ।
9. हथ गोले—2

(ख) सभी सीमान्त क्षेत्रों में तस्करी-विरोधी अभियान को काफी व्यापक बना दिया गया है । तस्करी का मुकाबला करने के लिये सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनमें ये उपाय

शामिल है। सीमा-क्षेत्रों में व्यापक गश्त लगाना, सीमा-क्षेत्रों के समीप आने-जाने वाले वाहनों की जांच करना, गुप्त सूचना इकट्ठी करना तथा तस्करों के गढ़ों पर छापे मारना।

Confiscation of smuggled Japanese Film Reels at Bahriach

3057. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some smuggled Japanese film reels were recovered from a motor car at Bahriach;

(b) whether it is also a fact that these reels were being taken to Lucknow; and

(c) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). 1,000 reels of metallic yarn valued about Rs. 10,000/ were recovered on 16th September, 1969 from a jeep proceeding to Lucknow, but the seizure was not at Bahriach. The jeep was also seized. The case is under adjudication.

Names of Roads in Patna continuing After British Names

3058. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even after twenty two years of Independence, the names of the roads under Municipal Corporation of Patna are continuing after the British names;

(b) if so, the number and the names of such roads and lanes;

(c) whether the continuance of such names of roads and parks etc. is not against our national self-respect;

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in regard to changing of such names in Patna Town; and the time by which such change is likely to be effected; and

(e) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). The information is being collected from the state Government and will be laid on the Table of the Sabha,

नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष तथा अधिकारियों द्वारा कथित कदाचार

3059. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह-मन्त्रालय के विशेष पुलिस संस्थान ने नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष और 7 अन्य व्यक्तियों को कनाट प्लेस के एक छविगृह

(सिनेमा) के मालिकों में प्रति सिनेमा की नवीकरण योजना की मंजूरी देने में कथित पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाये जाने के लिये दोषी ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). यह स्पष्ट है कि यह प्लाज़ा सिनेमा के मालिकों के प्रति की गई किसी कथित अनुचित अनुकृपा के सम्बन्ध में है। इस बारे में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी तथापि दिल्ली प्रशासन के अधीन भ्रष्टाचार निरोध शाखा ने अनौपचारिक जांच की थी। रिपोर्ट में किसी प्रकार के कदाचार का उल्लेख नहीं हैं किन्तु कुछ भूल चूक के मामलों का उल्लेख है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इस प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद दिल्ली प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नगरपालिका के निर्णय सभी संगत तथ्यों को पूरी तरह ध्यान में रख कर किये गये हैं तथा नई दिल्ली नगरपालिका के सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध किसी प्रकार कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

Smuggling of Gold into India from Dubai in Persian Gulf

3060. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian citizens in Dubai in Persian Gulf smuggle 10 tola Gold bars through the sea; and

(b) if so, the steps taken to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) According to intelligence available some Indian citizens in Dubai are indulging in smuggling of gold either independently or in collaboration with local Arabs. Seizure of gold smmuggled from Dubai show that 10 tola bars are smuggled into India.

(b) The problem of smuggling into India has been engaging the attention of the Government. Intensified measures are being taken all over the country for preventing smuggling. Better vigilance is also being exercised in the coastal areas supported by better collection of intelligence, redeployment of staff etc.

एक भूतपूर्व संसद सदस्य की ओर मकान का बकाया किराया

3061. श्री बाबू राव पटेल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री ए० एम० तारिक, भूतपूर्व संसद सदस्य ने मकान के किराया की बकाया राशि के रूप में सरकार को 8000 रुपये देने हैं;

(ख) क्या श्री तारिक चलचित्र निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष हैं;

(ग) क्या यह सच है कि श्री तारिक से बकाया राशि वसूल करने के लिए कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) . श्री तारीक से देयों को वसूल करने के लिए कार्यवाही पहिले से ही आरम्भ कर दी गयी है ।

New Water Connection to Tenants by New Delhi Municipal Committee

3062. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that New Delhi Municipal Committee has stopped giving new water connections to the tenants;

(b) whether it is also a fact that New Delhi Municipal Committee has earlier agreed to give new water-connections to the tenants on production of 'No Objections' certificates from their landlords; and

(c) if so, the reasons for which giving of new water connections has been stopped ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) . The New Delhi Municipal Committee has informed that water connections are being given to tenants on production of a 'No Objection' certificate from the land-lord.

(c) Does not arise.

देहाती क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई के लिये भारतीय बिजली अधिनियम का संशोधन

3063. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के उद्योग मन्त्री की ओर से हाल में इस आशय का एक सुझाव मिला था कि भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 12 और 51 में परिवर्तन किया जाना चाहिये जिससे कि देहाती क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ नियन्त्रण के उपाय

3065. **श्री कृ. मा. कौशिक :**
श्री जे. मुहम्मद इमाम :
श्री रा. की. अमीन :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी नदियों, सहायक नदियों और नालों के बहाव पर नियंत्रण करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ख) इन प्रबंधों से बाढ़ को कहां तक रोका अथवा नियंत्रित किया जा सका है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . छोटी नदियों और चश्मों के सम्बन्ध में, जहां आवश्यक है, साधारण बाढ़ नियन्त्रण उपाय, जैसे तटबंधों का निर्माण और नदी नियंत्रण कार्य अपनाए गए हैं। वे आमतौर पर उन क्षेत्रों के लिए कारगर सिद्ध हुए हैं जिनके लिए उन्हें अपनाया गया है।

Economic Aid from United States of America

3066 **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Hukam Chand Kachawai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of economic aid in terms of rupees received from the United States of America since 1966-67;

(b) the number of vehicles received under the said economic and programmes; and

(c) the extent of economic aid expected to be received during the financial year 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Economic aid authorised by the United States of America from 1966-67 to 1968-69 comes to Rs. 1563,71 crores made up of Rs. 74.06 crores-project aid; Rs. 670·62 crores-Non-project aid; and Rs. 819.03 crores-P. L. 480 assistance.

(b) AID Loan No. 386-K-185 dated 29. 6. 1968 for $ 2.7 million (Rs. 2.03 crores) is to meet the dollar costs of producing 6193 vehicles in India for the Family Planning Programme. Out of U. S.-uses rupees in India, the U.S A. has agreed to grant upto Rs. 6 crores initially to support the efforts of the Government of India to provide 1540 vehicles during 1969-70.

(c) It is not possible to estimate what the extent of U. S. aid to India in 1969-70 will be. At the meeting of the Aid India Consortium held in Paris on May 22-23, 1969, the U.S. delegate had indicated that the U.S. Administration had proposed $ 385 million (Rs. 288.75 crores) for India in their Foreign Aid Bill but the actual allocation will depend on funds finally appropriated by the U. S. Congress. For 1969-70, the U.S.A. has so far agreed to extend loans totalling Rs. 39.75 crores besides assistance under P.L. 480 of Rs. 195.97 crores.

चौथी योजना में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना

3067. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कितने और आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का विचार है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा की और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) और (ख) . सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रशिक्षण की सुविधाएं

3068. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण उनमें रोजगार-पूर्व प्रशिक्षण सुविधाओं में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं । इस के विपरीत, 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने से, उद्योग की भौगोलिक, क्षेत्रीय और कार्य सम्बन्धी गतिविधियों की योजनाओं का विस्तार कर दिये जाने के कारण उच्च प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ गयी है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Working Conditions of Class IV staff of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.

3069. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that the attitude of the authorities in the Head quarters of Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., towards Class IV employees is very discriminatory;

(b) whether it is a fact that there are no rules for departmental promotion of these class IV employees;

(c) whether it is also a fact that old employees are asked to over work in order to get the work completed instead of recruiting new hands for Class IV posts rendered vacant; and

(d) if so, the reaction of Government in regard to the facts stated above ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No. The authorities at the Headquarters of the

Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. do not discriminate between employees of the company.

(b) The rules of promotion are under negotiation with the labour Unions of the three units. Meanwhile departmental personnel who fulfill the minimum qualifications and have the requistic experience are considered for higher posts.

(c) No.

(d) Does not arise.

Irregularities in Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited

3070. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of those officers in Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., whose scales of pay are over Rs. 400-950;

(b) whether it is a fact that goods had been stolen from the store of A.B. plant in October, 1969;

(c) if so, the loss suffered as a result thereof and the action taken in this regard; and

(d) whether it is also a fact that signatures on the cheque for Rs. 65,000 which had been encashed some time back and later on stated to be a forged one, were genuine ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Grant of Recognisation to Central Office Employees Union of I.D P.L.

3071. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union of the employees of the Central Office of the Indian Drugs and Pharmaceuticals has not so far been accorded recognition;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the Directors of the said Company refuse to abide by the orders and the guide-lines of the Central Government; and

(d) if so, reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Yes. A letter has been received from the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. employees Union (Regd.) signed by an employee for granting recognition to the Union. The question of recognising the union is under examination.

(c) No.

(d) Does not arise.

Grant of House rent allowance to Staff of I.D.P.L.

3072. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. have not yet started 25 percent House Rent Allowance according to the guidelines of the Central Government, while other Government Companies started paying long ago; if so the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that the said Company propose to give effect to the order of merger of a portion of Dearness Allowances with basic pay from October 1969 instead of December 1968; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the details of the past orders ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

देश में पेय जल की सुविधायें

3073. श्री श्रीचन्द गोयल : श्रीमती सुधा वी० रेड्डी : श्री यशपाल सिंह : श्री राम सेवक यादव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन भागों में पेय जल की सुविधा नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार पेय जल की व्यवस्था करने की परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वर्ष 1964-65 में विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास संस्थाओं द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से इस बात का पता चला था कि विभिन्न राज्यों में कुल 5258 सामुदायिक विकास खंडों में से 4072 सामुदायिक खंडों में, जिनके बारे में सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध है, के स्थित 94,049 बड़े गांवों और 49,349 सामान्य बास्तियों में, जिनकी जनसंख्या 2.80 करोड़ है, पीने के पानी का कोई भी साधन गांवों की सीमाओं के भीतर नहीं है। कुछ समय पूर्व सरसरी तौर पर लगाये गये एक अनुमान के अनुसार 2,690 शहरी कस्बों में से 675 कस्बों में नलों द्वारा पानी की सप्लाई की व्यवस्था थी।

(ख) यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी वार्षिक योजनाओं में आवश्यक धन की व्यवस्था करें और पीने के पानी की सप्लाई की योजनाओं की क्रियान्विति के लिये प्राथमिकताएं निर्धारित करें। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता किसी विशेष कार्यक्रम/योजना के सन्दर्भ के बिना योजना में सम्मिलित सभी योजनाओं के लिये सामूहिक ऋण अथवा सामूहिक अनुदान के रूप में दी जाती है।

Recruitment in D. D. T. Factorv New Delhi

3074. Shri Shri Chand Goyal :
Shri Sharda Nand :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the number of fresh employees recruited so far in the D. D. T. factory, Rohtak Road, New Delhi during 1968–68 and 1969–70 ;

(b) the number of those recruited through the Employment Exchange and those recruited direct ; and

(c) the reasons for not recruiting the persons through the Employment Exchandge ?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The number of fresh employees recruited in the D. D. T. Factory, Rohtak Road, New Delhi during 1968–69 and 1969–70 (so far) was 40 and 127,

(b) out of the numbers indicated in (a) above during 1968–69 and 1969–70 (so far) 73 and 7 employees respectively were recruited from amongst those sponsored by the Employment Exchange, The rest were direct recruits.

(c) Recruitment had to be resorted to from amongst direct applicants and from amongst those who had applied in response to advertisements made by the Company as during selections suitable persons from amongst those sponsored by the Employment Exchange were not available.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

3075. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयावन :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 28 सितम्बर, 1969 को नई दिल्ली में एक लाख रुपये की विदेशी मुद्रा पकड़ी थी ; जिसमें डालर और यात्री चैक भी थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि किसी गिरोह का पता लगा था जो इस प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय रुप के भाग ले रहा था ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(घ) जांच परिणाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) संभावत: इसका संकेत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में एक फर्म के स्थानों से 17 सितम्बर 1969 को यात्री चेक, करेन्सी नोट्स बैंक नोट्स आदि के रूप में पकड़ी गई विदेशी मुद्रा की ओर है जिसका कुल मूल्य लगभग 90,000/— रुपये हैं।

(ख) से (घ).. फर्म का एक भागीदार 17 सितम्बर 1969 को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर ही मामले के विस्तार के बारे में पता चल सकेगा।

राज्यों में गृह-निर्माण कार्यक्रमों के लिये जीवन बीमा निगम की धन राशि

3076. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयावन :

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1969-70 में राज्योंमें गृह-निर्माण कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाने वाली 14 करोड़ रुपये सहायता में से 6 राज्यों को 5 करोड़ 30 लाख रुपये नियत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को कितना धन नियत किया गया है ;

(ग) शेष राशि राज्यों को किस प्रकार नियत की जायेगी ; और

(घ) क्या धन के नियतन के सम्बन्ध में कुछ राज्यों ने आपत्ति की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2288/69]**

(घ) जी हां। राज्यों के द्वारा जीवन बीमा निगम निधियों की मांग जीवन बीमा निगम द्वारा व्यवस्था की गई राशि से कहीं अधिक है। अतएव राज्यों की मांग को पूरा करना संभव नहीं हो सका है।

विवरण

भारत के जीवन बीमा निगम ने सरकार को 1969-70 वर्ष के लिये उसकी अनुमोदित सामाजिक आवास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 14.00 करोड़ रुपये की राशिकी व्यवस्था की है। राशि को विभिन्न राज्यों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिये निम्न प्रकार से वितरित किया है :—

राज्य का नाम	नियत की गई राशि (लाख रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश	120.00
2. बिहार	60.00
3. गुजरात	60.00
4. हरियाणा	50.00

राज्य का नाम		नियत की गई राशि (लाख रुपयों में)
5.	जम्मू और कश्मीर	40.00
6.	केरल	65.00
7.	मध्य प्रदेश	55.00
8.	महाराष्ट्र	60.00
9.	मैसूर	120.00
10.	उड़ीसा	100.00
11.	पंजाब	८0.00
12.	राजस्थान	80.00
13.	तामिल नाडु	150.00
14.	उत्तर प्रदेश	100.00
15.	पश्चिम बंगाल	100.00
	दिल्ली विकास प्राधिकरण	100.00

2. असम सरकार के लिये 20.00 लाख रुपये निर्धारित किये हुये हैं। शेश 40.00 लाख रुपये महाराष्ट्र सरकार के लिये अतिरिक्त सहायता के रूप में अस्थाई तौर पर आरक्षित किये गये हैं।

आवास तथा नगरीय विकास के हेतु राज्यों की वर्ष 1970–71 की योजनाओं के लिये धन का नियतन

3077. श्री चेंगलराया नायडू : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयाबन : श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों की 1970–71 की वार्षिक योजनाओं में आवास तथा नगरीय विकास के लिये अधिक धनराशि नियत करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा राज्यों के 1970–71 के कार्यक्रमों के लिये तैयार की गई निदेशों के लिये किन बातों का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) किन किन राज्यों ने इन सुझावों को कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) 1970–71 के लिए आवास तथा नगर विकास क्षेत्र मे राज्य सरकारों को अपनी वार्षिक आयोजना बनाने के लिए योजना आयोग ने जो निर्देश (गाइड लाइन्स) भेजे हैं वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) अभी तक किसी भी राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राज्य सरकारों को 1970–71 की अपनी वार्षिक आयोजना के लिए योजना आयोग के द्वारा भेजे गये निर्देश (गाइड लाइन्स)

(1) राज्य सरकारें प्रदेश (सैक्टर) के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य का वार्षिक आयोजना में आवास तथा नगर विकास के लिए निधियों की पर्याप्त व्यवस्था करें।

(2) प्रभावशील बनाने के उद्देश्य से, आवास तथा नगर विकास कार्यकलापों को आयोजना तथा क्रियान्वितीकरण के दोनों स्तरों पर समन्वय किया जाये। इसके लिए मिश्रित तथा स्वत : पूर्ण परियोजनायें बनाने की आवश्यकता है जो कि समवर्गी प्रदेशों (सैक्टरों) से तथा कुछ मामलों में स्थानीय साधनों से पूंजी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की पूंजी में सामान्यत: निम्नांकित आ जायेंगे :—

(i) राज्य आयोजना में आवास तथा नगर विकास के लिए निधियों की व्यवस्था (आयोजना साधन)।

(ii) समवर्गी क्षेत्रों (सैक्टर्स), जैसे नगर–पानी सप्लाई, औद्योगिक क्षेत्र, सड़कें, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में व्यवस्था की गई आयोजना का भाग (आयोजना साधन)।

(iii) सम्भावित आवास बोर्डो तथा स्थानीय अधिकारियों के द्वारा ऋणों तथा ऋण पत्रों के माध्यम से साधन जुटाना (स्थानीय साधन)।

(iv) स्थानीय अधिकारियों के द्वारा अपने सामान्य साधनों से अंशदान (स्थानीय साधन)।

(3) स्वीकृत किन्तु अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाये।

(4) समस्या की गुरुता तथा साधनों की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को बनाने में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाये। अधिक विस्तृत क्षेत्रों में प्रयत्न करने से कम लाभ होगा इसके स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रयत्न केन्द्रित किये जायें। जैसे महानगरों तथा अन्य बड़े नगरों में जहां पर आवासीया कमी का अत्यन्त अनुभव होता है। इन क्षेत्रों में आवासीय तथा नगर विकास की योजनाओं को इस प्रकार से बनाया जाये कि वे स्वयं अपनी आर्थिक सहायता करलें।

(5) गंदी बस्ती सुधार व्यावहारिक है, अतएव इसे गंदी बस्ती हटाने से प्राथमिकता दी जाये।

(6) जिन नगरों के लिए मास्टर प्लान बन चुके हैं उन सभी नगरों के लिए विकास आयोजनायें बनाई जायें। इन नगर विकास आयोजया को वार्षिक विकास आयोजना में धीरे धीरे (चरणों में) मिला दिया जाये।

(7) महानगरों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाये तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए एकीकृत विकास योजनायें बनाई जायें। इस प्रकार की आयोजना में आवास, पानी की सप्लाई, सड़कें तथा परिवहन योजनायें, शामिल की जायें, इसमें स्वास्थ्य तथा शिक्षा के भवनों की व्यवस्था शामिल है। इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि सभी साधन उचित प्रकार से काम में ले लिये गये हैं। तथा संतुलित हैं और एक भली भांति समायोजित विकास हो जायेगा।

कष्टसाध्य क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों को मासिक भत्ता

3078. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयाबन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अलाभकर और कष्टसाध्य क्षेत्रों में नियुक्त किये गये डाक्टरों को 15 रुपये मासिक भत्ता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव से डाक्टरों को किस हद तक प्रोत्साहन मिला है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस पर डाक्टरों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार उन डाक्टरों को, जो दूर के दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिये तैयार हैं कुछ और सुविधायें देना चाहती हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (घ) . 1 दिसम्बर 1969 को लोक सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 327 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) . फिलहाल ये प्रश्न नहीं उठते।

लोह अयस्क की खानो सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करना

3079. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयाबन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के दक्षिण–पूर्वी भारतीय खनिज संसाधन बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि लोह अयस्क की खानों के बारे में नये सिरे से आंकड़े एकत्रित किये जाये जिन में यह भी पता लगाया जाये कि उन में लौह आयस्क कितना है ;

(ख) क्या 1 सितम्बर, 1969 को कोभर लोहा में बोर्ड की बैठक हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

पेंट्रोलिया तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क), (ख) और (ग) . सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्व जर्मनी से कांच के बने स्त्री तथा पुरुष

3080. श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व जर्मनी भारत को कांच के बने स्त्री और पुरुष भेजने को सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) . जर्मन लोक गणतन्त्र ने भारत को ड्रेसडेन हाइजीन म्युजियम की एक प्रदर्शनी भेजने का प्रस्ताव किया था जिसमें कांच के बने मानव (स्त्री–पुरुष) सम्मिलित थे। किन्तु इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया।

जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा का कार्य में वृद्धि

3081. श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968–69 में जीवन बीमा निगम द्वारा 85 करोड़ रुपये का अधिक बीमा किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिये प्रयत्न तेज किये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रा० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . जी हां। जो बीमा–कार्य किया गया है उसके पूरे ब्यौरे 31–3–69 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लेखों में दिये गये हैं जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सुपर फास्फेट के उत्पादन को स्थगित करना

3082. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने सुपर–फास्फेट का उत्पादन 1968 में स्थगित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1967 में डायामोनिया फास्फेट का बड़ी मात्रा में आयात होने के कारण, यह यूनिट इस उर्वरक को बाजार में नहीं बेच सका है;

(घ) यदि हां, तो उक्त वर्ष में इस रूप में फास्फेट के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और इसको आयात किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि सुपर–फास्फेट के रूप में एक अंश स्वदेश में उपलब्ध था; और

(ङ) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में सुपर–फास्फेट तैयार करने वाला संयन्त्र अब पूरी स्थापित क्षमता से कार्य कर रहा है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और यह अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना कब आरंभ कर देगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) जी, हां। जस्ते के उत्पादन में सल्फ्यूरिक एसिड या सुपरफास्फेट एक अपरिहार्य उपोत्पाद है। मांग में कमी तथा संग्रह क्षमता तक संचय हो गये सुपरफास्फेट के स्टाक के कारण से उत्पादन 26 जुलाई, 1968 से 15 सितम्बर, 1968 तक अस्थायी रूप से निलम्बित किया गया था। क्षेत्र में सल्फ्यूरिक एसिड की मांग की कमी के कारण से इस की बिक्री के रूप में इस पदार्थ की वैकल्पिक निकासी भी संभव न थी।

(ग) जी, हां। सुपरफास्फेट की बिक्री में आने वाली कठिनाई के मुख्य कारणों में से एक कारण आयातित डाई–अमोनियम फास्फेट, जो उर्वरक किसानों में अधिक लोकप्रिय है, के बहुत अधिक स्टाक थे।

(घ) 1967–68 वर्ष के दौरान डाई–अमोनियम फास्फेट के आयात पर व्यय की गई राशि 38.25 करोड़ रुपये थी। डाई–आमोनियम फास्फेट एक संश्लिष्ट उर्वरक है और नाइट्रोजन एवं फास्फेट, दोनों से युक्त है तथा भारत में अनेक फसलों के लिये अत्यधिक उपयुक्त है। देश में नाइट्रोजनी एवं फास्फेटी उर्वरकों की अनुमानित मांग तथा इनके अनुमानित स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर की पूर्ति करने के लिये इसे आयात किया गया था।

(ङ) प्रद्रावक इस समय अपनी निर्धारित क्षमता के 70 प्रतिशत पर चल रहा है, क्योंकि उर्वरकों के लिये मन्दी के समय के दौरान सुपरफास्फेट के निपटान में अभी भी कठिनाइयां आती हैं और इसके साथ ही हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को इस समय सं केन्द्र की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रद्रावक को इसकी निर्धारित क्षमता पर चलाने के लिये अपेक्षित जस्ता संकेन्द्रकों में से खानें इस समय इसकी लगभग आधी मात्रा का उत्पादन करती हैं। प्रद्रावक के परिचालन को यथाशीघ्र उच्चतर क्षमता पर पुनरारंभ करने के लिये प्रभावी प्रयास जारी है।

पपीते के बीज से गर्भ–निरोधक औषधि

3083. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जंगली पपीते के बीजों से खाई जाने वाली एक सस्ती और प्रभावी गर्भ-निरोधक औषधि का आविष्कार किया है; और

(ख) यदि हां, तो यदि इस औषधि का परीक्षण किया गया है, तो इसके परिणाम कहां तक सफल पाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिन्डीकेट बैंक द्वारा किसानों को ऋण

3084. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्डीकेट बैंक ने, जो 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक है, इस वर्ष अप्रेल में दिल्ली के निकट डेरा नामक गांव में एक प्रयोगात्मक शाखा खोली थी और उसने किसानों को केवल व्यक्तिगत जमानत पर बड़े पैमाने पर ऋण दिये है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रयोग सफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऐसी और अधिक कितनी ग्रामीण शाखाएं खोली गयी हैं और इस वर्ष प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी ग्रामीण शाखाएं खोलने का विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सिण्डीकेट बैंक ने दिल्ली के निकट डेरा नामक गांव में प्रयोगात्मक आधार पर एक शाखा खोलने के लिये रिजर्व बैंक से अभी तक कोई लाइसेंस नहीं मांगा है। परन्तु, इस बैंक की छत्तरपुर और फतेहपुर बैरी-स्थित शाखाओं ने जो डेरा गांव के समीप हैं, डेरा गांव के किसानों को प्रायः, लेने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जमानत के अलावा एक और व्यक्ति की गारण्टी पर अग्रिम दिये हैं।

(ख) चूंकि यह योजना अप्रेल, 1969 में शुरू की गयी थी और उसे चलते हुए थोड़ा समय ही हुआ है, इसलिये अभी इस की सफलता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

फिर भी, जो सूचना मिली है, उससे पता चलता है कि किसानों के प्रतिक्रिया उत्साहजनक है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2289/69]**

प्रगति शील फार्म कर नीति

3085. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रगतिशील फार्म कर नीति के सम्बन्ध में पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : चूंकि संविधान के अनुसार, कृषि कराधान राज्यों का विषय है इसलिए वित्त आयोग के सुझावों पर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में विचार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह समय-समय पर राज्य सरकारों को यह परामर्श देती रहती है कि वे अपनी आयोजनाओं के लिए कृषि तथा अन्य क्षेत्रों से पर्याप्त साधन जुटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

सार्वजनिक भविष्य निधि के ब्याज की दर में वृद्धि

3086. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिक अंशदाताओं को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के ब्याज की दर बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो योजना के प्रति बहुत कम उत्साह दिखाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ब्याज की दर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है और 1969–70 के लिए वह निर्धारित की जा चुकी है। ब्याज की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जान पड़ता है कि समाचारपत्रों के जरिये तथा राष्ट्रीय बचत संगठन के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा इस योजना का प्रचार किये जाने पर भी, सामान्य जनता इस योजना के लाभों को पूरी तरह से समझ नहीं पायी है। इसलिए सिनेमा स्लाइड दिखाकर और आकाशवाणी के वाणिज्यिक प्रसारणों द्वारा इस योजना का प्रचार ज्यादा जोरदार कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लोगों से खाते खुलवाने के लिए प्रचार करने के लिए पहली नवम्बर, 1969 से प्राधिकृत अभिकर्ताओं की एक योजना भी शुरू कर दी गयी है।

फारस की खाड़ी से अरब को एक जहाज द्वारा लाये गये सोने का पकड़ा जाना

3087. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अक्टूबर, 1969 को केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क विभाग के निरोध डिवीजन ने विदेशी चिन्ह वाला लगभग 31,000 तोला सोना, जिसका मूल्य 63 लाख रुपये था, पकड़ा था;

(ख) क्या यह सोना फारस की खाड़ी से अरब के एक जहाज द्वारा लाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग). जी, हां।

बम्बई केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क, के निवारक प्रभाग के अधिकारियों को 3 अक्टूबर को रात के लगभग 9 बजे एक कार संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़ी तथा उसका तेजी से पीछा किये जाने तथा दो बार फायर किये जाने के बाद उसे रोक लिया गया। तलाशी लेने पर

उसमें से 16 हैंड बैग बरामद किये गये, जिनमें विदेशी निशान के सोने से भरे 31 जैकेट थे। भारतीय बाजार मूल्य पर लगभग 62 लाख रुपये मूल्य का तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर लगभग 30.52 लाख रुपये मूल्य का विदेशी निशान का 31,000 तोला (3,61, 574 ग्राम) सोना पकड़ा गया। जिस कार पर इस मामले में ग्रस्त होने का सन्देह था, और जो लगभग 16000 रु० मूल्य की है, उसे भी पकड़ लिया गया है। इस सोने के बारे में संदेह है कि वह फारस की खाड़ी से लाया गया था। आगे जांच पड़ताल जारी है।

उत्तर बम्बई में एम्बेस्डर कार से तस्करी के सोने का पकड़ा जाना

3088. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार निरोध विभाग ने 21 सितम्बर, 1969 को उत्तर बम्बई में एक तीव्र गति से जाती हुई एम्बैस्डर कार को रोक कर उससे 12 लाख रुपये के मूल्य का तस्करी का सोना पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले दो महीनों से उस राज्य में तस्कर व्यापार बढ़ता जा रहा है; और

(घ) पिछले दो महीनों में कुल कितने छापे मारे गये तथा उस राज्य में कितनी वस्तुएं पकड़ी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). भ्रष्टाचार-विरोधी व्यूरो, बम्बई के कर्मचारियों ने 20/21 सितम्बर, 1969 की रात को बान्दरा की ओर से आ रही एक अम्बैस्डर कार में से सोना पकड़ा। सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर लगभग 5.90 लाख रुपये है और भारत में बाजार भाव पर 12 लाख रुपये है। कार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) तस्कर व्यापार के स्वरूप को देखते हुए, यह कहना कठिन है कि पिछले दो महीनों में महाराष्ट्र राज्य में तस्कर आयात-निर्यात बढ़ा है अथवा नहीं।

(घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इकठ्टी होते ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री के विदेशों के दौरे

3089. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अक्टूबर, 1969 के महीने में रूस तथा कुछ अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन स्थानों की यात्रा की थी; और

(ग) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था तथा उनकी यात्रा कहां तक सफल रही ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र के महा-सचिव के निमंत्रण पर मैंने बाढ़ से होने वाली क्षति से बचने के उपाय और प्रबन्ध के विषय में सितम्बर-अक्टूबर, 1969 के दौरान तिलीसि (रूस) में हुए संयुक्त राष्ट्र के अन्त-क्षेत्रीय सेमिनार में भाषण दिया। रूस में मेरे 10 दिन के दौरे के दौरान मैंने आसपास की सिंचाई और बिजली परियोजनाओं, ताप और पन-बिजली परियोजनाओं के अधिकल्प संस्थानों, माइखैलोवका के उप-केन्द्र और डोनेस्क के निकट वृहत् बिजली घर का भी निरीक्षण किया। मैंने सम्बन्धित रूसी मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श भी किया था। विश्व के विभिन्न देशों में बाढ़ों से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुभवों के जानने में सेमिनार लाभप्रद सिद्ध हुआ। रूस की सोजन्यता और आतिथ्य-सरकार ने मुझे इस योग्य बना दिया कि विद्युत क्षेत्र में हाल की कुछ उत्कृष्ट उपलब्धियों को देख सकूं और इस प्रकार से मुझे रूस में हुए सिंचाई विकास पर विचार विमर्श करने का अवसर भी मिल गया।

सरकारी कर्मचारियों को पारी के बाहर आवास का आवंटन

3090. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को पारी के बाहर आवंटन के आधार पर सरकारी आवास का आवंटन करने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो उन आधारों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण पारी-के-बाहर आवंटन किया जाता है;

(ग) क्या इसमें गैर-सरकारी भू-स्वामी द्वारा किरायेदार (सरकारी कर्मचारी) को दिया गया बेदखली का नोटिस भी शामिल है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार पारी-के-बाहर आवंटन के लिये इस आधार को भी शामिल करती है और इन कर्मचारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) बगैर बारी के आवंटन प्रायः निम्नांकित आधारों पर किये जाते हैं :—

(i) सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के कारण;

(ii) सेवा निवृत होते हुए/मृत्यु को प्राप्त सरकारी कर्मचारी के पुत्र, पुत्री, तथा पत्नी अथवा पति को बशर्ते कि वे सामान्यपूल वास के आवंटन के पात्र कार्यालय में कार्य कर रहे हों तथा सरकारी कर्मचारी के सेवा निवृत होने/मृत्यु को प्राप्त होने की तारीख से कम से कम छः माह से उनके साथ रह रहे हों;

(iii) प्रधान मंत्री सचिवालय में कार्य कर रहे महत्वपूर्ण कर्मचारियों तथा मंत्रियों/उपमंत्रियों, राज्य सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सीमित आधार पर;

(iv) सामान्य पूल के लिए पात्र कार्यालयों को स्थानान्तरित होने पर उन अधिकारियों को जिनके पास किसी अन्य पूल के वास का दखल है;

(v) लोक सभा। राज्य सभा के अध्यक्षों की सिफारिश पर राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को उन महत्वपूर्ण कर्मचारियों को जिन्हें देर रात तक कार्य करना होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). सरकारी कर्मचारी के लिए जिसे गैर सरकारी मकान मालिक ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है, बगैर बारी के आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल रिहायशी वास के आवंटन के लिए नियमों तथा प्रक्रिया में सरलीकरण, तर्कसंगतता तथा सुवाहिता पर सुझाव देने के लिए सरकार ने 1960 में एक समिति की स्थापना की थी तथा समिति ने किरायेदारी अथवा उप-किरायेदारी के अप्रत्याशित रूप से समाप्त होने के मामले में बगैर बारी के आवंटन की सिफारिश नहीं की थी। इसे ध्यान में रखते हुए कि सरकारी कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या इस समय बगैर सरकारी वास के है तथा उन्हें स्वयं अपना प्रबन्ध करना होता है। उपर्युक्त मामलों में बगैर बारी के आबंटन देना समस्त कर्मचारियों के वर्ग के प्रति उचित तथा तर्कसंगत नहीं होगा।

Ministers relations accompanying them Abroad

3091. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1200 on the 28th July, 1969 and state :

(a) the names of the Ministers who took along with them any relation of their's abroad on Government expense during the last three years;

(b) the names of the relations and the amount spent by Government over them;

(c) the reasons for spending the said amount on those persons by Government; and

(d) the rules framed by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Presumably the Hon'ble Member has in mind the few occasions on which some members of the families of the Prime Minister and the former Deputy Prime Minister, Shri Morarji Desai, accompanied the Prime Minister or Shri Desai on their tours. In none of these cases did the concerned members of their respective families travel at Government expense.

(b) to (d). Donot arise;

आसाम तेल शोधन एवं पेट्रो-रसायन उद्योग में पोलिस्टर फाइबर का उत्पादन

3092. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित तेल शोधन एवं पैट्रो–रसायन उद्योग समूह में पोलिस्टर फाइबर तैयार करने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता तथा लागत क्या होगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . सरकार ने चौथी योजना के दौरान आसाम में शोधन क्षमता में एक मिलियन मीटरी टन से कुछ अधिक का विस्तार करने तथा बढ़ी हुई शोधन क्षमता से उपलब्ध होने वाले कच्चे माल पर आधारित एक समैकित डी एम टी/पोलिस्टर फाइबर कैमिकल समूह स्थापित करने का निर्णय किया है। लागत का अनुमान लगाया जा रहा है।

Use of Regional Languages for transating work in State Bank

3093. Shri Mo:hu Prashad : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the State Bank of India observed while addressing a function organised by the Bhopal Chamber of Commerce that a decision would soon be taken for carrying on the banking work in regional languages and that the scheme to publish the entire literature in regional languages connected with banking work would also be implemented soon;

(b) if so, the progress so far made in this regard;

(c) whether the suggestion for liberalising the rules governing the grant of loans was rejected in the said function; and

(d) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Chairman, State Bank of India explained at a meeting the Bannk's policy of progressively introducing regional languages for conducting all banking transactions at the State Bank of India's branehes in rural areas and publishing publicity material in regional languages for the use of customers.

(b) The Bank has already finalised a scheme to conduct all banking transactions in regional languages in the rural areas at the option of the customer. For this purpose necessary forms/documents, etc. are being printed in the regional languages. It is expected that the scheme will be started soon at some rural branches on an experimental basis and thereafter extended to other branches progressively.

(c) The Chairman has not rejected any suggestion for liberalising rules governing loans but he explained the necessity for obtaining information about the working of the unit before granting a loan.

(d) Does not arise.

बम्बई की कुछ फर्मों पर आयकर की बकाया राशि

3094. श्री देवेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966–67, 1967–68 और 1968–69 की समाप्ति पर बम्बई की निम्नलिखित फर्मों अथवा फर्म समूहों पर आयकर की कितनी राशि बकाया है :—

1. किला चंद (तुलसीदास) ग्रुप आफ बम्बई (कम्पनीवार)
2. सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं०, बम्बई
3. नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०
4. इंडियन डाइस्टाफ इंडस्ट्रीज लि०
5. अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी कं० लि० ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

Payment of Income-tax by big industrial houses

3095. Shri Deven Sen : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the capital of the twenty big industrial houses of the country separately since 1966-67 year-wise;

(b) the amount paid by each industrial houses separately towards income-tax;

(c) the arrears of Income-tax in case of each Company of the said industrial houses to be recovered so far and the period for which the amount is outstanding; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to recover the income-tax arrears completly ?

Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi): (a) to (d). According to the report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee there are 20 larger industrial houses in India. The hon'ble Member is perbaps referring to these industrial houses. According to the Committee's report these industrial houses are comprised of over 1100 companies. The collection of the requisite information regarding all these companies will involve considerable time and labour. If the Hon'ble Member desires information about any specific companies, the same will be furnished.

भारतीय रुपये के अवमूल्यन से लाभ

3097. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'न्यूजवीक' के इस अनुमान को ध्यान में रखते हुए कि खुले बाजार में एक डालर के बदले 9.15 पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं, जबकि उसकी सरकारी दर 4.76 रुपये है और एक डालर के लिये 10.75 भारतीय रुपये प्राप्त होते हैं जबकि उसकी सरकारी दर 7.5 रुपये हैं, हमें अवमूल्यन से क्या लाभ हुआ है;

(ख) चूंकि पाकिस्तान का आयात हमारे मूल्य से लगभग आधा है, इसलिए हमारे मुकाबले में औद्योगिक विनियोजन तथा निर्यात के मामले में, पाकिस्तान को क्या लाभ प्राप्त होता है;

(ग) पाकिस्तान और श्रीलंका के रुपये के मूल्य स्तर के बराबर अपने रुपये का मूल्य करने से क्या हानि होगी, जिनके साथ हमारा व्यापार प्रतियोगी है;

(घ) यदि हानि केवल सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क में ही होगी, तो क्या यह व्यापार की मात्रा में वृद्धि होने से पूरी नहीं हो जाएगी और पटसन के माल के निर्यात के लिए भारतीय और पाकिस्तानी मूल्यों का ब्यौरा क्या है और यदि पाकिस्तान अपने रुपये का अवमूल्यन करता है, तो हमारे निर्यात पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विनिमय की अनधिकृत दर के अनुसार किये जाने वाले लेन देनों से विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन होता है और ये लेनदेन बिलकुल इक्का दुक्का तथा बहुत कम होते हैं। इसलिये अवमूल्यन से होने वाले लाभ को आंकने में इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। अवमूल्यन का लाभ यह है कि इससे आयात की जाने वाली वस्तुओं को अधिक मंहगा होने और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सस्ता हो जाने से देश के शोधन-शेष को अपेक्षाकृत अधिक सन्तुलित किया जा सकता है।

(ख) इस बात से, कि रुपयों के रूप में पाकिस्तानी आयात की लागत भारतीय आयात की लागत से लगभग 50 प्रतिशत कम है, यह जरूरी नहीं कि निर्यात के मामले में पकिस्तान की प्रतियोगिता करने की स्थिति वेहतर हो जाती हो। इस संबंध में कई अन्य बातों पर भी विचार करना पड़ता है।

(ग) और (घ). पुनर्मूल्यन के लाभ और हानियों का निरूपण काल्पिनिक रूप में नहीं किया जा सकता; यह जरूरी है कि हमारे देश की सारी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही इन पर विचार किया जाय और इनका विश्लेषण किया जाय। पाकिस्तानी रुपये के किसी भी सम्भावित अवमूल्यन की जूट के हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर होगा कि अवमूल्यन किस हद तक किया जाता है। यदि यह उपयुक्त सीमा तक होगा तो इससे मौजूदा स्थिति पर कोई अधिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं की जा सकती क्योंकि पाकिस्तान की निर्यात बोनस बाउचर योजना के अन्तर्गत, जूट की बनी वस्तुओं के निर्यात पर, वस्तुओं की किस्म के अनुसार 30 से 40 प्रतिशत तक बोनस दिया जाता है।

Income-tax due from Belapur Sugar Company Ltd. Bombay

3099. Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of arrears of income-tax is outstanding against the Belapur Sugar Company Ltd., Bombay;

(b) if so, the total amount thereof at present; and

(c) The action proposed to be taken by Government to realize it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : Total (a) and (b). Total amount of tax outstanding against Belapur Sugar Company Ltd., Bombay at present is Rs. 2,17,588.

(c) The Demand has been kept in abeyance till disposal of appeal by the Applellate Assistant Commissioner of Income-tax.

Income-tax due from Good-Year India, Ltd. Calcutta

3100. Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of income-tax arrears is outstanding against the Good-year India, Ltd. Calcutta;

(b) if so, the total amount of arrears at present; and

(c) the action proposed to be taken by Government to realize the arrears ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Total amount of arrears outstanding against Good-Year India Ltd., Calcutta at present is Rs. 2,33,000.

(c) The entire tax is disputed. The recovery has been stayed till disposal of appeal preferred by the assessee.

Income-tax due from National India Traders Pvt. Ltd., Bombay

3101. Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of arrears of income-tax is outstanding against the National India Traders Private Ltd., Bombay, at present; and

(b) if so, the total amount thereof and the action proposed to be taken by Government to realise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) . Total arrears outstanding against Notional India Traders Private Ltd. Bombay at present are Rs. 4633/- only. The assessee has been allowed to make payments of Rs. 2000/- per month by the Additional Collector.

Income-Tax due from India Carbide Ltd. Bombay

3102. Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of arrears of Income-tax is outstanding against the India Carbide Ltd., Bombay at present; and

(b) if so, the amount thereof and the action proposed to be taken by Government to realise the arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No company by the name of India Carbide Ltd. is assessed to income-tax in Bombay. There does not appear to be any company registered under the Companies Act and at work in India by the name of India Carbide Ltd. as per the records available in the Department of Company Affairs.

(b) Does not arise.

Income Tax arrears of Kohinoor Mills Ltd., Bombay

3103. Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of **Finanee** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of Income-tax is outstanding against the Kohinoor Mills Ltd,, Bombay and against the members of its Board of Directors; and

(b) if so the amount thereof and the steps proposed to be taken by Government to realise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The required information is no readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House as larly as possible.

दिल्ली के लिए पानी की सप्लाई

3104. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री 21 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनायें आरम्भ की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :—

1. वजीराबाद में 4 करोड़ गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाला दूसरा जलशोधन संयंत्र मुख्य नलों की लागत सहित अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपये।
2. यमुना नदी से भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए दो रानी कुएं; प्रति कुएं की क्षमता 30 लाख गैलन—अनुमानित लागत 50 लाख रुपये।
3. राम गंगा परियोजना से मिलने वाले कच्चे पानी को शुद्ध करने के लिए 10 करोड़ गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाला जल शोधन संयंत्र—अनुमानित लागत 6 करोड़ 37 लाख रुपये।

Central Study Team Report on Floods in Rajasthan

3105. **Shri Meetha Lal Meena :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Central Study Team toured Rajasthan in the month of September, 1969 in connection with floods;

(b) if so, the findings of the Study Team and the action taken thereon;

(c) whether it is a fact that the said Team visited District Swai Madhopur contrary to their programme;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether the Study Team have submitted any report in regard District Swai Madhopur; and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central team has recommended a ceiling of expenditure of Rs. 2.93 crores on various flood relief measures during the current financial year. This ceiling has been accepted by the Government of India for purpose of Central assistance.

(c) and (d) . The Central term did not visit Swai Madhopur district as it was not included in the team's tour programme drawn up by the State Government.

(e) The report of the Central team does not indicate separately the requirement of funds for various relief measures in Swai Madhopur district. The requirements for this district were, however, taken into account by the team in making its recommendations.

Financial Assistance to Rajasthan for Drinking Water Schemes

*3106. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the rural drinking water schemes of Rajasthan being taken over by Central Government in 1969-70;

(b) the amount to be given to Rajasthan for this purpose in 1969-70;

(c) the action Government purpose to take for providing drinking water to vilagers at each village in Rajasthan; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a), (b), (c) and (d) . Since the implementation of water supply schemes is the responsibility of the State Government, the question of taking over of rural drinking water schemes of Rajasthan by the Central Government does not arise. Further, during the period of the Fourth Plan (from 1969-70 onwards) there will be no schematic assistance and the States will get block loans and block grants for all State Plan Schemes without reference to any particular programme/scheme. It is also for the State Government to determine the priorities and outlays for such schemes and to execute them.

एम० बी० बी० एस० परीक्षा पास करने के बाद देहाती क्षेत्रों में सेवा करने को तैयार छात्रों के लिए मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण

3107. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह सुझाव कि उन छात्रों के लिये जो एम० बी० बी० एस० की परीक्षा पास करने के बाद देहाती क्षेत्रों में सेवा करने को तैयार हैं मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या पेचीदगियां हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। विधि विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी है कि देहाती क्षेत्रों में सेवा करने के लिये सहमत होने वाले छात्रों के लिए चिकित्सा कालेजों में सीटों के कुछ प्रतिशत का आरक्षण करना असंवैधानिक नहीं होगा।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of Government accommodation To C. G. H. S. Scheme Employees

3108. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the period of service to the credit of those employees of C. G. H. S. Scheme, who have been allotted Government quarters;

(b) whether his attention has been drawn to certain cases where employees having less service to their credit have been allotted Government quarters prior to those having longer period of service to their credit; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a), (b) and (c). The employees of the C. G. H. S. Scheme like other employees eligible for 'general pool' accomodation are allotted Government quarters strictly in accordance with the date of priority under the Allotment Rules. No separate statictics are maintained department-wise for the 'general pool' accommodation. However, a small quota of quarters are placed at the disposal of the Director General, Health Services for allotment to essential staff working in C. G. H. S. dispensaries. The criteria followed in making these allotments is the administrative requirements of the C. G. H. S. and the needs of public service.

Opening of a T. B. Hospital in Delhi

3109. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of T. B. patients in Delhi has increased to such an extent that even those patients, who are fit cases for admission to Hospitals, are not being admitted; and

(b) whether Government have under consideration any scheme to open another T. B. Hospital in Delhi with a view to removing the shortage of beds in the present T. B. Hospitals of Delhi.

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir. The total number of new T. B. cases diagnosed during the past three years were as under :--

1966	-	18948
1967	-	19872
1968	-	20370
1-1-69 to 30-9-69	-	14192

The slight increase in the number of diagnosed cases may not be attributed to the increase in the incidence of the disease, but to the intensive services being provided

to unearth the hidden cases and is also proportional to the annual increase in the population.

All the T. B. cases registered through various T. B. Clinics are considered for admission every month and only sputum positive cases with toxemea are admitted in the T. B. Hospital. Besides this, emergency cases and cases needing surgery, are also admitted to these beds.

(b) There is no proposal to open another T. B. Hospital in Delhi. The Municipal Corporation of Delhi has, however, a plan to increase the present bed strength (1528) for T. B. Patients in the various Hospitals of Delhi by 102 beds which will be attached to the existing T. B. Clinics ?

Funds for Irrigation Facilities

3110. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the percentage of the amount of 7,000 crores of rupees likely to be contributed each by the nationalised Banks, Life Insurance Corporation World Bank and the Central Government for providing irrigation facilities to additional 560 lakh hectares of land in a profitable manner; and

(b) the time by which this amount is likely to be made available by the said agencies ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prashad) : (a) and (b). Irrigation projects form part of the State Plans.

The outlay in the Fourth Plan in the States Sector has been fixed at Rs. 6066 crores. Whlie fixing this outlay, the resources likely to be available from loans from foreign countries and international agencies, L. I. C., Central and State resources, etc., have been taken into account by the Planning Commission.

The Fourth Plan envisages an outlay of Rs. 857 crores on major and medium Irrigation Projects, Rs. 475.7 crores in the public sector for minor irrigation programmes and Rs. 650 crores from institutional sector for minor irrigation, and yearwise outlays are incorporated in the Annual Plans framed by the Planning Commission.

Nationalisation of the Major banks will not by itself add to the resources which are available for financing irrigation facilities.

Utilisation of Rock Phosphate Available in Rajasthan

3111. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the progress so far made in the consumption and utilisation of 30 percent P205 Rock Phosphate available in Rajasthan for making fertilizers ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : Phosphate rock of quality varying from 29 to 39% P205 has been found in 'D' Block of the Jhamar Kotra area in Rajasthan. The Department of Mines and Geology of the Govt. of Rajasthan have, upto 20-10-69, mined 45,579 tonnes of phosphate rock. Out of this, 24,235 tonnes have been sold to various phosphate manufacturing units of the country. Among the main buyers have been Hindustan Zinc Ltd., Debari, Fertilzer Corporation of India Ltd., Trombay and D. C. M., Delhi.

Setting up of Fertilizer Factories in Private Sector during 4th Plan

3112. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the reasons for setting up most of the fertilizer factories in the private sector during the Fourth Plan Period ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : It is not correct to say that most of the fertilizer factories are being set up in the private sector during the Fourth Plan period Licences have been issued to two private sector projects, which have yet to start construction. Basides, there are seven cases in which letters of Intent have been issued. As regards the public sector, there are four projects under construction and eight new proposals at various stages of consideration.

Survey of long Term Projects for making available Ganga water through lift-canals

3113. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress made so far regarding the survey of the long-term project for making available the Ganga water in large quantity to the famine hit areas of the country through lift-canals;

(b) whether his Ministry are aware of the fact that large quantity of power would be generated at a very low cost by the fast breeder Reactor based on the atomic energy by 1980; and

(c) if so, whether Government are keeping that fact in view while implementing the said project so that requisite power for the said lift-canal could be generated by the said Reactor ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Preparatory studies for working out details of the extensive surveys required are in progress.

(b) and (c). A pro-type fast breeder reactor is under construction at Kalpakkam in Tamil Nadu. After its operation it would be possible to assess its economics in supplying power at low cost and to take a decision on the feasibility of constructing other fast breeder reactors for generating low-cost power to meet the requirements.

खेतरी में प्रोडक्शन शैफ्ट लगाने के काम को रोकना

3114. **श्री जनार्दनन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेतरी में उतनी गहराई में जहां कि भारी मशीनों का अयस्क की खुदाई के लिए लगाया जाना था, एक बड़ी भूतकालीन त्रुटि के कारण हाल ही में प्रोडक्शन शैफ्ट लगाने का कार्य रोक दिया गया था;

(ख) क्या भारतीय खान विभाग द्वारा 1958 में सतह में स्पष्टतः महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में इस त्रुटि का पता लगाया गया था;

(ग) क्या त्रुटिपूर्ण क्षेत्र के ठीक ऊपर शैफ्ट लगाने के विरुद्ध भारतीय खान विभाग ने अमरीकी सलाहकारों को चेतावनी दे दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). त्रुटिपूर्ण प्रदेश की विद्यमानता के सम्बन्ध में भारतीय खान व्यूरो को मालूम था और यह प्रायोजना के अमरीकी परामर्शदाताओं के ध्यान में भी लाई गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रिन्टर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध आरोप

3115. **श्री वि० कु० मोडक** : **श्री भगवान दास** :
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री गणेश घोष** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रिन्टर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, हालैण्ड स्वीडन तथा अन्य देशों की कई विदेशी फर्मों के एजेन्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो (एक) इस फर्म द्वारा किस–किस किस्म के व्यापार किये जाते हैं (दो) इस फर्म के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन कौन व्यक्ति हैं और (तीन) प्रिन्टर्स के उस (प्राइवेट) लिमिटेड के जिन अन्य विदेशी फर्मों से व्यापारिक सम्बन्ध हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस फर्म के विरुद्ध ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वह बीजकों में कम दाम, अधिक दाम दिखाती है और कर-अपवंचन भी करती है ;

(घ) यदि हां, तो आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई हैं, तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह सच है कि प्रिन्टर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली अनेक विदेशी फर्मों के एजेन्ट हैं।

(ख) (1) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दि प्रिन्टर्स हाउस (प्रा०) लिमिटेड मुद्रण मशीनों और सम्बद्ध उपकरण के आयात के लिये इन्डेण्टिंग एजेन्ट हैं। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वे मुद्रण प्रेस के निर्माण तथा निर्यात के कार्य में भी लगे हुए हैं।

(2) कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम ये हैं :

(I) श्री जे० एन० साहनी (II) श्री के० डी० कोहली :
(III) श्री आर० एन० साहनी (IV) श्री एम० एम० कोहली

(3) विदेशी फर्मों के साथ इस कम्पनी के लेन–देन के बारे में इस समय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, इसलिए जिन विदेशी फर्मों के साथ कम्पनी के व्यापार सम्बन्ध हैं; उनके नाम तथा अन्य ब्योरे प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) तथा (घ). विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम, सीमा–शुल्क अधिनियम तथा आयकर अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में इस कंपनी के खिलाफ कुछ आरोप सरकार को प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिक महत्वपूर्ण आरोपों का सम्बन्ध निम्नलिखित से है :

(I) विदेशी मुद्रा में अप्राधिकृत लेन-देन तथा विदेशों में बड़ी मात्रा में धन जमा करना;

(II) विदेशों में धन इकट्ठा करने के लिये आयात के (माल का) बीजकों में अधिक मूल्य दिखाना।

(III) कुछ कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन में से स्रोत पर कर नहीं काटना और उसे राजकोष में जमा नहीं कराना।

(ङ) प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा अप्रेल, में कम्पनी के व्यापारिक स्थानों तथा अन्य सम्बद्ध स्थानों की तलाश के बाद, जांच पड़ताल चल रही है, जिसके पूरा हो जाने पर कानून में व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

संसद सदस्यों को भूखंडों का आवंटन

3116. श्री जे० के० चौधरी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद् सदस्यों को आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित भूखण्डों के स्थान और मूल्य के बारे में निर्णय कर लिया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन भू-खण्डो का आवन्टन कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रिगों के लिए 'बिटों' के न मिलने के कारण खोज कार्य में रुकावट

3117. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'बिटो' के आयात के लिये विदेशी मुद्रा न दिये जाने के कारण 'बिटों के उपलब्ध न होने से कई रिंग बेकार पड़े हैं जिस कारण खोज कार्य में भारी रुकावट पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिगों की संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान हालत क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी तेल कम्पनियों के एजेंटों द्वारा पदार्थों में कथित मिलावट

3118. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1969 के पेट्रियाट में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विदेशी तेल कम्पनियों के एजेंटों द्वारा पदार्थों में अत्यधिक मिलावट की जा रही हैं जिससे बहुधा तोल कम हो जाती है और तोल तथा माप अधिनियम का उल्लंघन हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम द्वारा ऋणों पर लाभ

3119. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम की विधियों का प्रयोग आवर्ती (रोटेरिंग) ऋणों के रूप में किया जाना अभिप्रेत है और यदि उन्हें अंश पूंजी में बदला गया तो वे अवरुद्ध हो जायेंगे; और

(ख) क्या यह भी सच है कि ऋणों के मामले में ब्याज की दर के रूप में लाभ का आश्वासन दिया जाता है और उन्हें अंश पूंजी में बदलने पर लाभ कम्पनी के लाभ तथा हानि पर निर्भर रहता है और निम्नतम लाभ का आश्वासन नहीं दिया जा सकता ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की उन सिफारिशों से है जिनमें उसने सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दिये गये ऋणों को सहायता प्राप्त कम्पनियों की सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित करने की बात कही है ।

इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, अपने-अपने चार्टरों के अनुसार कम्पनियों को, न केवल ऋणों के रूप में बल्कि ऋण पत्रों समेत सहायता की रकम को शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के अधिकार सहित या उसके बिना, उनके शेयर खरीद कर या उनके शेयरों की बिक्री का जिम्मा लेकर लम्बी अवधि के लिये वित्तीय सहायता देते हैं। वित्तीय संस्थाएं, कम्पनियों के लिए सावधिक ऋण मंजूर करते समय, ऋण का शर्त के एक अंग के रूप में, सहायता-प्राप्त कम्पनियों को इस बात के लिए सहमत कर सकती हैं कि ऋण देने से पहले तय की गयी शर्तों के अनुसार, कम्पनियों को दिये गये ऋणों को उनकी सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है । यदि किसी कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश, परस्पर स्वीकृत शर्तों के आधार पर कम्पनी

द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज की दर से अधिक हो, तो जाहिर है कि वित्तीय संस्थाएं, इस तरह के परिवर्तन के लिए इच्छुक होंगी और उन्हें अपनी निवेशित पूंजी पर अधिक लाभ होगा। ऐसे मामलों में, संस्थाओं को ऋणों की शेयर पूंजी में परिवर्तित किये जाने के बाद ऋणों पर मिलने वाले वार्षिक ब्याज की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के परिवर्तित शेयरों के मूल्य में वृद्धि होने पर, ये संस्थाएं इस तरह के लाभ की भागीदार होंगी और वे, इन शेयरों में से कुछ शेयर ऊंची दरों पर बाजार में बेच कर अधिक मुनाफा कमा सकेंगी। अत: इन ऋणों को विवेकपूर्ण ढंग से शेयर पूंजी में परिवर्तित किये जाने पर यह जरुरी नहीं है कि संस्थाओं के हित के प्रतिकूल, उनकी निवेशितपूंजी अवरुद्ध हो जाये।

ऋणों को सामान्य शेयरों में बदलने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

(ख) नि:सन्देह वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार का परिवर्तन केवल तभी करेंगी जब उनके लिए ऐसा करना लाभप्रद हो।

राजस्थान नहर परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

3120. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाने की वांछनीयता के नये अनुमान लगाने हेतु राजस्थान को उनके मंत्रालय का एक अध्ययन दल भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि के बारे में विचार कर लिया है तथा प्रयोगार्थ मदों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इटली के सहयोग से कोयला आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना

3121. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयला आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये सरकार ने इटली की एक फर्म से करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या यह विदेशी फर्म तीन कोयला आधारित उर्वरक कारखानों के लिए आवश्यक नक्शे देगी और इन योजनाओं के निष्पादन की देख रेख भी करेगी और भारतीय उर्वरक निगम इसमें किस प्रकार सहयोग देगा?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। सरकार ने इटली की फर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया लेकिन भारतीय उर्वरक निगम ने, जिसके इटली की एक फर्म के साथ अमोनिया संश्लिष्ट और यूरिया सन्यन्त्रों के लिए पहले से ही करार है, उन करारों में कोयला आधारित सन्यन्त्रों को भी शामिल किया है।

(ख) और (ग). करारों में निम्न व्यवस्था है:

(1) लाइसेंस की मंजूरी

(2) तकनीकी जानकारी की सप्लाई

(3) डिजाइन कार्य के लिए भारतीय उर्वरक निगम के इन्जीनियरों का उचित संख्या में शामिल किये जाना; और

(4) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा तैयार किये गये इन्जीनियरिंग डिजाइन, ड्राइगंज और तकनीकी वित्त शर्टों की जांच पड़ताल करना।

Income- tax arrears outstanding against Film actors.

3122 **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of Income-tax arrears outstanding against Shri Kishore Kumar film Producer and Actor of Bombay;

(b) the amount of income in respect of which return was not submitted and whether he was sentenced by the court of Bombay;

(c) whether there were similar other complaints against Sarvashri Ashok Kumar, Dalip Kumar and other also; and

(d) if so, the decision proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi): (a) Total taxes due from Shri Kishore Kumar as on 31-10-1968 amounted to Rs. 12,54,217/-. The latest position of taxes due from him is not available at present.

(b) Shri Kishore Kumar concealed an income of Rs. 1,74,000/- for the assessment year 1960-61 and Rs. 1,60 000/- for the assessment year 1961-62. He has been sentenced to two months' simple imprisonment for concealing the income for the assessment year 1961-62. The case for the other year is at present pending before the court.

(c) Prosecutions for tax evasion have been launched against the following other film stars :

1. Dilip Kumar.
2. Asha Parekh.
3. T. S. Baliah.

No complaint against Ashok Kumsr has been filed.

(d) T. S. Baliah has been convicted and the decision in respect of the complaints against Dilip Kumar and Asha Parekh now rests with the courts where the cases are pending.

Training in Chartered Accountancy, cost Accountancy and Advanced Accountancy

3123. **Shri Ram Avatar Sharma :** Will the Minister of Finance be pleased to state whether it is a fact that his Ministry has made arrangements for training in Chartered Accountancy, Cost Accountancy Diploma Courses and other courses of advanced Accountancy and Statistics ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : The Ministry of Finance had made arrangements for training in Cost Accountancy Diploma Course, for which examinations are conducted by the Institute of Cost & Works Accountants, India, Calcutta. The Cost Accountants Training School was started in 1962, in Calcutta by the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) to give coaching and training in Cost Accountancy. The School was closed on 31st July, 1968.

The Minister of Finance have no arrangements for training in Chartered Accountancy and other courses of advanced accountancy and statistics.

Uniform Pay Scales of Doctors and Vaids

3124. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Shrma :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay scales of Doctors, Vaids and Homoeopathic Doctors are not identical;

(b) if, so, the details in this regard;

(c) whether it is also a fact that the dactors belonging to all systems of medicines treat their patients through their respective systems; and

(d) if so, the reasons for not giving identical scales for identical job ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B S. Murthy) : (a) and (b) . Under the Central Government, Ayurvedic and Homoeopathic doctors are paid salary in the scale of Rs. 325-800 plus non-practising allowance @25% of pay subject to a minimum of Rs. 150/- and a maximum of Rs. 400/- per mensum The Allopathic doctors who are in Grade II of the General Health Service are paid Rs. 350 003 with non-practising allowance at 33⅓% of pay subject to a minimum of Rs. 150/- per mensem.

(c) Yes.

(d) The Allopathic doctors belong to the Central Health Service and are recruited for service under the Central Government, Union Territories and some autonomous authorities. Their emoluments are determined keeping in view the nature of their duties and the totality of their service conditions.

राक फास्फेट में आत्म-निर्भरता

3125. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में राक फास्फेट में आत्म निर्भरता प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या इससे भारत को फास्फेटिक उर्वरकों की मांग पूरी हो जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थापित राक फास्फेट के भन्डार अभी खोज एवं अन्वेषी खनन स्थिति में हैं । राक फास्फेट धातु के पूर्वेक्षण अन्वेषण तथा शोधन अध्ययन के पूरा होने के बाद ही यह जाना जा सकता है कि क्या इस में आत्म निर्भरता प्राप्त हो सकती है और क्या यह धातु देश में फास्फेटिक उर्वरक उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है ।

नवदम्पतियों को परिवार नियोजन सामग्री का उपहार

3126. श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव दम्पतियों को उपहार के रूप में परिवार नियोजन सामग्री देने की नयी योजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है; और

(ग) दम्पतियों तथा उनके विवाह की तारीखों का पता लगाने और उन्हें उपहार देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

तमिल नाडू तेल शोधक कारखाने की क्षमता

3127. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में अभी हाल ही में स्थापित तमिलनाडू तेल शोधक कारखाने की कुल क्षमता क्या है;

(ख) इस तेल शोधक कारखाने पर कुल कितनी लागत लगी है; और

(ग) इस के लिये अशोधित तेल कहां से उपलब्ध होता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 2.5 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष ।

(ख) लगभग 44.34 करोड़ रुपये।

(ग) कच्चा तेल ईरान के डेरियस क्षेत्र से।

नगरीय सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के बाद गृह निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता

3128. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय सम्पत्ति पर प्रस्तावित सीमा निर्धारित कर देने के बाद अल्प तथा मध्य आय वाले लोगों के लिये मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) इस भूमि का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस स्तर पर भूमि की उपलब्धता तथा निम्न आय वर्ग आवास के लिये निर्धारित सीमा का बताना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

3129. श्री हेमराज : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है, जिसमें 15 नवम्बर, 1969 को (सबसे हाल की वह तारीख जिसके बारे में सूचना उपलब्ध है) समाप्त हुए सप्ताह में और एक वर्ष पहले के इसी सप्ताह (16 नवम्बर, 1968 को समाप्त हुये सप्ताह) में 40 वस्तुओं/समूहों के मूल्यों के सूचक-अंक और वर्ष में हुई प्रतिशत घटबढ़ की जानकारी दी गयी है। इन 40 वस्तुओं में से, 15 वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, 22 वस्तुओं की कीमतों में कमी हुई और 13 वस्तुओं की कीमतें स्थिर रही। इस अवधि में सभी वस्तुओं के थोक-मूल्यों के सूचक अंक (आधार वर्ष 1961-62=100) में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2290-69]**

(ग) सरकार मूल्यों सम्बन्धी स्थिति पर लगातार नजर रखती है और समय समय पर उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए, उपचारात्मक उपाय करती है। इनमें राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी उपाय मूल्य नियन्त्रण और अत्यावश्यक वस्तुओं के सरकारी वितरण की व्यवस्था

को बनाये रखना शामिल है । इस सम्बन्ध में, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में, आयोजना में शामिल विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया जा सकता है । इसके अलावा, अन्न, सोयाबीन के तेल आदि के आयात की व्यवस्था करके देश के अन्दर वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न भी किया जाता है । इसके अतिरिक्त, सरकार असैनिक पूर्ति संगठन के माध्यम से अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर लगातार नजर रखती है और उसने राज्य सरकारों और संघीय राज्य-क्षेत्रों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आवश्यक शक्तियां भी दे रखी हैं ।

उत्तरी क्षेत्र ग्रिड का निर्माण

3130. श्री हेमराज : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र ग्रिड पूरा कर लिया गया है और क्या इसने कार्य करना आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत शक्ति तथा बिजली बारम्बार बन्द हो जाती है, और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और संघीय प्रदेश की बिजली प्रणालियों को आपस में मिला दिया गया है । इन अन्तः सम्पर्कों के दृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त पोषण पथों के निर्माण का काम चल रहा है । क्योंकि कांगड़ा उपकेन्द्र व्यस्ततम भार को जो कि पिछले दो वर्षों के दौरान बढ़ गया है, पूरा करने में असमर्थ है, इसलिये कांगड़ा उपकेन्द्र से बिजली ले रहे हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बिजली भार क्षेत्रवार, विकीर्ण कर दिया गया है । पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वे यथा शीघ्र इस उप केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करें ।

औद्योगिक उपक्रमों को सप्लाई किया गया घटिया किस्म का कोयला

3131. श्री सीताराम केसरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों को सप्लाई किये गये घटिया किस्म के कोयले के कारण उनके उत्पादन पर काफी सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या किसी सरकारी उपक्रम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो देश में अच्छी किस्म के कोयले के उत्पादन तथा उसकी विभिन्न उद्योगों को सप्लाई के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क), (ख) और (ग) . इस समय में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

अन्धों को त्वचा से दृष्टि लाभ

3133. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में इस आशय के समाचारों (6 नवम्बर, 1969 के हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड का कलकत्ता संस्करण) की ओर आकर्षित किया गया है कि अमरीका में सैन फ्रांसिस्को स्थित इन्स्टीट्यूट आफ विज़ुअल सांइसेज में वैज्ञानिकों ने एक स्पर्शीय दृष्टि प्रतिस्थापन प्रणाली (टैक्टाइल विजन सब्स्टीट्यूशन सिस्टम) निकाली है, जिसके प्रयोग से अन्धे व्यक्ति अपनी त्वचा से देख सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली के बारे में कोई पूछताछ की गई और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक पूछताछ की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आयुर्वेदिक वैद्य तथा यूनानी हकीम

3134. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विचाराधीन एक योजना है जिसके अन्तर्गत भारत में विद्यमान प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उनसे सम्बन्ध उपकेन्द्र में एक आयुर्वेदिक तथा यूनानी यूनिट भी होगा। जिसमें एक कविराज (वैद्य) अथवा एक हकीम और एक कम्पाउन्डर भी होगा और इन केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां भी उपलब्ध होंगी;

(ख) यदि हां, तो योजना का पूरा ब्योरा क्या है और इसको कब तक अन्तिम रूप देने तथा कार्यान्वित करने की सम्भावना है;

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) भाग (क) में निर्दिष्ट योजना के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए कितने अर्हता प्राप्त वैद्य तथा हकीम उपलब्ध हैं; और

(ङ) योजना पर कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) 4 और 5 नवम्बर, 1969 को भोपाल में हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने निश्चय किया कि :

(1) (क) राज्य सरकारें उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों वाले क्षेत्रों में जहां वर्तमान चिकित्सा सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं, आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की जाय।

(ख) राज्य सरकारें उप-केन्द्र स्तर पर जहां तक सम्भव हो, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति/होम्योपैथी के अर्हता प्राप्त चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाया जाये

राज्य सरकारों से उपर्युक्त संकल्प कार्यान्वित करने का अनुरोध किया जायेगा।

(ग) 31 मार्च, 1969 को देश में 4,919 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 22,826 उप-केन्द्र थे।

(घ) विभिन्न राज्यों में संस्थानों से अर्हता प्राप्त 39,343 आयुर्वेदिक और 6,013 यूनानी चिकित्सक हैं।

(ङ) राज्य केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद के संकल्प को किस ढंग से कार्यान्वित करते हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बंगाल में गंगा द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए उपाय

3135. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गंगा नदी द्वारा भद्राकाली, हुगली में विशेषतया शिव-तला श्मशान जहां गत 20 वर्षों में भूमि के निरन्तर कटाव के कारण कम से कम 400 फुट लम्बे और 550 फुट चौडे क्षेत्र का कटाव हो गया है, तथा शिवतला स्ट्रीट में एक भवन और तीन पुल भी गंगा में विलीन हो गये हैं, की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भूमि के और अधिक कटाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार भद्राकाली में हुगली नदी द्वारा किए गए कटाव पर उनका ध्यान दिलाया गया है। भद्राकाली बहुउद्देशीय स्कूल, शिवतला वर्नानिंग घाट और थाना उत्तरपारा (हुगली) के कोटरांग में काली मन्दिर के सामने हुगली के दक्षिण तट की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक स्कीम तैयार की है। राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की तकनीकी समिति ने स्कीम की जांच की है और स्कीम की, इस बोर्ड के अनुमोदन के लिए, सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 को गंगा नदी के तटों के कटाव से खतरा

3136. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे में मानसी स्टेशन के निकट अपने किनारों के कटाव के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है जिसके कारण राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 और इस के समानातर चलने वाली रेलवे लाईन तथा आसाम के लिये रेल और सड़क सम्पर्क को खतरा है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मानसी में मुख्य रेलवे लाइन जो असम और नेशनल हाईवे नं० 31 को मिलाती है, 1962 से कटाव के खतरे में रही है। विशेष तकनीकी समिति के विस्तृत विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप मानसी में सुरक्षात्मक उपाय अपनाए गए हैं। इनमें 41 लाख रुपये की लागत पर 12 ठोकरों का निर्माण किया गया। तब से उनके अनुरक्षण पर 34 लाख रुपये की और राशि व्यय की गई है। जैसा कि ऊपर बताया गया है इस वर्ष कुछ ठोकरों ने भारी आघात का सामना किया है। 1969 की बाढ़ों में नेशनल हाईवे नं० 31 और रेलवे तथा उनके पीछे के क्षेत्र की रक्षा करने वाली ठोकरों ने रेलवे अधिकारियों के निरंतर ध्यान के कारण बिना किसी अधिक क्षति के बाढ़ों का मुकाबला किया, परन्तु कुछ ठोकरों के बीच गम्भीर रूप से अविरदन हुआ। 15 सितम्बर, 1969 को स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् मैंने सुझाव दिया कि मानसी क्षेत्र की सुरक्षा के लिये तात्कालिक प्रतिकरात्मक उपायों का अनुसन्धान किया जाए। इन्जीनियरों की एक विशेषज्ञ समिति ने 25-11-69 को स्थल का निरीक्षण किया और उन अतिरिक्त उपायों के बारे में विचार विमर्श किया जो नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन को खतरे में डालने वाली नदी की गतिविधि को रोकने के लिए अपनाए जाने थे। मानसी में नदी के वर्तमान मार्ग को बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त उपाय अपनाए जाने हैं, उनके बारे में शीघ्र ही विचार विमर्श किया जाएगा।

Reptriation of Savings of Indians in Pakistan

3137. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that thousands of Indians who came from Pakistan left behind their savings in Pakistan and now they can get back their savings only with the permission of the Reserve Bank of Pakistan; and

(b) if so, the steps taken so far in this regard and the results thereof and the details of the scheme to provide relief to these Indians without any delay ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). It is presumed that the Hon'ble Member has in mind the savings left behind in Pakistan in bank accounts by Indians at the time of partition. The transfer of such accounts is governed by Indo Pakistan Banking Agreement concluded in April 1949. In terms of this Agreement, transfer of individual accounts left bihind in the mass evacuation areas, *viz* Former East Punjab, East Panjab States in India and West Punjab and Bahawalpur State in Pakistan were effected enbloc between the two countries. The Agreement also provides that individual accounts in other areas would be exchanged on a matching basis. It has, however, not been possible to implement this part of the Agreement despite a number of discussions between the official teams of the two countries.

नेनमल पंजाजी शाह द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

3138. श्री बाबूराव पटेल :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स नेशनल चम्पा लाल एण्ड कम्पनी के नैनमल पंजाजी शाह के बारे में अब तक विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के जिन मामलों का पता चला है, उनमें विदेशी मुद्रा की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ख). गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं, उन्हें जमानत की कितनी राशि पर रिहा किया गया है तथा उनके विरुद्ध कानून की किन धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र. चं. सेठी) : (क) पकड़े गये दस्तावेजों की अब तक की गयी छानबीन से प्रथम दृष्ट्या 10 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देनों का पता चला है जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों का उल्लंघन ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त, लगभग 18 करोड़ रुपये की चांदी के अवैध निर्यात का पता लगा है। यह भी विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन का मामला होगा। आगे जांच पड़ताल जारी है।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम, जमानत की रकमें, जिन पर उनको छोड़ा गया है तथा कानून की वे धाराएं बतायी गयी हैं, जिनके अन्तर्गत उन पर आरोप लगाने का प्रस्ताव है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2291/69]**

Loans given to various firms by State Financial Institutions

3139. Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1131 on the 28th July, 1969 and state :

(a) the names of all the industrial and trading establishments belonging to Birla, Tata, Goenka, Kirloskar, Sahu Jain and J. K. Singhania groups of firms ;

(b) the total amount of loans and other type of aid granted to each of them, so far by the Life Insurance Corporation, Unit Trust of India, Industrial Credit and Investment Corporation, National Industrial Development Corporation, Industrial Finance Corporation and Industrial Development Bank and by other sources of Central Government and the terms and conditions thereof ; and

(c) the position regarding the recovery of the loans and interest thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P.C. Sethi) :(a) The names of the concerns comprised in the Large Industril Groups/House referred to in the question, are given Group/House wise in the statements attached. These are as per Appendix II to the report of the Indusirial Licensing Policy Inquiry Committee laid on the Table of the House on 21.7.1969 **[Placed in the Library. See L. T. No. 2292/69]**

(b) and (c). The total amount of loans and other types of assistance sanctioned and disbursed Group/House-wise to the concerns comprised in the six industrial Groups/Houses by the Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India and Unit Trust of India and with the terms and conditions thereof

are given in the Annexures I to III indicating therein the peiiod for which the information is furnished.

The institutions concerned have advised that all the concerns which have been granted loans have been regular in repayment of the principal in instalments and in payment of interest.

Information from the Industrial Fianance Corporation of India, National Industrial Development Corporation and the Industrial Credit and Investment Corporation of India and the Ministries of the Central Government will be laid on the Table of the House when it is received. **[Placed in the Library. See No. L. T. 2292/69]**

समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर कर लगाना

3140. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवें वित्त आयोग ने देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए राजस्व के एक आंतरिक साधन जुटाने के लिए यह सुझाव दिया है कि समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर कर लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है या इसकी व्यावहारिकता और इसकी दरों आदि की दृष्टि से इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) इस साधन से कर के रूप में कितनी आय होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . पांचवे वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 869 में उल्लिखित करों और शुल्कों से राजस्व प्राप्त करने की गुंजाइश से सम्बद्ध अपने विचारणीय विषयों के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है कि अखबारों में निकलने वाले विज्ञापनों पर कर लगाये जाने की गुंजाइश है और यह सुझाव दिया है कि भारत सरकार यह कर लगाने, इसकी दरों तथा इससे दी जाने वाली छूट आदि बातों पर भली भांति विचार करे। आयोग के सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

मैसूर में कराधान के अनिर्णीत मामले

3141. श्री एन0 शिवप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के किन लोगों और कम्पनियों की ओर करों की बड़ी भारी राशि (आय कर सम्पदा शुल्क, धन कर उपहार कर तथा व्यय कर से सम्बन्धित राशि) बकाया है ;

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों और कम्पनियों में से प्रत्येक की ओर करों की कितनी-कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) उक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . जिन व्यक्तियों अथवा कम्पनियों की ओर कर की बकाया रकम 10 लाख रुपये से अधिक है उनके सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2293/69]** ।

गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त किया गया धन

3148. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री राम चरण :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं ने गत तीन वर्षों में पृथक-पृथक किन-किन देशों से धन प्राप्त किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2294/69**]

उत्तर प्रदेश की ग्राम्य जल सम्भरण योजना

3143. **श्री राम चरण :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य जल सम्भरण के लिए कितनी धन राशि की मांग की है ; और

(ख) इस प्रायोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने अनुदान के रूप में कितनी धन-राशि की मंजूरी दी है और चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य जल सम्भरण योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों तथा छोटे कस्बों को जल सप्लाई किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामों में नलों द्वारा जल पूर्ति की योजनाओं के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 11 करोड़ 70 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था।

(ख) चूंकि प्लान योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है इसलिए प्राथमिकता निश्चित करना तथा धन का नियतन करना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता किसी योजना/कार्यक्रम विशेष का उल्लेख किये बिना समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है।

मैसूर और आन्ध्र प्रदेशों में दिये गये खनन पट्टे

3144. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **पैट्रोलिय तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और आंध्र प्रदेश में आज तक कितने खनन पट्टे दिये गये ;

(ख) इन राज्यों में किन-किन पार्टियों को किस-किस तारीख से कितने-कितने क्षेत्र के लिये खनन पट्टे दिये गये ; और

(ग) इन राज्यों में विभिन्न खनिज पदार्थों का कितना-कितना भन्डार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क), (ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता

3145. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अखिल भारतीय तेल व्यापारी संघ द्वारा भारतीय तेल निगम से ऋण सुविधाएं देने की मांग

3146. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तेल व्यापारी संघ ने भारतीय तेल निगम के पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिये उससे ऋण सुविधायें देने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आयुर्वेदिक औषधालय

3147. श्री सी० के० चक्रपाणि : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में कितने आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक उपचार की सुविधायें बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना राज्यों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री कान्तिलाल देसाई द्वारा कर अपवंचन

3149. श्री यशपाल सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कम्पनियों द्वारा जिन के साथ श्री कान्ति देसाई का सम्बन्ध था अथवा है, किये गये कर अपवंचन के मामलों के बारे में जांच करने के लिए सरकार एक आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, आयकर विभाग के अधिकारी कानून में दी गई व्यवस्था के अनुसार कर अपवंचन के प्रश्न की आम तौर पर जांच पड़ताल करते हैं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

किसानों के लिए मकान

3150. श्री यशपाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि किसानों को धन देकर उन्हें अपने निजी मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). "ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम" नामक एक योजना पहले ही 1957 से चालू है। योजना का उद्देश्य उपलब्ध सीमित साधनों के अनुरूप, ग्रामीण क्षेत्रों के, कुछ चुने हुए गांवों में आवास की स्थिति और स्वास्थ्य सम्बन्धी वातावरण में उत्तरोत्तर सुधार लाना है। मोटे तौर पर, इसमें निम्न बातों की व्यवस्था है:—

(i) मकानों के निर्माण अथवा सुधार के लिए ग्रामीणों, जिनमें किसान शामिल हैं, तथा उनकी सहकारी समितियों को ऋण, जो लागत के 80 प्रतिशत तक, तथा अधिक से अधिक प्रति मकान 3,000 रुपये है, और जो 20 वर्ष की अवधि में फैलाई गई आसान किस्तों में देय है।

(ii) भूमिहीन खेतीहर मजदूर को मकानों के स्थानों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान।

(iii) वातावरण सम्बन्धी स्थिति में सुधार लाने के लिए, चुने हुए ग्रामों में गलियों और नालियों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान।

(iv) ग्रामीण और स्थानीय अधिकारियों को तकनीकी सहायता तथा मार्ग-दर्शन जिसमें इस उद्देश्य से स्थापित राज्य ग्रामीण आवास कक्षों के माध्यम से ले-आउट प्लानों, डिजाइन और विशिष्टियों की व्यवस्था शामिल है। (कक्ष के

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदानों द्वारा दिया जाता है)।

झुग्गी तथा झोंपड़ी योजना के व्यय का लेखा परीक्षण

3151. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी-झोंपड़ी योजना पर किए व्यय को सात वर्ष से लेखा परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लेखे को तैयार करने तथा व्यय पर नियंत्रण रखने से सम्बधित कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर आरम्भ से लेकर अब तक कितना धन खर्च किया गया है, निर्धारित लक्ष्यों के समक्ष इस योजना में कितनी प्रगति हुई है तथा इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) इस योजना में व्याप्त गड़बड़ी को देखते हुए क्या सरकार ने इस योजना के कार्यों की जांच के आदेश दिये हैं ताकि इस की कमियों को पूरा किया जा सके, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ; 28-2-1968 को समाप्त हुए सात वर्षों, जिसके दौरान दिल्ली नगर निगम के द्वारा योजना क्रियान्वित की गयी थी, के लेखे का लेखा परीक्षण नहीं हुआ था। लेखा परीक्षण के लिए दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया जा रहा है।

(ख) जी, हां ; इस अवधि के दौरान, दिल्ली नगर निगम योजना का इन्चार्ज था।

(ग) अभी तक लगभग 8.5 करोड़ (रुपये) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को संवितरित कर दिये गये हैं।

निम्नलिखित निर्माण कार्य तैयार हो चुके हैं।

(1)	2472	बहुमंजिले टेनमेन्ट।
(2)	80	वर्ग गज के 3740 प्लाट, तथा
(3)	40,702	कैम्पिंग साइट।
	46,914	

पुनर्वास के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं था। तथापि जून-जौलाई, 1960 में जबकि योजना बनाई जा रही थी, की गई विशेष जनगणना के बाद पुनर्वासित करने के लिए सार्वजनिक भूमि पर अनधिवास करने वाले परिवारों की संख्या अनुमानतः 50,000 थी।

(घ) योजना के विस्तृत पुनरीक्षण की व्यवस्था के लिए सरकार ने निर्णय किया है।

Assessment of Income Tax in Respect of Ashoka Cement Ltd.

3152. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2211 on the 5th August, 1969 and state :

(a) the amount of income-tax assessed on the directors of Ashoka Cement Limited established on 27th May, 1954 during the last two years ;

(b) the amount of income-tax realised from them during the aforesaid period ; and

(c) the amount of income-tax at present outstanding against them and the action proposed to be taken by Government to realise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a), (b) and (c) . The necessary information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible,

Income tax Outstanding against Directors of Albion Plywood Limited

3153. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2211 on the 5th August, 1969 and state :

(a) the amount of Income-tax assessed by Government in the past three years on the income of the Directors of Albion Plywood which was established on the 8th June, 1951 ;

(b) the amount of Income-tax paid by them to Government during this period ; and

(c) the amount of Income-tax outstanding against them at present and the action being taken by Government for its recovery ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a), (b) and (c) . The necessary information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

Income tax due from Directors of Bharat Nidhi Limited

3154. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2211 on the 5th August, 1969 and state :

(a) the amount of Income-tax assessed by Government during the last 3 years in respect of directors of Bharat Nidhi Limited (Sahu Jain Group of Industries) established on the 21st September, 1952 ;

(b) the amount of Income-tax paid by them during the above said period and the amount of Income-tax yet to be recovered from them ; and

(c) the action being taken by Government to recover the outstanding amount of Income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a), (b) and (c) . The required information is given in the Annexure. S/Shri Shital Prasad Jain

K. N. Mookerjee & B. P. Khaitan were Directors of Bharat Nidhi Limited as per the Balance Sheet drawn on 31.12.67. [**Placed in the Library. See L. T. No. 2295/69**)

काठमण्डू में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण एशिया सम्बन्धी क्षेत्रीय समिति की बैठक

3155. श्री वे० कृ० दास चौधरी : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1969 में काठमाण्डू में हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण एशिया सम्बन्धी क्षेत्रीय समिति में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ख) बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) बैठक में जिन पहलुओं पर चर्चा हुई तथा जो निर्णय लिये गये उनका ब्यौरा क्या है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) 29 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 1969 तक काठमाण्डू में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व एशिया संबंधी क्षेत्रीय समिति के 22वें अधिवेशन में सात सदस्य देशों, नामतः वर्मा, लंका, भारत, इण्डोनेशिया, मंगोलिया, नेपाल और थाइलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) डा० पी० के० दुरैस्वामी, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक	प्रतिनिधि
(2) श्री पी० एल० छाबड़ा, उप सचिव स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग)	स्थानापन्न
(3) श्री पी० एस० रामचन्द्रन, भारत के औषध नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय	सलाहकार

(ग) बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई : —

(i) स्वास्थ्य केन्द्रों के परा चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण

(ii) 1971 के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा बजट प्राक्कलन

(iii) औषधों एवं जीवों का गुण नियंत्रण ।

(iv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण

(v) दीर्घावधि आयोजना ।

(vi) मलेरिया उन्मूलन की विश्व व्यापी योजना

(vii) जनसंख्या परिवर्तन के स्वास्थ्य विषयक पहलू

(viii) पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं।

(ix) विकास परियोजनाओं के स्वास्थ्य विषयक पहलू।

(x) पैस्टिसाइडों का नियंत्रण।

(xi) संक्रामक रोगों का संन्निरीक्षण ; और

(xii) पर्यावरणिक स्वास्थ्य।

बैठक के कार्यवृत्तों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रमों/विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता की योजना तैयार करने के लिए सदस्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुरोध करने के संकल्प पारित किये गये।

जनसंख्या सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम के बारे में सम्मेलन

3156. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया नेशनल सेन्टर के सामाजिक विकास सम्बन्धी परिषद ने दिसम्बर, 1969 के महीने में जन संख्या सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमों के बारे में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन बुलाने का आयोजन किया है;

(ख) इस सम्मेलन में लगभग कितने प्रतिनिधि-मण्डलों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) सम्मेलन में किन विस्तृत पहलुओं पर चर्चा की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में लगभग 200 से 300 तक प्रति-निधिमण्डलों एवं प्रेक्षकों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा :—

(1) जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रम

(2) गैर-सरकारी संगठनों का योगदान

(3) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

(4) प्रोत्साहन एवं जनसंचार

(5) जनसंख्या सम्बन्धी नीति

यह बतलाया गया है कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश की गम्भीर जनसंख्या विस्फोट के सभी पहलुओं पर चर्चा करना और ऐसे उपायों के बारे में विचार करना होगा जिनमें राष्ट्रीय प्रयत्न को, विशेष रूप से गैर सरकारी क्षेत्र और सामूहिक प्रयास द्वारा समर्थन और मदद मिल सके।

गंगा नदी के किनारे से लगे हुए निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रहन सहन की दशा का अध्ययन

3157. श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने गंगा नदी के किनारे से लगे हुए निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रहन–सहन की दशा सुधारने के कुछ उपायों पर हाल में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि सम्बन्धित राज्यों में उनके क्षेत्रों के प्रारम्भिक जानकारी एकत्रित करने का अनुरोध किया गया है, जिससे इस समस्या का अनुमान लगाने में सुविधा हो सके।

जीवन बीमा निगम द्वारा मैसूर में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक परियोजनाओं को दी गई सहायता

3158. श्रीमती सुधा रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक परियोजनाओं को कितनी सहायता दी है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पूंजी के लिए मैसूर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रा० के० खाडिलकर) . (क), (ख) और (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बेरोजगार सुनारों द्वारा कथित आत्महत्या

3159. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्तूबर, 1969 को 'स्टेट्समैन' में 200 बेरोजगार सुनारों की आत्महत्या शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). संभवतः इसका संकेत 2 नवम्बर, 1969 के 'स्टेट्समैन' (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित उस समाचार से है जिसमें उस ज्ञापन का उल्लेख है जो कुछ स्वर्णकारों के स्थानों की तलाशी के सम्बन्ध में

29 अक्तूबर, 1969 को सीमा शुल्क अधिकारियों और कुछ लोगों के बीच हुए संघर्ष के बाद 1 नवम्बर, 1969 को बंगिया स्वर्ण शिल्पी समिति द्वारा राज्यपाल के सचिवालय को पेश किया गया बताया गया है।

सरकार के पास बंगिया स्वर्ण शिल्पी समिति द्वारा राज्यपाल के सचिवालय को किसी ज्ञापन के भेजे जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है अथवा न ही इस बारे में कोई सूचना है कि ऐसे ज्ञापन में, यदि कोई था, तो स्वर्ण नियंत्रण के लागू होने के बाद से 200 बेरोजगार स्वर्णकारों की आत्महत्या का उल्लेख है। विगत समय में विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर, जनवरी तथा अगस्त 1963 की अवधि में स्वर्णकारों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों की संख्या 17 थी। सितम्बर, 1963 में स्वर्ण नियंत्रण कानून में ही संशोधन करके स्वयं नियोजित स्वर्णकारों को 14 कैरट से अधिक शुद्धता के पुराने आभूषणों से समान शुद्धता के आभूषण तैयार करने की अनुमति दी गई। इसके बाद, स्वर्ण नियंत्रण लागू किये जाने के कारण किसी स्वर्णकार के विस्थापित होने का बेरोजगार हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। स्वर्णकारों के दैनिक कार्य को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में कुछ और रियायतें शामिल कर दी गई हैं।

जहां तक समाचार पत्र में छपी खबर में उल्लिखित संघर्ष की घटना का सवाल है, ब्योरा यह है कि 29 अक्तूबर, 1969 को पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अधिकारी अवैध सोना रखने की सम्बन्धित सूचना के अनुसरण में, तलाशी लेने संबधी दो अधिकार पत्रों के अधीन कलकत्ता के बड़ा बाजार क्षेत्र में कुछ स्वर्णकारों के स्थानों की तलाशी लेने गये। तलाशी लिए जाने वाले स्थान पर जो भीड़ जमा हो गई थी उसने इन अधिकारियों के कर्त्तव्य पालन में बाधा पहुंचाई और उन पर आक्रमण किया और अधिकारियों को चोटें आयीं। सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की गई, जिन्होंने एक मामला दर्ज कर लिया है और इस सम्बन्ध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।

कर में छूट की सीमा को बढ़ाना

3160. **श्री देवव्रत बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर सम्बन्धी भूतलिंगम प्रतिवेदन में आय-कर में 7500 रुपये प्रति वर्ष तक की राशि में छूट देने का सुझाव दिया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग). जी, हां। वित्त विधेयक, 1968 के समय तथा फिर, अप्रैल, 1969 में इस प्रश्न पर विचार किया गया था, परन्तु यह फैसला किया गया कि छूट की सीमा बढ़ाना वांछनीय नहीं होगा।

(घ) वर्तमान रु० 4,000 पर रखी गई छूट-सीमा, हमारे देश की प्रतिव्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय की लगभग सात गुना है। आय-कर देने वालों की कुल संख्या का हमारी जन-

संख्या के प्रति अनुपात मुश्किल से कोई ½ प्रतिशत है, और जैसा सुझाया गया है उस मुताबिक छूट-सीमा यदि बढ़ा दी जाती है तो यह अनुपात घटकर ¼ प्रतिशत रह जायेगा। सरकार का खयाल है कि आय-कर ऐसा व्यापक-आधार वाला कर होना चाहिये जो, अंततोगत्वा हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को लागू हो सके। निम्न आय के स्तरों पर लगने वाले कर की दर पहले ही थोड़ी है। सरकार के विकास कार्यक्रमों से उत्पन्न होने वाली आय का काफी महत्वपूर्ण भाग निम्न आय स्तरों में जाने लगा है, इसलिए वर्तमान छूट सीमा को बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा गया है।

आवास के लिये राज्यों को दी गई केन्द्रीय राशि का अन्य परियोजनाओं में प्रयोग

3161. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को आवास के लिये दी गई केन्द्रीय राशि का प्रयोग कुछ राज्यों ने अन्य परियोजनाओं पर किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस राशि को अन्य प्रयोजनों के लिये खर्च किया है; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान "आवास" को राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था जिसमें निधियों को विकास के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में ले जाना राज्य सरकारों के विवेक पर था। यह देखा गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में नियत किये गये 122.00 करोड़ रुपयों में से राज्य सरकारों ने "आवास" पर व्यय के अपने अनुमान के आधार पर केवल 87.69 रुपये की राशि निकाली। हमारे ज्ञान के अनुसार सभी राज्यों ने "आवास" के लिए नियत की गई योजना निधियों को उनके द्वारा अधिक महत्वपूर्ण समझे गये विकास के अन्य शीर्षों में ले जाया गया। यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु जब यह मामला आवास मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया था तो किसी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया।

(घ) क्योंकि "आवास" के सम्बन्ध में राज्यों पर कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है, अतएव इस प्रकार के अपवर्तनों (डाईवर्जन्स) को रोकने के लिए कोई बाध्यकर उपाय करना कठिन है, तथापि ये प्रयत्न किये गये थे कि "आवास" के लिए नियतीकरण को 'निर्धारित निधियों (ईयर मार्क्ड फन्ड) के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाये ताकि इन अपवर्तनों पर प्रभावात्मक रोक लग सके। किन्तु साधनों पर सामान्य प्रतिबन्ध तथा राष्ट्रीय आयोजना में "आवास" को दी गई निम्न प्राथमिकता के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भी, सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा बैठकों आदि के माध्यम से बार बार ये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि राज्य सरकारों को इसके लिए राजी कर लिया जाये कि वे अपनी राज्य आयोजनाओं मे "आवास" के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करें तथा यह आश्वासित करलें कि इस प्रकार से व्यवस्था की गई निधियों का विकास के किसी अन्य शीर्ष में अपवर्तन न किया जाये।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा नई अयस्क खानों का खोला जाना

3162. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में देश में कुछ नई अयस्क खानें खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो इन खानों के नाम क्या हैं;

(ग) उनमें से प्रति वर्ष लगभग कितने निक्षेप निकाले जायेंगे; और

(घ) इस नये अयस्क के निर्यात के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथराव (क), (ख) और (ग). किरिबुर और बैलाडिला निक्षेप संख्या 14 की लोह अयस्क खानों तथा पन्ना में रामखेड़िया एवं मझगावन की हीरा खानों के अतिरिक्त, जो पहले ही से उत्पादन कर रही है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा हाल ही में कोई नई खान नहीं खोली गई है। तथापि, बैलाडिला निक्षेप संख्या 5 (परिमाणित अयस्क की प्रति वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन क्षमता के साथ) और मैसूर राज्य में दोनिमलई स्थान पर (प्रति वर्ष 17.5 लाख मैट्रिक टन पिंड अयस्क तथा 17.5 लाख सूक्ष्मों की क्षमता) की नई लोह अयस्क खानों का निगम विकास कर रहा है। निम्नलिखित के संबंध में भी सम्भाव्यता अध्ययन/समन्वेषण और लोह अयस्क के लिये पूर्वेक्षण प्रगति पर हैं।

(1) मैसूर में कुद्रेमुखास्थान पर मैग्नेटाइट—क्वार्टजाइट (लोह अयस्क निक्षेप);

(2) आंध्र प्रदेश के हीरे के निक्षेप;

(3) मंसूरी (उत्तर प्रदेश) में फास्फोराइट निक्षेप;

(4) राजस्थान में पन्ना के निक्षेप;

(5) मैसूर राज्य तथा गोआ में बौक्साइट के निक्षेप।

(घ) बैलाडिला निक्षेप संख्या 5 की खानों से 40 लाख मैट्रिक टन लोह अयस्क तथा 35 लाख मैट्रिक टन दोनिमलई अयस्क के निर्यात से प्रति वर्ष लगभग 49 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने की संभावना है।

Mismanagement in Hindustan Insecticides Ltd., Delhi

3163. **Shri D. N. Tiwari :** Will the Minister of Petroleum and **Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3067 on the 11th August, 1959 and state :

(a) whether the complaints lodged against the Hindustan Insecticides Ltd. Delhi have been enquired into;

(b) if so, the results thereof; and

(c) the details of the complaints and the medium of the enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). In the recent past, two complaints have been received about appointments made by the Company. In one case, it was alleged that promotion was not made on seniority basis as had been the practice in the past. The enquiries made reveal that as per the recruitment and promotion rules of the Company, merit, efficiency and past performances and not seniority from basis for grant of promotion to the post (which has also been the practice in the past) and steps are in hand to fill the post accordingly In another case it has been alleged that there has been undue relaxation of qualifications in filling post (s) of Production Supervisors in the Company. The matter is being looked into.

बैंकिग विभाग का बनाया जाना

3164. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई बैंकिग विभाग बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग के गठन आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे बैक कर्मचारियों के किसी प्रतिनिधि को भी सम्बद्ध किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) . भारत सरकार (कार्य नियतन) नियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय में एक पृथक बैंकिग विभाग स्थापित किया गया है। इस विभाग के सचिवालय का गठन उसी प्रकार का है जिस प्रकार का वित्त मंत्रालय के अन्य विभागों अथवा सरकार के अन्य किसी मंत्रालय का है। अतः इससे बैंक कर्मचारियों के अथवा किसी अन्य किसी संस्था के किसी प्रतिनिधि को सम्बद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी ऋण का उपयोग

3165. श्री एम० आर० वामानी :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विदेशी ऋण सम्बन्धी अद्यतम स्थिति क्या है;

(ख) इसमें से पूंजी निर्माण करने वाली परियोजनाओं में कितना धन लगाया गया है, तथा प्रत्येक परियोजना में होने वाले उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना में लगाये गये इस धन से कितनी आय हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा देय ऋण की बकाया रकम

देश/संस्था का नाम	(करोड़ रुपयों में) 31 अगस्त, 1969 को बकाया ऋण
(क) विदेशी मुद्रा में ही चुकाये जाने वाले ऋण	
1. आस्ट्रिया	15.63
2. बेल्जियम	4.57
3. कनाडा	73.34
4. डेनमार्क	6.89
5. पश्चिम जर्मनी	425.86
6. फ्रांस	12.34
7. इटली	1.47
8. जापान	253.99
9. नीदरलेंड	34.88
10. स्वीडन	5.22
11. स्विट्जरलैंड	21.52
12. ब्रिटेन	505.04
13. संयुक्त राज्य अमेरिका	1761.76
14. कुवेत	9.75
15. बहरीन	4.95
16. कातार	9.37
17. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और और विकास बैंक	266.00
18. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	743.04
जोड़ :—(क)	4160.62
(ख) वस्तुओं के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण	
1. चेकोस्लोवाक्यिक	52.83
2. पोलैण्ड	17.43
3. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	417.95
4. यूगोस्लाविया	21.30
जोड़–(ख)	509.51

(ग)	**रुपयों में चुकाये जाने वाले ऋण**	
1.	डेनमार्क	0.79
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका—पी० एल० 480 रुपया ऋणों को छोड़कर	291.11
	जोड़—(ग)	291.90
	जोड़—(क+ख+ग)	4962.03

भाग(ख)

विभिन्न पूंजी—निर्माण प्रायोजनाओं के लिये उपयोग किये गये विदेशी ऋणों की रकमों का क्षेत्रवार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

		(करोड़ रुपयों में)
I	परिवहन और संचार	768.09
	1. रेल	597.09
	2. पत्र और पोत	34.75
	3. सड़कें	64.99
	4. विमान-न	15.04
	9. संचार	56.22
II	बिजली का विकास	565.46
III	इस्पात संयंत्र	567.53
IV	औद्योगिक विकास (कोयला और तेल उद्योगों को छोड़कर)	179.50
V	कोयला उद्योग	117.90
VI	तेल उद्योग	80.23
VII	कृषि विकास, (सिंचाई समेत)	46.57
VIII	गेहूं ऋण और पी० एल० 480 रूपांतरणीय सहायता	290.55
IX	आधारभूत सामाजिक विकास कार्य	13.99
		जोड़—2629.82

उपर्युक्त रकम के अतिरिक्त, 674.95 करोड़ रुपये की रकम का इस्तेमाल प्राय: विभिन्न प्रकार की ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये किया गया जिनका उपयोग बहुत सी पूंजी निर्माण प्रायोजनाओं के लिये किया गया था। इस संबंध में यह पता लगाना कठिन है कि इस क्षेत्र के विकास पर कितनी राशि खर्च की गयी।

इसके अतिरिक्त कच्चे माल, मशीनों के हिस्से आदि के आयात पर कुल 2626.62 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया गया था। इसमें से अधिकांश रकम, मशीनों और उपकरणों के

उत्पादन के लिये खर्च की गयी थी। जो फिर से पूंजी निर्माण के आर्थिक-कार्यों के लिये काम में लायी गयी है।

भाग–(ग)

चूंकि जिन विकास कार्यों पर सहायता की रकम खर्च की गयी है उनकी संख्या बहुत अधिक है और इनका सम्बन्ध पिछले तीनों पंचवर्षीय आयोजनाओं और वार्षिक आयोजनाओं के आर्थिक विकास के बड़े बड़े क्षेत्रों से है, इसलिये यह मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है कि प्रत्येक ऐसे निवेश से कितना लाभ हुआ है जिसमें विदेशी सहायता का उपयोग किया गया है या निवेश में सहायता के अंश से कितना लाभ हुआ है।

भारतीय तेल निगम के उत्पादों के मूल्यों में कमी

3166. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रत्येक खण्ड में सभी तेल कम्पनियों के तेल मूल्य एक ही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम उसके नियंत्रणाधीन काम करने वाले कई तेल शोधक कारखानों के कारण और सस्ती दरों पर अपने उत्पाद उपलब्ध करा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो आम आदमी को राहत देने के लिये मूल्यों में कब से कमी की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) किसी विशेष स्थान पर सभी कम्पनियों के मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों के अधिकतम विक्रय मूल्य एक ही हैं।

(ख) प्रचुर पैट्रोलियम उत्पादों के मूल अधिकतम विक्रय मूल्य सरकार निर्धारित करती है तथा तेल कम्पनियां, जिसमें भारतीय तेल निगम शामिल है, इन सीमाओं के अन्तर्गत उत्पादों की बिक्री करने में स्वतन्त्र है।

(ग) तथा (घ). तेल मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम उत्पादों के भविष्य में अनुसरण किये जाने वाले मूल्य प्रबन्धों के प्रश्न पर, सरकार विचार कर रही है।

भारतीय तेल निगम के टैंकों की स्टोरेज क्षमता

3167. **श्री एम० आर० दामानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम ने अपने तेल शोधक कारखानों तथा संस्थानों में वर्ष 1969 तक कितनी स्टोरेज टैंकेज क्षमता निर्मित की है ;

(ख) वर्ष 1968–69 में कितनी अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया था :

(ग) उपरोक्त क्षमता मूल योजना से कितनी कम थी और उसके क्या कारण थे; और

(घ) क्या यह सच है कि इस्पात प्लेटों की कमी के कारण स्टोरेज क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकी है और यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 31-3-1969 को 19,85,700 किलो लिटर्ज ।

(ख) 1,45,200 किलो लिटर्स

(ग) और (घ). 1968-69 के लिये आयोजित स्टोरेज क्षमता से 54.500 किलो लिटर्स क्षमता कम हुई । गिरावट का मुख्य कारण इस्पात प्लेटों की कमी थी । आयात और देशीय साधनों से इस्पात चादरों की सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

पत्रकारों को आवास का आवंटन

3168. श्री गार्डिलिगंन गौड : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिल्ली में कितने पत्रकारों को सरकारी आवास प्रदान किया गया है;

(ख) सरकारी आवास के आवंटन के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र अभी शेष पड़े हैं;

(ग) उन आवेदनकर्ताओं में कितने पत्रकार प्रत्यायित हैं तथा कितने अप्रत्यायित हैं; और

(घ) उन्हें आवास प्रदान करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली के सामान्य पूल में, एक प्रेस कारस्पाण्डेंट्स पूल बनाया गया है, और इस पूल में से पत्र-संवाददाताओं को रियायती दर पर 98 एकक आवंटित हैं । इसके अतिरिक्त, सामान्य पूल से 14 एकक पत्र-संवाददाताओं को बाज़ार दर किराये की अदायगी पर तदर्थ आधार पर आवंटित किए गए हैं ।

(ख) से (घ). प्रेस कारस्पाण्डेंट्स पूल से वास के आवंटन के लिए आवेदन पत्र, प्रेस एसोसिएशन द्वारा लिए जाते हैं । प्रेस कारस्पाण्डेंट्स पूल से आवंटन, प्रेस एसोसिएशन की सिफ़ारिश पर किया जाता है, और उनके पास प्रतीक्षा सूची है ; सरकार ने प्रेस कारस्पाण्डेंट्स पूल में एककों की संख्या को 100 तक सीमित करने का; और सामान्य पूल से और आवास आवंटित न करने का निर्णय किया है ।

जाली डालरों तथा भारतीय मुद्रा का परिचालन

3169. श्री गार्डिलिगन गौड :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जाली डालरों तथा जाली भारतीय मुद्रा के पर्याप्त मात्रा में परिचालन की रिपोर्ट मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में जाली मुद्रा का चाहे वह विदेशी हों अथवा भारतीय, परिचालन रोकने के लिये क्या विशेष उपाय करने का विचार है; और

(ग) ऐसी मुद्रा अनुमानतः कितनी मात्रा में परिचालित है; पिछले पांच वर्षों में इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनसे कितने मूल्य की मुद्रा बरामद की गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ग). सूचना इकट्ठी को जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) जाली मुद्रा और बैंक नोट बनाना और उन्हें चलाना भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है और जिसके अन्तर्गत ऐसे अपराध करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार के कठोर दण्ड की व्यवस्था है जिससे वे फिर ऐसे अपराध न करें। जालसाजी आदि के अपराधों के सम्बन्ध में राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यवाई की जाती है जो इस सम्बन्ध में बराबर नजर रखते हैं। गृह मन्त्रालय के अधीन केन्द्रीय जांच कार्यालय भी, इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रखकर और जाली भारतीय मुद्रा के प्रकट होने के बारे में समय-समय पर जांच-पड़ताल करके भारतीय मुद्रा के जाली तौर पर बनाये जाने की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है। इस कार्यालय ने, जाली मुद्रा बनाने के गम्भीर अपराधों की जांच करने और राज्यों में किये जाने वाले जांच-पड़ताल के कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए, अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा में एक कक्ष की स्थापना भी की है।

विदेशी ऋणों का लौटाया जाना

3170. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा कुल कितना विदेशी ऋण दिया जाना है और प्रति वर्ष देशवार रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में उस पर कितना ब्याज दिया जाता है; और

(ख) जिन मामलों में भुगतान की अवधि समाप्त हो गयी है तथा जिनमें भुगतान की अवधि को बढ़ाया गया है उनमें देशवार कितनी कितनी राशि का दिया जाना शेष है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 30 सितम्बर, 1969 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा लिये गये विदेशी ऋणों और उनमें से बकाया ऋणों को रकमों का देशवार ब्यौरा (अनुबन्ध) संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2296/69**]

ऋणों के ब्याज की रकमों का हिसाब, प्रत्येक ऋण के ब्याज की दर के अनुसार बकाया मूलधन के आधार पर लगाया जाता है इसलिए यह रकम हर वर्ष अलग-अलग होगी। 1969-70 के दौरान देय ब्याज की रकमें भी अनुबन्ध I के विवरण में दिखायी गयी है।

(ख) ऋण परिशोधन अर्थात् मूल और ब्याज दोनों का भुगतान ऋण करारों की शर्तों के अनुसार किया जाता है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अदायगी न किये जाने के कारण अदायगी की अवधि समाप्त हुई हो। पर ऋण परिशोधन में राहत के रूप में सहायता के तौर पर, कई देशों ने कुछ ऋणों के भुगतान की अवधियां फिर से निर्धारित की हैं। यह सहायता ऋण परिशोधन सम्बन्धी पुनर्वित्त व्यवस्था से भिन्न है। ऐसे मामलों का देशवार ब्यौरा अनुबन्ध II में दिया गया है जिनमें ऋण परिशोधन कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण कर दिये जाने से ऋणों की वापसी की अवधि आगे बढ़ गयी है।

वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा कर की चोरी

3171. श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों में राज्यवार ऐसे कितने मामले पकड़े हैं जिनमें आय-कर, केन्द्रीय बिक्री-कर तथा उत्पाद-शुल्क की चोरी के मामलों में मन्त्रालय के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ऐसा कोई नियम है कि मन्त्रालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भर्ती होने से पूर्व अपनी निजी सम्पत्ति की घोषणा करनी होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन नियमों का सभी मामलों में कठोरता तथा समान रूप से पालन किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इकट्ठा किया जा रहा है और सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इस बात का इतमीनान करने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है कि ये उपबन्ध सभी मामलों में समान रूप से तथा कड़ाई के साथ लागू किये जाएं।

All India Consumers price index of working class

3172. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that All India Consumer's Price index of working class has increased by 71 percent in 1968-69 as compared to 1960-61 and there has been an increase of 25 percent in the last three years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government to arrest the continuous fall in the actual wages of the working class due to increase in the prices ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir. The index increased from 124 in 1960-61 to 169 in 1965-66 and further by 22 points each year in 1966-67 and 1967-68 to reach 213. In 1968-69 it declined to 212

During 1960-61 to 1965-66 the Working class consumer Price Index number increased by 36 3 percent. However, the index increased sharply during 1966-67 and 1967-68 due to unprecedented drought conditions in many parts of the country which resulted in significant increases in prices of food articles and other consumer goods. In 1968-69, however, with the improvement in the agricultural situation and the revival in industrial production the consumer price index actually declined by 0.5 percent.

(c) Government has been taking steps from time to time to ensure stability in prices, particularly of essential commodities. The two-pronged approach consists of measures to stimulate production and to curb upward trends in prices. Among the various steps taken by the Government in pursuance of this approach, mention may be made of the new agricultural strategy with its emphasis on high yielding varieties and multiple cropping policy to guarantee nemunerative prices to agricultural producers and the various fiscal concessions to encourage larger industrial production. A system of public distribution of essential commodities of mass consumption is maintained in order to give protection to the vulnerable sections of society. Government has pursued and continues to pursue its policy of making internal procurement of foodgrains and of augmenting domestic production through imports of foodgrains for supply to the public distribution channel for current consumption. A buffer stock is being built up with a view to be able to ensure in future greater stability in food prices in the face of fluctuations in output.

Government has imposed statutory/informal control on a number of commodities of consumer interest e. g. sugar (70 percent of the output), kerosene, matches, soap, bicycles, rubber tyres and tubes, vegetable oil products, drugs and medicines (sold with specific brand names) and mill cloth (25 percent of the production). Government maintains a constant watch over the prices and distribution of essential commodities through a civil supplies organization and has also delegated to State Governments and Union Territories necessary powers under the Essential Commodities Act, 1955.

Legalisation of Abortion

3173. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have abandoned the idea of legalising abortion; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) A Bill called the Medical Termination of Pregnancy Bill, 1969 which is to provide for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners, and for matters connected therewith or incidental

thereto has already been introduced in the Rajya Sabha on the 17th November, 1969.

(b) The question does not arise.

Progress of Family Planning Programme.

3174. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri George Fernandes :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Family Planning Programme has made progress only in 50 districts out of 335 districts in the country;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the progress achieved corresponds to the expenditure incurred on it; and

(d) the action proposed to be taken by Government to make the Family Planning Programme a success ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Developmeut (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). No. The Family Planning Programme has been making progress at different palce in all the districts in the country.

(c) In a fast developing programme no absolute yardstick to corelate the expenditure with the progress is feasible. The Family Planning Programme has created widespread awareness in the country towards acceptance of a small family norm. Over 6.5 million sterilization operations and 3 million I. U. C. D. insertions have so far been made under the Programme besides use of conventional contraceptives by over a million people. The total effect of the work already done upto 1968-69 in future years upto 1978-79 will lead to approximately 15 million births being averted. There will be additional prospective prevention of births even beyond the year 1978-79 as a result of the work already done upto 1968-69. The economic effect of averting these births is estimated to be many times the expenditure incurred on the Family Planning Programme.

(d) The steps being taken for further invigorating the Family Planning Programme in the country have been mentioned in reply to part (c) of the Unstarred Question No. 1144 replied in the Lok Sabha on the 24th November, 1969.

दिल्ली के अस्पतालों में गन्दगी

3175. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गन्दगी रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली संघ राज्य के अस्पतालों में सफाई की स्थिति को सुधारने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : अस्पतालों में सफाई बनाए रखने के लिये निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). कुछ किये गये उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) अर्हता प्राप्त सफाई निरीक्षकों की देख--रेख में विशेष सफाई दल कार्य करते हैं।

(2) नियमित रूप से कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है और यांत्रिक तरीकों से सफाई की व्यवस्था की गई है।

(3) कूड़ा आदि गन्दगी को जलाने के लिये 'इनसिनरेटर' स्थापित किये जा रहे हैं, सीमेंट के कूड़े दानों की व्यवस्था की जा रही है तथा खुली नालियों को ढका जा रहा है।

(4) प्रशासकीय तथा पर्यवेक्षक 'नर्सिंग' कर्मचारियों को आदेश है कि वे अस्पतालों में सफाई सुनिश्चित करने के लिये अस्पताल का घूम कर निरीक्षण करें।

नेशनल एण्ड ग्रिंडले बैंक की कलकत्ता शाखा में डकैती

3176. श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्णा :
श्री ए०. श्रीधरन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 अक्तूबर, 1969 के टाइम्स आफ इंडिया में छपे इस आशय के समाचारों को देखा है कि कुछ डकैतों ने नेशनल एण्ड ग्रिंडले बैंक की कलकत्ता शाखा में डाका डाला तथा वे एक बड़ी राशि लेकर चम्पत हो गये;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि का अनुमान है;

(ग) क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस घटना का ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) . उपलब्ध सूचना के अनुसार, नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज़ बैंक की कलकत्ता स्थित न्यू अलीपुर शाखा में चार सशस्त्र व्यक्ति घुस गये थे इनमें से तीन व्यक्तियों ने जनता और कर्मचारियों को दूर रोके रखा और चौथे व्यक्ति ने काऊंटर पर चढ़ कर अनुमानत: 1,12,500 रुपया निकाल लिया। इसके बाद लुटेरे एक कार में बैठकर भाग गये जिसमें गिरोह का पांचवां व्यक्ति बैठा हुआ था। बच निकलने के लिए उन्होंने हवा में गोलियां चलायीं। बैंक को गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में, यदि कोई हुई है, अभी पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। घटना-स्थल पर एक स्थायी पुलिस गारद बैठा दी गयी है और इसी प्रकार के हमलों से बचाव के तौर पर शहर में गश्ती दस्ते गश्त लगा रहे हैं।

पश्चिमी कमला नहर, बिहार

3177. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले में पश्चिम कमला (उमागांव) नहर का, सूखा पड़ने के बावजूद रेगूलेटर के निर्मित न होने के कारण, सिंचाई कार्यों के लिये पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि इसका निर्माण जून 1970 से पहले पूरा हो जाये, कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रेगुलेटर के निर्माण में विलम्ब का एक कारण यह भी है कि कमला नेपाल में सिसापानी तक तटबन्धों को बढ़ाने के बारे में कोई निश्चय नहीं हो सका है; और

(घ) यदि हां, तो तटबन्धों के विस्तार करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि द्विशाखन स्थल से पश्चिमी कमला नहर से अस्थायी कार्य द्वारा पहले से ही सिंचाई की जा रही है। उन्होंने बताया है कि इस स्थल पर रेगुलेटर के डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उस पर निर्माण का कार्य शीघ्र ही आरम्भ करने की सम्भावना है। इसके लिये दो कार्य-कलों की आवश्यकता होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिकेश स्थित प्रतिजीवाणु पदार्थ कारखाने में क्लोरोटैट्रासाइक्लिन का उत्पादन

3178. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव तथा पशु उपयोग और पशुओं के चारे के लिये ऋषिकेश स्थित प्रतिजीवाणु पदार्थ कारखाने में क्लोरोटैट्रासाइक्लिन का उत्पादन आरम्भ करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या इस कारखाने में क्लोरोटैट्रासाइक्लिन और अन्य पदार्थों का उत्पादन पूरी क्षमता से आरम्भ हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० चव्हाण) : (क) और (ख). जांच पड़ताल अभी चल रही है और आशा है शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

(ग) और (घ). इस प्रतिजीवाणु पदार्थ कारखाने में पांच उत्पादों का निर्माण आरम्भ किया गया है और आशा है कि वर्ष 1971–72 में इसमें अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादन होने लगेगा। वर्ष 1971 की पहली तिमाही में निस्टेटिन का उत्पादन आरम्भ करने की योजना है और यह भी आशा है कि वर्ष 1971–72 के अन्त तक अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादन होने लगेगा। मानव उपयोग के लिये क्लोरोटैट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन वर्ष 1971–72 तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है। बाजार अध्ययन पूरा होते ही पशुओं के चारे के लिये क्लोरो–टैट्रासाइक्लिन का उत्पादन आरम्भ कर दिया जायेगा।

साउथ एवेन्यू में संसत्सदस्यों को नये फर्नीचर की सप्लाई

3179. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निर्माण. आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत अन्तर सत्रावधि के दौरान साउथ एवेन्यू इन्क्वायरी आफिस ने साउथ एवेन्यू में संसत्सदस्यों को नये फर्नीचर की सप्लाई की थी और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब इस प्रकार नया फर्नीचर सप्लाई किया जाता है तो संसत्सदस्यों से सम्पर्क स्थापित किया जाता था; और

(ग) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां। 128 साउथ एवेन्यू और 146 साउथ एवेन्यू में सदस्यों को ड्राइंग रूम सेट दिये गये थे।

(ख) और (ग). लोक सभा सचिवालय ने अपने दिनांक 18 सितम्बर, 1968 की संख्या 14-1-68 एम० एस० के द्वारा सब संदस्यों को फर्नीचर की उपलब्धता के सम्बन्ध में सूचित कर दिया था तथा उनसे उनकी आवश्यकताओं पर आवश्यक कार्रवाही के लिए 3 अक्तूबर, 1969 तक सूचित करने का अनुरोध किया था।

जी० आर० फर्मों में घोषणा सम्बन्धी उपबन्ध का संशोधन

3180. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके निर्यातकर्ताओं द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को जी० आर० फार्मों में भर कर दी जाने वाली घोषणाओं संबंधी उपबन्धों में संशोधन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं !

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 71 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत अपेक्षित एक विवरण सभा की मेज पर रखा जा रहा है।

भारतीय रुपये के मूल्य में कमी

3181. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले बारह महीनों में भारतीय रुपये के मूल्य में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं और उक्त अवधि में सरकार ने रुपये की कीमत को बनाये रखने के लिये इन कारणों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की थी और इसमें कितनी सफलता मिली थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो बारह मास पूर्व (1968 में) तथा 24 महीने पूर्व (1967 में) की तुलना में इसकी वास्तविक क्रय शक्ति के रूप में भारतीय रुपये का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत, अखिल भारतीय श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचक-अंक (1949=100) के बारह महीनों के औसत के हिसाब से, पिछले बारह महीनों में रुपये के क्रय मूल्य में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताये गये आधार पर ही सितम्बर, 1968 को समाप्त 12 महीनों की अवधि में रुपये के क्रय-मूल्य में 5.6 प्रतिशत की और सितम्बर, 1969 को समाप्त 24 महीनों की अवधि में 4.3 प्रतिशत की कमी हुई थी।

भारतीय तेल निगम के अधिकारी के विरुद्ध आरोप

3182. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** 28 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1007 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय तेल निगम के विक्रय अधिकारी के उस मामले का ब्यौरा क्या है जिसको केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के लिये पकड़ा था; और

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले को दर्ज किया था, यदि हां, तो कहां और कब और उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान अथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत तेल निगम की कलकत्ता ब्रांच के विक्रय अधिकारी, श्री पी० एल० दत्ता ने मिट्टी के तेल के लाइसेंस के नवीकरण के लिऐ श्री के० सी० लाहेरी से 1000 रुपये की घूस मांगी। श्री दत्ता ने 300 रुपये 3-6-68 को प्राप्त किये और 700 रु० की शेष राशि को श्री लाहेरी से प्राप्त करते हुए 12-6-68 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये थे।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरा की कलकत्ता ब्रांच ने 12-6-68 को श्री पी० एल० दत्ता के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था। जांच पूरी हो जाने पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 2-6-69 को उनके विरुद्ध कलकत्ता कोर्ट में एक मामला दायर कर दिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

भारतीय तेल निगम द्वारा सरकारी, अर्द्ध सरकारी संगठनों को सप्लाई किये गये पैट्रोलियम के बिलों की बकाया राशि

3183. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पैट्रौलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी/अर्द्ध सरकारी समवायों को ये अनुदेश दिये हैं कि वे उनको सप्लाई किये गये पैट्रोलियम के बकाया बिलों/दावों की राशि का भारतीय तेल निगम अथवा उसके एजेन्टों को भुगतान करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इस निगम को काफी समय से बकाया बिलों की राशि का भगतान नहीं किया गया है; और

(ग) क्या निगम उन संगठनों से, जो समय पर बिलों का भुगतान नहीं करते हैं, कोई ब्याज लेता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1968 और 1969 में इस प्रकार के कोई अनुदेश नहीं दिये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

डी० डी० टी० का मानवीय स्वास्थ्य पर कुप्रभाव

3185. **श्री समर गुह** :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० सं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से छपने वाले 'स्टेट्मैन' के 13 नवम्बर, 1969 के अंक में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री रोबर्ट पिंच ने अमरीका के राष्ट्रपति को सुझाव दिया है कि शक्तिशाली कीटनाशी दवाई डी० डी० टी० की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से कैंसर का रोग लग सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट पर विचार करने तथा यह सुझाव देने के लिए कि क्या भारत को भी डी० डी० टी० के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए समान उपाय करने चाहिये या नहीं, अर्हता प्राप्त जीव-रसायन शास्त्रियों तथा चिकित्सा अनुसंधानकर्त्ताओं की एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सरकार का विचार है;

(ग) इस बात को देखते हुए कि प्रत्येक भारतीय परिवार में डी० डी० टी० का काफी प्रयोग किया जा रहा है क्या इसका पता लगाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा कि क्या कैंसर होने का एक कारण डी० डी० टी० भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में अखबारों में छपे समाचार देखे हैं।

(ख) से (घ). इस देश में डी० डी० टी० का उपयोग मलेरिया उन्मूलन के उद्देश्य से मुख्यत: घरों की भीतरी दीवारों तथा छतों पर अवशिष्ट छिड़काव के रूप में तथा खेती के कामों में एक पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की आक्रामक अवस्था में देश का केवल 26 प्रतिशत भाग है तथा इसमें मलेरिया के मौसम में ही घरों में अन्तरंग छिड़काव किया जाता है। देश के शेष भागों में डी० डी० टी० का छिड़काव केवल उन स्थानों में किया जाता है जहां स्थानिक रूप से मलेरिया फैल जाता है। भारत में डी० डी० टी० के उपयोग से दीर्घ-कालिक हानि होने की ऐसी बड़ी समस्या पैदा नहीं हुई है जैसी कि अन्य देशों में है, जहां कृषि कार्यों में अनेकों वर्षों से बहुत बड़ी मात्रा में डी० डी० टी० का उपयोग किया जा रहा है। भारत में विशेषज्ञों को डी० डी० टी० के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करना चाहिये, इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

दुबुदा बेसिन जल निकास योजना (पश्चिम बंगाल)

3186. श्री समर गुह : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 26 अगस्त, 1969 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री को लिखा है कि यदि राज्य इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने को सहमत है तो वह दुबदा बेसिन जल निकास योजना के प्रश्न पर सहानुभूति से विचार करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित पश्चिम बंगाल मंत्री की ओर से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने लोक सभा के पिछले अधिवेशन के बाद पश्चिम बंगाल मंत्री के साथ इस बारे में कोई विचार-विमर्श किया है; और

(घ) क्या इस विचार-विमर्श के लिये पश्चिम बंगाल के मंत्री ने आग्रह किया था, और यदि हां, तो राज्य ने कितनी बार इसके लिये अनुरोध किया तथा उस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल के सिंचाई व जलमार्ग मंत्री 22-11-1969 को केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री से मिलने के लिए आए थे और दुबदा बेसिन जल निकास स्कीम समेत पश्चिम बंगाल की कुछ आवश्यक बाढ़ नियंत्रण, जलनिकास तथा सिंचाई स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । यह सुझाव दिया गया था कि इन स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था फिलहाल राज्य की योजना के लिए आवंटित राशियों में से की जाए ।

आयकर निरीक्षकों की पदोन्नति

3187. **श्री मृत्युजय प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (1) वर्ष 1968-69 की प्रत्येक तिमाही में किन किन आय कर निरीक्षकों की पदोन्नति आयकर अधिकारियों के रूप में की गई, (2) वर्ष 1968-69 की प्रत्येक तिमाही में तथा वर्ष 1969-70 की पहली तिमाही में निरीक्षकों के संवर्ग में कितने रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई, (3) 1 अक्तूबर, 1968, 1 जनवरी 1968. 1 अप्रैल 1969 और 1 जुलाई 1969 को निरीक्षकों के कितने पद रिक्त थे, और

(ख) वर्ष 1968-69 में आयकर अधिकारियों के संवर्ग में कनिष्ठ और वरिष्ठ पदों पर कितनी सीधी भरती की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सूचना नीचे दिये अनुसार है :

(क)	(i)	पहली तिमाही	4
		दूसरी तिमाही	201
		तीसरी तिमाही	65
		चौथी तिमाही	59
	(ii)	वर्ष 1968-69 की पहली तिमाही	34
		वर्ष 1968-69 की दूसरी तिमाही	175
		वर्ष 1968-69 की तीसरी तिमाही	52
		वर्ष 1968-69 की चौथी तिमाही	263
		वर्ष 1969-70 की पहली तिमाही	114
	(iii)	1-10-1968 को	224
		1-1 -1969 को	266
		1-4-1969 को	220
		1-7-1969 को	123

(ख) वर्ष 1968–69 के दौरान, आयकर अधिकारी (श्रेणी -I) तथा आयकर अधिकारी (श्रेणी–II) के ग्रेड में की गई सीधी नियुक्तियां इस प्रकार है :—

(i)	आयकर अधिकारी (श्रेणी-I)	47
(ii)	आयकर अधिकारी (श्रेणी-II)	174

आयकर विभाग का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन तथा विवरण

3188. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन तथा विवरण पिछली बार कब प्रकाशित हुए थे और वे किन-किन वर्षों से सम्बधित थे;

(ख) पिछले कई वर्षों से उन्हें प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है; और

(ग) क्या उनका प्रकाशन पुनः आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो कब से ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). आय–कर विभाग अभी तक कोई अलग वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर रहा था। राजस्व तथा बीमा विभाग के कार्यों की जो सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी है, वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में समीक्षा की जाती रही थी। लेकिन आय-कर विभाग वर्ष 1968–69 के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों के बारे में पहली बार एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है जो शीघ्र ही उपलब्ध कर दी जायगी।

प्रस्तावित वार्षिक रिपोर्ट में आय कर विभाग से सम्बन्धित सभी संगत आंकड़े होंगे।

आयकर के नये कर दाता

3189. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नए कर दाताओं का पता लगाने का व्यवस्थित बाह्य सर्वेक्षण कार्य काफी लम्बे समय से स्थगित रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने समय से और किन कारणों से; और

(ग) प्रदेशीय क्षेत्राधिकार वाले प्रत्येक आयुक्त के अधीन वर्ष 1966–67, 1967-68 तथा 1968–69 में, पृथक पृथक, (एक) आन्तरिक सर्वेक्षण और (दो) बाह्य सर्वेक्षण के फलस्वरूप आयकर विभाग के सामान्य सूचकांक रजिस्टर में कितने नये करदाताओं के नाम जोड़े गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). नये मामलों की खोज करने के लिए जनवरी 1964 में विशेष सर्वेक्षण अभियान चालू किया गया था और जुलाई 1966 में स्थापित कर दिया गया। यह विशेष सर्वेक्षण अभियान 31-3-69 तक स्थगित रहा क्योंकि आयकर अधिकारियों को भारी संख्या में बाकी पड़े कर-निर्धारण तथा करों की बढ़ती हुई बकाया को समाप्त करने के काम पर लगाया जाना था। लेकिन इस अवधि के दौरान भी विमान के सामान्य सूचकांक रजिस्टरों में बड़ी संख्या में नये कर-निर्धारित दर्ज किए गये। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2287/69]**

लेकिन मई, 1969 में हुए आयकर आयुक्तों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसरण में चयनात्मक आधार पर वाह्य सर्वेक्षण फिर से चालू कर दिया गया है।

(ग) 1966-67, 1967-68 1968-69 के प्रत्येक वर्ष में आन्तरिक सर्वेक्षण तथा बाह्य सर्वेक्षण के आधार पर विभाग के सामान्य सूचकांक रजिस्टरों में अलग-अलग दर्ज किये गये नये मामलों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। इनमें से प्रत्येक वर्ष में आयकर विभाग के सामान्य सूचकांक रजिस्टरों में आयुक्त वार दर्ज किये गये नये मामलों की कुल संख्या अनुबन्ध में दी गयी है।

आयकर निगम पुस्तिका

3190. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयकर नियम पुस्तिक (जिसमें आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां है) पिछली बार कब प्रकाशित किया गया था और नया अद्यतन संस्करण कब तक प्रकाशित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : आयकर नियम–पुस्तिका (भाग II) का संशोधित संस्करण अप्रैल 1969 में प्रकाशित किया गया है। इसे निकट भविष्य में संशोधित करना आवश्यक नहीं है।

जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गृह निर्माण परियोजनाओं के लिये ऋण

3191. **श्री रविराय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किये जाने वाले संभावित अंशदान के बारे में योजना आयोग के उप-प्रधान के वक्तव्य की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने, इस विषय पर कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया है।

गैर-सरकारी आवासों के निर्माता हिन्दुस्तान हांउसिंग फैक्टरी

3192. **श्री रविराय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी गैर-सरकारी आवासों के निर्माता के रूप में बड़े पैमाने पर कार्य करने को प्रयत्नशील है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) . हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी लिमिटेड

ने उनके द्वारा विकसित मानक योजनाओं के अनुसार, सामान्य जनता के मकान बनाने के प्रयोग में लाने के लिए पूर्वविरचित मकानों के भागों (फैबरीकेटेड हाऊसिंग कंपोनेन्ट) का मानकीकरण करने का प्रयत्न कर रही है। योजना अधिआयोजना स्तर पर है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतिकरण सम्बन्धी प्रगति

3194. श्री देवराव पाटिल : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गान्धी शताब्दी वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विद्युतीकरण के बारे में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं : और

(ग) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 24 मई को नैनीताल में हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन और 26 तथा 27 मई, 1969 को नैनीताल में हुए राज्यों के सिंचाई और बिजली मंत्रियो के सम्मेलन में, धन की उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में 1-4-1969 से 2-10-1970 तक की अवधि के दौरान 2830 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य बताया गया था। 1-4-1969 से 30-9-1969 तक की अवधि के दौरान 179 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) पिछले दो वर्षों, अर्थात 1967-68 और 1968-69 में, जिन ग्रामों में बिजली लगाई गई उनकी संख्या 3554 थी, और ऊर्जित पम्प सेटों की संख्या 58985 थी, जबकि उपर्युक्त अवधि से पहले दो वर्षों में (1965-66 और 1966-67 में) 3349 ग्रामों में बिजली लगाई गई थी और 39572 पम्प सैटों को ऊर्जित किया गया था।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार ने ऋण सहायता दी है। राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को कम दरों पर ऋण देती है। ग्राम विद्युतीकरण निगम ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

Flood Loans to Central Government Employees in Bihar

3195. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bihar Government have taken a decision to issue flood-loans to the Central Government employees working in Bihar ;

(b) if so, whetehr Government propose to give loans also to non-gazetted employees of the Bihar Government, who have been affected by floods ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. However, the Government of India have decided to grant an advance of one months pay to all Central Government employees whose properties have been substantially affected or damaged as a result of the floods in Bihar.

(b) and (c) . The State Government have reported that such loans or advances cannot be given to the State Government non-gazetted employees under their Financial Rules. State Government employees and their families affeeted by the floods are, however, eligible to such assistance as admissible to the general public in the flood affected areas.

उड़ीसा के कटक जिले में निकल अयस्क के निक्षेप

3196. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक जिले की सुकीन्दा तहसील के कान्सा-पूर्व ब्लाक में अनुमानतः 150 लाख टन के निकल अयस्क के निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) क्या यह भी सच है स्टेनलेस-स्टील और हीट तथा करोसियन रेसिस्टेस स्टील के निर्माण में निकल की बहुत आवश्यकता होती है और इस धातु की समूचे विश्व में भारी कमी है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या इन निक्षेपों से धातु को वाणिज्यिक स्तर पर निकालने के लिए तुरन्त योजनाएं बनाई जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अब तक किये गये समन्वेषण के परिणाम स्वरूप मुकिन्दा में 140 लाख मैट्रिक टन निकल अयस्क का पता लगा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इन निक्षेपों के वाणिज्यिक उपयोग के सम्बन्ध में एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की एक फर्म को नियुक्त किया गया है ।

ग्रामीण तथा कम आय वाले लोगों के लिए गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत कम लागत वाले मकान

3197. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 17 सितम्बर, 1969 के 'हिन्दू' में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि तमिल नाडू के परिवहन तथा सहकारिता मन्त्री ने 322 वर्ग फुट के कुर्सी-क्षेत्र वाले तथा केवल 3600 रुपये की लागत से बने कम लागत वाले एक आदर्श मकान का उद्घाटन किया है और यह दावा किया कि ग्रामीण तथा कम आय वाले लोगों के लिये यह सर्वथा उपयुक्त मकान है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में बेघर लोगों के लिए भारत सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन ऐसे ही मकान बनाने की दृष्टि से इस दावे की सत्यता का पता लगाया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्माण के नये तकनीक के ब्यौरे को और आगे अध्ययन के लिए मंगवाया गया है। केन्द्रीय सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं में इस प्रकार के निर्माण का प्रश्न केवल तब उठेगा जब इस तकनीक को उपयुक्त पाया जायेगा।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

3198. श्री सुरजभान : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने केन्द्रीय सेवाओं के स्थायी अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सामान्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 22 दिसम्बर, 1959 में गृह-कार्य मंत्रालय के ज्ञापन के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया है, जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का अहित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदेशों के क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन अनुदेशों को भूतलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), (ख) और (ग). सिंचाई और बिजली मंत्रालय केन्द्रीय श्रेणियों की वरीयता निर्धारित करने के लिए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22-12-1959 में दिए गये अनुदेशों का अनुकरण कर रहा है। बहरहाल केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के इन्जीनियरी अधिकारियों के मामले में इस मंत्रालय ने गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22-12-1959 के जारी होने से पहले ही पृथक नियम बना दिए हुए थे। इन नियमों को गृह मन्त्रालय की सलाह से बनाया गया था और इस समय इनका अनुकरण हो रहा है। स्थायी और अस्थाई इन्जीनियरी अधिकारियों की वरीयता, चाहे वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी से सम्बन्ध रखती हो, इन नियमों के अनुसार ही नियमित की जाती है।

हाल ही में कुछ अभ्यावेदनों के परिणाम स्वरूप स्थिति का पुनरावलोकन किया जा रहा है।

Use of Staff Cars in Ministry of Finance

3199. Shri Ram Charan :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although the staff car is provided for the convenience of the staff, yet it is mostly used by the Ministers or the higher officers; and

(b) the total mileage covered by the Staff-cars in the case of Class III and Class IV employees and that covered in the case of officers and Ministers separately during the last two years in his Ministry and various departments under it separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Staff cars are provided for use for bonafide official purposes by Ministers as well as by Government servants including senior officers.

(b) The total mileage covered by the staff cars in the Ministry of Finance during the last two years in the case of Class III and Class IV employees and that covered by officers and Ministers is as follows :—

(1) Department of Banking (for the period from 2.9.69 to 26.11.69 as the Department has been set up recently) : —

Ministers	Officers	Class III	Class IV
Nil	1240	445	Nil

(2) Department of Economic Affairs :-

Period	Ministers	Officers	Class III	Class IV
(i) 1-11-67 to 31-10 68	380	45,884	15,600	Nil.
(ii) 1-11-68 to 31-10-69	1198	45,834	13,230	Nil.

(3) Department of Expenditure including Bureau of Public Enterprises :-

Period	Ministers	Offieers	Class III	Class IV
(i) 1-11-67 to 31-10-68	34,654	28,898	8,372	Nil
(ii) 1-11-68 to 31-10-69	41,347	31,768	11,223	Nil.

(4) Department of Revenue and Insurance :-

Period	Ministers	Officers	Class III	Class IV
(i) 1-11-67 to 31-10-68	Nil.	10,496	Nil.	Nil.
(ii) 1-11-68 to 31-10-69	Nil.	11,569	Nil.	Nil.

Note : Cars for the use of Ministers are provided by the Department of Expenditure. Cars of the Department of Economic Affairs are also used by Ministers occasionally, when required.

Setting Up of Gas Cylinders Distribution Agencies in U. P. and Punjab by I. O C.

3200. Shri Ram Charan :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state ·

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation propose to set up some agencies for the distribution of gas cylinders in Uttar Pradesh and Punjab during the current Five Year Plan; and

(b) if so, the Districts in Uttar Pradesh and Punjab where these agencies would be set up and also the time by which they are likely to be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) The agencies will be on town-wise basis. Marketing of Indane has already been introduced in some of the towns in Uttar Pradesh and Punjab. It is proposed to extend its marketing during the next year to four more towns in these to States.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चण्डीगढ़ से महत्वपूर्ण सैनिक डिजाइनों के गुम हो जाने का समाचार

श्री श्रद्धाकर सुपकार (सम्बलपुर) : मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय में एक वक्तव्य दें।

" केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ से महत्वपूर्ण सैनिक डिजाइनों के गुम हो जाने का समाचार"

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) खड़े हुए।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : प्रतिरक्षा मन्त्री कहां हैं ?

श्री रवि राय (पुरी) गृह-कार्य मन्त्री कहां हैं ?

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) महोदय, हमने यह ध्यानाकर्षण सूचना प्रतिरक्षा मन्त्री को सम्बोधित की थी।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह तथ्य कि केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ के कार्यालय से कुछ सैनिक प्रलेख गुम हैं, मेरे ध्यान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यालय द्वारा नहीं लाये गये तथा पहली सूचना मुझे 5.12.1969 के 'स्टेट्समैन' से मिली। क्योंकि मैंने यह अनुभव किया कि यह मामला उसी दिन संसद में उठाया जायगा, मैंने तत्काल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को संदेश भेजा कि इस विषय पर टिप्पणी भेजें। जो नोट मुझे 5.12.1969 को 11.50 प्रातः उस समय मिला जब कि मैं लोक सभा में बैठा था, दुर्भाग्य से उसमें खोये हुए प्रलेखों का कोई

उल्लेख नहीं था। अतः मैने तत्काल एक दूसरा नोट भेजा जिसमें इस विशिष्ट विषय पर विस्तार पूर्वक सूचना मांगी गयी थी। यही कारण था कि जब कुछ माननीय सदस्यों ने 5.12.1969 को लोक सभा में यह मामला उठाया तो मैं कोई विवरण देने की स्थिति में नहीं था।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक यन्त्र से सम्बन्धित ड्राइंगों के केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ से गुम होने के सम्बन्ध में है। मैंने अब इस विषय पर सभी सम्बन्धित सूचना प्राप्त करली है और निम्नलिखित विवरण देने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

जून, 1966 में, सुरक्षा पूर्ति विभाग ने अपने लिए जरूरी एक यन्त्र की ड्राइंगें, कुछ सार्वजनिक और निजी सैक्टरों की फर्मों को तथा चण्डीगढ़ के केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन को भेजी ताकि इस यंत्र के निर्माण तथा पूर्ति के लिए उनकी क्षमता के विषय में जाना जा सके। यह एक कोण मापक यंत्र है जो कि दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटिश और दूसरी राष्ट्र-मंडलीय सेनाओं द्वारा प्रयोग में लाया गया था। मैं समझता हूँ कि प्रश्नाधीन यंत्र तथा इसी प्रकार के अन्य यंत्र बाहर के विभिन्न देशों में निजी सेक्टरों में बनाये जाते हैं और उनका उपयोग संसार की सेनाओं द्वारा होता है। चूंकि देश की व्यापारी फर्मों द्वारा इसका सफलता पूर्वक विकास और निर्माण हुआ, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन से अक्तूबर, 1969 में पूछा गया कि इस विषय में उन्होंने जो प्रगति की है उसे बताया जाय अन्यथा उन ड्राइंगों को यदि अब तक नष्ट नहीं किया गया हो तो वापिस कर दिया जाय। इस निवेदन पर, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के निदेशक ने इन ड्राइंगों को अपने संगठन में खोजा और उन्हें गायब पाया। उनके अनुसार 1966 में उन्होंने अपने प्रभागों में से एक को यह ड्राइंग दी थी और वे उन्हें प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए। केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के निदेशक ने इन प्रलेखों के गुम होने की सूचना देहरादून के यंत्रों के मुख्य निरीक्षक को दी, जिसने अपनी तरफ से सुरक्षा उत्पादन विभाग के महा निदेशक, निरीक्षण को सूचित कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यंत्र की ड्राइंगें न तो गुप्त और न ही गोपनीय प्रकार की है।

प्रेस रिपोर्टों में केन्द्रीय अन्वेषणों ब्यूरो द्वारा चण्डीगढ़ के केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के महानिदेशक डा० पी० एस० गिल के घर पर कुछ छापे मारे जाने का उल्लेख भी है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने, कुछ आरोपों के आधार पर जो उन्हें प्राप्त हुए हैं, डा० पी० एस० गिल के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। इस मामले के अनुपालन में छापा मारने का आयोजन किया गया। मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि सुरक्षा प्रलेखों के गुम होने का मामला और डा० गिल के घर की तलाशी का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक अपने और अपने परिवार के साथ पुलिस द्वारा अपने घर की तलाशी के समय किये गये व्यवहार के सम्बंध में डा० गिल के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष को लिखे गये पत्र का सम्बंध है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महा निदेशक ने तत्काल यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के प्राधिकारियों के साथ उठाया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्राधिकारियों ने स्थिति को समझते हुए सम्बंधित व्यक्तियों को आवश्यक अनुदेश देने का वचन दिया है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं इन दस्तावेजों के गुम होने के इस समाचार को अत्यन्त गम्भीर मानता हूं। इसलिए मैं इस सम्बंध में कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा विभाग ने जब उन ड्राइंगों को केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन को भेजा था, तो उस समय उन पर परम गोपनीय लिखा गया था अथवा नहीं ? यह एक विशिष्ट प्रश्न है और इसका "हां" या "नहीं" में उतर दिया जाये।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा विभाग इस मामले में तीन वर्ष तक क्यों चुप रहा और उसने तीन वर्ष के बाद ही केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन से क्यों पूछा कि उन दस्तावेज ड्राइंगों का क्या हुआ ? गत $3\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सरकार ने उन दस्तावेजों के गुम होने पर कोई खेद प्रकट नहीं किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार परम गोपनीय दस्तावेजों के साथ किस ढंग से बर्ताव करती है। क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में परम गोपनीय दस्तावेजों के संबंध में ऐसा व्यवहार नहीं किया जायेगा ? तर्क की खातिर यदि इस बात को मान भी लिया जाये कि वे ड्राइंगें परम गोपनीय प्रकार की नहीं थी, फिर भी हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनसे लोगों में यह भावना फैल गई है कि वे दस्तावेज परम गोपनीय एवं अति महत्वपूर्ण थे और इस मामले को दबाने के लिए ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे का झूठा नाटक रचा गया है। क्या सरकार इस मामले में संसदीय अथवा न्यायिक जांच कराने को तैयार है, क्योंकि मन्त्री महोदय द्वारा जो विवरण दिया गया है, उसमें तो इस मामले को दबाने का प्रयत्न किया गया है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बहुत से प्रश्न मुझ से पूछे हैं और जिनका उत्तर "हां" अथवा "नहीं" में मांगा है, वे प्रतिरक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित हैं। .... **(व्यवधान)**

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) फिर वह यहां क्यों आये हैं ?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक पत्र भेजा था जो इस समय आपके पास है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I rise on a point of order. The hon. Minister is stating that he is unable to give a direct reply in "yes" or "no". As it is a very important matter and the entire defence of our country is linked with this question either the hon Minister should have come here fully prepared after getting full information from the Ministry of Defence or this question whether those drawings were marked 'Top secret' or not should be answered by the Minister of Defence Production who is present here. The reply to this question should not be evaded in this way.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Call Attention Notice was addressed to the Prime Minister. The entire Cabinet is jointly responsible to the House and as such the hon. Minister cannot express his inability to answer this question only because it pertains to the Ministry of Defence. The hon. Minister is replying to the questions on behalf of

the Cabinet, which has joint responsiblity. I want your ruling in this regard. It is a question of joint responsibility.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : On a point of order Sir.

Mr. Speaker : The hon. Member may kindly sit down.

Shri Hukam Chand Kachwai : I obey your orders, Sir. But I would like to submit you once again to listen to my point of order.

डा० वी० के० आर० वी० राव : अध्यक्ष महोदय....

श्री रंगा (श्री काकुलम) व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया जाना है, मन्त्री द्वारा नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : On a point of order.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। मैं बोल रहा हूँ। इस तरह से व्यवधान न कीजिये ।

दो बातें हैं। श्री सोंधी ने आज प्रातः मुझे एक पत्र दिया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि प्रतिरक्षा मन्त्री को बुलाया जाये। परन्तु उनका पत्र मुझे देरी से प्राप्त हुआ था। मेरे पास समय नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका यह उत्तर पर्याप्त नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर देना प्रतिरक्षा मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में है। यदि माननीय मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, तो मैं इसे स्थगित करने को तैयार हूं। **(व्यवधान)**....

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) डा० राव जो कुछ कहते हैं, हम उसे पूरा कर सकेंगे ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। परन्तु माननीय सदस्यों ने मुझे उत्तर देने का अवसर ही नहीं दिया है। मैंने उत्तर देना आरम्भ ही किया था कि वे खड़े हो गये और बोलने लगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन दस्तावेजों के लिफाफे पर परम गोपनीय लिखा हुआ नहीं था, अपितु उस पर फेंकिंग मशीन द्वारा यह मुद्रित किया हुआ था कि यह भारत सरकार, प्रतिरक्षा मन्त्रालय, उपकरण महानिरीक्षालय, रायपुर, देहरादून की सम्पत्ति है, इस पर कार्यवाही पूरी करने के बाद इसे वापस किया जाये/बर्बाद कर दिया जाये। श्री श्रद्धाकर सूपकार ने पूछा है कि मन्त्रालय ने इन दस्तावेजों के बारे में इतने समय बाद क्यों पूछा इत्यादि ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मन्त्री महोदय यह जांच कराने को तैयार हैं कि ये दस्तावेज क्यों गुम हुए, कब गुम हुए और कैसे गुम हुए ?

डा वी० के० आर० वी० राव : जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमें जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। निदेशक ने सारी इमारत में उन दस्तावेज को तलाश किया

है, परन्तु वह गुम हुए दस्तावेजों का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। मैं यह सब बातें नहीं बताना चाहता, क्योंकि सदन को मालूम है कि ये सब उस संस्थान की आन्तरिक कठिनाइयां है। आरोप तथा प्रत्यारोप लगाये गये हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : संसद को आपकी आन्तरिक कठिनाइयों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि क्या वह जांच कराने को तैयार हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे मंत्रालय को जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु जांच केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा की जायेगी न कि विभाग द्वारा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Though the Defence Ministry has given a certificate that hose documents were not secret and were ordinary drawings. yet it think this has been done to cover their criminal negligence. With your permission Sir, I want to read a few lines from a letter writteen by the Director to the Chief Inspector of Instruments, Raipur, Dehradun from which it is clear that it was a very serious matter because it was written in that letter that was not merely a case of displacement of documents but there was something more in that which would require a detailed scrutiny from Central Intelligence Experts. So it is a very serious matter that the drawing were of vital importance and of such equipments which has not so far been manufactured in the country and which are being imported by now. It is a clear case of espionage, because Pakistans agents had been active in Chandigarh and certain I. A. F. officers have also been arrested along with Pakistani agents. I want to know from the hon. Minister what was done on those drawing during the period of two and a half years and why those documents were not returned ?

The hon. Minister has just now said that he had no information regarding this matter and the first information he got about it was from the "Statesmen" of 5.12.1969. Is it correct that a letter was written by the Director to the Prime Minister and perhaps a copy of that letter was endorsed to the hon. Minister on 26th and 27th November in which all details were given and if so, what action has been taken on that letter during the last one month and three days ? Is it correct for the Government to treat the security of the country so lightly and sabbily ?

I also want to know whether the hon. Minister is prepared to institute an inquiry by an independent expert whether the drawing were of top secret nature or not ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : So far as the question of top secrecy in concerned the drawings were not of top secret nature as has just now been read out by the Education Minister from the statement. The hon, Member has stated that this was written to cover the criminal negligence. But that is not so, This was written three years ago and not now. This was written when those documents were sent and more over those documents were sent not only to that laboratory but also to three or four other firms. Out of those three or four firms, tow or three firms have labricated that instrument and when that instrument was developed and sufficient suppply of that was made to us it was written by our officers to the incharge of the laboratory whether he was in a position to labricate those instruments and if not the drawings might be returned to them.

So far as the question as to what happened to those document for three years and why nothing was done in this regard I want to submit that there had been oral discussions between our officers and the incharge of the laboratory. The discussions were regarding cost etc. No doubt it is sad that those documents were found missing. But it is not a very serious matter. Fortunately the docnments were not of ex'ra ordinary importance. Even then we are sorry for that, whatever has happened. I want to tell the Hous: that the items which we manufacture are available with Pakistan also and those were also used in Secound World War. So there is no question of grave concern about their importance. Even then it is sad that those items documents were found missing.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has not replied the question as to what action was taken by Government after it came to their notice that the documents were missing.

Shri L. N. Mishra : We asked the Laboratory incharge as to what has happened to those documents. They replied that they were not able to find them. We asked them to trace those documents and return them to us. The items were manufactured by the private firms. Though our intention was to get them manufactured in the public sector, but there was no difference in the cost and it was cheaper to get them manufactured in private sector and that is why we wrote to them to return the documeuts. He had been stated that the documents were being traced and would be returned. It was more then one month before when it was reported that the documents were missing but they continued to say that they are tracing them.

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, क्या आप मन्त्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को कैसे बाध्य कर सकता हूँ कि वह वैसा ही उत्तर दें जैसा आप चाहते हैं ।

श्री म. ला. सोंधी : यह मामला जासूसी का मामला है । सभा को तथा देश को पता है कि इस मामले में सरकार द्वारा कितनी लापरवाही बरती गई है । माननीय मंत्री ने जो विवरण दिया है उस में अनेक परस्पर विरोधी बातें हैं । माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें दस्तावेज के गुम होने की सूचना पहली बार 5 दिसम्बर के "स्टेट्समैन" से मिली थी । जहां तक मेरी जानकारी है केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के निदेश ने 5 नवम्बर को अर्थात एक महीने पहले दस्तावेजों के गुम होने के बारे में माननोय मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव को लिखा था । फिर वह यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी पहली बार 5 दिसम्बर को मिली थी ? क्या वह तथ्य को छिपा रहे हैं ?

माननीय मंत्री ने विवरण के पैरा तीन में कहा है कि वे ड्राइंग न तो गुप्त थी और न ही गोपनीय थी । यदि ऐसा था तो वर्ष 1966 में उन ड्राइंगों को व्यक्तिगत रूप से सौंपने के लिये देहरादून से दो वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों अर्थात एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल का चण्डीगढ़ जाने का क्या उद्देश्य था ? इससे सिद्ध होता है कि वे दस्ताबेज़ अति महत्वपूर्ण और परम गोपनीय थे । उपकरण महानिरीक्षक ने भी अपने पत्र में 8 नवम्बर को स्पष्ट कहा था कि वे दस्तावेज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई वर्षों के असुसंधान का फल है तथा उनके लिफाफों पर परम गोपनीय लिखा हुआ था । अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि वे गोपनीय नहीं थे ?

हाल ही में देहरादून से 28 नवम्बर को एक कर्नल चण्डीगढ़ गये थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वे दस्तावेज़ परम गोपनीय थे और उन्होंने सैनिक अधिकारियों की ओर से उन के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। अतः ध्यान आकर्षण सूचना के आते ही वे दस्तावेज़ साधारण दस्तावेज़ कैसे बन गये ?

माननीय मंत्री ने कहा है कि दस्तावेज़ों के गुम होने के मामले और निदेशक के घर पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि निदेशक के घर की तलाशी उसी दिन क्यों ली गई। जिस दिन माननीय मंत्री को एस० ओ० एस० भेजा गया था ? माननीय मंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापों के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या उन छापों का आयोजन उन्होंने ने ही किया था और यदि नहीं तो क्यों नहीं ? क्या उन छापों का आयोजन गृह कार्य मंत्री द्वारा किया गया था अथवा प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अथवा किन्हीं अन्य अधिकारियों ने उन का आयोजन किया था ?

उन लोगों की जानकारी के लिये जिन के मन में अब भी संदेह है मैं यह बताना चाहता हूं कि इस परियोजना का कोड नाम "डाइरेक्टर-7" है, इसी प्रकार जैसे कि अपोलो-11, अपोलो-12 इत्यादि और इस का एक विशिष्ट अर्थ होता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इधर उधर की बातें न करें। वह सीधा प्रश्न पूछें

प्रश्न यह है कि दस्तावेज़ों के गुम होने का पता केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ द्वारा लगाया गया था। यह संगठन केंद्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन है। मंत्री महोदय केंद्रीय वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद् के उप-प्रधान हैं। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें गुप्त प्रलेखों के बारे में क्या मार्गदर्शी आदेश दिये हैं ? देश की उन सब प्रयोगशालाओं को जो गुप्त प्रलेखों से संबंधित हैं, उन्होंने क्या मार्गदर्शी आदेश दिये हैं ? मान लो यदि कोई चतुर व्यक्ति हमारी प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं से जानकारी प्राप्त करता है तो उसकी रोक थाम के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? क्या उन्हें समय समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं ? माननीय मंत्री अन्तिम बार चण्डीगढ़ कब गये थे ? क्या उन्होंने इस विशेष प्रयोगशाला का दौरा किया था ?

माननीय मंत्री को इस बात का पता लगाना चाहिये कि सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जा रही है अथवा नहीं। चण्डीगढ़ जासूसों का अड्डा बन गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि परम-गोपनीय दस्तावेज़ों के बारे में क्या प्रक्रिया है ? उन को विभिन्न विभागों में किस प्रकार लिया जाता है तथा किस प्रकार रखा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे है, बल्कि वह भाषण दे रहे हैं।

"डाइरेक्टर 7" परियोजना के प्रलेख गुम हैं। क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वाशन देंगे कि उन की जांच का कार्य एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति को सौंपा जायेगा और उसे आज ही चण्डीगढ़ भेजा जायेगा। मंत्री महोदय को स्वयं वहां जाना चाहिये। माननीय मंत्री इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। माननीय मंत्री ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद वैज्ञानिक मामलों पर विचार करना छोड़ दिया है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर मैं संक्षेप में देता हूं। माननीय सदस्य ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैंने वैज्ञानिक मामलों पर विचार करना बन्द कर दिया है। मौखिक आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं होता। यदि माननीय मंत्री चाहते हैं तो वह सभा में एक प्रस्ताव ला सकते हैं ताकि इस बारे में पूरे तौर पर चर्चा हो सके और मैं यह बता सकूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का उपप्रधान बनने के बाद मैं क्या करता रहा हूं।

दूसरे माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं उन की बात को गम्भीरता से नहीं ले रहा हूं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि 5 तारीख का क्या हुआ था। माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति आत्म हत्या करने वाला है; उन्हें टेलीफोन प्राप्त हो रहे हैं और यदि सोमवार से पहले कोई कार्यवाही न की गई तो आत्महत्या हो जायेगी। यह सब बातें रिकार्ड पर हैं। परन्तु मैंने किसी आत्म हत्या के बारे में नहीं सुना है। अतः यह सभा मुझे क्षमा करेगी, यदि मैं उन की बात को उतनी गम्भीरता से नहीं लेता जितनी गंभीरता से मैं आम तौर पर प्रत्येक बात को लेता हूं।

श्री म. ला. सोंधी : माननीय मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह मुझ से वाक् युद्ध करने पर तुले हुए हैं। वह मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने कहा है कि डा० गिल से मुझे 5 नवम्बर को पत्र प्राप्त हुआ था। यह बात सही नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में इस का खण्डन करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में संसदीय समिति का सामना करने को तैयार हूं। मैं सभा को फिर यह बताना चाहता हूं कि मुझे पहली बार यह जानकारी 5 तारीख को प्रातः स्टेट्समैन समाचार पत्र पढ़ने से मिली थी और उसे पढ़कर मैं अवाक् रह गया था। उस के बाद मैंने जो कार्यवाही की थी उस के बारे में सभा को सूचित कर चुका हूं।

जहां तक माननीय सदस्य के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुए गोपनीय दस्तावेज़ों को ठीक प्रकार से रखने के बारे में मार्गदर्शी अनुदेश दिये जायें, मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा। वास्तव में इस विशेष घटना की जानकारी मिलते ही मेरे मन में आया था और मैं सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत करूंगा तथा सब प्रयोगशालाओं को आवश्यक मार्गदर्शी अनुदेश दिये जायेंगे।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Speaker, Sir, before asking questions from the hon. Minister I want to make a submission to you. As the hon. Minister has agreed to the appointment of a Parliamentary Enquiry Committee, I request you to give permission for its appointment.

On one haud the hon. Minister is saying that his efficiency is being doubted and on the other hand he says that he first got that information from the Statesman dated 5th December, 1969. **This shows how efficient he is ?**

I want to know whether prior permission of the Director of C. S, I. R. or of the Minister himself was taken by the C. B. I, before starting the enquiry against Shri Gill. It is know to all that the working of C. S. I. R. is most unsatishfactory. One

Assistant General of C S,I. R., Shri Sood is already under suspension and it has been said by Shri Gill that those drawings were handed over to Shri Sood by him and those drawings were not returned by Shri Sood. If that is so what has' been said by Shri Sood in this regard ? The hon Minister should clarify whether Shai Sood is responsible for the missing of those drawings and if those drawings were given to Shri Sood then why those drawings were not returned by him ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शिक्षा मंत्री अथवा केंद्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक से कोई अनुमति नहीं ली गई थी और छापे मारने से पहले इस बारे में उन्हें कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। मैं समझता हूं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के भूतपूर्व कर्मचारी श्री ए० के० सचदेवा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई थी। मैं समझता हूं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को ऐसी जांच करने का अधिकार है। मुझ से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

जहां तक श्री सूद का सम्बन्ध है, यह सच है कि निदेशक को यह सन्देह है कि श्री सूद का इन दस्तावेज़ों के गुम होने के साथ कोई सम्बन्ध हैं। परन्तु श्री सूद की मुअत्तली का इस विशेष मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। निदेशक द्वारा श्री सूद की बदली चण्डीगढ़ से मद्रास कर दी गई थी, जहां कि केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन का एक कार्यालय है। श्री सूद ने कहा था कि वह वहां नहीं जाना चाहते। जब श्री सूद को जाने का आदेश दिया तो उन्होंने कहा था कि मै चार्ज नहीं दूंगा। यह उन की गलती थी। यदि वह चार्ज देने के बाद जाने के विरुद्ध विरोध करते तो दूसरी बात थी। परन्तु उन्होंने कहा था कि मैं चार्ज नहीं दूंगा। मेरा स्थान यही है. मैं वहां नहीं जाऊंगा। यह मामला 15 नवम्बर को महानिदेशक के पास भेजा गया था जिन्होंने सारे मामले की जांच करके श्री सूद की मुअत्तली के आदेश दिये थे। श्री सूद की मुअत्तली की जानकारी भी मुझे 28 नवम्बर को हुई थी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों को सुनकर हमारे मस्तिष्क में कई संदेह पैदा हो गये हैं। हो सकता है वे दस्तावेज़ गोपनीय अथवा परम गोपनीय न हों. परन्तु यह बात निश्चित है कि वे दस्तावेज़ वर्गीकृत दस्तावेज़ थे, अन्यथा उन्हे ताले में बन्द नहीं रखा जाता। हमें पता चला है कि अम्बाला की "ओजा" नामक फर्म तथा आंध्र की एक अन्य फर्म से, जो यह उपकरण बनाती हैं, इस उपकरण के बनाने के बारे में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के निदेशक द्वारा सलाह ली गई थी। इसलिये मेरे मन में यह संदेह पैदा हो गया है कि हो सकता है कि उन दस्तावेज़ के गायब करने में निजी क्षेत्र का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हाथ रहा हो। हो सकता है कि वे दस्तावेज़ गोपनीय न हों, परन्तु महोदय आप को याद होगा कि वर्ष 1953 अथवा 1954 में एक माननीय सदस्य श्री गुरुपदस्वामी ने एक फाइल के गुम होने का मामला उठाया था और इस पर संसद में कई घण्टे तक विचार विमर्श किया गया था, हालांकि वह फाइल एक साधारण फाइल थी और गोपनीय नहीं थी। चूंकि निदेशक के बिरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और चूंकि उस जांच का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस जांच को भी केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जायेगा ? यह मामला केंद्रीय जांच

ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि यह तो गुप्त फाइल के गुम होने का मामला है, एक साधा-रण फाइल के गुम होने का मामला भी गम्भीर होता है। इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कहा है कि इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाये और यह नहीं कहा है कि इसे भारतीय साम्यवादी दल (सी० बी० आई०) को सौंपा जाये।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जैसा कि मैंने पिछले उत्तर में कहा है यदि सभा की यह इच्छा है कि गुम दस्तावेजों सम्बन्धी मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह संसदीय समिति चण्डीगढ़ संस्था के विषय से सम्बन्धित नहीं होगी; यह केवल इस बात की जांच के लिये होगी कि मैंने सभा को गुमराह किया है।

श्री म० ला० सोंधी : यदि यह चीज स्वीकार्य है तो माननीय मंत्री इस सभा के पिछले रिकार्ड देख सकते हैं। वह अन्य वरिष्ठ मन्त्रियों की सहायता लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। चुनाव लड़ना चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं भी अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा। मैं उनकी हर एक चुनौती स्वीकार करने के लिये तैयार हूं

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं उनसे किसी चीज में होड़ नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने सभा को गुमराह किया है। मुझे सभा को गुमराह करने या झूठ बोलने की आदत नहीं है। इसीलिये मैंने उन्हें कहा था कि मैं यहां सबके सामने वक्तव्य देने के लिये तैयार हूं। यदि यह पाया जाता है कि मुझे पत्र 5 नवम्बर को मिला था और मैंने सभा को 25 नवम्बर बता कर गुमराह किया है तो मैं प्रधान मंत्री को अपना त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैंने कहा है कि मैं इसकी जांच कराने के लिये तैयार हूं।

कुछ मन्त्रियों द्वारा बिहार विधान मण्डल के सदस्यों पर दबाव डाले जाने के आरोप के बारे में

RE : ALLEGATION OF PRESSURISATION OF MEMBERS OF BIHAR LEGISLATIVE BY CERTAIN MINISTERS

Mr. Speaker : Dr. Ram Subhag Singh has sent me a motion regarding pressurization of Members of Bihar legislative by certain Ministers. Who is trying to pressurize whom is a matter which need not be raised in this House-these being their organisational quarrels.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : जब सभा का अधिवेशन हो रहा है, तब क्या यह उचित है कि मन्त्रीगण लोगों पर दबाव डालने के लिये इधर उधर जायें ? यह मामला यहां पर उठाया जा सकता है।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : पिछली बार जब हमने प्रतिरक्षा विमानों का प्रयोग किये जाने सम्बन्धी मामला उठाया था तो आपने हमें सबूत प्रस्तुत करने के लिये कहा था। हमने सबूत भी पेश किया परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे पास यह तार है जिसमें कहा गया है कि पांच हरिजन तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों पर तीन मंत्रियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस किस्म के आपस के झगड़ों को संसद में नहीं उठाया जाना चाहिये।

वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से भेंट के बारे में

RE . MEETING OF CERTAIN OFFICERS OF FINANCE MINISTRY WITH SHRI T. T. KRISHNAMACHARI

Mr. Speaker : Some objection was made to me in my chamber as to whether discussion on the statement made by a Minister is allowed or not and whether the Minister can be called upon to reply or not. I had not given any ruling on that. I told them that rules were there but I did not know the background. I had also told them that I would call the Chairman to my chamber and discuss with him. So, I had a talk with him (Shri Prakash Vir Shastri). One motion was for suspension of the rules and the other was for discussion. Instead of allowing discussion of all the three motions, he tried to bring it to my notice. I think that when the three motions came together, it would have been betrer to discuss all of them together. But he allowed questions on one of them. Although the objection was that instead of any Minister the Prime Minister herself should have made this statement and there was a motion to that effeet. Under those circumstances I did not at all know as to how these motions were broueht up. But whatever procedure the Chairman adopted was the correct one. I do not want that there should be any misunderstanding on this.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं फिल्म सेंसरशिप सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2270/69]**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं श्री र० के० खाडिलकर की ओर से 30 जून, 1969 को समाप्त होने वाली छमाही में इन्डिया सप्लाई मिशन, लंदन और इन्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन, द्वारा जिन मामलों में निम्नतम निविदाएं स्वीकृत नहीं की

गई थीं उनका एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2271/69]**

श्री प्र० चं० सेठी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा निगम की आस्तियों और दायित्वों के विवरण और लाभ तथा हानि लेखे की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे। । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2272/69]**

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944, के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1291 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 27 सितम्बर 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 2636 (हिन्दी संस्करण), और जी० एस० आर० 2638 (अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 15 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 2661, 2662 और 2663 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 22 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2273/69]**

(3) आय कर अधिनियम, 1961, की धारा 280 जेड ई उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2698 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कर प्रत्यय प्रमाण पत्र (अतिरिक्त शोधन पर उत्पादन शुल्क) योजना, 1965 में कतिपय संशोधन किए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2274/69]**

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1969-70

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1969-70

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं वर्ष 1969–70 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मनीपुर) 1969-70
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (MANIPUR) 1969-70

श्री प्र० चं० सेठी : मैं वर्ष 1969–70 के लिये मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूपक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

डा० राम सुभग सिंह : आपने आदेश जारी किये हैं कि मुझसे मेरे कमरे में कोई न मिले। इसलिये ऐसे महत्वपूर्ण तार प्राप्त होने पर हम आपसे आपके कमरे में नहीं मिल सकते हैं। यदि आपको प्रस्ताव दिये जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो अभी दिये गये हैं और इन्हें वह नहीं देख सके है। इसलिये हम जानना चाहते है कि उन्हें कहां दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभी प्रस्ताव सीधे मुझे नहीं भेजे जाने चाहिये। उन्हें कायदे के अनुसार भेजा जाना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह : वह रास्ता तो अब आपने बन्द कर दिया है। इसलिये या तो उन्हें यहां पेश करना होगा या चपरासी के मार्फत भिजवाना होगा। यह तार एक गम्भीर मामला है। पांच सदस्यों–सर्वश्री वैद्यनाथ मेहता, महावीर चौधरी, सहदेव महतो, रामानन्द यादव और डूमरलाल बैठा ने इसे लिखा है।

Mr. Speaker : I have given my ruling.

Dr. Ram Subhag Singh : We want that the rules of the House are observed and nothing else. Previously all the notices were handed over to the Speaker by a member and either the speaker rejected them in the presence of the Member or they were proceded with further. But you do not want to meet anyone in your chamber now...

Mr. Speaker . Who says so ?

Dr. Ram Subhag Singh : You announced here that no body should meet me in my chamber...

Mr. Speaker : No, it is not so. I meant that sometime should be given to me to think over the matter sought to be raised in the House. It does not mean that you should hand it over to me here.

डा० राम सुभग सिंह : मंत्री लोग विमानों द्वारा बिहार जा रहे हैं तथा राज्य सरकार और विधान सभा के लिये कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। मेरा यह आरोप है कि मंत्रीगण सदस्यों को खरीदने के लिये पटना गये....

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मेरी बात सुन लीजिये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I have given a Calling Attention Notice.

Mr. Speaker : Everybody is on his legs. How can democracy function in such a way ?

मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक
FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I oppose this Bill on the introduction stage because I think that the object with which this Bill is being brought forward will not be fulfilled by it.

I want that the exporters, who in the opinion of the Government are guilty of furnishing false declaration time and again, should be debarred from exporting any goods. But this Bill has no such provision. Hence I oppose it.

Mr. Speaker : He can give his suggestion latter on and not on the introduction stage.

प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : ORDINANCE

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1969, द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित हैं।

बिहार भूमिसुधार विधियां (खानों और खनिजों को विनियमित करना) विधेयक
BIHAR LAND REFORMS LAWS (REGULATING MINES AND MINERALS) VALIDATION BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 और बिहार लघु खनिज

रियायत नियम, 1964 के कतिपय उपबन्धों और उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और किये गए कार्य को मान्यता देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, और बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के कतिपय उपबन्धों और उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और किये गये कार्य को मान्यता देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री जगन्नाथ राव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम

ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम): मैं अपने प्रस्ताव में थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं, अर्थात क्रम संख्या 2 के सामने "श्री नि० चं० चटर्जी" के स्थान पर "श्री दत्तात्रेय कुन्टे" पढ़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, में आगे संशोधन करने वाला विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में निम्नलिखित 24 सदस्यों की प्रवर समिति को सौंपा जाये अर्थात् :—

1. श्री आर० डी० भण्डारे
2. श्री दत्तात्रय कुन्टे
3. श्री जे० के० चौधरी
4. श्री शिवाजीराव शं० देशमुख
5. श्री अ० क० गोपालन
6. श्री श्रीचन्द गोयल
7. श्री एस० एम० जोशी
8. श्री विक्रम चन्द महाजन
9. श्री पी० गोविन्द मेनन
10. श्री श्रीनिवास मिश्र
11. श्री एफ० एच० मोहसिन
12. श्री ही० ना० मुकर्जी
13. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
14. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
15. श्री विश्वनाथ पाण्डेय
16. चौधरी रणधीर सिंह
17. श्री के० नारायण राव
18. श्रीमती सावित्री श्याम
19. श्री अ० कु० सेन
20. श्री शान्ति लाल शाह
21. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
22. श्री जे० विश्वनाथन
23. श्री एस० जेवियर; और
24. श्री मुहम्मद यूनस सलीम

और आगामी अधिवेशन के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के अनुदेश दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

देश में साम्प्रदायिक स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. STATEMENT ON COMMUNICAL SITUATION IN THE COUNTRY

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमें इसके लिए समय बढ़ाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए हमारे पास केवल 35 मिनट और हैं । हमें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करनी है । हम एक घन्टा समय बढ़ा सकते हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या आप संविधान (संशोधन) विधेयक पर 4 बजे वाद-विवाद करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हमने समय बढ़ा दिया है, और हम अब वाद-विवाद जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha than adjouhned for Lunch till Fourteen of the Clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha Re. Assembled after Lunch at five minites past Fourteen of the Clock

{ **श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair ***in the Chair.*** }

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में

RE: PROPOSED STRIKE BY L. I. C. EMPLOYEES

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं चाहता हूँ कि साम्प्रदायिक स्थिति पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये । आप जानते ही है कि जीवन बीमा निगम के 8500 विकास अधिकारी 10 दिसम्बर, 1969 से हड़ताल करने वाले हैं । यह एक महत्वपूर्ण मामला है । उनके प्रतिनिधि यहां हैं और वे वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री से बात चीत करना चाहते हैं । मैं यह मामला इसलिए उठाना चाहता हूँ क्योंकि 10 दिनांक से आगे यह हड़ताल चलती रहेगी और वे कर्मचारियों के विरुद्ध सभी कार्यवाही को वापिस लेना चाहते हैं । मै अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें ताकि हड़ताल को टाला जा सके तथा बातचीत शीघ्र आरम्भ की जाये ।

Shri Rabi Ray : About eight thousands development officers are going to strike. We are raising this issue for the last 15 days but the Government are not giving any heed The Minister of State may have a talk with them and give his statement here... **(interruptions).**

सभापति महोदय : हमें कहा गया है कि वित्त मन्त्री के पास महत्वपूर्ण मामला पड़ा है और उनके ध्यान में यह बात लाई गई है । संसदीय कार्य मन्त्री माननीय सदस्यों के विचार श्री खाडिलकर को बता देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस मामले की गम्भीरता देखते हुए हम शीघ्र वक्तव्य देने पर जोर दे रहे हैं ताकि हड़ताल को टाला जा सके ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता जीवन बीमा निगम के दृढ़ स्तंभ है । निगम की आय के लिए ये ही लोग जिम्मेवार है । वे सरकार से बातचीत करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु असफल रहे हैं, अतएव वे ऐसे तरीके अपना रहे हैं ।

सभापति महोदय : मैंने यह बात कई बार दोहराई है कि माननीय सदस्य के विवादों को मन्त्री महोदय के समक्ष रखा जायेगा । मुझे आशा है कि संसदीय कार्य मन्त्री संबंधित मन्त्री महोदय को स्थिति से अवगत करायेंगे ।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव-जारी

MOTION RE : STATEMENT ON COMMUNICAL SITUATION IN THE COUNTRY-Contd.

सभापति महोदय : सभा में अब साम्प्रदायिक स्थिति के प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्र पाडा) : अब तक हुए वक्तव्यों से मुझे यह जान नहीं पड़ता कि समस्या के प्रति तथ्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है । हाल के वर्षों में यह स्थिति ऐसा रूप धारण कर गई है कि यदि देश की राजनीति से इसको नहीं निकाला गया तो इसका अन्ततः परिणाम देश का विघटन होगा। यह सभी जानते है कि छोटी-छोटी बातें उपद्रव करा सकती है और किस प्रकार उन्मादी लोग उत्तेजना फैलाकर स्थिति को हिंसात्मक रूप दे देते हैं । मैं इसके कारणों में न जाकर यह पूछना चाहता हूँ कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व की तुलना मे अब साम्प्रदायिक दंगे इतने क्यों बढ़ गये हैं । वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि इसमें राजनीतिक पुट है और उपद्रव के कारणों को दूर करने के लिए कुछ नही कहा गया है ।

हमारे कुछ मित्रों ने निष्ठा का प्रश्न उठाया है, इस देश के प्रति निष्ठा धर्म निरपेक्षतावाद के प्रति निष्ठा है । यदि कोई इसके विरुद्ध कार्य करता पाया गया तो उसको दबा देना चाहिए, परन्तु आप एक विशेष समुदाय की निष्ठा पर संदेह नहीं कर सकते, मेरे अनुसार 'देश के प्रति निष्ठा' एक गलत बात है। हमारे देश में अन्य समुदायों के ऐसे भी लोग हैं जिनकी अन्य राष्ट्रों के प्रति निष्ठा है, यदि किसी विशेष समुदाय की निष्ठा का प्रश्न उठाया

गया तो आवश्यक रूप से यह उन लोगों पर भी लागू होगा जिनकी अन्य देशों के प्रति निष्ठा है, अतएव यह निष्ठा का प्रश्न है। किसी के मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि देश के 6 करोड़ मुसलमानों की निष्ठा संदेहास्पद है, यह कहना गलत होगा कि उन्हें देश छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। देश के विभाजन में उन्होंने यहीं रहने का अपना विकल्प दिया है। अतएव उनको वही सुविधायें तथा अधिकार आदि मिलेंगे जो शेष भारतीयों को मिले हुए हैं।

मुझे लगता है कि जो व्यक्ति निष्ठा का प्रश्न उठा रहे हैं, वे केवल एक ही समुदाय तक सीमित नहीं है, दोनों ही हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों में ऐसे उन्मादी तत्व हैं जो ऐसी स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इनको ढूंढकर कठोर दन्ड देना चाहिए।

मुझे श्री सुलेमान सेठ का वक्तव्य पढ़कर आश्चर्य हुआ। उसमें इलाहबाद में लगाये गये "पाकिस्तान जिन्दाबाद" नारों का उल्लेख भी नहीं है। इस तरह की बातें लोगों के मन में यह संदेह उत्पन्न करती हैं कि इसमें काफी प्रमुख मुसलमानों की सहमति है।

दूसरे, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएें एक साथ तथा एक ही तरीके से देश में कैसे घटित होती है। एक छोटी सी घटना बड़ा रूप धारण कर लेती है। कुछ संगठित व्यक्ति घटनास्थल पर आते हैं और वे मामले को उत्तेजित कर भयंकर रूप दे देते हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण ने सब स्थानों का दौरा करने के उपरान्त यह कहा है/कि इसमें विदेशी ऐजेन्टों के हाथ है, यह बात सच है या नहीं ? मुझे रूरकेला में सम्प्रदायिक दंगों के बारे में बताया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमानों को जान से मारा गया। उस समय उड़ीसा में कांग्रेस सरकार थी। गुजरात की भांति वे भी वहां असफल रहे, जब काफी संख्या में मुसलमानों को मार डाला गया तो तब सेना को बुलवाया गया था।

ये सरकारें इन साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में क्यों असफल हो रही है, मुझे लगता है कि केन्द्र तथा राज्य की सरकारें स्थिति को सुलझाने के लिए कटिबद्ध नहीं हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह तत्व आज हमारे मस्तिष्क और देश में घुस गया है, यदि किसी मुसलमान की दुकान लूटी जा रही है तो पास में खड़ा हिन्दू कांस्टेबल देखता ही रहेगा और लूट-खसोट हो जाने तथा अपराधियों के भाग जाने पर ही चिल्लायेगा, क्या यही बात केन्द्र तथा राज्यों के उच्च अधिकारियों में भी है। अतएव सरकार का इसके प्रति दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण है।

अहमदाबाद का ही प्रश्न लीजिए, मैं नहीं जानता कि लोग न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग और न्यायिक जांच में क्या अन्तर बता रहे हैं, मेरे विचार में यह एक ही बात है, मैं नहीं सोचता कि जांच आयोग को नियुक्त करने के बाद हमें न्यायिक जांच भी कराने की कोई आवश्यकता है।

आज के समाचारों को पढ़कर मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि गुजरात सरकार स्वयं इस जांच को गुप्त रूप से कराना चाहती है; मैं नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे गुजरात सरकार द्वारा वितरित यह वक्तव्य पढ़कर और भी आश्चर्य हुआ जिसमें कहा गया है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, ऐसा मालूम होता है कि राज्य सरकार यही तर्क दे रही है कि चूंकि अन्य राज्यों की तुलना में यहां सबसे कम साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, अतएव यहां कुछ हजार व्यक्ति मारे भी जायें तो कोई अन्तर नहीं पड़ता, इससे यह पता चलता है कि न हम और न ही सरकार स्थिति को गम्भीरता से सुलझाना चाहती है।

हमको संसद में यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न समुदायों के बीच दुर्भावना को फैलाया है। कांग्रेस सरकार का 22 वर्ष का इतिहास देखिए, उन्होंने मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र से मुसलमान को खड़ा किया है तथा यह कहा है कि यदि तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जायेगा, यह नारा उनको पृथक करने वाला है, इस प्रकार इस समस्या को और धक्का लगता है। इस सम्बन्ध में साम्यवादी दल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जब एक सदस्य ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने एक गुप्त परिपत्र जारी करके यह आदेश दिया था कि कतिपय पदों पर मुसलमानों को भरती न किया जाय तो गृह कार्य मन्त्री ने इसका खंडन किया, इस पर श्री मुकर्जी ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि गुप्त परिपत्र जारी नहीं किया गया था, जब इस तरह की बातें चलती है तो फिर क्या होगा ? हमारी अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति है परन्तु हमें ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे मामला और अधिक उलझे।

मैं मराठी समाचार पत्र "नवशक्ति" में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिलाऊंगा जिसमें कहा गया था कि श्री रनदिवे ने 6 नवम्बर. 1969 को 'जुला' मैदान में यह कहा था कि स्वतन्त्रता के बाद मुसलमानों का हिन्दुओं द्वारा वध किया गया है और केवल वाम पंथी साम्यवादी ही उनको बचा सकते हैं। इस तरह राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे मामला और भी अधिक उलझता है तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मतभेद बढ़ते हैं।

मेरा कहना यह है कि इस पर केवल वाद-विवाद करने से समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यह समस्या विशाल है, हमें दोनों सम्प्रदायों के उन उन्मादी व्यक्तियों को पकड़ना होगा जो कि स्थिति को भड़काते हैं तथा उन्हें कठोर दण्ड देना होगा, परन्तु सबसे पहले इसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अब तक के कार्य यही बताते हैं कि वे मामले को सुलझाने के प्रति गम्भीर नहीं है।

श्री अहमद आगा (बारा मूला) : महात्मा गांधी ने साम्प्रदायिक एकता के लिए जिस प्रकार अपने प्राणों की कुर्बानी की, उसका विश्व के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, परन्तु फिर भी साम्प्रदायिक दुर्भावना समाप्त नहीं हुई है, उन्होंने कहा है कि देश के विभाजन

से पूर्व दो राष्ट्र के सिद्धान्त का प्रचार किया गया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान इस बात से प्रसन्न नहीं है कि यहां धर्म निरपेक्ष राज्य रहे। अतएव वह यहां साम्प्रदायिक दंगे कराता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मेरे विचार में जो व्यक्ति साम्प्रदायिक एकता नहीं चाहते तथा पाकिस्तान के समान विचार रखते हैं, वे देशभक्त नहीं हैं। यह कहना, कि अल्पसंख्यक वर्ग देशभक्त नहीं है, उसी तरह है जैसे कि पाकिस्तान कहता है कि मुसलमानों का भारत में कोई स्थान नहीं है, अतएव इस तरह के विचार रखना पाकिस्तान के कदमों पर चलना है।

श्री मोरारजी भाई ने यह भी कहा था कि अहमदाबाद में "इस्लाम से टकरायेगा, चूर-चूर हो जायेगा" के नारे लगाये गये थे। परन्तु यदि ऐसा कहा भी गया तो इसका संकेत इसरायल की ओर है।

मुझे प्रसन्नता है कि साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए उन्होंने अनशन किया परन्तु यह इसलिए किया गया क्योंकि राज्य सरकार पूर्णतया असफल हो गई थी और पुलिस निस्क्रिय थी। यह एक वस्तुतथ्य है कि हथियार और गोला बारूद के होते हुए भी पुलिस दर्शक की तरह तमाशा देखती रही, मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हुआ हमारे पास निवारक नजरबन्दी अधिनियम, पुलिस बल आदि सब विद्यमान थे, यदि वहां तनाव आदि फैल रहा था तो राज्य सरकार सावधान क्यों नहीं हुई? निवारक नजर बन्दी अधिनियम किसलिए है?

ऐसा कहना, कि समूचा भारतीय समाज साम्प्रदायिक भावना के वशीभूत है, गलत है। बहुत थोड़े लोग ही इससे प्रभावित है। हम इसके लिए सबको निन्दा, नहीं कर सकते, हम साम्प्रदाय विरोधी हैं, परन्तु राज्य सरकारों को अपने कर्तव्य में असफल नहीं होना चाहिए. यदि वह असफल रहती है तो उसको इसके लिए उत्तरदायी मानना होगा।

देश में साम्प्रदायिक उपद्रव वर्ष 1965 के बाद से बार-बार होने लगे। हमें इसका कारण देखना होगा। वर्ष 1962 में चीन के साथ और वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस समय अवमूल्यन भी किया गया, 1967 में एकाधिकार जांच आयोग का प्रतिवेदन निकला. इससे यह पता चला कि हम 22 वर्षों से क्या कर रहे हैं। एकाधिकारी का आधिपत्य बढ़ता गया और समाज का दुर्बल वर्ग और भी दुर्बल होता गया। निहित स्वार्थ वालों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए दंगे कराये। रांची, रूरकेला, जमशेदपुर, इन्दौर, नागपुर, अहमदाबाद में दंगे इसलिए हुए क्योंकि वे औद्योगिक क्षेत्र थे, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि निहित स्वार्थ वाले इन दंगों को कराना चाहते थे;

हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इससे निहित स्वार्थ वाले बेचैन हो गये। अतः यह मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया। उन्होंने रभात का मामला तथा अन्य मामले भी उठाये ताकि हम समाजवादी कार्यक्रम क्रियान्वित न कर सकें। यदि हम लोकतांत्रिक समाजवाद को न अपनायें तो फिर हम क्या करें, समाज का दुर्बल वर्ग नक्सलवादी बन जायेगा। क्या आप उस स्थिति को स्वीकार करेंगे?

हम आज चन्द्रमा पर मानव अवतरण की घटना से रोमांचित हैं। क्या हम एक दूसरे की हत्या करके सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं ? क्या विश्व सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, अथवा असभ्यता की ओर ?

श्री बदरुद्दूजा (मुर्शिदाबाद) : देश में एक उपद्रव के बाद दूसरा उपद्रव होते रहे हैं, सभी यह कहते हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा ने लोगों को तथा उनके विचारों को दूषित कर दिया है, यह प्रसन्नता का विषय है कि समाज का एक बड़ा वर्ग हमारे प्रति सहानुभूति रखता है, कांग्रेस, प्रजा समाजवादी दल, साम्यवादियों ने हमारे प्रति जो सद्भावना बरती है, वह यह सिद्ध करता है कि उनको हमारे प्रति सहानुभूति है।

जब हम साम्प्रदायिक दंगों पर आते हैं, तो मैं यह सोचकर कांप जाता हूँ कि गत 22 वर्षों में काफी खून–खराबी रही। इन तमाम वर्षों में हजारों दंगे हुए, गत चार वर्षों में 1000 से अधिक दंगे हुए, हजारों की संख्या में मुसलमानों का कत्ल, उनकी सम्पति का लूटा जाना, मस्जिद आदि को अपवित्र करना, आग लगाना आदि कई बातें ऐसी हैं जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है; इन कत्लेआम तथा अत्याचारों से मुसलमानों के मन में भय तथा असुरक्षा की भावना भर गई है।

श्री बलराज मधोक : (दक्षिण दिल्ली) : इस तरह के वक्तव्य से क्या साम्प्रदायिक सौहाद्र स्थापित किया जा सकता है। क्या आप इस तरह के भाषण चलने देंगे ?

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे और यदि कोई आपत्तिजनक बात पाई गई तो वे इसको बतायेंगे।

श्री बदरुद्दूजा : रूरकेला, जमशेदपुर, जबलपुर और अहमदाबाद की घटनायें यह बताती हैं कि राज्य सरकारें इस मामलों में कितनी उदासीन तथा अकुशल रहीं, पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु और जम्मू तथा कश्मीर को छोडकर अन्य राज्य सरकारें मुसलमानों के जीवन, मान सम्मान की रक्षा करने में असफल रही हैं।

मैंने गृह कार्य मन्त्री को यह सुझाव दिया था कि प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस आदि में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हम भारत के निवासी हैं, यहां के लाखों मुसलमान भारत के अभिन्न अंश हैं, केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व गौण है, यदि उनको समुचित प्रतिनिधित्व न दिया गया तो वे अपने आपको मुसलमान विरोधी तथा शरारती तत्वों से बचाव न कर सकेंगे।

श्री बलराज मधोक : पाकिस्तान में कितने हिन्दू सिविल सेवाओं में हैं, माननीय सदस्य इसके आंकड़े दें। मैं इस तरह उनके वक्तव्य को सहन नहीं कर सकता, वे इस प्रकार समूचे देश की निंदा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया इस तरह का विघ्न उत्पन्न करें और संयमित भाषा का प्रयोग करें। मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे।

श्री बदरुद्दुजा : अहमदाबाद के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां सरकार दंगों को रोकने में बुरी तरह असफल रही। वहां महीने तक साम्प्रदायिक तनाव फैलता रहा तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध जन भावना का निर्माण होता रहा। 18 सितम्बर की घटना ने दंगों के लिए चिनगारी का काम किया। यदि सरकार स्थिति को नियन्त्रण में रखने के लिए ठोस कार्यवाही करती तो आज ऐसी बात नहीं होती, अहमदाबाद और अन्य शहरों को गुंडागर्दी पर छोड़ दिया गया। यद्यपि पुलिस वालों को शस्त्र दिये गए थे परन्तु उन्होंने उनका प्रयोग नहीं किया। 'सेवक' नामक समाचार पत्र ने 20 सितम्बर को यह विषैला प्रचार किया कि मुसलमानों ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, इससे समूचे राज्य में दंगों की लहर दौड़ गई, मुसलमानों का कत्ल किया गया और जहां कम संख्या में मुसलमान रहते थे वहां उनको घरों से बाहर घसीटा गया तथा मार डाला गया। मैं आज हिंदू समुदाय के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस संकट की घड़ी में हमारे प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनायें।

मैंने वर्ष 1964 में, जब समूचे देश में साम्प्रदायिक दंगों की लहर फैली हुई थी, श्री नेहरू से कहा था कि वे इन सबका दृढ़ता से मुकाबिला करें। आज मैं उनकी पुत्री से अपील कर रहा हूं कि वे भी ऐसा करें और विघटन कारी तथा साम्प्रदायिक तत्वों को दबा दें ताकि एक ऐसा भारत उभरे जहां सब समुदायों का समान प्रतिनिधित्व हो और वे देश के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दें सकें। उनके मार्ग में कठिनाईयां आयेंगी और कई रुकावटें भी आयेंगी पर वे उनसे न घबरायें। जो एक ऊंचे उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं तथा अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं वे वास्तव में मरते नहीं हैं बल्कि राष्ट्र तथा समुदायों में जीवित रहते हैं। इस हत्याकांड से मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि इन्सान नेइन्सान को क्या बना डाला है।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : पिछले बुद्धवार से मेरा नाम आपके पास है परन्तु मुझे नहीं बुलाया गया। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित हूँ इसलिए मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। नेतागण जो नाम आपके पास लिख कर भेजते हैं आप उन्हीं को स्वीकार करते हैं। यह बहुत अनुचित है। मुझे स्वयं इस बात का निर्णय करना पड़ेगा और अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ेगा, मैं सदा उनकी इच्छानुसार नहीं चल सकता।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : There are three aspects of the problem of communal riots (i) Political ; (2) Legal ; and (3) Administrative.

So far as the administrative aspect of the problem is concerned, the Ministry of Home Affairs has appointed a study cell to go into this problem. Certain socialagists also have been studying this problem and they have came to certain conclusions, one of which is that it is a predictable phenomena. We should understand the root cause of the problems. Commercial disturbances do not spread spoutaneously in the country ; but well planned conspiracy have been found behind them. The branches of the R. S. S., for instance, celebrated' 'Bang Vijay' and 'Gujarat 'Day' in the country .... **(Interruptions)**

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : उन्हें अपने इस कथन को साबित करना होगा संसद को इस उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संस्था

42 वर्ष से देश में कार्य कर रही है। इस संस्था को कोई व्यक्ति इस प्रकार से बदनाम नहीं कर सकता **(व्यवधान)** तथ्यों के आधार पर ही उन्हें व्यक्तव्य देना चाहिये। इस प्रकार के निराधार और नितान्त झूठे आरोपों को सहन नहीं किया जा सकता। यदि वे विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों से उद्धरण दें तो उन्हें पता लगे। ऐसे ही आरोप हम भी लगा सकते हैं।

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य किसी बात से मेरा संबंध नहीं है। जब एक सदस्य अपना वक्तव्य देता है तो दूसरे सदस्य को उसका विरोध करने का पूर्ण अधिकार है, परन्तु उचित रूप में नियम के अन्तर्गत, सामान्य प्राक्रिया के अनुसार उसे विरोध करने की अनुमति मिल सकती है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : इस सम्बन्ध में मै आपको अध्यक्ष महोदय के विनिर्णयों की याद दिलाता हूं कि वक्तव्यों के दौरान किसी सदस्य को किसी दल विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उसका कोई लेख बद्ध प्रमाण होना चाहिए।

श्री अमृत नहाटा : मैंने किसी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं किया.......

श्री बलराज मधोक : वह इस प्रकार के निराधार आरोप नहीं लगा सकते। यह लोक सभा है कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। यहां हमें निश्चित आधारों तथा तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा आरोप नहीं लगा सकते। संसद सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह यहां पूरे दायित्व के साथ बोले।

श्री अमृत नहाटा : मैंने किसी ऐसे राजनीति दल का उल्लेख नहीं किया जिसका प्रतिनिधित्व इस सदन में है। मैंने तो माननीय मंत्री से इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए निवेदन किया था कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संस्थान ने देश के विभिन्न भागों में हुए दंगों से तुरन्त पहले 'बंग बिजय' तथा 'गुजरात विजय' दिवस मनाया था।

Shri Braj Bhushan Lal (Bareilly) : He is altogether wrong. I want to know whether any Member can make such mild charges in this House ?

श्री अमृत नहाटा : मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ।

Shri Brij Bhushan Lal : Sir, on a point of order can any member tell such Cook and bull stories and make such charges......

Shri Amrit Nahata : The branch of R. S. S. celebrated 'Bang-Vijay' and 'Gujarat day' at Karol Bagh in Delhi.

Shri Brij Bhushan Lal : What ever he says is altogether wrong.

श्री बलराज मधोक : श्री नहाटा जी को मेरी चुनौती है कि यदि वह इस आरोप को सिद्ध करदें तो मैं त्याग पत्र दूंगा और वह भी त्याग पत्र दे दें और मेरी चुनौती स्वीकार करे। वह एकदम झूठे आरोप लगा रहे हैं।

श्री अमृत नहाटा : मैंने माननीय मन्त्री से निवेदन किया है कि वह तथ्यों की सत्यता की जांच करें।

सभापति महोदय : हमारा समय अमूल्य है। माननीय सदस्य के भाषण के प्रत्येक वाक्य को लेकर वह इस प्रकार की खींचा तानी नहीं करें। सदस्य जो अपना भाषण दे रहे है वह उनकी अपनी जानकारी पर आधारित है। यदि कोई सदस्य उनके वक्तव्य को पसन्द नहीं करता अथवा उसे सहमत नही होता तो वह उनके वक्तव्य का प्रतिवाद कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अवसर मिलता है।

श्री बलराज मधोक : गृह मंत्री इस बात की जांच कराये।

Shri Amrit Nahata : I was saying that communal riots are predictable because these riots do not spread spontaneously. These riots remained restricted to those cities and industrial colonies which are thickly populated by Muslims. If has also been found that the communal riots occur on the religious festivals, and spread like wild fire only on religious matters. It has been rightly stated that these communal riots take place in order to divert the attention of the people from some important progressive steps proposed to be taken in the country. Therefore, the hon. Minister for Home Affairs should see and keep this fact in his mind while taking progressive steps in the country that reactionary forces would create communal disturbance and for that he should be fully prepared to tackle them. Just before the out break of communal disturbances in Allahabad and some other places, some kind of well planned, well organised but baseless rumours were spread. Even the all India Radio did not keep off those rumours, though they were later on contradicated and declared as false. In order to tackle such rumours the hon. Home Minister should take some concrete steps.

These disturbances cannot take place in case police feel its responsiblity and become vigilant Our police have been unsuccessful in curbing these riots. No useful purpose would be served by appointing an inquiry commision to go into the causes of communal riots. The riots would not step thereby. These communal riots can be checked and curbed if the local administration is held responsible for them. The admioistration and our police themselves, have communal feelings and communal thinkings which has already been proved in this House earlier. State Governments should be made to resign if disturbances are not curbed within twenty four hours and police officers and the Collector concerned must be punished. There is no scope for appointing inquiry Commission.

Shri Shripati Misra (Sultanpur) : This House is a new place for me as I have come here for the first time and after listening to the speeches and statements made so far, I have come to the conclusion that no concrete suggestion has been given to check communal riots, and much has been said as to whose hand was behind them and who planned them. The persent condition of our country is very aimful and critical. This communal issue has become a great obstacle in the progress of our country. We attained independence but these ills could not be removed. The feelings and emotions of our leaders and great men and their actions influence the minds of the people of the country. Our great leaders should see that the candidate they chose for contesting political elec;ions has direct contact with the people of his constituency, irrespective of caste or creed. They should see that people of all walks of life like him. But on the contrary, they chose their candidate on communal basis and as much they

are responsible for the communal disharmony and trouble, not only in some particular, areas but all over the country. Therefore, our leaders should cease taking decisions on the communal basis. Most of the laws enacted by Government are based on communal feelings. Our leaders and Government should see that eommunal feelings are removed from the minds of the people and communal harmoney is created amongst the masses of the country. Government must take stern action against these reactionary forces that create communal conditions in the contry.

Moreover, the conclusions of various committees' reports regarding these distrubances shou'd be taken into consideration and adequate and proper action should be taken against the elements responsible for such riots. if we take initiative to effect improvement in the conditions of the country, its outcome is bound to be fruitful. Instead of taking undue advantage of communal feelings, we should take stern action to check them.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : It is an admitted fact that State Governments are responsible for any riots or disturbances that take place in the states. State Government is also responsible for keeping law and order in the state. But I do not agree with what my hon. Friends have said that Central Government is responsible for keeping law and order in the states when this responsiblity has been entrusted to the states. We have to see and find out the causes of communal riots which has resulted in huge loss of property and claimed so many lives. We have been taught and educated to dominate others and not to be dominated by others. This shall not be allowed to go now. We shall have to find ways of removing mutual hatred, we shall have to find out root causes of the communal tention and communal riots and we shall have to fight the forces responsible for these riots. We should inculcate in people a sense of integration and harmoneous life and this could remove communal feeling and reactionary thinking from the minds of the people in country.

The books containing such discourses should be made available to the people in the libraries, so that people may read them and fight forces of disintegration.

Government should persuade the State Government also to follow suit. It is a matter of joy that the hon. Home Minister has gone to Ahmedabad and has studied the conditions. This has given some satisfaction and relief to the people of Ahmedabad.

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये

सभापति महोदय : सभा में यह निर्णय किया जा चुका है कि इस वाद विवाद को चार बजे तक समाप्त करना है : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें उत्तर देने के लिये आधे घंटे का समय चाहिये । अतः अब किसी अन्य माननीय सदस्य का नाम सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय पहले ही काफी हो चुका है ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : **Mr. Chairman, Sir, it was hoped that communalism, one of our most serious problems, would come to an end after achieving independence but it is our hard luck that this momid problem is still there in our country.**

Just as the scientific laws are applicable to all the countries of the world, the laws of humainity are also applicable to the entire mankind. Therefor, we see that the

problem of communalism is not confined to India only, the problems of socialism and that of black and white are there in America and England also. Let us see the main factor which gives birth to communalism and other such feeling in the society ?

I may see that it is the social structure that gives birth to it. Before independence our country was in the grip of imperialism and after independence capitalism has been catching the seins our country. The same circumstances can be traced in all the countries where the problem of communalism is still existing. Thus, this kind of social structure instill such feelings and reactions in the peoples of the different country.

The Government was not in favour of having discussion on this subject. It is only after the hue and cry in the House that they have brouget in a motion here as a lip-service and the measures proposed to tackle this problem were all off the mark.

In his Speech, Shri Morarji Desai have suggested that religious education should be imparted to our children but I may say that it is not a proper remedial measure to tackle this problem. This will intensify the problem.

सभापति महोदय : आपने बहुत समय ले लिया। अब आप अपना भाषण समाप्त कर दीजिये।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether the religious programme broadcast in the morning from the All India Radio is not based on the communalism ? Have they ever considered that the prayer songs of other religions should also be sung from the All India Radio ? Thus, I would say that this approach of the Government is not healthy.

So much stress is laid on the scientific approach but may I knaw whether the Prime Minister had adopted a scientific approach while voting on the Oaths Bill ?

सभापति महोदय : शांति, शांति। अब जो कुछ कहा जायेगा उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri Shiv Chandra Jha : **.........

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सभापति महोदय !

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Sir I rise on a point of order, Three minutes are still due to my party and I want your ruling on that.

सभापति महोदय : इस बार आप मुझे क्षमा करिये क्योंकि यदि इस मामले को फिर से उठाया गया तो मुझे बड़ी कठिनाई होगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह प्रसन्नता की बात है कि सभा में साम्प्रदायिकता की समस्या पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला है। यह समस्या भारत में बुरी तरह से व्याप्त है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि अहमदाबाद की घटनाएं सभी के लिये चिंताजनक है। सभी माननीय सदस्यों ने इस घटना को अशुभ कहा है। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ। इस मामले पर जांच आयोग विचार कर रहा है। अतः मेरे लिये इस सम्बन्ध में कोई निर्णय देना उचित नहीं रहेगा। यह अवश्य कहा जा सकता है कि अहमदाबाद की घटनाओं से देश में साम्प्रदायिकता का खतरा पैदा हो गया है।

इस सम्बन्ध में हुए वाद-विवाद पर बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया तथा प्रत्येक माननीय सदस्य ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार इस समस्या के कारणों का उल्लेख किया तथा विभिन्न सरकारों या प्रशासनों को दोषी ठहराया। जहां तक मैं समझता हूं यह समस्या किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं हुई है। वास्तव में यह एक जटिल तथा पुरानी समस्या है। इस वाद-विवाद का उद्देश्य यह था कि इस समस्या के कारणों को खोजा जाय तथा उनका समाधान खोजा जाय। मैं अपने उत्तर में इसी दृष्टिकोण को अपनाऊंगा क्योंकि एक दम कोई समाधान या कारण बता देना सम्भव नहीं है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रश्नों का भी अलग-अलग उत्तर नहीं दे सकता।

साम्प्रदायिक दंगों की समस्या केवल अहमदाबाद की घटना तक ही सीमित नहीं है। यह समस्या सम्पूर्ण देश की समस्या है। रांची में हुई घटना इतनी प्रबल या भयावह नहीं थी किन्तु यह समस्या पिछले चार या पांच वर्षों से बलवती होती जा रही है और अहमदाबाद में यह समस्या अपने शिखर पर पहुंच गई। यदि आंकड़ों का अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि 1950 की दशाब्दी में साम्प्रदायिक दंगे कम हुये थे। वर्ष 1960 में केवल 26 स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुये थे, किन्तु वर्ष 1961 के पश्चात यह दंगे बढ़ते गये। हमें इस गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में गम्भीरता से ही सोचना पड़ेगा।

सामान्यतः यह विश्वास किया जाता था कि हिन्दू और मुसलमानों को परस्पर लड़ाने वाला एक तीसरा पक्ष था। इस मान्यता में आंशिक सत्य हो सकता है और हम इसे पूर्ण सत्य नहीं कह सकते क्योंकि यदि ऐसा होता तो अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश से साम्प्रदायिकता अवश्य चली जाती। किन्तु ऐसा हुआ नहीं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि अंग्रेजों ने भी अपने राजनीतिक लाभ के लिये एक धर्म वर्ग को दूसरे धर्म वर्ग के साथ लड़ाया। जब भी किसी सम्प्रदाय ने संगठित होने का प्रयास किया, उस संगठन को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया तभी साम्प्रदायिक भावनाओं में वृद्धि हुई।

वर्ष 1960 तक की राजनीति व्यवस्थित तथा लोकतन्त्रात्मक थी किन्तु 1960 के पश्चात् धार्मिक दलों ने राजनीतिक उद्देश्यों से कार्य करना आरम्भ कर दिया। साम्प्रदायिक दंगों मे वृद्धि होने का मेरे विचार से यह भी एक कारण है। यद्यपि मैं ऐसे साम्प्रदायिक दलों का नाम नहीं लेना चाहता जो राजनीतिक भी थे।

इसके अतिरिक्त भी बहुत से अन्य कारण हैं तथा हमें उन सभी का पता लगाने का प्रयास करना चाहिये। मैं इस कारण पर अधिक बल इसीलिये दे रहा हूँ कि यह कारण राजनीतिक है तथा सभा में समस्त देश के राजनीतिक प्रतिनिधि विद्यमान हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि इस साम्प्रदायिकता की समस्या का समाधान कैसे किया जाय । कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि जिस सम्प्रदाय की ओर से किसी गड़बड़ का सूत्रपात होता है उसे दोषी ठहराया जाय । श्री नाहटा ने साम्प्रदायिक दंगों के कुछ विशिष्ट कारण बताये जैसे कि मन्दिर या मस्जिद के सामने संगीत का आयोजन या गऊ वध आदि । वास्तव में साम्प्रदायिक दंगे इन धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं होते । साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिकतर दंगे ऐसे धार्मिक संस्कारों का निष्पादन करने से नहीं होते । होता तो यह है कि कहीं एक हिन्दू और एक मुसलमान के बीच किसी व्यक्तिगत कारण को लेकर दंगा हो जाता है तथा वही दंगा बढ़कर साम्प्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लेता है । यह दंगा किन्हीं दो अलग अलग साम्प्रदायिक वर्गों के बीच भी किसी स्पर्द्धा के परिणामस्वरूप हो जाता है जो उग्र तथा व्यापक रूप धारण कर लेता है । इन घटनाओं को दो स्तरों पर रोका जा सकता है । एक तो सरकारी स्तर पर तथा दूसरे सामाजिक या, कहिये, राष्ट्रीय स्तर पर । जहां तक सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोकने का सम्बन्ध है इन घटनाओं को तीन या चार प्रकार से रोका जा सकता है । प्रत्येक स्थान का साम्प्रदायिक इतिहास होता है । अतः पहले तो विभिन्न स्थानों पर पनपने वाली साम्प्रदायिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिये । जिन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं उनके विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिये तथा वहां किस समय क्या होता है इस बात की पूरी तथा स्पष्ट जांच की जानी चाहिये ।

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में इस समस्या के इस पहलू पर कई बार बल दिया गया है । केन्द्रीय सरकार ने इस पहलू पर काफी बल दिया है तथा राज्य सरकारों ने भी इसे स्वीकार किया है । अब प्रश्न केवल इस नीति को कार्यान्वित करने का है । मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जहां पर प्रभावोत्पादक तथा कुशल संगठन कार्य कर रहे हैं वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं हो पाती । साम्प्रदायिक तनाव के कारणों का पता लग जाने पर वहां का सम्पूर्ण दृश्य ही बदल जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में रोधक उपाय करना सरल हो जाता है । किन्तु इस सम्बन्ध में थोड़ी सी चूक होने से ही स्थिति पर नियंत्रण करना असंभव हो जाता है । साम्प्रदायिक दंगों का एक बार विस्फोट होने से उसका विस्तार तथा उसकी भयावहता बढ़ती चली जाती है । ऐसी स्थिति में सरकार को यह विदित भी नहीं हो पाता कि दंगे के उत्स कहां है तथा उनके नेता कौन हैं । अतः साम्प्रदायिक दंगों को पनपने से पहले ही उनको समूल नष्ट करना हितकर है, तथापि मेरा यह आशय नहीं कि इन दंगों के प्रकट हो जाने या उभरने पर कुछ नहीं करना चाहिये ।

यह सब कहने का आशय यह हुआ कि प्रशासन को इस सम्बन्ध में हमेशा सतर्क रहना चाहिये । राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने यह सुझाव दिया है कि साम्प्रदायिक दंगों के बारे में घटना क्षेत्रों के जिला प्राधिकारियों को उत्तरदायी ठहराना चाहिये । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लिखा गया है तथा उन्होंने भी इस बात को सिद्धान्तरूप से स्वीकार कर लिया है । वास्तव में साम्प्रदायिक दंगों के लिये राज्य सरकारें ही उत्तरदायी हैं । यदि जिला प्राधिकारियों तत्स्थानीय या अधिकारियों को इस विषय में उत्तरदायी ठहराया गया तो वे अधिक सतर्क रहेंगे तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कोई योजना बनायेंगे । प्रश्न किया जा सकता है कि फिर केन्द्रीय

सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा ? अतः मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये भी तैयार होना चाहिये। किन्तु इस समय मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में प्रशासन की जहां भी थोड़ी सी चूक हुई है वहां स्थिति को सुधारा नहीं जा सका। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यकलापोंको राज्य सरकारों द्वारा निर्दयता से दबा दिया जाना चाहिये। सम्बद्ध राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक दंगों को प्रथम 24 घन्टों के अन्दर ही दबा देना चाहिये क्योंकि यदि तुरन्त ही इनका दमन नहीं किया जाता तो इनके उग्र रूप धारण कर लेने की आशंका रहती है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की विफलता मानी जायेगी।

एक दो माननीय सदस्यों ने यह बात भी उठाई है कि साम्प्रदायिक दंगों के बारे में समुचित मुकदमे नहीं चलाये तथा अधिक लोगों को दण्ड भी नहीं दिया गया। मैंने इस सम्बन्ध में तथ्य जानने का प्रयास भी किया है तथा समय समय पर राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में लिखा गया है। विशेषकर रांची में हुयी घटना के पश्चात राज्य सरकारों से इस बारे में ज्यादा बल देने को कहा गया है। मैंने राज्य सरकार को इस विषय में घटना के तुरंत बाद पत्र लिखा था।

मुकदमों के विषय में मैं जो आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यद्यपि उससे इस बारे में पूरा चित्र तो प्रस्तुत नहीं होता तथापि कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। नागपुर में 58 मामले न्यायालय को भेजे गये थे जिनमें से 27 मामलों में 128 व्यक्तियों को दण्ड दिया गया। इसी प्रकार अहमदाबाद में 27 मामले न्यायालय में भेजे गये जिनमें से 12 मामलों में 43 व्यक्तियों को दण्ड दिया गया। राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को यह भी बताया कि गम्भीर मामलों से सम्बद्ध व्यक्तियों को आजीवन कारावास तक का दण्ड दिया गया है तथा जिनका अपराध इतना गम्भीर नहीं था उनको कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है। इसी प्रकार जिनका अपराध इससे भी कम गम्भीर था उनको कम समय का कारावास दण्ड दिया गया है तथा जुर्माना आदि किया गया है।

मेरठ में 44 मामले दर्ज किये गये तथा उनमें से अभी तक दो मामलों में लोगों को दण्ड दिया गया है। इसी प्रकार इलाहाबाद तथा रूरकेला में भी मामले दर्ज किये गये तथा कुछ लोगों को दण्ड भी दिया गया। इन्दौर में 215 मामले दर्ज किये गये किन्तु 48 मामलों में ही चार्ज सीट किया गया यद्यपि यह सारे मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : May I know whether any body was given capital punishment in view of the fact that so many people have been killed during the riots ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मेरे हाथ की बात नहीं है। यह काम तो न्यायाधीशों का है। मैं तो इन मामलों में जांच तथा मुकदमों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्य भी दृढ़ता तथा शक्तिशाली ढंग से सम्पन्न किये जाते रहे हैं। यह सच है कि इनमें भी सुधार किये जाने की अभी आवश्यकता अवश्य है।

सभा में रोजगार के विषय में भी प्रश्न उठाया गया है। यद्यपि कुछ सिद्ध करने के लिये मेरे पास कोई आंकड़े इस समय नहीं हैं तथापि मैं यह कह सकता हूँ कि यदि नौकरी देते समय किसी सम्प्रदाय के लोगों के प्रति भेदभाव रखा जाता हो, तो सरकार उस ओर अवश्य ध्यान देगी ; यदि इस सम्बन्ध में कोई भी उदाहरण सरकार के समक्ष रखा जाय तो सरकार उस ओर ध्यान अवश्य देगी।

हमारे देश में दोनों ही प्रकार के सम्प्रदाय हैं अर्थात् कुछ सम्प्रदायों के मानने वाले लोगों की संख्या कम तथा कुछ की अधिक। लेकिन जिस सम्प्रदाय के अधिक लोग है उनका थोड़े व्यक्तियों के प्रति कुछ अधिक उत्तरदायित्व होता है। यदि वे लोग इन अल्प संख्यकों की आलोचना करते है तो यह आलोचना उनकी स्वयं की हो जाती है। यद्यपि भारत अत्यंत प्राचीन देश है इसकी संस्कृति भी प्राचीन है। तथापि हम आज जिस लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाकर चल रहे हैं वह हमारे देश के लिये नई है।

मैंने श्री जगन्नाथ राव जोशी का भाषण अच्छी तरह से समझा है और मैं मानता हूँ कि उन्होंने अध्यात्मवाद को अच्छी तरह प्रस्तुत किया। हिन्दुओं पर यह आरोप लगाया जाता है कि यद्यपि वे अद्वैतवाद की बातें करते हैं तथापि उनकी सामाजिक व्यवस्था असमानताओं से भरी पड़ी है। हमें तथ्यों को स्वीकार करना चाहिये। **(व्यवधान)** हम हजारों वर्षों से विभाजित होकर रह रहे हैं फिर भी हम अद्वैत-वेदांत तथा दर्शन का बखान करते हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या इसे आप विभाजन करने वाला सिद्धांत कहते हैं ? धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है किन्तु आपका दल केवल 85 वर्ष ही पुराना है फिर भी वह विभाजित हो गया है। **(व्यवधान)**

श्री यशवन्त राव चव्हण : आपके दल के प्रवक्ता तो वर्णाश्रम को न्याय संगत ठहराते है। **(व्यवधान)**

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मैं इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी तथा विनोबा भावे के मतों को उद्धृत कर सकता हूं। आप इन दो महानुभावों को तो नहीं भुला सकते।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से महात्मा गांधी या श्री विनोबा भावे ने वर्णाश्रम का कभी पक्ष नहीं लिया। फिर भी यदि ऐसा हो तो आदरपूर्वक कह सकता हूं कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह तो व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रश्न है।

श्री बलराज मधोक ने एक राष्ट्रवाद पर एक पुस्तक लिखी है जिसे उन्होने मुझे भेजा था। मैंने उस पुस्तक का अध्ययन किया है तथा मेरा विचार है कि उन्होंने इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का व्यर्थ परिश्रम किया है।

श्री बलराज मधोक : क्या आप उसमें दिये गये किसी तथ्य का खण्डन कर सकते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आपने वह पुस्तक मुझे पढ़ने के लिए दी थी। अब यदि मैं उस पुस्तक के बारे में कोई आलोचना करता हूं तो आपको नाराज नहीं होना चाहिये।

श्री बलराज मधोक : नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, केवल इतना कह रहा हूँ कि उसमें सभी बातें किन्हीं तथ्यों पर आधारित हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री मधोक ने भारतीय राष्ट्रजन होने के लिये हिन्दू होना अनिवार्य बताया है। क्या इस देश में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से या राजनीनिक दृष्टिकोण से यह सम्भव तथा बुद्धिसंगत है कि भारतीय राष्ट्रजन कहलाने के लिये हर व्यक्ति यह सिद्ध करे कि उसमें हिन्दुत्व विद्यमान है ? **(व्यवधान)**

श्री बलराज मधोक : किन्तु मैंने कहीं भी हिन्दू शब्द को धार्मिक रूप में नहीं लिया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब मैंने हिन्दू शब्द का उल्लेख किया तो माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्होंने उसे धार्मिक रूप में नहीं लिया है। इसीलिये मैंने कहा कि उन्होंने सभी बातों को विकृत करने का व्यर्थ परिश्रम किया है। **(व्यवधान)**

मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करना चाहता वरन् मेरा अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की बातों से लोगों की मनोदशा विकृत होती है तथा इनसे समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

जहां तक मैं समझता हूँ, जब भी कोई दंगा होता है तो लोग अनेक कारण खोजने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है इन दंगों के पीछे पाकिस्तानी एजेंटों या अन्य विदेशियों का हाथ हो। किन्तु यह भी देखना चाहिये कि हम क्या मूर्ख हैं अथवा क्या हमारे अन्दर देश भक्ति कम है जो हम अन्य देशों की योजनाओं को सफल बनाने में सहायता करते हैं ? **(व्यवधान)**

यह कहना सच नहीं है कि एक सम्प्रदाय के लोग अधिक देश भक्त हैं तथा दूसरे के कम। देश भक्ति पर किसी एक जाति या सम्प्रदाय के लोगों का एकाधिकार नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Can you deny this fact that there are certain people in India who are loyal to the other countries and not to India ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सम्भव है कुछ ऐसे व्यक्ति भी हों जो अपने राष्ट्र के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे व्यक्ति किसी एक ही सम्प्रदाय के हैं। उनमें मुसलमान भी हो सकते हैं और हिन्दू भी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के लोग कम देश भक्त हैं।

एक माननीय सदस्य : हां।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी बात से सहमत हैं। साथ ही मेरा निवेदन है कि इस समस्या के बारे में केवल सिद्धांतों में ही हमें नहीं फंसना चाहिये। हमें यह सोचना चाहिये कि वास्तव में इस समस्या को सुलझाने के लिये करना क्या है।

इस मामले पर विचार करने के लिये राष्ट्रीय एकता की स्थाई समिति की बैठक हुई तथा उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। कुछ राजनीतिक दलों ने उसमें भाग भी नहीं लि ा, मुझे इसका दु:ख है। इस समिति की बैंठक में यह निर्णय किया गया कि देश में एक संयुक्त अभियान चलाया जाय तथा लोगों में एक हितकर मनोदशा उत्पन्न की जाय। मैं मानता हूं कि अकेली सरकार इस समस्या को सुलझाने में असफल रही है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि कानुन और व्यवस्था का विषय समवर्ती विषय होना चाहिये। किन्तु मेरे विचार से वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुये इस विषय को समवर्ती सूची में रखना उपयुक्त नहीं होगा। हमें राज्य सरकारों की सद्भावना तथा उनके सहयोग पर आश्रित रहना ही पड़ेगा। आशा है राज्य सरकारें इस मामले में हमारे साथ अवश्य सहयोग करेंगी। केन्द्रीय सरकार राज्यों की इस मामले में सहायता करना अपना कर्तव्य समझेगी। साथ ही सरकारी कार्यवाही के अतिरिक्त लोगों की भावनाओं में परिष्कार करना अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : श्री यशपाल सिंह का एक स्थानापन्न प्रस्ताव है। वह अनुपस्थित है। मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Substitute Motion No. 1 was put and Negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री शिवचन्द्र झा के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 को मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Substitute Motion No. 3 was Put and Negatived.

संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL.

सभापति महोदय : सभा में अब संविधान (तेइसवां संशोधन) विधेयक पर विचार किया जायेगा। इस विधेय पर विचार करने के लिये 6 घन्टे निश्चित किये गये हैं। चार घन्टे सामान्य चर्चा के लिये तथा दो घन्टे अन्य चर्चा के लिये निर्धारित किये गये हैं।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को कल तक पूरा कर दिया जाय चाहे हमें कुछ देर तक बैठना पड़े।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : महोदय ! सामान्य चर्चा के लिये 4 घन्टे का समय कम है। इसे कम से कम 5 घन्टे कर देना चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इस पर मतदान कब होगा ?

सभापति महोदय : अभी यह कहा जा सकता है कि मतदान कल होगा। इस बारे में कल प्रातः घोषणा करदी जायेगी। श्री मसानी चाहते हैं कि सामान्य चर्चा के लिये 5 घन्टे का समय मिलना चाहिये। अतः 5 घन्टे सामान्य चर्चा के लिये तथा 2 घन्टें अन्य चर्चा के लिये निश्चित किये जाते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि मतदान कब होगा।

श्री रघुरामैया : प्रश्नोत्तर काल के पश्चात् इस मामले को उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले के साथ नहीं मिलाना चाहिये।

श्री बलराज मधोक : मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा है कि मैं इस पर पुरःस्थापन के समय बोलना चाहता हूं।

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और एंग्लो-इन्डिअनों के लिये दिये जाने वाले आरक्षण की तिथि को 10 वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाय। संविधान में मूलतः इस सम्बन्ध में 10 वर्ष की अवधि रखी गयी थी जिसे फिर 26 जनवरी 1960 से 26 जनवरी 1970 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार का यह मत है कि अभी इन व्यक्तियों की दशा ठीक नहीं हो पाई तथा उन्हें सुविधाएं देने की अभी आवश्यकता है। मैं स्वयं समझता हूँ कि इन व्यक्तियों का हिन्दुओं ने भारी दमन किया था तथा केवल दो या तीन दशाब्दियों में उनकी दशा को सुधारा नहीं जा सकता था। हिन्दू समाज हजारों वर्ष तक इन व्यक्तियों को अछूत मानता रहा तथा एक प्रकार से इन्हें समाज का उपेक्षित अंग माना जाता रहा। इतना ही नहीं हम आज भी यह नहीं कह सकते कि व्यक्तियों में इन सभी के लिये समानता की भावना पैदा हो गई है।

सदन में बहुत से अवसरों पर यह वक्तव्य दिये गये हैं कि देश में अभी भी अस्पृश्यता विद्यमान है और विशेषकर गांवों में हम लोगों को अलग रखा जाता है। जब भी अनुसूचित जातियों के बारे में कोई चर्चा होती है सरकार से यह शिकायतें की जाती हैं कि इन व्यक्तियों के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई। यद्यपि सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के बारे में संविधान में उल्लेख कर दिया है, और अस्पृश्यता बरतने को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है तथापि खेद है कि हमारे देश में कहीं न कहीं यह बुराई विद्यमान है। बड़े नगरों की बात और है किन्तु गांवों में अभी भी अनुसूचित जाति के लोग अस्पृश्यता के शिकार हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों की आर्थिक दशा भी दयनीय है। प्रायः ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि

शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्ति अपर्याप्त है अथवा सरकारी सेवाओं में उपलब्ध किये जाने वाले अवसर पर्याप्त नहीं हैं।

हाल ही में गृह कार्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में गृह कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति में हमने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण की प्रतिशतता को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हम निर्धारित लक्ष्यों से अब भी बहुत पीछे हैं। सरकारी सेवा के सभी वर्गों में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम है। जीवन का अच्छा स्तर न होने के कारण वे प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य लोगों के स्तर तक नहीं पहुंच पाते। परीक्षा, अध्ययन आदि के सम्बन्ध एक स्तर की आर्थिक स्थिति आवश्यक है। यदि घर का वातावरण उपयुक्त न हो तो ब्राह्मण परिवार का विद्यार्थी भी स्कूल तथा कालेजों के अन्य विद्यार्थियों के साथ नहीं चल सकता। जहां तक निर्वाचन का सम्बन्ध है मेरे विचार में भारत के किसी राज्य में भी ऐसी स्थिति नहीं है कि सामान्यत: अनुसूचित जाति का कोई सदस्य सामान्य क्षेत्र से चुन लिया जाये। समिति में जब इस विषय पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की गई तो एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या राजनीतिक दल परस्पर मिल कर सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से अनुसूचित जाति के सदस्य को खड़ा करने का निर्णय नहीं कर सकते। मेरे विचार में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस सम्बन्ध में निर्णय कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हमने ऐसा किया है और वे चुने गये हैं।

श्री जी० विश्वानाथन (वंडीवाश) : हमने भी ऐसा किया है।

श्री गोविन्द मेनन : ऐसा सम्भव है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। परन्तु शायद वे फिर भी पर्याप्त संख्या में निर्वाचित न होते हों। चुनाव के समय उम्मीदवार की जाति देखी जाती है। यदि किसी दल से अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाये और उसके विरुद्ध कोई उच्च जाति का व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाये तो उच्च जाति वाला व्यक्ति जीत जाता है। यह कमज़ोरी सभी दलों की है। दल के सदस्यों को आदेश दिया जा सकता है परन्तु जनता उस बात को स्वीकार करे या न करे, इस बात को निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता। इन कठिनाइयों को देखते हुए हमें भारतीय जनता को एक और अवसर देना चाहिये जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित लोगों का स्तर इतना ऊंचा हो जाये कि वे अनुभव करें कि वे शेष समाज के बराबर हैं और शेष समाज उनको अपना भाई समझने लगे। संविधान में यह संशोधन करने का यही लक्ष्य है।

संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति तथा देश के अन्य नेताओं के विचार में आंग्ल भारतीय समुदाय का भारतीय समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिये संसद तथा विधान सभाओं में इनके सदस्यों का नामनिर्देशन किया जाता है। नामनिर्देशन सम्बन्धी यह उपबन्ध भी 26 जनवरी, 1970 को समाप्त हो जाता है। इस उपबन्ध को दस वर्ष के लिये और बढ़ा देने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नामनिर्देशित किया जाना चाहिये और अब इस बात को राज्यपाल के स्वविवेक पर

नहीं छोड़ना चाहिये । इससे पहले संख्या की बात राज्यपाल के स्वविवेक पर छोड़ दी गई थी इस संशोधन का यही लक्ष्य है ।

श्री बलराज मधोक : आंग्ल-भारतीय समुदाय के आरक्षण को जारी रखने का क्या औचित्य है ? क्या वे अब भी पिछड़े हुए हैं या वे अपने आप को भारतीय जीवन के अनुरूप नहीं बना सके हैं ? वे पिछड़े हुए नहीं हैं ।

श्री गोविन्द मेनन : किसी एक व्यक्ति को देखकर आंग्ल भारतीय समुदाय के स्तर का कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिये । इस समुदाय के काफ़ी लोग गरीब हैं । उनका रहने का ढंग भी अलग है ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Shri Frank Anthony should fight the election to come here.

श्री बलराज मधोक : नामनिर्देशन का कार्य उपरि सदन तक सीमित रहना चाहिये ।

श्री गोविन्द मेनन : इस प्रकार के सुझाव दिये जा सकते हैं । परन्तु संविधान बनाते समय लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में इनका नामनिर्देशन उपयुक्त समझा गया था । उपरि सदन में विद्वानों, कलाकारों आदि कुछ वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों का नामनिर्देशन किया जा सकता है । हमने देखा है कि नामनिर्देशित सदस्यों ने सभा में हुई चर्चा में भाग लिया है और उनका योगदान सफल रहा है । आंग्ल भारतीय लोग अब भारतीय समुदाय का अंग बन चुके हैं । भारतीय समुदाय में काफ़ी विविधता है । हिन्दुओं में भी कई जातियां हैं । मुसलमानों में भी अलग अलग शाखाओं के लोग हैं । ईसाइयों में भी विविधता है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Will the hon'ble Minister be pleased to give some concrete arguments in support of this constitutional amendment as he has come in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In case they contribute something in the Parliament they would be elected again on those basis. The hon'ble Minister should give some other argument as to why he wants to treat anglo Indians and harijans alike.

श्री गोविन्द मेनन : इनको संविधान के एक ही अध्याय में रखा गया है । कुछ वर्गों के लिये विशेष उपबन्ध है और उन्हें एक ही अध्याय में रखा गया है ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : आप उन्हें निर्वाचित सदस्य क्यों नहीं बना देते ।

श्री गोविन्द मेनन : जैसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित नहीं हो सकते, वही बात आंग्ल भारतीय लोगों पर भी लागू होती है । **(व्यवधान)**

श्री बलराज मधोक : उनके पास कोई तर्क नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री गोविन्द मेनन : वह ऐसा कह सकते हैं । परन्तु मेरे पास बड़ा अच्छा तर्क है । अल्पसंख्यक समिति ने वर्ष 1950 की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर इस विषय पर चर्चा की थी । यह आवश्यक नहीं कि प्रस्तावक के साथ सभी माननीय सदस्य सहमत हों, कुछ सदस्यों

के विचार में आंग्ल भारतीयों का नाम निर्देशन नहीं होना चाहिये परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे पास कोई तर्क नहीं है। मेरे विचार में जिन परिस्थितियों में संविधान सभा द्वारा संविधान में इस समुदाय के नाम निर्देशन की व्यवस्था की गई थी कि वे परिस्थितियां अब भी विद्यमान हैं।

इन बातों के साथ मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री बि० प्र० मंडल (माधेपुरा) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुल ग़नी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : मूल प्रस्ताव तथा अन्य प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं इस विधेयक के उपबन्धों से सहमत हूं परन्तु मैं विधि मन्त्री द्वारा दिये गये तर्कों से सहमत नहीं हूं। भारत का संविधान बनाते हुए संविधान सभा ने दस वर्षों की अवधि में हमारे हरिजन तथा आदिवासी भाइयों की स्थिति में सुधार करने के विचार से यह व्यवस्था की थी। दूसरी बार जब इस उपबन्ध की अवधि बढ़ाई गई थी तो इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि हरिजनों तथा आदिवासियों की स्थिति में सुधार करने के लिये प्रभावशाली कार्यवाही की जायेगी। परन्तु मन्त्री महोदय ने जो समाज कल्याण मन्त्री भी हैं, अभी तक 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हरिजनों तथा आदिवासियों को कोई राहत अथवा सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम हरिजनों तथा आदिवासियों की स्थिति में सुधार करने में सफल हो जाते तो उन्हें इन उपबन्धों की आवश्यकता नहीं होगी। इनकी स्थिति में सुधार करने के तरीके बहुत सरल हैं परन्तु फिर भी सरकार के लिये वे बहुत कठिन हैं। 80 प्रतिशत हरिजनों के पास मकान आदि नहीं हैं। यद्यपि सरकार दिन रात कहती रहती है कि वह ग़रीबों की समर्थक है उन्होंने किसी हरिजन अथवा आदिवासी को आधा एकड़ भूमि भी नहीं दी है। कितने प्रतिशत आदिवासियों को रोज़गार दिया गया है? मैं इस लापरवाही के लिये इस सरकार की निन्दा करता हूं।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : **रेलवे में कितने आदिवासियों को रोजगार दिया गया है ?**

डा० राम सुभगसिंह : सब जगह कोटा पूरा है। जहां तक पीने के पानी के लिये कुओं का सम्बन्ध है, हमारे देश में 54 लाख गांव हैं और प्रत्येक गांव में एक कुआं आसानी से लगाया जा सकता है, परन्तु यह कार्य अब तक नहीं किया गया है।

यह ठीक है कि हरिजन तथा आदिवासी समुदायों को शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं परन्तु इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है और हमारे देश में कहीं भी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा नहीं है। यदि ऐसा कर दिया जाये तो हरिजनों और आदिवासियों के माता पिता, जो अपने बच्चों को पशु चराने अथवा कुछ अन्य घरेलू कामकाज करने के लिये विवश करते हैं,

अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये स्वतंत्र महसूस करेंगे। इस कार्य को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक ही नहीं बल्कि उच्चतम स्तर तक किया जाना चाहिये।

सरकार के पास जो फालतू भूमि है अथवा जो भूमि अधिकतम सीमा के बाद फालतू हो जायेगी उसे भूमिहीन व्यक्तियों में, विशेषकर हरिजनों तथा आदिवासियों के बीच में बांट देना चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे समाज का यह अंग बहुत कमजोर है और इसको समुचित रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। यह विधेयक गत सत्र में लाया जाना चाहिये था। अभी अभी आंग्ल भारतीय समुदाय की बात चली थी। मैं उनके नाम निर्देशन के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु मैं यह चाहता हूँ कि उनके अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं वे किसी भी राज्य से चुने जा सकते हैं। इसमें आरक्षण की कोई बात नहीं है। परन्तु जैसाकि मैंने पहले कहा है मैं इस उपबन्ध का समर्थन करता हूँ और विशेषकर हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये किये गये उपबन्धों का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं इस व्यवस्था का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि संविधान सभा ने जिन कारणों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्थानों के आरक्षण और नामनिर्देशन की व्यवस्था की थी, वे अभी समाप्त नहीं हुए हैं। उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शक्तिशाली लोगों के हाथ सामाजिक शक्ति के केन्द्र हैं और वे शक्तिशाली लोग और भी शक्तिशाली बन गये हैं। इसी प्रकार सुनियोजित समाज में धनवान व्यक्ति अधिक धनवान बन गये हैं। इसका कारण यह है कि आर्थिक शक्ति के केन्द्र सामाजिक शक्ति के केन्द्रों के साथ गठबन्धन किये हुए हैं और इसलिये ये केन्द्र आर्थिक शक्तिशाली बन गये हैं। सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति के केन्द्र अधिक शक्तिशाली बन जाने के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों पर अधिक अत्याचार हो रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि ये आरक्षण 10 वर्ष के लिये ही नहीं बल्कि जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो जाता और वे दूसरे लोगों के स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक जारी रखे जाने चाहिये। जिनके साथ आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति है उन्हीं के पास राजनीतिक शक्ति भी संकेन्द्रित है। अनुसूचित जातियों के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्हें इस अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। उन्हें डराया, धमकाया और परेशान किया जाता है। बहुमत का अत्याचार एक व्यक्ति के अत्याचार से बहुत बुरा है। हम वेदान्त, अद्वैत आदि दर्शन की बातें करते हैं परन्तु हम पंचम और चतुर्थ वर्ण को भूल जाते हैं। दमनकारी लोग हमारे मित्र बनने का दावा करते हैं। हम उपर्युक्त उपबन्ध की अवधि दस वर्ष के लिये और बढ़ा रहे हैं परन्तु मुझे संदेह है कि इस बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति में कोई परिवर्तन होगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण ये अत्याचार अब भी जारी हैं। अतः इस विधेयक का प्रस्तुत किया जाना उचित कार्यवाही है।

आंगल-भारतीय एक सुगठित अल्पसंख्यक समुदाय है और उनके मामले में नाम निर्देशन का सिद्धान्त स्वीकार करना उचित है, हालांकि यह लोकतंत्रीय शासन में अपवाद है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : हम हरिजन और आदिवासी भाइयों के दृष्टिकोण से सहमत हैं। हमारा दल उनके हितों का समर्थन करता है। मैं गृह मंत्री से सहमत हूँ कि वर्तमान सामाजिक ढांचा विषमता पर आधारित है और उसका भारतीयकरण किये जाने की आवश्यकता है। हरिजनों को समानता के आधार पर अपने साथ मिला लेना हमारा लक्ष्य है। आदिवासी लोगों की पृथक् संस्कृति, उनके कला कौशल और उनके जीवनयापन के तरीके की रक्षा की जानी चाहिये।

इस आरक्षण से कुछ लाभ होने के बावजूद इसमें कुछ दोष भी हैं। आज जो अच्छी स्थिति में है वे हरिजनों और आदिवासियों को कुछ स्थान देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे हैं। यह आरक्षण का बुरा प्रभाव है। रोजगार तथा अन्य बातों के संदर्भ में उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिये। यदि यह आरक्षण न होता तो शायद उनके साथ कुछ अधिक न्याय होता। आरक्षण को जारी रखने की व्यवस्था को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने से पूर्व हमें इसके कुप्रभावों पर भी विचार करना चाहिये। इन वर्गों को समान स्तर पर लाना और समान अवसर प्रदान करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। हमें इस समस्या पर विचार करना चाहिये कि आरक्षण हमारे लक्ष्य की पूर्ति में बाधक है या साधक है।

किसी भी माननीय सदस्य अथवा मंत्री महोदय ने यह सिद्ध नहीं किया कि उपर्युक्त आरक्षण के परिणामस्वरूप इस वर्ग की कोई ठोस प्रगति हुई है तथा लाभ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी लोग इस सहायता का परित्याग कर अपनी शक्ति के सहारे अपना मार्ग प्रशस्त करें, इस सहायता का परित्याग न करने की स्थिति में उनमें आत्म विश्वास की कमी बनी रहेगी।

अत: हम इस विधेयक के विरुद्ध नहीं परन्तु इसमें सुधार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमने एक संशोधन रखा है जिसका आशय यह है कि तेरह वर्ष की अवधि के बाद हमें आरक्षण के अनुपात को कम कर देना चाहिये जिससे दस या तेरह वर्ष के बाद हमारे निर्वाचक मंडल में पूर्ण एकता स्थापित हो सके। प्रत्येक सामान्य चुनाव में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत स्थान कम कर दिये जाने चाहिये जिससे दो सामान्य चुनावों के बाद ये आरक्षण समाप्त हो जायें। अन्यथा दस वर्ष के बाद सरकार फिर यही प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

राजनीतिक दलों को इस दिशा में विचार करना चाहिये कि अधिक से अधिक हरिजन तथा आदिवासी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हों। हमारा दल इस दिशा में अवश्य कार्यवाही करेगा चाहे ये आरक्षण रहे या न रहें। परन्तु यदि हमारा संशोधन स्वीकृत हो जाय तो सभी राजनीतिक दलों को ऐसा करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण को दस वर्ष के लिये और बढ़ाने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

पदों का आरक्षण करने सम्बन्धी यह दूसरा संशोधन है। इससे पूर्व एक संशोधन वर्ष 1959 में पारित किया गया था।

Shri Yaswant Singh Kushwah (Bhind) : Sir, I want to rise a point of order. Under rule 75 the mover of the amendment for circulation should be given preference over other speakers.

सभापति महोदय : मैंने नियमों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको यथा समय बोलने का अवसर दिया जायगा।

श्री सिद्दय्या : जब 1959 में प्रथम बार संशोधन विधेयक लाया गया था तो उस समय भी यही कारण बताये गये थे जो आज बताये गये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये वेदों का आरक्षण करने की अवधि को बढ़ाने का मुख्य कारण उनका आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ापन है। वे सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं।

मै यह जानना चाहता हूं कि उनकी स्थिति में 22 वर्ष बाद अब तक क्या परिवर्तन आये हैं ?

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों को तब तक आरक्षित रखा जाना चाहिये जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो जाता और उनका स्तर देश के अन्य समुदायों के समान नही हो जाता।

अब प्रश्न यह आता है कि क्या दस नर्ष में उनकी स्थिति में इतना सुधार हो सकता है कि उनका स्तर देश के अन्य विकसित समुदायों के समान हो जायेगा ? मेरे विचार से आप सब इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा आगामी दस वर्ष में सम्भव नहीं है। मेरा सुझाव है कि समय की ऐसी कोई सीमा इसमें नहीं लगानी चाहिये।

जब तक जातिवाद प्रणाली जारी है अस्पृश्यता जारी रहेगी। क्या देश में इन वर्षों में अस्पृश्यता को दूर करने के लिये सरकार ने कोई कानून बनाया है ? सरकार को अस्पृश्यता को दूर करने के लिये एक विधेयक लाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो संविधान में भी संशोधन किया जाना चाहिये।

इलया परनमाल समिति, जिसकी नियुक्ति सरकार ने की थी, ने अपनी रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किये थे कि अस्पृश्यता एक बुराई है जो न केवल कस्बों और नगरों में विद्यमान है बल्कि आज यह गांवों में भी सर्वत्र विद्यमान है। अतः सरकार को इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करना चाहिये। इसमें जनता का सहयोग भी आवश्यक है।

इन वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधाएं भी दी जानी चाहिये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित नोकरियों से इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिये।

आर्थिक उत्थान की दृष्टि से अनुसूचित जातियां एक श्रमिक समुदाय है। भूमि सुधार से उन्हें बहुत आशा थी लेकिन इससे इन व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं हुआ। काश्तकार भूमि के मालिक होने की बजाय श्रमिकों की सी स्थिति में हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाने वाली अन्य रियायतों में समय की कोई सीमा नहीं है। अतः राजनीतिक स्थानों के आरक्षण के मामले में सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है। क्या ऐसा कोई सोच सकता है कि उन्हें देश के प्रशासन में भाग लेने की अनुमति न दी जानी चाहिये ?

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति नाम निर्देशन की मांग नहीं कर रहे हैं। वे चुनाव लड़ने के लिये तैयार हैं। स्थानों का आरक्षण देश में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिये।

{ **श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए**
Shri Prakash Vir Shastri *in the Chair* }

सरकार इस समय की निर्धारित सीमा को हटाने के लिये कटिबद्ध क्यों नहीं है ? उसको चाहिये कि वह उनके पदों को तब तक आरक्षित रखे जब तक वे सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य विकसित समुदाय के स्तर तक नहीं पहुंच जाते। इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने का यही एक मात्र उपाय है।

प्रधान मंत्री देश को समाजवाद की ओर ले जा रही हैं। इस बारे में समस्त देश उनके साथ है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। उनकी नियुक्ति बहुत से स्थानों जैसे सरकारी उपक्रम के अध्यक्षों राज्यपालों और राजदूतों के पदों पर की जा सकती है। इन व्यक्तियों को देश के प्रशासन से भाग लेने की अनुमति न देकर समाजवाद की बात करना निर्मूल है।

श्री शिवशंकरन* (श्रीपरनमपुदूर) : मुझे विश्वास है कि इस विधेयक का सब राजनीतिक दल स्वागत करेंगे।

हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिये सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों ने सरकार द्वारा गत दस वर्षों में दी गई रियायतों से अधिक लाभ नहीं उठाया है। दूसरी दस वर्ष की अवधि में उनकी कठिनाइयां घटने के बजाय बढ़ी हैं।

माननीय मंत्री ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में फैली अस्पृश्यता को दूर करने और उनकी रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। जब तक हमारे देश में जातिवाद को बल मिलता रहेगा हरिजन और आदिवासी प्रगति नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार से उनके लिये पदों की आरक्षण सीमा दस वर्ष तक सीमित नहीं रखनी चाहिये।

उन व्यक्तियों को तब तक सहायता दी जानी चाहिये जब तक ऐसा करना उनके लिए आवश्यक हो।

---

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर

*Summarised translation version based on English Translation of original speech delivered in Tamil.

हरिजन और आदिवासियों को यथा समय रियायतें दी जानी चाहिये । हरिजन और आदिवासी परिश्रम करते हैं लेकिन उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। वे कारखानों में काम करते हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन भी नसीब नहीं होता । इस मामले में केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इस मामले में उनके उत्थान के लिये सरकार को उनके कल्यारग की ठोस योजनाए बनानी चाहिये ।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सेवाओं में पदोन्नतियां उचित समय पर स्वतः नहीं दी जातीं ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब तक देश का राष्ट्रपति एक हरिजन नहीं होगा तब तक हमें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। तमिलनाडु सरकार खाली भूमि को हरिजनों और आदिवासियों में बांटने के लिये यथासम्भव प्रयास कर रही है। भारत सरकार को भी इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

ब्रिटिश शासन काल में जातिवाद सम्बन्धी भेद भाव को दूर करने के लिये बहुत से हरिजन और आदिवासी ईसाई बन गये थे । इसके परिरगामस्वरूप हरिजनों को दी जाने वाली रियायतें बन्द कर दी गई थी क्योंकि ऐसा समझा जाने लगा था कि वे उच्च श्रेणी के ईसाई बन गये हैं। उच्च श्रेणी के ईसाई उनको अपने समाज से दूर रखते थे। अतः हरिजनों और आदिवासियों को दी जाने वाली रियायतें इन ईसाइयों को भी दी जानी चाहिये। चूंकि सरकार देश के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने को कटिबद्ध है। अतः उन्हें ये रियायतें देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहियें। प्रशासन में उनको उच्च पद न देने के लिये जानबूझकर प्रयास किये जा रहे हैं ।

वे होटलों में प्रवेश नहीं कर सकते और यदि उन्हें होटलों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हो जाती भी है तो अलग स्थानों पर बैठाया जाता है और उन्हें अलग प्लेट और प्याले दिये जाते हैं। पुलिस अधिकारी भी इस विषय में कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। हरिजनों की रक्षा के लिये पुलिस के संरक्षरग की व्यवस्था की जानी चाहिये। तब ही वह सामान्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सरकार को हरिजनों और आदिवासियों के कल्यारग के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये और सरकार को उनके उत्थान के बारे में ठोस कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं संविधान के निर्माताओं का यह विश्वास था कि उक्त अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा और उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समान अधिकार प्राप्त हो जायेगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह आशा पूरी नहीं हुई और अब विधि मंत्री ने इस अवधि को दस वर्ष और बढ़ाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है ।

हमारा सामाजिक ढांचा जातिवाद पर आधारित है और जब तक सरकार इसको समाप्त करने में सफल नहीं होगी तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये स्थानों का आरक्षरग करना पड़ेगा।

जब तक सामाजिक ढांचे में परिवर्तन नहीं होता स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैं विधेयक से सहमत हूं लेकिन सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाना आवश्यक है। औद्योगिक या

आर्थिक नीति संकल्प की भांति सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प भी प्रस्तुत किये जाने चाहिये। इन संकल्पों में सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करने की बात निहित होनी चाहिये। विधि मन्त्री को जातिवाद को समाप्त करने सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत करना चाहिये ताकि हमें संविधान में फिर से परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। अनुसूचित जाति अस्पृश्यता, आर्थिक और शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। समिति ने अपने सुझाव में कहा है कि सामाजिक परिवर्तन के मामले में योजना में त्रुटियां हैं।

Shri Sheo Narain (Basti) : The Government should pay attention towards the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is a lot of unemployment amongst the educated persons. There is no appropriate reservation of post for the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have asked the people in my constituncy to demand food, clothes and houses from the Government. I am not against this Bill The Government has not provided jobs to the educated scheduled caste and scheduled tribes people. Iwant to know how many persons have been employed after Bank nationalization ? The Indra Government has not adopted a proper attitude towards Harijans. Proper representation has not been given to them in her Government. No Harijan candidate was put up for Presidential and Vice Presidential elections. We had requested Shri Jagjivan Ram to stand for Presidentship but at that time he said that he should not be asked to retire from active politics when he was only 61. But why should he become the president of Congress now. The present Government which adopted divide and rule policy and which is mainly relying and depending on the support of Communists who believe in subversive activities and extra-territorial loyalty, wiil not last long. You khow how the Communists treat one of our Deputy Ministers in Bengal.

The socio political conditions in the country during the last some centuries were responsible for making Harijans and Adivasis backward. So long as casteism is there, neither Harijans nor Rajputs nor Brahmins will be able to progress. The Government should work honestly if they believe in democratic set-up and socialistie pattern of society. What we want is that the provision of reservation should be done away with. We are prepared to fully support the Government. Provided our genuine demands for social justice are conceded. I want to make it clear to Shri Jagjiwan Ram that he is being bluffed. He is being ousted in a polite manner.

There has been anutter failure on the part of the Government to solve the problems of and to improve the lot of Harijans in the country. They are still leading a miserable life and are treated stabiity by caste Hindus. Their plight particularly in the castern part of U. P. is really miserable and they deserve sympathetic consideration on compassionate grounds. But the Government have done nothing for them so far and have adopted an indifferent attitude towards them. There is still time to do some thing to improve their lot, otherwise a revolution under the red flag will be errupting in the country.

With these words I support the Bill. I request the Law Minister to translate into reality the promises and commitments which the Government have made to the people at large.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : The Bill to provide for extension of reservation for another ten years is a political stunt aimed at gaining the support of Harijans. On

the basis of my personal experience I can say that the plight of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the rural areas is miserable. Their problems can not be solved unless and until some ordinance to abolish caste systsm is promulgated or some revolutionary amendment is made to this effect.

Untouchablity is still in practice in rural areas and the children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are meted out a discriminatory attitude in the matter of admission to schools etc., If Government are really sincere about improving their econmic condition, steps should be taken to see that every facility is given to them for their education right from primary standard to the College level.

The condition of Scheduled Tribes is really very miserable. They have no land to cultivate. They are landless agricultural labourers who have to live at the whims and mercy of their landlords. The claims of the U. P. Government, as appeared in the newspapers, that they have distributed 70 percent of the follow land among landless agriculturists is not correct.

Untouchability is still being practised in rural areas where Harijans are meted out shabby treatment by Caste Hindus. The only way to remove untouchability is encourage inter caste marriages. Government should formulate schemes and make provisions to popularise such marriages. The problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be solved and their lot cannot be improved unless their problems are treatd as national problems. We cannot achieve socialism unless we give social justice to them. A lot can be done by political parties to bring them at par with others in society. There is a smouldering fire in the hearts of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which may one day explode in to flames and destrby the entire structure based on social discriminations and injustice.

In the end I would request the Government to implement all the schems drawn for their betterment with all earnestness.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : The period of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be extended for another 20 years instead of 10 years as provided in the Bill with a view to providing them with ample opportunity to improve their lot. The Goverumcnt can there after appoint a commission to go in to the question of whether the provision so made could be allowed to continue further even after the expiration of the suggested period, if they did not come at par with others.

There cannot be two opinions about the fact that their plight is very miserable. They are still treated stablity in rural areas and social rights and other facilities available to other people are denied to them.

There are some organisations particularly the Jan Sangh and R. S. S. which by theire behaviour in public life create an atmosphere that encourages and foments communal tension in the society. This is what I am saying on the basis of my personal experience of 40 years' public life. I would, therefore request these parties and their workers to work with these people and take them into confidence and remove this feeling from their mind so that a healthy climate is created for the uplift and development of the down trodder classes. They should not be subjected to inhuman treatment which is meted out to them by caste Hindus. They can be brought at par with others only when their economic condition is improved.

With these words I support this measure with the request that the concession should be continued as long as they feel necessity thereof.

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : Sir, I had given notice of a motion to circulate the Bill for eliciting public opinion thereon. This is my firm conviction that our country cannot march forward till social exploitation is put an end to.

There is no improvement in the economic and social condition of Harijans even after the expiration of this period of twenty years. They are still subjected to inhuman treatment.

Mr. Chairman . The hon. Member may continue his speech tomorrow. The House now stands adjourned.

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 9 दिसम्बर, 1969/18 अग्रहायण. 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 9th December, 1969/Agrahayana 18, 1891 (Saka)

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर-3